हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 दिसम्बर, 2021

खण्ड–3, अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

सरकारी संकल्प

गैर – सरकारी संकल्प का मामला उठाना

विशेषाधिकार प्रस्ताव का मामला उठाना

गैर – सरकारी संकल्प का मामला उठाना

वॉक आउट

शून्य काल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना

पदम श्री विजेता पहलवान श्री विरेन्द्र सिंह गुंगा की मांगों से संबंधित मामला उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

प्रदेश में डी.ए.पी./यूरिया खाद की कमी से संबंधित

वक्तव्य –

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

वर्ष 2021–2022 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान

विधायी कार्य –

(i) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक अमेनिटिज एण्ड इंफ्रास्ट्रैक्चर डैफिसियेंट एरियाज आउटसाईड म्यूनिसिपल एरिया (स्पेशल प्रोविजंस) बिल, 2021

(2) दि हरियाणा एक्साइज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

(ii) विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक

(1) दि हरियाणा पोंड एण्ड वेस्ट वाटर मैनेजमैंट अथारिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2021

बैठक का समय बढ़ाना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा के सभी सदस्यगण को अध्यादेश की प्रति उपलब्ध करवाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया सुझाव

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

To Make Delhi Road Traffic Jam Free

***1293. Dr. Kamal Gupta:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make main Delhi Road of Hisar City traffic jam free by constructing elevated road; if so, the details thereof?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Yes Sir, the Government has appointed a consultant to carry out feasibility study.

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हिसार शहर के बीच में से जो एलिवेटिड सड़क बनेगी, वह कहां से कहां तक बनेगी और इसकी लम्बाई व चौड़ाई कितनी होगी? क्या इसको सिंगल पीलर्ज पर या डबल पीलर्ज पर बनाने की योजना है और क्या यह सड़क वन वे बनेगी या टू वे बनेगी इससे संबंधित इन सब बातों का जवाब माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय सदन को जरूर बताएं?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस योजना के लिये डी.पी.आर. तैयार करने के लिये 22 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। यह रोड सिंगल पीलर्ज पर या डब्ल पीलर्ज पर बनेगी, इस बात की जानकारी तो डी.पी.आर. बनने के बाद ही तय हो सकती है कि इस एलिवेटिड रोड की कैपेसिटी कितनी होगी। अध्यक्ष महोदय, इस रोड की शुरूआत हिसार इण्डस्ट्रियल एरिया से होगी और सेक्टर–14 को क्रॉस करके इसको डाउन टर्न किया जायेगा। जिसके अंदर लगभग 5 या 6 एंट्री और एग्जिट प्वायंट बनाये जायेंगे। इस पर जो मेजर सड़कें हैं चाहे वह तोशाम रोड है या फिर राजगढ़ रोड है इनको कनैक्ट करने की भी योजना है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि जो एलिवेटिड रोड बनेगा उसकी लम्बाई और ऊँचाई क्या रहेगी या फिर इसको कहीं बीच में उतारा

जायेगा? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं बीच में उतारेंगे तो उस प्वायंट पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जायेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य जी, अभी तो इस योजना की डी.पी.आर. बननी है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय यह भी सदन को बता दें कि यह रोड वन वे बनेगा या फिर टू वे बनेगा।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, लगभग 9 किलोमीटर की लम्बाई का यह एलिवेटिड रोड बनेगा। इसके अंदर एंट्री और एग्जिट प्वायंट भी जरूर होंगे। जिसको शहर क्रॉस करना है तो उसके लिये बाईपास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चाहे वह कैथल–जयपुर हाईवे का बाईपास हो जो ईस्ट एण्ड वैस्ट को कनैक्ट करता है। चाहे वह पुराने हिसार का दिल्ली–सिरसा का बाईपास है जो नॉर्थ एण्ड साउथ को कनैक्ट करता है। इस चीज को देखते हुए शहर के तमाम ऐसे जंक्शन जहां बहुत ज्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी की जरूरत है और उनको सुविधा देने के लिये जिसमें दो गाड़ियों का आने–जाने का सही ढंग से रास्ता रहे, इस चीज को देखते हुए इसकी डी.पी.आर. तैयार करने के लिये कहा हुआ है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी यह भी जानकारी दें कि यह प्रोजैक्ट कब तक शुरू होगा और कब तक इसका काम पूरा होने की संभावना है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी डी.पी.आर. तैयार हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ष 2022 के अंदर जैसे ही इसकी डी.पी.आर. तैयार हो जायेगी तो माननीय संबंधित सदस्य को बुलाकर इसका शिलान्यास का काम करवा देंगे।

डॉ. कमल गुप्ताः धन्यवाद सर।

———————

Total Number of Schools

***1470. Shri Nayan Pal Rawat:** Will the Education Minister be pleased to state the total number of Secondary, High and other Schools in State together with the number of students studying therein along with the

total number of teachers, cleaning staff, chowkidar and peon posted therein?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): श्रीमान जी, विवरण विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(i) राज्य में स्थित माध्यमिक, उच्च और अन्य विद्यालयों की कुल संख्या का विवरण निम्नानुसार है: –

विद्यालयों की संख्या			
विद्यालय श्रेणी	**सरकारी**	**निजी**	**कुल संख्या**
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	2097	3387	5,484
संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	137	0	137
उच्च विद्यालय	1092	2048	3,140
माध्यमिक विद्यालय	2421	3474	5,895
प्राथमिक विद्यालय	8656	1221	9,877
आरोही विद्यालय	36	0	36
कस्तूरबा गांधी, बालिका विद्यालय	33	0	33
प्रयोगशाला विद्यालय, (भिवानी बोर्ड)	1	0	1
केन्द्रीय विद्यालय	0	48	48
सहायता प्राप्त विद्यालय	0	214	214
सैनिक विद्यालय	0	2	2
कुल	**14,473**	**10,394**	**24,867**

(ii) छात्रों की कुल संख्या इस प्रकार है:–

सरकारी विद्यालय – 25,30,868
निजी विद्यालय – 28,37,671
कुल – 53,68,539

(iii) अध्यापकों, सफाई कर्मचारी, चौकीदार तथा चपरासी की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है:–

क्र0	**पद**	**वित्त विभाग अनुसार स्वीकृत पद**	**आवश्यकता**	**कार्यरत**			**रिक्तियां**
				नियमित	**अतिथि**	**कुल**	**कुल**
1.	प्रधानाचार्य	2241	2241	1843	00	1843	398
2.	मुख्याध्यापक	1071	1071	959	00	959	112
3.	पी0जी0टी0	41110	39808	24213	1621	25834	13974
4.	टी0जी0टी0 / मौलिक मुख्याध्यापक	36793	46861	21461	4933	26394	20467

6.	पी0आर0टी0 / हैड शिक्षक	44272	40605	30157	5602	35759	4846
7.	सफाई कर्मचारी / स्वीपर / चौकीदार / पीयन	12408	12408	5746	00	5746	6662
कुल		**137895**	**142994**	**84379**	**12156**	**96535**	**46459**

श्री नयन पाल रावतः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार की जो शिक्षा नीति है वह सर्वोपरि है। वर्ष 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश में बहुत सारे प्ले स्कूल, सैनिक स्कूल और मॉडल संस्कृति स्कूल खोल कर शिक्षा की तरफ पूरा जोर दिया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीयन, सफाई कर्मी, चौकीदार की कमी के कारण स्कूलों में चोरी हो जाती है। स्कूलों में स्टॉफ की कमी के कारण सफाई व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। स्कूलों में वॉश रूम साफ–सुथरे दिखाई नहीं देते हैं। मैं समझता हूँ कि स्कूल के पैरा मीटर्ज के हिसाब से ही स्टॉफ नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और स्कूलों में सही ढंग से साफ–सफाई हो सके। धन्यवाद।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस समय प्रदेश में पीयन, सफाई कर्मचारी व चौकीदार आदि की लगभग 6662 पद रिक्त पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जल्दी ही कौशल रोजगार योजना में इन पदों की भर्ती कर देंगे ।

श्री नयन पाल रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

.....

Recruitment of Drivers and Conductors in Roadways

***1392. Shri Bishan Lal Saini:** Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact the persons who have given their services as drivers and conductors during the strike of roadways on 18 October, 2018 in State have been assured by the Government to give priority in future recruitments of Roadways in State, and

(b) if so, the time by which recruitment of abovesaid drivers and conductors in Roadways in likely to be made?

परिवहन मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा): (क) नहीं, श्रीमान् जी। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 19.08.2019 को यह अनुमोदित किया गया था कि भविष्य में जब भी चालकों और परिचालकों की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो इन चालकों तथा परिचालकों को आउटसोर्सिंग नीति भाग–1 के अन्तर्गत लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) उपरोक्त "क" को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ–साथ मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिन चालकों और परिचालकों की एच.एस.एस.सी. द्वारा सिलैक्शन हुई है सर्वप्रथम हम उनकी नियुक्ति करेंगे । इसके बाद जब हमारी नई 809 बसें आ जाएंगी तो फिर हड़ताल के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले चालकों और परिचालकों को भर्ती में प्रेफरन्स दिया जाएगा ।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तमाम घोषणाएं चाहे यहां पर करते हों या फिर बाहर करते हों उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए । जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया था कि हम प्राथमिकता उन चालकों और परिचालकों को देंगे जिन्होंने हड़ताल के समय सरकार का साथ दिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से उनको प्रशंसा पत्र भी बांटे गए तो क्या इसका अक्षरशः पालन नहीं होना चाहिए ? उन बांटे गए प्रशंसा पत्रों में भी लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऐसा मामला होगा या नौकरियां आएंगी तो वे सबसे पहले इनको दी जाएंगी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब बाहर इस बारे में कह दिया है तो क्या ऐसी बातें यूँ ही कह दी जाती हैं ? ये सारी बातें झूठ थोड़े ही होती हैं ।

पंडित मूल चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि रोडवेज हड़ताल के दौरान आउटसोर्सिंग नीति के तहत चालकों और परिचालकों के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले चालकों

और परिचालकों को भर्ती में प्रेफरन्स दिया जाएगा। अतः हम उन चालकों और परिचालकों को आउटसोर्सिंग नीति भाग–1 के अन्तर्गत लगाने में प्रेफरन्स देंगे ।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाहता हूं कि उनको प्रेफरन्स कब दिया जाएगा ?

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब हमारी नई 809 बसें आ जाएंगी तो फिर हड़ताल के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले चालकों और परिचालकों को भर्ती में प्रेफरन्स दिया जाएगा । फिलहाल तो हमारे पास स्टाफ सरप्लस है ।

श्री बिशन लाल सैनी : ठीक है।

———————

To Four Lane the Road

***1377. Shri Sita Ram Yadav:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to fourlane the Mahendragarh-Rewari road from Dahina to Unhani Dadri Mor in Ateli Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the abovesaid road is likely to be fourlaned?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) No Sir.

(b) Hence, question of time does not arise.

श्री सीता राम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या रेवाड़ी–महेन्द्रगढ़ सड़क को डहीना से उन्हाणी दादरी मोड़ तक चारमार्गी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के इस प्रश्न का जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि वहां पर नैशनल हाइवेज पर्याप्त मात्रा में हैं । इसके अलावा वहां पर एक इम्पोर्टेन्ट इंटरफेस रायमलिकपुर से इस्माइलाबाद भी बन रहा है । यह इंटरफेस पूरे हरियाणा को एक एक्सप्रैस–वे के तौर पर कनैक्ट करेगा । इसके साथ–साथ माननीय सदस्य की इस मार्ग को चारमार्गी करवाने की जो बात है तो हम उसकी

ट्रैफिक डैंसिटी का एक सर्वे अवश्य करवा लेते हैं । सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद अगर वहां पर पर्याप्त मात्रा में ट्रैफिक पाया गया तो प्रदेश सरकार उसको चारमार्गी करने पर अवश्य विचार करेगी ।

श्री सीता राम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि रेवाड़ी से महेन्द्रगढ़ रोड स्टेट हाइवे–24 है । कौसली से कनीना का जो रोड है वह उसी हाइवे पर जाकर मिल जाता है । उस मार्ग पर वाहनों की तादाद काफी ज्यादा है । इसके अलावा डहीना से कनीना बाउंड्री तक बहुत ज्यादा एक्सीडैंट्स होते रहते हैं । कनीना की बाउंड्री से उन्हाणी दादरी मोड़ तक बहुत ज्यादा ट्रैफिक की भीड़ रहती है । वहां पर पूरा दिन जाम लगा रहता है । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उस मार्ग को चारमार्गी किया जाए ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस रेवाड़ी से महेन्द्रगढ़ स्टेट हाइवे–24 की बात की है वह हाइवे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है । जहां तक माननीय सदस्य की दूसरी सड़क की बात है मैं आज ही आदेश करता हूं कि इसका ट्रैफिक डैंसिटी सर्वे अवश्य करवाया जाएगा।

———————

To Promote the Co-Education System

***1472. Smt. Nirmal Rani:** Will the Education Minister be pleased to state the steps taken or likely to be taken by the Government to promote co-education in schools of State?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से अधिकतर विद्यालय सह–शिक्षा विद्यालय है। वर्तमान में राज्य में 14,473 विद्यालयों में से 12,664 विद्यालय सह–शिक्षा वाले विद्यालय है और केवल 1809 कन्या विद्यालय है।

श्रीमती निर्मल रानी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि अगर राज्य में विद्यालयों को को– एड कर दिया जाए तो उसके एट्रक्शन से बच्चों का मानसिक विकास ज्यादा होगा। मैं और मेरे पेरैंट्स शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। मैंने यह देखा है कि कई गर्ल्ज स्कूल्ज के आगे छुट्टी के

समय पर पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि बच्चों में उन स्कूल्ज के प्रति एट्रक्शन होता है। प्राईमरी शिक्षा से ही यदि बच्चे को– एड स्कूल्ज में पढ़ेंगे तो उनके माईंड में लड़का/लड़की वाली बात नहीं रहेगी। इसलिए हमें को– एजूकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल स्कूल्ज के बारे में ही लगा है, परन्तु मेरा इशारा कॉलेजिज की तरफ भी है। अगर हमारे ज्यादातर कॉलेजिज को– एड होंगे तो उससे हमारे प्रदेश के बच्चों को और भी फायदा होगा। इस प्रकार यह शिक्षा जगत में और भी मजबूत कदम साबित होगा।

श्री अध्यक्षः निर्मल जी, इस विषय पर अलग– अलग राय हो सकती हैं।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्या का प्रश्न आया था तो मैंने पहले ही कहा था कि माननीय सदस्या प्रश्न तो कॉलेजिज और स्कूल्ज के बारे में ही लगाना चाहती थी, परन्तु गलती से स्कूल्ज के बारे में लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार का आने वाले समय में को– एजूकेशन देने पर ही प्रयास रहेगा। अगर किसी माननीय सदस्य या जनता की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड आएगी कि केवल लड़कियों का ही स्कूल खोला जाए तो उसी स्थिति में ही लड़कियों का स्कूल खोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी को– एजूकेशन के बारे में समाज को जागरूक करें। को– एड स्कूल्ज के रिजल्ट और दूसरे स्कूल्ज के रिजल्ट में बहुत ज्यादा अंतर है। मेरे ऑफिस में एक प्रोफेसर आयी थी मैंने उनसे पूछा कि उनकी को– एजूकेशन के बारे में क्या राय है तो उन्होंने कहा कि को– एजूकेशन दी जानी चाहिए। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में आगे और प्रयास करेगी।

श्रीमती निर्मल रानीः अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन का सदस्य बने हुए 2 साल का समय हो चुका है। मैं बार– बार माननीय मंत्री जी से इस बारे में मिलने जाती हूं। मैं माननीय मंत्री जी को कहती हूं कि माननीय सदस्यगण अपने क्षेत्र के लिए महिला कॉलेज की मांग करते हैं, परन्तु मैं अपने गन्नौर हल्के के लिए एक को– एड कॉलेज बनवाना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहती हूं कि गन्नौर में एक को– एड कॉलेज खोल देंगे।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इसके बारे में आश्वासन तो नहीं दे सकते, लेकिन फिजिबिलिटी चैक करवा लेंगे और जरूरत के अनुसार विचार करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या अपने हल्के के लिए महिला कॉलेज बनवाने की डिमांड कर लें।

श्रीमती निर्मल रानीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि मैं तो खुद ही चाहती हूं कि वहां पर को– एड कॉलेज खोला जाए। इसलिए महिलाओं के कॉलेज की डिमांड क्यों करूं ? मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी गन्नौर में एक को– एड कॉलेज खोल देंगे।

————————

To Provide Reservation in Employment

***1336. Shri Balbir Singh:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide reservation to the Scheduled Castes and Backward Classes in the policy of Government to provide 75% employment to the unemployed youth in private industries in State; if so, the details thereof?

@उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नहीं, महोदय।

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में एक कानून बनाया गया है जिसमें 75 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत एस.सी./बी.सी. वर्ग के युवाओं के लिए पद क्यों आरक्षित नहीं किये गये? यह तो एस.सी./बी.सी. वर्ग के युवाओं के साथ बड़ी नाइंसाफी है। इस कानून में एस.सी. /बी.सी. वर्ग के युवाओं की सरासरी अनदेखी की गयी है। मेरा मानना है कि जब तक इस कानून का लाभ गरीब युवाओं को नहीं मिलेगा तब तक हरियाणा प्रदेश में इस कानून से भला नहीं होने वाला है। स्पीकर सर, क्या उप मुख्यमंत्री जी मुझे

सदन में यह आश्वासन देंगे कि इस कानून के तहत निजी संस्थानों में जो 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवाओं को दी जानी हैं, क्या उसमें भविष्य में एस.सी./बी.सी. वर्ग के युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाएगा ? अगर उनमें आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाएगा तो कब तक करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे ? स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अनुप धानक : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2020 के अनुसार दिनांक 02.03.2021 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार निजी क्षेत्रों में हरियाणा राज्य के अधिवास वाले स्थानीय उम्मीदवारों, जिनका मासिक वेतन 30 हजार रुपये से ज्यादा न हो बिना किसी जातियों, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग आधार पर हरियाणा राज्य में निजी क्षेत्र में जैसे कम्पनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड डेटा, भागीदारी फर्म और सांझीदारी फर्म आदि के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का

@Replied by the Minister of State for Archaeology & Museums (Shri Anup Dhanak)

प्रावधान है। इससे राज्य का सामाजिक आर्थिक विकास संभव है। इसके अतिरिक्त यह स्थानीय निवासियों के कौशल विकास और उनके बेहतर रोजगार के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पिछले कुछ वर्षों से देखा गया था कि हाल के दिनों में अधिकांश निजी नियोक्ता स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के इच्छुक नहीं हैं। हरियाणा राज्य में औद्योगिकरण, शहरीकरण में बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसर का दायरा संकुचित हुआ है। स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है। यह अधिनियम हरियाणा राज्य के स्थाई निवासियों को रोजगार प्रदान करने में सहायक है। उक्त को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2020 को दिनांक 02.03.2021 को

अधिसूचित कर दिया गया है जो कि 15.01.2022 से पूरे हरियाणा में लागू होगा। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इससे भी आगे एक और कदम बढ़ाया है। जो आउट सोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–2 में रिजर्वेशन नहीं होती थी, हमारी सरकार ने आउट सोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–2 में भी दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को रिजर्वेशन देने का काम किया है और सरकार ने पार्ट–1 में कांट्रैक्चुअवल इम्पलॉईज के लिए दिनांक 12 मार्च 2018 को बड़ा दिल दिखाते हुए इसमें भी रिजर्वेशन लागू करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक यह पूछा है कि इसमें एस. सी./बी.सी. का रिजर्वेशन क्यों नहीं होगा तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रिजर्वेशन प्राइवेट सैक्टर में संविधान के आर्टिकल–16 के दायरे में आता है। संविधान के आर्टिकल–16 में जब कोई अमैंडमैंट होगी तब इस बात को देख लिया जायेगा और अभी यह एक्ट लागू नहीं हुआ है। यह एक्ट दिनांक 15.01.2022 से लागू होगा। जब यह एक्ट लागू होगा तब इसमें कोई ऐसी बात होगी तो देख ली जायेगी।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एस.सी. और बी.सी. कैटेगरी के लोगों का कोटा लागू किया जायेगा या नहीं, इस बारे में बताया जाये।

श्री अध्यक्ष : बलबीर जी, माननीय मंत्री जी ने आपको इस बारे में बता दिया है कि संविधान के अनुसार नहीं किया जा सकता।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण का बिल लेकर आये हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह एक्ट दिनांक 15 जनवरी, 2022 से लागू होगा, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि प्रदेश में ऐसी कितनी कम्पनीज हैं, जो नौकरियों की एडर्वटाईजमैंट निकाल रही हैं और उनमें वे कम्पनीज स्पैसिफिकली यह बात लिखकर दे रही हैं कि जो हरियाणा प्रदेश का लोकल यूथ है, उनको इसमें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जायेगा। इसलिए मेरा सरकार से एक ही सवाल है कि अगर कोई कम्पनी ऐसा करती है तो सरकार

ने इनके लिए क्या रूल बनाये हैं और इन कम्पनीज के खिलाफ लॉ के अनुसार क्या सजा डिसाइड की है?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी कम्पनीज ने ऐसी कोई ऐड दी है तो माननीय सदस्य वह ऐड दिखा दें। हम जरूर कार्रवाई करेंगे।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में यदि किसी भी कम्पनी ने ऐसे इश्तिहार निकाले हैं तो वे अपने आप असंवैधानिक हैं। अगर हरियाणा के लोकल युवाओं को नौकरी देने में कम्पनीज रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं तो इसकी जानकारी सदन के पटल पर उपलब्ध करवाई जाये।

श्री अध्यक्ष : राव जी, अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को दे दें।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर कोई इन्डस्ट्रीज ऐसा करती हैं तो सरकार ने क्या रूल बनाये हैं और इन कम्पनीज के खिलाफ लॉ के अनुसार क्या सजा डिसाइड की है? मुझे इस बारे में बताया जाये।

श्री अध्यक्ष : राव जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण वाला कानून दिनांक 15 जनवरी 2022 से लागू हो जायेगा।

———

Coal Supply Shortage in Power Plants

***1327. Smt. Kiran Choudhry:** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the State is facing power crises due to non availability of coal supply in Power Plants;

(b) If so, the details thereof together with the action taken by the Government to solve the above said problem;

(c) Whether it is also a fact that this situation arose due to non placing of purchase orders to Coal Company well in time in view of future planning;

(d) The action taken against the erring officers who are responsible for this crises and

(e) The thermal plant wise details of coal stock in State?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान, (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) वर्तमान कोयला स्टॉक की स्थिति पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में 1,02,000 मीट्रिक टन, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यमुनानगर में 2,12,000 मीट्रिक टन, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, खेदड़ (हिसार) में 3,90,000 मीट्रिक टन, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी, झज्जर में 2,27,000 मीट्रिक टन और महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जेपीएल, झज्जर में 89,000 मीट्रिक टन है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में 'ए' से लेकर 'ई' तक पांच तरह के आंसर दिए हैं। प्रश्न के 'बी' तथा 'डी' कालम में लिखा गया है कि "Question does not arise" और 'सी' कालम में लिखा गया है कि "No such situation has arisen". अध्यक्ष महोदय, इन जवाबों के परिपेक्ष्य में कहना चाहूंगी कि यह तो स्पष्ट सी बात है कि प्रदेश में अक्टूबर महीने में कोयले की बहुत जबरदस्त किल्लत हुई थी और चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी और उस वक्त माननीय मंत्री जी ने इस बात को भलीभांति स्वीकार भी किया था कि कोयले का स्टॉक केवल 5 दिन का बचा हुआ है। यह जो पावर कम्पनीज हैं उस समय उन्होंने जबरदस्त तरीके से मुनाफा कमाया क्योंकि पावर कम्पनीज बहुत महंगी दर पर बिजली बेच रही थी। आप इस बात को जानते ही हैं कि हरियाणा में बिजली की दर बहुत मंहगी है। आम आदमी को इन बिजली दरों को पूरा करने में

बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप यह बात स्पष्ट करें कि कोयले की क्राइसिस के दौरान कितने महंगे भाव में बिजली खरीदी? प्रदेश में इससे कितना राजस्व का नुकसान हुआ और कोयला खरीदने के लिए बजट में कितना और प्रावधान करना पड़ा?

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि उस समय पंजाब, गुजरात और राजस्थान में भी हालात खराब थे। हमने बार–बार मीडिया के माध्यम से यह खबर सुनी थी। तब यह बात सामने आई थी कि हरियाणा में हमारे पास कोयले का पूरा स्टॉक है और हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिसके कारण किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। हमारे पास एक महीने में 25 दिन का कोयले का स्टॉक पड़ा था जो सरकारी नियम के अनुसार हमें रखना चाहिए। हमारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हम उनकी बिजली केवल बैकअप के लिए यूज करते हैं। जब हमें बाहर से पावर सस्ती मिलती है तब हम इन थर्मल पावर प्लांट्स को नहीं चलाते हैं। जब हमें पावर कहीं से न मिले तब हम इन थर्मल पावर प्लांट्स को चलाते हैं। हमारे प्रदेश के किसी भी थर्मल पावर प्लांट्स में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। हमारे पास हमेशा ही कोयले का स्टॉक रहा है। जैसा माननीय सदस्या कह रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार थे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्राइसिस के दौरान क्या आपने महंगी दरों पर बिजली नहीं खरीदी थी। आप यह बात भी कह रहे हो कि हर बार कोयले के स्टॉक को देखा जाता है क्योंकि आगे के लिए कोयले का स्टॉक पूरा है या नहीं। मैं चाहती हूं कि इस तरह का सिलसिला आगे न आये और प्रदेश को ऐसी इमरजैंसी का सामना न करना पड़े। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस मामले में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं। इसके अलावा माननीय मंत्री जी यह बात कह रहे हैं कि महंगी दर पर बिजली नहीं खरीदी गई है।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यह स्थिति हमारी वजह से उत्पन्न नहीं हुई थी। पिछले दिनों मानसून सीजन में काफी बरसात हुई थी जिसके कारण जितनी भी कोल माइंस थी, उनमें पानी भर गया था। यहां तक कि रेलवे ट्रैक भी पानी से डूबे हुए थे। इस बात का सभी को पता है कि इस साल बारिश काफी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के बाकी प्रदेश जब महंगी बिजली खरीद रहे थे तब हमारे यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। जब सब जगह बिजली के रेट बढ़ाये गये थे तब हमें भी महंगे रेट पर बिजली खरीदनी पड़ी थी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि बिजली कितनी महंगी दरों पर खरीदी गई थी। इसका बजट पर कितना असर पड़ा और इससे राजस्व को कितना नुकसान हुआ?

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अपने प्रश्न में इसकी डिटेल नहीं मांगी थी। चाहे तो माननीय सदस्या दोबारा प्रश्न पढ़ सकती हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं अपने प्रश्न में सप्लीमैंट्री डाल दूंगी तो फिर सप्लीमैंट्री पूछने का क्या फायदा होगा?

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अपने प्रश्न में केवल थर्मल प्लांट के बारे में पूछा है, उस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन जी को कहना चाहूंगा कि वे थोड़ा टी.वी. देखा करें और साथ के साथ समाचार पत्र भी पढ़ा करें। श्रीमती निर्मला सीतारमण देश की फाइनैंस मिनिस्टर हैं, उनके पास इस तरह के पूरे डाटाज होते हैं। फाइनैंस मिनिस्टर से ज्यादा डाटाज किसी और के पास नहीं हो सकते हैं। उन्होंने एक कांफ्रेंस की थी और पूरे देश के मुख्यमंत्री उस कांफ्रेंस से जुड़े हुए थे। उस वक्त उन्होंने हरियाणा मॉडल पर बहुत कमेंट किये थे और उन्होंने कहा था कि मैं सैंट्रल गवर्नमैंट से हरियाणा में अपने सैक्रेटरी भेजना चाहूंगी कि हरियाणा का मॉडल लिया जाये और इस बारे में दूसरी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों से भी कहा गया था। उन्होंने इस बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की भी बहुत तारीफ की थी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, ऐट प्रजेंट जो बहन जी ने प्रश्न पूछा है, अगर उसका जवाब आपके पास नहीं है तो आप बहन जी को लिखित में उत्तर बाद में भेज दीजिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी बाद में कैसे भेज देंगे?

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपने जो सदन में प्रश्न लगाया है उसमें यह प्रश्न शामिल नहीं है। आपके इस प्रश्न का माननीय मंत्री लिखित में बाद में उत्तर भेज देंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं रिलेटिड क्वैश्चन ही पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपका रिलेटिड क्वैश्चन है लेकिन जो नुक्सान हुआ है उसके आंकड़ें मंत्री जी आपको बाद में भेज देंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहती हूं कि महंगी दरों पर बिजली खरीदने से सरकार को राजस्व का कितना नुक्सान हुआ और कम्पनियों को कितना फायदा हुआ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न लिखित रूप में दिया जाता है उसका उत्तर जितना स्टीक होता है वह तो दिया ही जाता है। जहां तक सप्लीमैंट्री क्वैश्चन के जवाब का सम्बन्ध है उस बारे में पहली बात तो यह है कि वह उस प्रश्न के साथ जुड़ा होना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि अगर सप्लीमैंट्री क्वैश्चन में कोई ऐसी बात आ गई जिसका उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता उसको बाद में लिखित रूप में दिया जा सकता है। जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है हरेक विषय के आंकड़ें की मंत्री जी को जानकारी हो ऐसी बात नहीं हो सकती। उत्तर बाद में दिया जा सकता है। इस सप्लीमैंट्री क्वैश्चन का उत्तर भी माननीय सदस्या को भिजवा दिया जायेगा।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी मुझे आंकड़ें बाद में भिजवा दें लेकिन अभी मुझे इतना तो बता दें कि राज्य सरकार द्वारा महंगी दरों पर बिजली की खरीद की गई है या नहीं? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह तो मंत्री जी ने आपको बता ही दिया है कि बिजली सरकार द्वारा ली गई है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछना मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अभी आप बैठ जायें और मुख्यमंत्री जी को आपके सवाल का जवाब देने दें।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, जब कभी कोई क्राईसिज आता है उस समय भी सरकार को पॉवर की सप्लाई करनी होती है। जो चीज मार्किट में अवेलेबल होती है और जिस रेट पर अवेलेबल होती है उसी रेट पर ली जाती है क्योंकि हमारे पास अगर कोई ऐसा कांस्ट्रैट आ जाता है जिसके कारण अपनी बिजली की प्रोडक्शन घट जाती है। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि माईन्ज में पानी भरने की वजह से कोयले की सप्लाई बाधित हो गई थी। अगर हमारे पास उपलब्ध बिजली से प्रदेश में बिजली की मांग पूरी नहीं हो पा रही है तो सप्लाई को पूरा करने के लिए बाजार में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है और जिस रेट पर बिजली मिलेगी उस रेट पर लेकर हरियाणा की जनता को जरूरत के हिसाब से जरूर बिजली दी जायेगी। यह बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थितियों में जो बिजली मिलती है वह महंगी ही मिलती है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।

Compensation for Damaged Crops

***1344. Shri Shishpal Singh:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the total area of Agriculture land of farmers damaged due to the pink caterpillar (sundi) and unseasonal rain in year 2021 in District Sirsa:

(b) whether the compensation for damaged crops have been provided to the farmers: if not, the reasons thereof: and

(c) whether the said compensation amount is likely to be provided to the labourers working in the said fields togetherwith the details thereof?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) Sir, as per report received from Deputy Commissioner Sirsa, crop in a total area of 76782

acres is affected due to the pink caterpillar (Pest attack) and unseasonal rain (water logging) in year 2021 in District Sirsa:

(b) In order to assess the actual damage to standing crops of Bajra, Cotton, Moong, Paddy and Sugarcane on account of heavy rain/water logging and pest attack, special girdawari was ordered on 30.09.2021 and on 19.10.2021. Reports of special crop inspection from Hisar Division is awaited. Decision regarding award of compensation will be taken after report of special crops inspection is received.

(c) In case of crop damage, the amount of compensation should be apportioned between the landowner and the tenant in ratio in which crop is shared between the two. In case, a fixed rent is payable by the tenant, the tenant will get the entire amount of admissible compensation. The payment to share croppers and Siris will be made as per their share of crops in the records or as per local customs. The compensation can also be disbursed on the basis of special power of attorney (SPA) available with the Siris/share croppers/tenants etc. As per norms dated 04.06.2019, there is no provision for compensation to the labourers working in the fields.

श्री शीशपाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सिरसा जिले की एक बैल्ट में गुलाबी सुण्डी ने फसल का बहुत ज्यादा नुक्सान किया है। इसी प्रकार से सिरसा जिले की एक दूसरी बैल्ट है जिसमें बेमौसमी बारिश के कारण फसलों का काफी नुक्सान हुआ है। डी. सी., सिरसा की रिपोर्ट के अनुसार इससे कुल 76782 एकड़ फसल प्रभावित हुई है। जो उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है वह ठीक है। इस सम्बन्ध में मेरा दूसरा सवाल यह है कि सरकार किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा देने जा रही है। इस सम्बन्ध में उप मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई में यह लिखा गया है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत मुआवजे का निर्णय लिया जायेगा। माननीय

उप–मुख्यमंत्री जी भी सिरसा जिले से सम्बन्ध रखते हैं यह तथ्य इनके नोटिस में भी है कि बढ़ा गुढ़ा और औढ़ां ब्लॉक से लेकर डबवाली ब्लॉक तक गुलाबी सुण्डी के कारण फसल का काफी नुक्सान हुआ है। इस सम्बन्ध में सिरसा जिले के काफी किसानों ने उनसे भी मुलाकात की है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि वहां पर इस बार जो फसल का नुक्सान हुआ है वह बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। इस बार टोटल का 10 परसैंट से भी कम नर्मा वहां पर हुआ है। इसकी वजह से वहां पर किसानों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और दयनीय है। मेरा सबसे पहला अनुरोध तो यह है कि सरकार के स्तर पर मुआवजे का फैसला जल्दी से जल्दी लिया जाये ताकि किसान अपनी अगली फसल की बिजाई समय पर कर सके क्योंकि किसान अपनी दूसरी फसल की बिजाई तभी कर सकता है जब उसके पास अपनी पहली फसल से कुछ आमदनी प्राप्त होगी। मैंने अपने क्वैश्चन के "ग" भाग में यह जानना चाहा है कि सरकार मजदूरों को क्या देने जा रही है? इसके जवाब में लिखा गया है कि बंटाईदारों को और जो सीरी (नौकर) हैं अगर मुख्तारनामा है तो उस स्थिति में उनको मुआवजा मिलेगा लेकिन मजदूरों को कुछ नहीं दिया जायेगा। स्पीकर सर, मेरा उप मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन यह भी है कि जब किसान की फसल आती है उस पर जो मजदूर होते हैं उनकी भी आस रहती है। अगर सरकार सिर्फ किसान को ही मुआवजा दे देती है और मजदूरों को मुआवजे के तौर पर कुछ नहीं देती है तो यह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार के हालातों में मजदूरों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि मजदूरों को भी मुआवजा देने का प्रावधान किया जाये और इस बार जो फसल खराब हुई है उसमें सरकार किसानों के साथ ही साथ मजदूरों को भी मुआवजा देने की कृपा करे।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो बात कही है कि गुलाबी सुण्डी और बेमौसमी बारिश के कारण फसलें खराब हुई हैं। उसमें केवल मात्र कोटन ही नहीं मूंग और अन्य फसलें भी खराब हुई हैं। इस बार बाजरे की फसल में भी खराबा आया है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 11 जिलों के अन्दर

बेमौसमी बारिश की वजह से बहुत ज्यादा क्रोप डैमेज हुआ है। हमने इसके लिए चार डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी थी। उनमें से अभी तक दो की रिपोर्ट आई है। हिसार डिविजनल कमिश्नर ने अभी तक इसकी डिटेल नहीं भेजी है। जैसे ही उनकी तरफ से रिपोर्ट आएगी सरकार उस पर कदम उठाएगी। जहां तक उक्त खेतों में काम करने वाले मजदूरों को मुआवजा देने की बात है तो अगर कोई लिखित एग्रीमैंट है तो उसका मुआवजे का अधिकार बनता है। अगर लिखित एग्रीमैंट नहीं है तो उस स्थिति में उस लैंड का कम्पनसेशन उस किसान को ही जाएगा जिस किसान की वह लैंड है उसके बाद किसान अपने हिसाब से जैसे पहले बंटाई करता था उस हिसाब से वह बंटाई कर सकता है।

श्री शीशपाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो लिखित वाला मामला है वह मेरी समझ में नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : शीशपाल जी, जो आदमी पिक्चर में ही नहीं है उसको मुआवजा कैसे दे सकते हैं? मुआवजा तो किसान को ही मिलेगा, किसान का जो काम करने वाला मजदूर है वह जब कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है या उसका कहीं लिखित में अनुबंध नहीं है तो उसको मुआवजा कैसे दिया जा सकता है?

श्री शीशपाल : अध्यक्ष महोदय, गांव के अन्दर जमीदारी बिना लिखित ही होती है।

.....

Repair of Roads

***1364. Smt. Renu Bala:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the following Roads of villages in Sadhaura Assembly Constituency have been damaged-

i. Chanchak to Sanghauli ;
ii. Malikpur to Jagdhauli ;
iii. Mussimble Bus stand to Rajpura via Khundewala ;
iv. Kotla to Sanghauli ;
v. Mustafabad to Gandapura ;
vi. Mehlanwali to National Highway 73A Kail via Kathwala ;
vii. Guglon to Darajpur ;

viii. Magharpura to Mali Majra ;
ix. Ruhla Kheri to Guglon ;
x. Khera Farm to Ratauli ;
xi. Pirthipur to Gadwali Majra via Katarwali, Bankat ;
xii. Kanhri Kalan to Sailba ;
xiii. Godhaoli to Khanpur ;
xiv. Khanpur to Akalgarh ka Majra ;
xv. Chhappar to Jagdhauli via Kalawar ; and

(b) if so, the steps taken or likely to be taken by the Government to reconstruct the above said roads together with the time by which the above said roads are likely to be reconstructed ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, a statement is placed on the table of the house.

Statement

Sr. No.	Name of road	Status
1.	**Chanchak to Sanghauli**	Chanchak & Sanghauli village falls on link road from Nanheri to Nawagoan. The total length of this road is 2.00km. The metalled width of this road is 3.66km. The last date of treatment is 07/2016 with the provisions 150 mm WBM + 25mm BC. Presently the road is in motorable condition.
2.	**Malikpur to Jagdhauli**	The road from Malikpur to Udhamgarh pertains to PWD (B&R) having length of 1.50km. The metalled width of this road is 5.50m. The last date of treatment was 09/2017 with the provision 150mm WBM 20mm PC. Defect liability period of road is cleared on 30.09.2021. The condition of road is good. The road from Udhamgarh to Jagdhaoli pertains to HSAMB having length of 1.55 km. This road was constructed during the year 1996. The Administrative approval for special repair of this road has been granted for Rs. 16.89 lacs on 18.11.2021. The work stands allotted to the contractual agency and is likely to be completed by 31.08.2022.
3.	**Mussimble Bus stand to Rajpura**	The length of road from Khundewala to Mussimble is 2.70 km which pertains to PWD(B&R) having

	via Khundewala	metalled width of 5.50m. The last date of treatment was 08/2013. Presently the road is in motorable condition. The road from Rajpura via Khundewala having length 1.72 km pertains to HSAMB. The road was constructed during the year 2004. The special repair of this road has been completed on 28.10.2020 and the road is in motorable condition.
4.	**Kotla to Sanghauli**	The length of road from village Kotla to Nawagaon is 2.00 km. The metalled width of this road is 3.66m. The last treatment was carried out during 05/2015. The road from Nawagaon to Chanchak via Sanghauli is 2.00 km. The metalled width of this road is 3.66 m. The last treatment was carried out during 07/2016. Both the road stretches are in motorable condition.
5.	**Mustafabad to Gondapura**	The length of road from Mustafabad Chaper to Sukhdaspur Gondapur is 4.40 km. having metalled width of 5.50m and last date of treatment was 09/2016. The road is in motorable condition.
6.	**Mehlanwali to National Highway 73A Kail via Kathwala**	The road from Jagadhri Ambala to Kathwala pertains to PWD B&R having length of 1.80 km. and metalled width is 3.66 m. The road is in motorable condition. The road from Kathwala to Mehlanwali pertains to HSAMB having length of 1.72km. The road was constructed during the year 2004. The special repair of this road has been completed on 28.10.2020 and the road is motorable condition.
7.	**Guglon to Darajpur**	This road pertains to HSAMB. The length of road from Guglon to Darajpur is 1.53 km. This road was constructed during the year 1998. The Administrative approval for special repair of this road granted for Rs. 20.89 lacs on 18.11.2021. The work stands allotted to the contractual agency and is likely to be completed by 31.08.2022.
8.	**Magharpura to Mali Majra**	The road from Magharpura to Mustafabad Railway Station pertains to HSAMB having length of 2.44 km. This road was constructed during the year 2002. The Administrative approval for special repair of this road has been granted for Rs. 104.22 lacs on 15.12.2021. The tender for the same has been invited by HSABM for 14.01.2022 and work is likely to be completed during 2022-23.

		The road from Mustafabad Railway Station to Mali Majra pertains to PWD (B&R) having length of 1.20 km. The metalled with of this road is 3.66 m and last date of treatment was 09/2016. The road has been patched up and presently is in motorable condition.
9.	**Ruhla Kheri to Guglon**	The road from Sudhal Sudhail to Guglon (ID 412) pertains to PWD(B&R) having length of 2.20 km and the metalled width of this road is 5.50 m. The last date of treatment was 09/2016. Presently the road is under defect liability period and is in good condition. The road from Ruhla Kheri to Sudhail pertains to HSAMB having length of 1.51 km. The road was constructed during the year 2003. The administrative approval for special repair of this road has been granted for Rs. 14.96 lacs and tender is invited for 29.12.2021.
10.	**Khera Farm to Ratauli**	This road pertains to HSAMB and major repair has been completed on 20.05.2021 and the road is in satisfactory condition.
11.	**Pirthipur to Gadwali Majra via Katarwali, Bankat**	The length of road from Gadwali Majra via Katarwali, Bankat is 5.30 km. The metalled width of this road is 3.66 m. Administrative approval for special repair by way of widening & strengthening of this road has been accorded by Government vide no. 9/459/2021-3B&R(W) dated 09.09.2021 for Rs. 909.06 lacs under NABARD RIDF-XVII Scheme and tender have been allotted to contractual agency on 08.12.2021 with a time limit of 9 months.
12.	**Kanhri Kalan to Sailba**	The road from Kanhri Kalan to Sailba pertains to HSAMB having a length of 2.10 km. This road was constructed during the year 2007. The Administrative approval for special repair of this road has been accorded for Rs. 33.57 lacs on 15.12.2021. The tender for the same is invited for 14.01.2022 and work is likely to be completed during 2022-23.
13.	**Godholi to Khanpur**	The road from Gadholi to Khanpur pertains to HSAMB having length of 2.29 km. This road was constructed during the year 2002. The Administrative approval for special repair of this road has been accorded for Rs. 68.35 lacs on 15.12.2021. The tender for the same has been invited by HSAMB for 14.01.2022 and work is likely to be completed during

		2022-23.
14.	**Khanpur to Akalgarh ka Majra**	The length of road from Khanpur to Akalgarh Ka majra is 1.92 km having metalled width 3.66 m. The road has been patched up and presently is in motorable condition.
15.	**Chhappar to Jagdhauli via Kalawar**	The length of road from Chhappar (Jagadhri Ambala Road) to Kalawar is 5.00 km. and metalled width of this road is 5.50m. The last treatment was carried out in 09/2016. The road is in motorable condition. The length of road from Kalawar to Jagdhauli is 3.20 km. and metalled width is 5.50 m. The strengthening of road has been completed recently during 10/2021 by laying 50 mm BM + 20 mm PC and the road is in good condition.

श्रीमती रेनु बाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं और उनको बताना भी चाहती हूं क्योंकि वे हमारे हल्का सढ़ौरा में सर्वे करने के लिए भी गये थे और एक प्रोग्राम में भी गये थे। आज मैंने जो प्रश्न अपने हल्के की सड़कों का लगाया है वह प्रश्न मैंने पिछले सैशन में भी लगाया था और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैंने इन सड़कों के बारे में सिफारिश भी की थी। एक बार मैं इन सड़कों का नाम लेना चाहूंगी कि चांचक से संगौली, मलिकपुर से जागधौली, मुसीम्बल बस स्टैंड से राजपुरा वाया खुन्डेवाला।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, इन सड़कों के सभी नाम तो आपके प्रश्न में लिखे हुए हैं। अगर इनके इलावा कोई सप्लीमैंट्री है तो पूछिये।

श्रीमती रेनु बाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे इन संड़कों के संबंध में मंत्री जी का जवाब चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपके इस प्रश्न का जवाब तो मंत्री जी ने लिखित में दे दिया है।

श्रीमती रेनु बाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने अगर इसके ऊपर कोई सप्लीमैंट्री पूछनी है तो पूछिये।

श्रीमती रेनु बाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यही पूछना चाहती हूं कि वैसे तो हमारा हल्का सढ़ौरा बाढ़ का क्षेत्र है। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे हल्का

सढ़ौरा में जितना विकाश होना चाहिए था वह इन सालों में नही हो पाया है। वह बाढ़ का क्षेत्र होने की वजह से उसमें डिवैल्पमैंट की बहुत कमी है। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिला यमुनानगर में काफी बार गये हैं और वे मेरे हल्का सढ़ौरा को अपना घर बताते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सिफारिश करना चाहूंगी कि अपने घर की इतनी अनदेखी नहीं होनी चाहिए जितनी हल्का सढ़ौरा की अनदेखी हो रही है क्योंकि इनमें जो सड़कें हैं चाहे वह मुस्तफाबाद से गंदापुरा हो, चाहे मसीम्बल बस स्टैंड से राजपुरा हो ऐसे ही सड़कें मैंने अपने प्रश्न में दे रखी हैं। उनमें से एक भी सड़क का काम अभी तक नहीं हुआ है जोकि काफी खस्ता हालत में हैं। जिन पर चलकर लोग चोटिल भी हो रहे हैं। उन पर बहुत ज्यादा एक्सीडैंट भी हो रहे हैं। लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि आज तक हमारी सड़कें नहीं बनी हैं। जबकि मैंने सबसे पहले सैशन के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अपने हल्के की सड़कों की पूरी लिस्ट दी थी लेकिन आज तक भी उन सड़कों में से एक भी सड़क नहीं बनी है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं चुनकर पहले सैशन में आई थी तो मैंने अपने हल्के के राजपुर से गोराबनी और जैकपुर–नंगला से मद्दीपुर पुलों की डिमांड रखी थी। इसी के साथ थाना छप्पर का फलाईऑवर बनना है क्योंकि वहां पर छोटा सा चौक है जिसमें आए दिन एक्सीडैंट होते हैं। मेरे पास यह 9 दिसम्बर के अखबार की कटिंग है जिसमें वहां दो दिन पहले ही एक एक्सीडैंट हुआ है जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है इसलिए वहां पर एक फ्लाईऑवर की भी जरूरत है। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी मैं आपसे सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूँ कि इन पुलों और सड़कों का जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाये क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जोकि इन सड़कों व पुलों पर काम नही होने देना चाहते हैं जबकि इनमें से एक पुल की घोषणा तो माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने ही की हुई है और आपने भी उसका संज्ञान नहीं लिया है। अतः मैं आज इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि पुलों का निर्माण तो किया ही जाये साथ ही साथ जो मैंने आज 17 सड़कों के बारे में इस सत्र में लिखकर दिया है, उन पर भी जल्द से जल्द काम किया जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के माध्यम से 15 सड़कों के बारे में पूछा है। इन सड़कों में 5 सड़कें माकेर्टिंग बोर्ड की हैं, 2 सड़कें ज्वॉयंटली अर्थात मार्केटिंग बोर्ड और पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एंड.आर.) डिपार्टमैंट की हैं और बाकी बची सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड.आर.) की हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन इनमें से 9 सड़कें गुड कंडीशन में हैं और जैसाकि माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि रिसेंटली यहां की तीन सड़कों की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दे दी गई है और एक सड़क अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है। इसी तरह से प्रश्न में 11वें नम्बर पर अंकित पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड.आर.) डिपार्टमैंट की सड़क की भी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दे दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनके यहां कि जो 9 सड़कें पिछले 3–4 महीने से डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से बाहर आ चुकी हैं, का दोबारा से सर्वे करवाकर उनको एडमिनिस्ट्रेव एप्रूवल देने का काम किया जायेगा।

.....

To Construction Stadium in the School

***1352. Shri Shamsher Singh Gogi:** Will the Education Minister be pleased to state the time by which the stadium is likely to be constructed in Government School of Assandh?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पिछले सैशन में मेरे इसी तरह के प्रश्न के संदर्भ में कहा था कि जरूर इस बारे में कुछ किया जायेगा और इस बार उसी तरह के सेम प्रश्न के संदर्भ में जवाब दे रहे हैं कि इसका कोई प्रस्ताव ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर ही नहीं हैं। ऐसी सूरत में मेरा निवेदन है कि हमारे असंध के स्कूल में स्टेडियम बना दिया जाये तो बच्चे कम से कम खेलकूद कर अपना टाइम तो पास कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, दो महीने पहले मेरे पास सी.एम. आफिस के एक अधिकारी की तरफ से फोन आया था कि असंध में स्टेडियम और होस्पिटल बनाने के लिए तैयारी की जा रही है और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव

ही नहीं है। अगर प्रस्ताव नहीं है तो फिर मेरे पास सी.एम. आफिस से किस लिए कैसे फोन आया। कुछ चर्चा चल रही होगी तभी तो मेरे पास फोन आया होगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब मेरी तरफ हैं और मंत्री जी यह काम होने देना नहीं चाहते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गोगी जी, आपने जिन कामों को करने की बात कही है, इन कामों से संबंधित विभाग मुख्यमंत्री महोदय के पास नहीं हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद गलत डिपार्टमैंट में प्रश्न कर लिया है।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, खेल परिसर का निर्माण खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा द्वारा किया जाता है। हमारा डिपार्टमैंट यह काम नहीं करता है। माननीय सदस्य ने गलत डिपार्टमैंट में अपना प्रश्न लगा दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, असंध एक बहुत बड़ा शहर है और बावजूद इसके यहां पर कोई भी खेल स्टेडियम नहीं है। अगर सरकार खेल स्टेडियम नहीं बना सकती है तो स्कूल स्टेडियम ही बना दे। हम स्कूल स्टेडियम से भी काम चला लेंगे।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्कूल में स्टेडियम नहीं बनता है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, 2018 के चुनावों के समय जब मुख्यमंत्री असंध गए थे तो तब इन्होंने इस काम को अनाउंस किया था। क्या सारा मतलब सिर्फ नोट–वोट से होता है। अगर वहां की जनता ने मुझे वोट दे दिए तो इस कारण से वहां काम रोक दिए गए। अध्यक्ष महोदय, जब मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय से अपने एक अधिकारी से फोन करवाकर इस काम को करवाने की बात कह रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि मुख्यमंत्री जी इस काम को करवाना चाहते हैं और मंत्री जी इस काम को करवाना नहीं चाहते हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई अधिकारी मुख्यमंत्री महोदय से पूछे बिना किसी को

फोन नहीं करता होगा। मैं उस अधिकारी का नाम बता सकता हूँ लेकिन मुझे सदन में उसका नाम बताना अच्छा नहीं लग रहा है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को उस अधिकारी का नाम बताने में क्या दिक्कत है !

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी का नाम अनिल राव है। उसने ही मेरे पास फोन किया था और यही नहीं वे कल भी मुझे मिले थे और यही बात बोल रहे थे। वह आई.पी.एस. आफिसर थे और रिटायरमैंट के बाद आजकल सी.एम. साहब के ओ.एस.डी. हैं और उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ द सी.एम. ही तो मेरे को यह बात कही होगी और उसी परिपेक्ष्य में मैं अब सदन के माध्यम से यह बात कह रहा हूँ कि जब सी.एम. साहब ने इस काम के लिए हां भर दी है तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी आश्वासन दे देना चाहिए कि इस स्टेडियम को 2022 तक बना दिया जायेगा।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह स्पोर्टस डिपार्टमैंट से संबंधित है जबकि उन्होंने इस प्रश्न को शिक्षा विभाग से पूछने का काम किया है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न शिक्षा विभाग में इसलिए लगाया था क्योंकि मेरे प्रश्न में स्कूल स्टेडियम बनाने की बात है। स्पोर्टस डिपार्टमैंट द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उसके मद्देनज़र हमने जमीन देने तक का भी काम किया है लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः गोगी जी, स्कूल के अंदर स्टेडियम नहीं बनता है। मंत्री जी ने आपको इस बारे में बता भी दिया है और मैं भी अब आपके प्रश्न के जवाब में मंत्री जी से कहता हूँ कि वे आपके प्रश्न के संदर्भ में अपना जवाब फिर से स्पष्ट करें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि असंध से केवल दो किलोमीटर दूरी पर जयसिंह पुर गांव में 7.5 एकड़ में राजीव गांधी खेल परिसर का निर्माण हो चुका है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे गांव में भी एक छोटा सा स्टेडियम बना हुआ है। लेकिन अब असंध में खेल स्टेडियम बनाने की बात हो रही

है, जो इतना बड़ा शहर है। जयसिंह पुर गांव और असंध में काफी अंतर है। (विघ्न) माननीय मंत्री जी इस बारे में सदन के पटल पर सिर्फ एक बार आश्वासन ही दे दें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, खेल विभाग की ओर से इस संबंध में एक मैपिंग करवाई जा रही है कि पहले कहां–कहां स्टेडियम हैं और नये स्टेडियम कहां–कहां बनाने चाहिए। डिमाण्ड के अनुसार स्टेडियम बनाने का अर्थ, इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेडियम तो बन जाते हैं लेकिन बाद में उसका रखरखाव भी करना होता है। हम यह भी देखते हैं कि प्रदेश में पहले से सैंकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पहली बार लगभग 12.50 करोड़ रुपये जो पहले से बने हुए स्टेडियम हैं उनकी मरम्मत पर खर्च किये हैं। इस तरह से इस बजट की राशि को और ज्यादा बढ़ायेंगे लेकिन नये स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आस–पास स्टेडियम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खेल विभाग द्वारा मैपिंग करवाई जा रही है, अगर माननीय सदस्य की मांग के अनुसार वह जगह सही फिट बैठती है तो वहां पर स्टेडियम बनवा दिया जायेगा।

———————

To upgrade Municipal Committee Pataudi

***1333. Shri Satya Prakash Jrawta**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Municipal Committee Pataudi as a Municipal Council;

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to include Municipal Committee Hailey Mandi in the Municipal Council, Pataudi after its upgradation; and

(c) if so, the time by which the above said proposals are likely to be materialized?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) तथा (ख) हां श्रीमान जी।

(ग) नगर पालिका पटौदी, नगर पालिका हेली मण्डी तथा छः गांवों नामतः रामपुर, मिल्कपुर, छावन, नरहेड़ा, जनौला व मिर्जापुर को सम्मिलित करके नगर परिषद का गठन करने के लिए दिनांक 13.12.2021 को उपायुक्त, गुरूग्राम से प्रस्ताव/सिफारिश सरकार को प्राप्त हुई है, जो विचाराधीन/निरीक्षणाधीन है। समय अनुसार उचित निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश जरावताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि नगर पालिका हेली मण्डी में से 'हेली' शब्द हटवाने के लिये स्थानीय लोगों ने बहुत बार आंदोलन किये हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो प्रस्तावित नगर परिषद पटौदी है उसका नाम बदलकर नगर परिषद पटौदी मण्डी किया जाना चाहिए।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, किसी का भी नाम बदलने के लिये नगर निगम, निगर परिषद या नगर पालिका का प्रस्ताव आना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास आता है तो विचार किया जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश जरावताः धन्यवाद, मंत्री महोदय जी।

To Auction Unutilized/Encroached Land

***1398. Shri Rakesh Daultabad:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the details of HSVP land encroached upon in Gurugram together with the measurement and geographical location of above said encroached land/area; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to auction unutilized or encroached land of HSVP in Gurugram to raise money to settle farmers dues whose lands had been acquired in past.

@Chief Minister (Shri Manohar Lal): Sir;

(a) In Gurugram approximately 663.05 acres of HSVP land is under encroachments in Sector-1A, 1B, 2C Palam Vihar, 5- Part-III & VI, 9,

9A, 10, 10A, 12A, 15-Part I & II, 16, 18 to 22, 23-23A, 37-I & II, 81 to 115, 110A, 37C, Pataudi, 24-25A, 27, 28, 30, 31-32A, 32, 33, 38 to 40, 42 to 52, 52A, 53, 54 and 57-I & II Gurugram. Out of this 466.29 acres land is under litigation in various Hon'ble Courts.

The balance 196.76 acres of land is under encroachment for which necessary action is being taken for removal of these encroachments. It will be pertinent to mention here that 172.35 acres land has been got free from encroachments during this year.

(b) The HSVP is planning/re-planning the unutilized or encroached land after getting the encroachment removed. This planned land is being disposed off through E-auction to generate revenue and for settling the pending claims.

श्री राकेश दौलताबाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल पूरे हरियाणा के लिए बहुत इम्पोर्टैंट है । एक्चुअल में डिपार्टमैंट लोगों को फैसीलिटेट करने के लिए होता है लेकिन यह डिपार्टमैंट ऐसा है जो लोगों को फैसीलिटेट करने की बजाय लोगों काउत्पीड़न कर रहा है । अगर इस डिपार्टमैंट में कोई व्यक्ति किसी काम से चला जाए तो यह लोगों से बिना रिश्वत लिये काम नहीं करता यानि कि यह लोगों की बिल्कुल जुत्ती रगड़वा देता है । गुरूग्राम के एच.एस.वी.पी. के एस्टेट ऑफिस–2 में अधिग्रहित जमीन का 500 करोड़ रुपये से ज्यादा अमाउंट बकाया है जबकि एस्टेट ऑफिस–2 की प्लॉट हॉल्डर्स से 1500 करोड़ रुपये की रिकवरी पैंडिंग है । सालों गुजरने के बाद भी यह विभाग इसकी रिकवरी नहीं कर रहा है । अगर दोनों एस्टेट ऑफिसेज द्वारा अधिग्रहित भूमि की देनदारी को जोड़ दिया जाए तो उन पर किसानों के 1000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रुपये की देनदारी बनती है । इस विभाग के पास किसानों के पैसे देने के लिए 3 ऑप्शंज हैं । पहला यह है कि

@Replied by the Agriculture and Farmers Welfare Miniter
(Shri Jai Parkash Dalal)

विभाग किसानों के पैसे को लोन लेकर चुका दे । इस विभाग ने ऑलरेडी 29 हजार करोड़ के आसपास लोन लिया हुआ है । इस विभाग के पास रेवेन्यू जनरेट करने का कोई विशेष सॉर्स नहीं है लेकिन अगर यह विभाग अपनी प्रॉपर्टीज को किराये पर देगा तो इसके पास रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और वह अपनी देनदारी को भी चुका सकता है । इस विभाग के पास तीसरा ऑप्शन जमीन की ऑक्शन करने का है । अब विभाग का कहना है कि हम अपनी 172 एकड़ जमीन को ऑक्शन कर देंगे । मेरा प्रश्न है कि अगर इस विभाग के पास 172 एकड़ जमीन को ऑक्शन करने का ऑप्शन था और वे इस बारे में इस साल प्लान करेंगे तो यह पहले क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कर्ज पर कर्ज चढ़ रहा है । एच.एस.वी.पी. के पास 2000 करोड़ रुपये तो इस 172 एकड़ जमीन की ऑक्शन से ही आ जाएंगे । गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहां पर 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के भाव पर भी जमीन नहीं मिलती है । इसके बावजूद वहां की 663 एकड़ जमीन पर लोगों ने एनक्रॉचमैंट किया हुआ है । मैं कहता हूं कि अगर 466 एकड़ जमीन को न्यायालयों में मुकदमों के अधीन भी समझ लें । इसके अलावा गुड़गांव की बाकी जमीन का भाव इतना है कि यदि उसको ऑक्शन किया जाए तो उससे इतना रेवेन्यू प्राप्त होगा कि उससे गुड़गांव का कर्ज उतारने के बाद बाकी हरियाणा का भी कर्ज उतर जाएगा । अतः एच.एस.वी.पी. को पूरे हरियाणा में पड़ी हुई अपनी जमीनों को आइडेंटीफाई करके उनकी ऑक्शन करनी चाहिए । मैं जानना चाह रहा हूं कि ऑक्शन की प्रक्रिया इससे पहले शुरू क्यों नहीं की गई ? कर्ज पर कर्ज चढ़ता गया और विभाग कर्ज चुकाने के लिए भी लोन लेता रहा । अतः अभी तक यह प्रोसैस कंटीन्यू क्यों नहीं किया गया ?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि सभी इस्टेट ऑफिसर्ज को यह कह दिया गया है कि वे हर महीने सर्टिफिकेट देंगे कि उनके यहां एच.एस.वी.पी. की जमीन पर कोई एनक्रॉचमैंट नहीं हुई । दूसरा, लैण्ड की ऑक्शन के लिए अब प्रक्रिया को तेज किया गया है । जून, 2021 से 7 दिसम्बर, 2021 तक 5,761 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ऑक्शन की गई है जिसमें से 1075.42 करोड़ रुपये विभाग के पास आ भी चुके हैं । इसके अलावा बाकी अमाउंट भी नीति

के मुताबिक 120 से 180 दिनों में एच.एस.वी.पी. के पास आ जाएगी । हम लैण्ड की ऑक्शन करके किसानों के मुआवजे को जल्द–से–जल्द देना चाहते हैं । हमने किसानों के ऑरिजनल मुआवजे को प्रॉयर्टी पर रखा हुआ है । इसके बाद हम उस लोन की पेमेंट करेंगे जिसका हमें ऊँचा ब्याज देना पड़ता है । एच.एस.वी.पी. अपने कर्ज को उतारने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है ।

श्री राकेश दौलताबाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे पास जमीन के मुआवजे के लिए जो लोग आते हैं वे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं । विभाग को 24,601 करोड़ रुपये पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मुआवजे के देने हैं । जो अमाउंट विभाग को देना है उसे पैंडिंग क्यों रखा हुआ है ? बहुत–से किसानों के पास तो इनकम का सॉर्स ही जमीन या उसका मुआवजा होता है । यह विभाग एक एम.एल.ए. को भी किसी फाइल को चण्डीगढ़ भेजने के लिए एहसान दिखा देता है तो किसी आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करता होगा ? अगर इस विभाग को अन्य विभागों के साथ कंपेयर करें तो यह विभाग अन्य की अपेक्षा लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने अतिक्रमण से संबंधित हर माह रिपोर्ट देने की बात बताई है । इसके लिए आपने किसकी जिम्मेवारी लगाई है ?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, विभाग की तरफ से ए.सी.एस. ने आदेश जारी किये हुए हैं कि प्रत्येक इस्टेट ऑफिसर हर महीने रिपोर्ट देगा कि उनके एरिया में एच.एस.वी.पी. की लैंड पर कोई कब्जा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आपकी यह बात ठीक है। वैसे तो हमारा पंचकुला शहर भी इसका भुगतभोगी है कि वहां एच.एस.वी.पी. की लैंड पर एनक्रोचमैंट घटने की बजाए बढ़ती जा रही है। इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, अगर किसी अधिकारी के क्षेत्र में एनक्रोचमैंट होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री सोमवीरः अध्यक्ष महोदय, मेरे दादरी हल्के के आसपास 18 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया हुआ है, परन्तु उनके मुआवजा का पैसा पैंडिंग है।

———————————

तारांकित प्रश्न संख्या–1359

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

Time Limit of Desilting Canals

***1379. Shri Jaiveer Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state the norms alongwith time limit under which the canals of State are being desilted by the Government togetherwith the details thereof?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी, रबी और खरीफ की फसलों की बुआई से पहले साल में दो बार नहरों की गाद निकाली और निराई की जाती है।

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में गढी–सिसाणा माईनर, गोरड़ माईनर, सेहरी माईनर और जटौला माईनर हैं। सरकार नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाने की बात करती है, लेकिन मेरे हल्के में इन पांचों माईनर्ज पर कहीं पर भी टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। सरकार बात करती है कि नहरों की 2 बार सफाई करवायी जाती है। मैंने खुद भी मौके पर जाकर विजिट की है और मेरे पास मौके की फोटोज भी हैं। इसमें सिसाणा माईनर को देखने से लगता है कि उसकी सन् 1947 में सफाई करवायी होगी क्योंकि वहां पर पूरी तरह से जंगल बना हुआ है। किसानों का मानना है कि ठेकेदार और अधिकारी मिलकर भले ही सरकार से सफाई के नाम पर पैसा ले लेते हों, परन्तु इन नहरों की कोई सफाई नहीं करवायी जाती है। टेल पर पानी पहुंचाने की बात तो दूर रह जाती है। इन नहरों में 5 दिन पानी छोड़े हुए हो जाता है तब भी उन माईनर्ज की टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। आप चाहें तो इनकी जांच करवा लें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही कहना है कि इस तरह की चीजों के लिए स्पैशल जांच करवाने का प्रावधान किया जाए ताकि किसानों को तकलीफ न हो और समय पर पानी पहुंचे। मैं माननीय मंत्री जी से यह

@ Replied by the Power Minister (Shri Ranjit Singh)

आश्वासन चाहता हूं कि इस तरह की दिक्कतें दूर की जाएं और किसानों को समय पर पानी मिले।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनके हल्के में 5 माईनर्ज नहीं बल्कि 7 माईनर्ज हैं। इनमें गौरण माईनर, हांडा माईनर, कव्वाली माईनर, रवौना माईनर, जटौला माईनर, शेरी माईनर और गढी– सिसाणा खरखौदा की सब माईनर है। ये इनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित माईनर्ज हैं। अब मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि खरीफ, 2021 से पहले खरखौदा निर्वाचन क्षेत्र के चैनल्ज की निकासी पर 45.79 लाख़ रुपये खर्च किये गये थे। इसी प्रकार से रबी की फसलों के सीजन के लिए 36.11 लाख रुपये की राशि चैनल्ज की गाद निकासी के लिए मनरेगा के माध्यम से मंजूर की गयी है और 12.93 लाख रुपये एजेंसी के माध्यम से खर्च किये जाएंगे। चूंकि अभी बुआई का समय चल रहा है, इसलिए मनरेगा और एजेंसीज के तहत इन चैनल्ज की गाद निकालने और निराई करने का कार्य आज तक प्रगति पर है।

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि सरकार इन चैनल्ज की सफाई के लिए पैसे खर्च कर रही है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार यह देख ले कि वह पैसा ठीक यूज हो रहा या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सिसाणा माईनर की फोटोज भी हैं और इनमें वहां पर जंगल खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मैंने खुद मौके पर जाकर विजिट भी की है।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि क्या इन फोटोज पर तारीख है कि ये फोटोज कब ली गयी हैं ?

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के पास इन फोटोज की तारीख भी भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जिन फोटोज की बात बता रहे हैं ये एक – दो दिनों के भीतर ही ली गयी होंगी। ये कई सालों पुरानी फोटोज नहीं हैं।

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को आज के फोटोज मंगवा कर दे दूंगा या आप चाहें तो विधान सभा से किसी अधिकारी को मेरे साथ मौके पर चैंकिंग के लिए भेज सकते हैं।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब किसी नहर की सफाई की फोटोज लेते हैं तो उस पर डेट नहीं डाली जाती है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इसमें माननीय सदस्य का यही कन्सर्न है कि सरकार द्वारा नहरों की सफाई के नाम पर पैसा तो खर्च कर दिया जाता है, परन्तु उनकी वास्तव में सफाई नहीं होती है। आप इस बात को इन्श्योर करें कि वहां पर सफाई हो।

श्री रणजीत सिंह :अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 20–30 सालों से इन नहरों को पक्की करने का प्रचलन चला था तभी से इनमें गाद आने लगी है। इससे पहले नहरें कच्ची हुआ करती थी। विभाग के पास 1521 नहरों का लगभग 14,115 किलोमीटर लम्बा नेटवर्क है। हरियाणा सिंचाई प्रणाली के चैनल लगभग 30–35 साल पहले पक्के कर दिये गये थे तब से ये निरन्तर उपयोग में हैं। कृषि, घरेलू, उद्योगों और बिजली संयंत्रों की बढ़ती आवश्यकता के कारण पानी की मांग में काफी वृद्धि हुई है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी यह तो आप पूरे हरियाणा प्रदेश की बात बता रहे हैं। आप केवल क्वैश्चन के ऊपर ही अपनी बात रखें।

श्री जयवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का यही जवाब दे दें कि इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अध्यक्षः जयवीर जी, आप संबंधित फोटोज माननीय मंत्री जी के पास भिजवा दें और आज की फोटोज हों तो वे भी भिजवा दें।

श्री जयवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के पास संबंधित फोटोज भिजवा दूंगा।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में चैक करके बता देंगे।

———————————

To Construct Pump House

***1417. Mohd. Ilyas:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct

pump house in village Badha of Punhana Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): हां, श्रीमान जी। यह कार्य 30.06.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रश्न का नम्बर बोल दिया है लेकिन अफसोस की बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दोबारा सदन में पढ़ देता हूं कि इनका यह कार्य दिनांक 30.06.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि मैंने अपना प्रश्न का नम्बर बोल दिया है ।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है।

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मेरा इरीगेशन विभाग से संबंधित प्रश्न है इसलिए माननीय बिजली मंत्री जी कैसे जवाब दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, किसी भी माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब कोई भी माननीय मंत्री जी दे सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है।

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है, मुझे दोबारा बताया जाये।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से माननीय सदस्य को इनके प्रश्न का जवाब दे देता हूं हां श्रीमान् जी, यह कार्य दिनांक 30.06.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

@ Replied by the Power Minister (Shri Ranjeet Singh)

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पिछले दो सालों से लगाता आ रहा हूं लेकिन आज तक भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, कृपया करके माननीय मंत्री मुझे यह बतायें कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव बाढा में पंप हाउस का निर्माण कब तक हो जायेगा? इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, आपके प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है कि गांव बाढा में पंप हाउस का निर्माण दिनांक 30.06.2022 तक पूरा हो जायेगा।

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं।

.....

To Provide Government Job and Financial Compensation

***1289. Shri Ram Kumar Gautam:** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the Government job and financial compensation are likely to be given to the son of deceased Ram Phal s/o Shri Lakhan Lal resident of village Badala of Narnaund Assembly Constituency who died immediately after taking Corona Vaccine dose on 22.03.2021 as per the assurance given by the S.D.M. Narnaund on behalf of the Government to the family members?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, महोदय जी, मृतक राम फल पुत्र श्री लखन लाल का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में किया गया था। पोस्टमार्टम, हिस्टोपैथोलॉजी और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हिसार की रिर्पोट के आधार पर मेडिकल बोर्ड के सदस्यों की राय के अनुसार इस मामले में मृत्यु कोरोनरी धमनी की बीमारी के कारण हृदय (महत्वपूर्ण अंग) की विफलता है। जो की सामान्य मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है और यह एक प्राकृतिक रोग प्रक्रिया है।

कोविड टीकाकरण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो लाभार्थियों को नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के

अुनसार नोवल कोरोना वायरस से जनता की सुरक्षा के लिए जनहित में यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार टीकाकरण के बाद कोई भी प्रतिकुल घटना होने पर नौकरी/वित्तीय मुआवजे के बारे में अभी तक कोई नीति/दिशानिर्देश नहीं है।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब श्री रामफल को कोरोना का टीका लगा था उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उसके बाद डी.सी. ने एस.डी.एम. को निर्देश दिया कि जा कर उनका अंतिम संस्कार करवायें। एस.डी.एम. वहां पर गये तथा लोगों की बात सुनी। लोगों ने बताया कि इनके पास जमीन नहीं है और यह एक गरीब आदमी है इसलिए इसके परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाये तथा कुछ मुआवजा भी दिया जाये। एस.डी.एम. वहां पर स्पष्ट करके आये थे कि इनको 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जायेगी। एस. डी.एम. की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था। इस बारे में मेरा कहना यह है कि वह गरीब आदमी है इसलिए उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे दी जाये तथा 5–10 लाख रुपये मुआवजा भी दे दिया जाये।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, जिस मृतक रामफल पुत्र श्री लखन लाल का जिक्र किया जा रहा है उन्होंने 22 मार्च, 2021 को लगभग 3 बजे कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लगवाने के बाद वैक्सीन के नियमानुसार आधा घंटा वे वहां पर रहे और ठीक–ठाक रहे। उसके बाद जब वह अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में चाय की दुकान पर वह बैठ गये और वहां पर उनकी तबियत खराब हुई और वे गिर गये। उनको पहले टीकाकरण सैन्टर पर लाया गया तथा फिर हांसी सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा इसका पोस्ट मार्टम किया गया जिसकी रिपोर्ट के अनुसार इनकी मृत्यु कोविड के कारण नहीं हुई है, इनकी नैचुरल डैथ हुई है।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों द्वारा जो पोस्ट मार्टम हुआ है वह तो अब हुआ है, पहले नहीं हुआ था। अगर ऐसी बात थी तो एस.डी.एम. को भेजने की क्या जरूरत थी? सरकार कम्पनसेशन के आधार पर नौकरी पहले भी देती रही है इसलिए इस गरीब आदमी के परिवार के एक सदस्य को भी नौकरी दे दी जाये। अगर इस गरीब आदमी को नौकरी दे दी जायेगी तो सरकार को क्या फर्क पड़ जायेगा? जब डी.सी. साहब की अनुमति से एस.डी.एम. जो कि सरकार का नुमाइंदा है वह जा कर आश्वासन दे आया तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, हमने उस परिवार को बुलाया था। इस प्रकार के केसिज में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी दी जाती है इसलिए जब उनको कहा गया कि आपको आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी दी जायेगी तो उनका कहना था कि वह प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। इस तरह के केसिज में सरकारी नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उनसे बात कर लें अगर वे आउटसोर्सिंग से नौकरी लेना चाहते हैं तो उनका आवेदन ले लें हम उनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग की नौकरी दे देंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Construct the Additional Rooms

***1300. Rao Dan Singh**: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the study rooms are not adequate in comparison to the large number of strength of girl students in Women College Mahendergarh; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the additional rooms in above said college?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) राजकीय महिला महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़ में महाविद्यालय की मांग अनुसार विज्ञान खंड एवं 8 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु मामला विभाग के सक्रिय विचाराधीन है और मांग वास्तुकला विभाग को भेजते हुए नक्शे तैयार करने हेतु लिखा जा चुका है, जैसे ही नक्शे प्राप्त होगें तदानुसार इन परियोजनाओं के निर्माण हेतु विभाग द्वारा आगामी आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएगी।

———————

To Construct New Bus Stand

***1434. Shri Davender Singh Babli:** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement to construct new bus stand of Tohana which was made by the Hon'ble Chief Minister on dated 30-12-2014 is not implemented by the Government so far; if so, the time by which the said bus stand is likely to be constructed?

परिवहन मंत्री (पंडित मूलचंद शर्मा) : जी हाँ, श्रीमान्। माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा द्वारा कोड संख्या–9768, दिनांक 30.12.2014 के अन्तर्गत टोहाना में नए बस अड्डे के निर्माण की घोषणा की गई थी। बस अड्डे के निर्माण हेतू कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध ना होने के कारण बस अड्डे के निर्माण की इस घोषणा को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। सरकार द्वारा ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि के खरीद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। सरकार द्वारा भूमि खरीद के पश्चात् जल्द ही बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

———————

To Construct Four Lane Road

***1425. Shri Sanjay Singh**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to four lane the road of Tauru Ghati of Sohna Assembly Constituency and to declare it as State Highway togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : नहीं श्रीमान् जी। तावडू घाटी से गुजरने वाली पलवल–सोहना–रेवाड़ी (एनएच–919) सड़क के खंड को चारमार्गीय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि यह सड़क पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए इसे राज्य राजमार्ग घोषित करने का विषय नहीं उठता। हालांकि, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सड़क के खंड के लिए चारमार्गी बाईपास की मंजूरी दी है और फोरैस्ट क्लीयरेंस के अनुमोदन के बाद जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

The Current Status of Road

***1304. Shri Mamman Khan:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the current status of Nagina-Notki-Tijara in Ferozpur Jhirka Assembly Constituency togetherwith the time by which the said road is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान जी, नगीना से नोटकी तक सड़क क निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और नोटकी से तजारा तक नई सड़क का 35 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इससे आगे, ठेकेदार द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन न करने के कारण, कार्य के अनुबंध को समाप्त कर दिया गया है और बैंक गारंटी को भी भुनाया गया है। ठेकेदार को नोटिस, पहले से जो कार्य किया गया उसकी माप और शेष कार्य जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं, कि औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य की निविदाएं जल्द ही आमंत्रित की जाएगी। इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Construct Auto Rickshaw Stand

502. Shri Deepak Mangla: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Auto Rickshaw Stand in Palwal City; if so, the time by which it is likely to be constructed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं श्रीमान जी। वर्तमान में ऑटो रिक्शा स्टैंड के निमार्ण बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव नगर परिषद पलवल के विचाराधीन नहीं है।

———————————

To Metal The Unmetalled Road

542. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled road from village Rajpura Sahni to Kumharia of Ellenabad Assembly Constituency; if so, the time by which the said road is likely to be metalled togetherwith the details thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नहीं श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। गांव राजपुरा साहनी में उपलब्ध चकबंदी पथ 5 करम तिरछे है और गांव कुम्हारिया में 4 करम तिरछे हैं। जबकि सरकार के निर्देशों/मानदंडों के अनुसार, पी.डब्ल्यू.डी. बी.एण्डआर. विभाग सड़क का निर्माण करता है जहां चकबंदी पथ की प्रभावी आर. ओ.डब्ल्यू 6 करम या 6 करम से अधिक है।

.....

Cases of Atrocities Against Scheduled Castes

534. Shri Ishwar Singh: Will the Welfare of SCs & BCs Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the cases of atrocities against Scheduled Castes have been increased in State;

(b) whether it is also a fact that the conviction rate in abovesaid cases under the Atrocities Act has been decreased in State; if so, the action taken by the Government in this regard; and

(c) the reasons for which compensation amount under Atrocities Act has not been fully provided to the aggrieved persons in State?

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री (डॉ. बनवारी लाल): श्रीमान जी,

(क) राज्य में अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अत्याचार के मामले थोड़ा–2 बढ़े हैं। वर्ष 2018 से वर्ष 2020 तक का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	वर्ष	दर्ज मामलो की संख्या
1	2018	1026
2	2019	1129
3	2020	1223

(ख) नहीं, राज्य में अत्याचार अधिनियम के अर्न्तगत उपरोक्त मामलों में दोषसिद्धि दर में कमी नहीं आई। विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	मैरिट पर निपटाए गए मामले		गवाहों के मुकरने तथा सी0आर0 पी0 सी0 की धारा 313 के तहत आरोपित का ब्यान खारिज हाने के कारण	आरोपी भगौड़ा घोषित या मृत्यु	कुल प्रतिशत	
		सजा	मैरिट पर बरी के मामले			सजा	बरी
2018	294	83	117	94	0	42 %	58 %
2019	363	63	149	146	5	30 %	70 %
2020	85	24	27	34	0	47 %	53 %
2021 जून 2021 तक	64	13	14	28	9	48 %	52 %

नोटः सजा और बरी होने की प्रतिशतता मैरिट पर निपटाए गए मामलों के आधार पर निकाली गई है।

(ग) योग्य पीड़ित व्यक्तियों/उनके परिवार या आश्रितों को आर्थिक सहायता का भुगतान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के अनुलग्नक–। में दर्शाए गए मापदण्डों के अनुसार दिया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों से वित्त वर्ष 2017–18 से अब तक दर्ज मामलों की सूचना प्राप्त की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	जिला पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों की संख्या	5420
2	रद्द किए गए मामले, ऐसे मामले जिनमें अत्याचार निवारण अधिनियम हटा दिया गया है या पीड़ित लापता है या पीड़ित ने आर्थिक सहायता लेने से इन्कार कर दिया है। और	1862

	ऐसे मामले जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी कर दिया गया है या याचिका रद्व कर दी गई है और इन मामलों के दर्ज होने या न्यायालय में चालान की सूचना जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थी और न ही पीड़ितों द्वारा आर्थिक सहायता के लिए कोई आवेदन किया जिन्हे वर्तमान में आर्थिक सहायत देय नहीं बनती।	
3	वास्तव में जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में कुल 2715 मामले प्राप्त हुए थे जिनमें पीड़ितों ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन जमा करवाए हैं: क) कुल मामले (कालम 3 मे उपर दर्शाए गए मामलों में से) जिनमें पीड़ितों को पूर्ण देय आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया है। ख) कुल मामले (कालम 3 मे उपर दर्शाए गए मामलों में से) जिनमें पीड़ितों को आंशिक आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया है जिनमें चालान या माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रति प्राप्त नहीं हुई है जोकि एकत्रित की जा रही हैं।	2369 346
4	ऐसे मामलों की संख्या जिनकी सूचना कार्यालय में प्राप्त नही हुई और न ही पीड़ितों द्वारा आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया गया। एफ0 आई0 आर0, चालान या माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रतियां एकत्रित की जा रही हैं।	843

———————

To Start land Registration

508. Shri Bishan Lal Saini: Will Deputy Chief Minister be pleased to state the time by which the registration of land are likely to be started in Radaur city?

उप–मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : अधिसूचना कमांक CCP(NCR)/YGR-Radaur/CA/2012/423 दिनांक 13.02.2012 के अनुसार गांव रादौर और छौटा बास नियन्त्रित क्षेत्र में है, जो अब नगरपालिका रादौर शहर में स्थित है। नियन्त्रित क्षेत्र में सम्पतियों का पंजीकरण नगर योजना विभाग के अधिनियम Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) के अनुसार किया जा रहा है।

नगर पालिका की रिपोर्ट के अनुसार 17 कालोनियां नामित कुम्हार मौहल्ला, माता मौहल्ला, नागर मौहल्ला, पटाक माजरी, पठान मौहल्ला, पोस्ट आफिस गली, सैनी मौहल्ला, बांगियान गली, बाल्मिकी बस्ती, ठोटाबांस लाल डोरा, छिम्बी मौहल्ला, धोबी

मौहल्ला, गडरिया मौहल्ला, गुरूद्वारा गली, गुरूद्वारा सिंह गली, हरिजन बस्ती, खेडा मौहल्ला जो रादौर व छोटाबांस में स्थित है। इन कालोनियों नियमित रूप से सम्पतियों का पंजीकरण किया जा रहा है। 29 कालोनियों नामित अग्रसैन कालोनी, अमर कालोनी, भगत सिंह कालोनी, छोटाबांस, चौधरी वी0आई0पी0 कालोनी, दशमेश नगर, दीपक कालोनी, गीता कालोनी, हरी कालोनी, जाट नगर, जस्सी कालोनी, कृष्णा कालोनी, नागेशवर धाम, न्यू साई कालोनी, परशुराम कालोनी, प्रेमी बाबा कालोनी, राधा कृष्णा कालोनी, रोनकपुरा डेरा, साई बिहार कालोनी, साई कालोनी, साई धाम कालोनी, शमशानघाट रोड, शास्त्री कालोनी, शिव कालोनी, श्रीराम कालोनी, उधम सिंह कालोनी, वी0आई0पी0 कालोनी, विश्वकर्मा कालोनी, ओड कालोनी नगर योजना विभाग द्वारा घोषित नियन्त्रित क्षेत्र में आती है। इन कालोनियों में पंजीकरण का कार्य नगर योजना विभाग द्वारा जारी "अनापति प्रमाण पत्र" के अनुसार किया जाता है।

————————

Amount Released For Capital Expenditure

554. Shri Narender Gupta: Will the Chief Minister be pleased to state the department wise and yearwise details of amount released for capital expenditure in Faridabad-89 Assembly Constituency during the year 2019-20, 2020-21 and 2021-22 (till to date).

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : विभागों द्वारा वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान फरीदाबाद–89 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/जिला फरीदाबाद में पूंजीगत व्यय के लिये जारी की गई राशि का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक–'क'

विभागों द्वारा फरीदाबाद–89 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/जिला फरीदाबाद में पूंजीगत व्यय के लिए जारी की गई राशि का ब्यौराः–

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	विभाग	जारी की गई राशि/पूंजीगत व्यय		
		2019–20	2020–21	2021–22 (अब तक)
1.	शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम)	3480.57	3830.44	612.66
2.	आर्थिक सांख्यिकी व विश्लेषण	582.60	244.21	474.94
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	1756.51	424.35	56.83
4.	लोक निर्माण (भवन व सड़के)	1033.83	1921.21	1837.97
5.	सिंचाई व जल संसाधन	1470.20	1487.42	1191.66
6.	तकनीकी शिक्षा	शून्य	5504.54	2900.00
7.	उच्चतर शिक्षा	4673.49	शून्य	शून्य
8.	महा निदेशक पुलिस	251.02	211.58	शून्य
9.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	28.18	11.62	3.97
10.	श्रम *	200.00	370.00	341.00
11.	परिवहन आयुक्त *	शून्य	शून्य	450.00
12.	राज्य परिवहन *	शून्य	132.59	0.94
13.	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	34.18	159.37	8.75
14.	विद्युत *	4028.00	2358.00	2434.00
15.	समाजिक न्याय व अधिकारिता	74.87	शून्य	शून्य
16.	स्कूल शिक्षा	शून्य	शून्य	21.44
17.	प्राथमिक शिक्षा	शून्य	शून्य	492.03

नोटः ' फरीदाबाद जिले के लिए जारी/खर्च की गई राशि।

———————————

To Declare Agnikand Samarak as State Monument

568. Shri Amit Sihag: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Agnikand Samarak in Mandi Dabwali as State Monument; if so, the time by which abovesaid proposal is likely to be materialized?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज): हां, श्रीमान् जी। मण्डी डबवाली में अग्निकांड स्मारक को राजकीय स्मारक घोषित करने के लिए नगर परिषद, मण्डी डबवाली द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। मण्डी डबवाली में अग्निकांड स्मारक को

राजकीय स्मारक घोषित करने का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है। नगर परिषद, मण्डी डबवाली से विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार के स्तर पर आगामी निर्णय लिया जायेगा। इसलिए, इस स्तर पर, इस सम्बन्ध में अभी समय–सीमा निर्धारित करनी मुश्किल है।

————————

Problem of Flood in Dharuhera

528. Shri Chiranjeev Rao: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that the chemical mixed rainy water has flooded Sector-4, Housing Board, Ambedkar Park and other parts of Dharuhera during July, 2021; and

(b) If so, the steps taken by the Government to check the abovesaid problem?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) हाँ श्रीमान जी।

(ख) ऐसी बाढ़ का मुख्य कारण भिवाड़ी (राजस्थान) के औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र से आने वाला अपशिष्ट जल था। इस समस्या के समाधान के लिए दिनांक 09.04.2021 को कलेक्टर अलवर के साथ उपायुक्त रेवाड़ी की बैठक हुई जिसमें कलेक्टर अलवर द्वारा सूचित किया गया कि भिवाड़ी की औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के उपचार के लिए 9 एमएलडी सीईटीपी स्थापित करने का प्रस्ताव राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) के विचाराधीन है और इसके लिए शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इसके अलावा मीटिंग मे यह भी निर्णय लिया गया की एमसी–भिवाड़ी सीवेज के अनुपचारित बहाव को सीवर लाइन में तत्काल टेप करेगा। उक्त सीईटीपी का काम पूरा होने के बाद भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा।

.....

To Start Bus Services

596. Shri Kuldeep Bishnoi: Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that 8 to 10 buses which were plying daily from Hisar to the villages Adampur, Daroli, Chuli, Chaudhariwali, Jakhod Khera and Kajla were stopped at the time of Covid-19 lockdown; and

(b) if so, the time by which the said bus services are likely to be started?

परिवहन मंत्री (पण्डित मूलचन्द शर्मा) : (क) श्रीमान् जी, हां। (ख) इन मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन दिनांक 28.05.2021 से पुनः आरम्भ करवाया जा चुका है।

———————

To Release Tubewell Connections

590. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Power Minister be pleased to state the time by which the tubewell connections are likely to be released by the Government in State to all the farmers who have applied before the year 2018?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान जी, उन सभी पात्र आवेदकों को 30.06.2022 तक टयूबवैल कनैक्शन जारी किए जाने अपेक्षित हैं जिन्होंने 31.12.2018 तक आवेदन किया है।

———————

To Line and Cover the Drain

472. Dr. Kamal Gupta: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an uncovered rainy drain has been constructed by the Public Health Engineering Department which emanate from the premises of Guru Jambheshwar University and connects to Barwala road rainy water drainage in Hisar City; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to line the said drain and cover it with slabs togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) जी हां ।

(ख) जी हां। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से गुजरने वाले उक्त नाले को लाईन करने व ढ़कने का प्रस्ताव है, जिसके अनुमान की तैयारी प्रक्रिया में है।

———————————

To Complete Development Works

602. Shri Neeraj Sharma: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of announcements of works made by the Hon'ble Chief Minister from year 2014 to 2021 in NIT-86 Faridabad Constituency togetherwith the details of works out of abovesaid announcements which are completed;

(b) the total number of pending development works for which announcements have been made by the Hon'ble Chief Minister in Faridabad NIT-86 Assembly Constituency from year 2014 to 2021: and

(c) the time by which the abovesaid pending development works are likely to be completed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, (क) एन आई टी 86 फरीदाबाद निर्वाचनक्षेत्र की वर्ष 2014 से 2021 तक कुल 53 घोषणाएं की गई है| इन 53 घोषणाओं में से 23 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है (सूची अनुबंध 'N' पर सलंगन), अन्य 18 पर कार्य प्रगति पर है, 07 घोषणाओं को किर्यान्वित किया जाना संभव नही है तथा 5 घोषणाएं लंबित है |

(ख) एन आई टी 86 फरीदाबाद निर्वाचनक्षेत्र में वर्ष 2014 से 2021 तक की 5 घोषणाएं लंबित है |

(ग) मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बारे समय समय पर होने वाली बैठकों में सम्बंधित विभागों को लंबित घोषणाओं को शीघ्र कार्यन्वित करने हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं|

102

List of Completed announcements

Sr.No.	Anc. Code	Announcement in Brief
1	10290	An amount of Rs. 20 Lacs for cleaning of Nala_Drain of AC Nagar, NIT, Faridabad and directed to conduct feasibility study for doing it pucca with tiles etc.
2	11099	Interlocking tiles will be paved on both sides of the road from Saran Chowk to Press Colony Mandir and the work of sewage line and sodium light on pole will also be done.
3	11100	Five Chhat Ghat will be constructed in urban area of NIT Faridabad (86) constituency.
4	11103	Sewer line, water pipeline, roads, streets lights and special repair of parks will be done in sector-52, Faridabad.
5	11104	Construction of road from village Pakhal Toll Tax to Pawta.
6	11105	Construction of road from village Pakhal to Fatehpur tagga
7	11108	A veternary hospital of village Dhauj will be upgraded and a new veternary hospital will be constructed in village Fatehpur Tagga.
8	11109	Arrangements of sewage system will be made in Dabua New Sabzi Mandi, NIT Faridabad.
9	11141	Construction of road from village jharshetli to khandawali
10	11142	Construction of Phirni in village Gaunchi.
11	11143	Construction of road from Village-Madalpur to Fatehpur Tagga.
12	11144	Construction of Road from Village Kurashipur to Sarrorpur.
13	11145	44 Feet rasta from village-Alampur to Sirohi.
14	11150	A skill development centre will be constructed in village Madalpur.
15	11152	A survey will be done for the direct supply of drinking water under rainy well scheme to NIT Faridabad-86, constituency.
16	19885	New Mahila Police Station would be established at NIT Faridabad.
17	20962	To construct pucca road from Madalpur to Kurshipurnala by giving relaxation in norms.
18	20965	To solve water problem in Village Kureshipur.
19	20973	To install tubewell in village Gothda Mohbtabad.
20	20974	Arrangements for drinking water in Parvatia Colony.
21	20975	Grant of Rs. 5.00 Crore for the rural area of NIT Faridabad Constituency
22	24257	Development works of Rs.5.00 Crore for the rural area of NIT Faridabad Constituency.
23	24259	Development works of Rs.2.00 Crore for the rural

Construction of Road

478. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the defect limit period of the main road from Mallah Mod to Kalka Kali Mata Mandir has been over ; and

(b) whether it is also a fact that the condition of above said road is very bad; if so, the time by which it is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) हां, श्रीमान् जी इस सड़क की दोष दायित्व अवधि 30.08.2019 को समाप्त हो चुकी है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी वर्तमान में सड़क संतोषजनक स्थिति में है । हालांकि सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 1470.97 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/695/2021–3 बी. एण्ड आर. (डब्ल्यू) दिनांक 06.12.2021 द्वारा प्रदान कर दी गई है। विस्तृत अनुमान और डी.एन.आई.टी. तैयार की जा रही है। इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

———————

Details of Pending Recruitments

483. Shri Varun Choudhry: Will the Chief Minister be pleased to state the department-wise and post wise details of recruitments pending with Haryana Public Service Commission and Haryana Staff Selection Commission as on 31 October, 2021?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): महोदय 31 अक्तूबर, 2021 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास लम्बित भर्तियों का विभागवार तथा पदवार ब्यौरा अनुलंग्नक 'क' व 'ख' पर उपलब्ध है।

अनुलंग्नक–'क'

Department wise and post wise details of recruitments pending in HPSC

Sr. No.	Department/ Board/ Corporation	Post	No. of Posts	Details of Advertisment
1	Chief Secretary to Government Haryana	HCS (Ex. Br.) & Other Allied Services – 2021	155	Advt. No. 3 of 2021 dated 26.02.2021
2	Chief Secretary to Government Haryana	HCS (Judicial Branch) -2020-21	256	Advt. No. 1/2021 dated 13.01.2021
3	Higher Education Department	Assistant Professor (College Cadre), Punjabi	2	1 of 2019
4	Higher Education Department	Assistant Professor (College Cadre), Chemistry	2	1 of 2019
5	Pollution Control Board	Scientist B	4	Advt. No. 5(4)/2018 dated 29.12.2018
6	Pollution Control Board	Scientist B	1	Advt. No. 5/2016 (3) dated 28.02.2017
7	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Manager (P&A)	4	Advt. No. 1 (6)/2018 dated 21.07.2018 Corrigendum dated 15.05.2019
8	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Manager (Utility)	7	Advt. No. 1 (8)/2018 dated 21.07.2018
9	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Senior Manager (Estate)	8	Advt. No. 1 (10)/2018 dated 21.07.2018 Corrigendum dated 12.08.2019
10	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Manager (Estate)	4	Advt. No. 1 (13)/2018 dated 21.07.2018 Corrigendum dated 10.05.2019
11	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Dy. Director (Project)	1	Advt. No. 2 (1)/2019 dated 24.05.2019
12	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Dy. Director (Industrial Promotion)	5	Advt. No. 2 (2)/2019 dated 24.05.2019
13	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Dy. Director (Statistics)	3	Advt. No. 3 (1)/2019 dated 29.05.2019
14	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Senior Manager (Legal)	2	Advt. No. 1 (2)/2018 dated 21.07.2018
15	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Senior Manager (Finance)	1	Advt. No. 1 (11)/2018 dated 21.07.2018
16	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Assistant General Manager (IA)	1	Advt. No. 1 (12)/2018 dated 21.07.2018
17	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Assistant General Manager (Finance)	2	Advt. No. 1 (14)/2018 dated 21.07.2018
18	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Senior Manager (P&A)	1	Advt. No. 1 (1)/2018 dated 21.07.2018

19	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Manager (Electrical)	2	Advt. No. 1 (3)/2018 dated 21.07.2018 and Corrigendum dated 16.05.2019
20	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Senior Manager (Accounts)	2	Advt. No. 1 (5)/2018 dated 21.07.2018
21	Industries & Commerce Department - HSIIDC	Management Trainee (Finance)	4	Advt. No. 1 (7)/2018 dated 21.07.2018
22	Industries & Commerce Department	Assistant Director (Chemical)	1	Advt. No. 3 (14)/2017 dated 07.12.2017
23	Industries & Commerce Department	Senior Manager (IA)	3	Advt. No. 1 (4)/2018 dated 21.07.2018
24	Technical Education Department	Lecturer (Group-B) in various Subjects	437	Advt. No. 11 of 2021
25	Agriculture and Farmers Welfare Department	Economist (Class-I)	1	Advt. No. 5 (x) /2018
26	Agriculture and Farmers Welfare Department,	Deputy Director of Agriculture (Headquarter)..	4	Advt. No. 5 (xi) /2018
27	Agriculture and Farmers Welfare Department,	Assistant Agriculture Engineer (Class-II)	6	Advt. No. 5 (xii)/2018
28	Agriculture and Farmers Welfare Department,	Statistical Officer/ Agriculture Statistical Officer.....	2	Advt. No. 5 (viii)/2018
29	Haryana State Seed Development Corporation	Assistant Engineer (Agri.) (Class-II)	1	Advt. No. 5 (1) of 2019
30	Haryana State Warehousing Corporation	Manager Legal (Class-I)	1	Advt. No. 5 (3) of 2019
31	Horticulture Department	Dy. Director Horticulture	3	Advt. No. 1 (16) / 2018
32	Co-oporation Department.	Audit Officer, Corporative Societies	4	2(ii) 2018-19
33	Health Department.	Dental Surgeon	81	Advt. No. 2/2021 dated 25.02.2021
34	Information & Public Relations Department	Rural Community Theatre	1	Advt. No. 3(2)/2017 dates 07.12.2017
35	Haryana Federation of Cooperative Sugar Mills Ltd.	Technical Advisor (Sugar)	1	Advt. No. 2 of 2020 dated 27.08.2020
36	Renewable Energy Department	Project Officer Renewable Energy	3	Advt. No. 2/2016 dated 29.9.2016 Corrigendum dated 11.10.2017
37	Transport Department	Works Manager	4	Advt. No. 2(4)/2015
38	Transport Department	Store Purchase Officer	2	Advt. No. 2(5)/2015 dated 10.09.2015
39	Fisheries Department.	Distt. Fisheries Officer	8	Advt. No. 2(6) 2016 dated 29.09.2016
40	Fisheries Department	Deputy Director Fishiers	1	Advt. No. 4 of 2018 dated14.08.2018

41	Information & Public Relations Department	Stage Setter	1	Advt. No. 3/2016 date 08.11.2016
42	Environment Department	Scientist Grade-I	2	Advt. No. 5 (5)/2018 dated 29.12.2018
43	Development and Panchayat Department	Lecturer (Management & Planning)	1	Advt. No. 9 of 2021
44	Development and Panchayat Department	Lecturer (Panchayati Raj)	1	Advt. No. 10 of 2021
45	Development and Panchayat Department	Research Officer	1	-
46	Rural Development Department	Research Officer	1	-
47	Public Health Engineering Department	Hydrologists (1) &	1	Advt. No. 9/2015 published on 08.02.2016
48	Public Health Engineering Department	Geophysicist (1)	1	Advt. No. 9/2015 published on 08.02.2016
49	SC and BC Department	District Welfare Officer	5	Advt. No. 8(8)/2016 dated 08.02.2016 and Corrigendum dated 15.12.2016
50	Home Department	Senior Scientific Officer (Document) in FSL Madhuban	6	Advt. No. 4(6)/2016 Published on 14.12.2016 Corrigendum dated 12.01.2017
51	Home Department	Assistant Director (Biology) Group-A in FSL Madhuban	1	Advt. No. 4(2)/2017 Published on 30.01.2018
52	Home Department	Assistant Director (NDPS) in FSL Madhuban	1	Advt. No. 4(5)/2016 Published 14.12.2016
53	Home Department	Senior Scientific officer (Serology) Group-B in FSL Madhuban	1	Advt. No. 4(3)/2017 Published on 30.01.2018 closing date 01.03.2018
54	Home Department	Senior Scientific Officer (Ballistic) Group-B in FSL Madhuban	1	Advt. No. 4(5)/2017 Published on 30.01.2018 closing date 01.03.2018
55	Home Department	Senior Scientific Officer (NDPS) in FSL Madhuban	2	Advt. No. 4(3)/2016 Published on 14.12.2016 Closing date 13.01.2017
56	Home Department	Senior Scientific Officer (Toxicology) in FSL Madhuban	4	Advt. No. 4(2)/2016 Published on 14.12.2016
57	Home Department	Senior Scientific Officer (Explosive) in FSL Madhuban	1	Advt. No. 3(9)/2016 Published on 08.11.2016
58	Home Department	Senior Scientific Officer (DNA) in FSL Madhuban	2	Advt. No. 3(9)/2016 Published on 08.11.2016
59	Home Department	Senior Scientific Officer (Psychology) in FSL Madhuban	5	Advt. No. 3(9)/2016 Published on 08.11.2016
60	Home Department	Assistant Director (DNA) Group-A in FSL Madhuban	1	Advt. No. 4(4)/2017 Published on 30.01.2018

Total	**1070**	

TOTAL NUMBER OF PENDING RECRUITMENT UPTO 30.10.2021					
Sr. No.	**Advt. No.**	**Cat. No.**	**Department**	**Name of Post**	**No. of Post**
1	11/2015	41	SPORTS & YOUTH AFFAIRS Deptt.	Junior Coach Cycling	12
2	11/2015	44	SPORTS & YOUTH AFFAIRS Deptt.	Junior Coach Swimming	2
3	6/2017	1	Secondary Education, Deptt. Hr.	PGT Home Science	78
4	6/2017	2	Secondary Education, Deptt. Hr.	PGT Home Science(mwt)	2
5	1/2018	1	SPORTS & YOUTH AFFAIRS Deptt.	JUNIOR COACH BADMINTON	4
6	1/2018	9	SPORTS & YOUTH AFFAIRS Deptt.	Junior Coach Table Tennis	6
7	1/2018	18	SPORTS & YOUTH AFFAIRS Deptt.	Junior Coach Volley-Ball	11
8	1/2018	3	SPORTS & YOUTH AFFAIRS Deptt.	JUNIOR COACH CRICKET	1
9	1/2018	8	SPORTS & YOUTH AFFAIRS Deptt.	Junior Coach Kayaking & Canoeing	1
10	1/2018	14	SPORTS & YOUTH AFFAIRS Deptt.	Junior Coach Tennis	5
11	1/2018	20	SPORTS & YOUTH AFFAIRS Deptt.	Junior Coach Rowing	1
12	1/2018	22	Ayush Department	DISPENSER(AYURVEDIC)	13
13	2/2018	1	Urban Local Bodies -Cum-Fire Service, Haryana	Fire Operator Cum Driver	1646
14	7/2019	1	Land Records	Patwari	588
15	**8/2019**	1	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	Canal Patwari	1100
16	9/2019	1	Development & Panchayats	Gram Sachiv	697
17	11/2019	3	DHBVNL	Assistant Law Officer	3
18	11/2019	5	HVPNL	Assistant Law Officer	2
19	11/2019	10	HVPNL	PHARMACIST	4
20	11/2019	11	HVPNL	JUNIOR SCALE Stenographer	34
21	11/2019	17	HVPNL	hindi translator	5
22	11/2019	22	uhbvnl	DIVISIONAL ACCOUNTANT	48
23	11/2019	25	uhbvnl	Assistant Law Officer	3
24	11/2019	27	uhbvnl	upper divisional clerk	58
25	11/2019	21	uhbvnl	Assistant Lineman	1307
26	12/2019	5	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Welder (Gas & Electric) (Re-Advertised).	38

27	12/2019	8	Skill Development and Industrial training	surveyor instructor	1
28	12/2019	14	Skill Development and Industrial training	foundry man (moulder) Instructor (theory)	2
29	12/2019	15	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Architectural Assistant	3
30	12/2019	20	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Machinist	8
31	12/2019	25	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Turner (Re-Advertised).	51
32	12/2019	27	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Architectural Assistant	6
33	12/2019	29	Skill Development and Industrial training	FITTER INSTRUCTOR PRATICAL	89
34	12/2019	31	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Plastic Processing Operator(Re-Advertised).	2
35	12/2019	32	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Electronics (Re-Advertised).	37
36	12/2019	33	Skill Development and Industrial training	DESK TOP PUBLISHER OPERATOR INSTRUCTOR(Practical)	1
37	12/2019	34	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Plastic Processing Operator(Re-Advertised).	6
38	12/2019	35	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Electrician (Re-Advertised).	108
39	12/2019	37	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor (Women) Fashion Technology	3
40	12/2019	39	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor wireman	40
41	12/2019	41	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Computer Hardware	12
42	12/2019	42	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Refrigerator & Air Conditioning	43
43	12/2019	43	Skill Development and Industrial training	-	2
44	12/2019	44	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Draughtsman (Civil)	45
45	12/2019	47	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Draughtsman (Mechanical)	28
46	12/2019	48	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Stenography Hindi	30

47	12/2019	49	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Stenography Hindi	12
48	12/2019	51	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Stenography English	31
49	12/2019	52	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Stenography English	21
50	12/2019	53	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Machinist Grinder (Re-Advertised).	2
51	12/2019	54	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Health Sanitary inspector	6
52	12/2019	55	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Health Sanitary inspector	6
53	12/2019	57	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Litho Offset Machine Minder.	3
54	12/2019	59	Skill Development and Industrial training	Senior Instructor Hospitality.	3
55	12/2019	60	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Tool & Die Maker (Dies and Moulds).	5
56	12/2019	61	Skill Development and Industrial training	Instructor Food Production.	4
57	12/2019	62	Skill Development and Industrial training	Computer Networking and Hardware Technician (For HQ) (Re-Advertised).	1
58	12/2019	63	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor (Women) (Hair& skin care)	10
59	12/2019	66	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor (Women) Fashion Technology	4
60	12/2019	67	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Plumber	28
61	12/2019	68	Skill Development and Industrial training	Instructor Millwright Mechanlc (Electrical/Electronics)	19
62	12/2019	69	Skill Development and Industrial training	Instructor Millwright Mechanlc (Mechanical)	44
63	12/2019	71	Skill Development and Industrial training	Group Instructor In-charge (Women)/Group Instructor (Women) for TTC in Hair & Skin Care	2
64	12/2019	72	Skill Development and Industrial training	Lab Attendant Food Production	4
65	12/2019	73	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Painter (Gen)	38

66	12/2019	76	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Machine Tool Maintenance.	1
67	12/2019	77	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Motor Vehicle (Re-Advertised).	25
68	12/2019	78	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Information Technology and Electronic System maintenance (Re-Advertised).	3
69	12/2019	79	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Machine Tool Maintenance.	2
70	12/2019	81	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Instrument Mechanic	8
71	12/2019	82	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor (Women) Dress Making	19
72	12/2019	84	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Instrument Mechanic	4
73	12/2019	85	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor (Women) Dress Making	14
74	12/2019	86	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Diesel	19
75	12/2019	88	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Consumer Electronics.	12
76	12/2019	89	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Agriculture Machinery	3
77	12/2019	90	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor (Women) (Hair& skin care)	30
78	12/2019	92	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Interior Decoration and Designing.	1
79	12/2019	93	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor (Women) Computer Aided Embroidery.	6
80	12/2019	94	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor (Women) Computer Aided Embroidery.	5
81	12/2019	1	Skill Development and Industrial training	surveyor instructor	2
82	12/2019	2	Skill Development and Industrial training	FORGR & HEAT TRANSFER TREATER	1

83	12/2019	7	Skill Development and Industrial training	Instrucor Employability skill	114
84	12/2019	18	Skill Development and Industrial training	Store keeper	112
85	12/2019	22	Skill Development and Industrial training	Group Instructor/ Apprenticeship Supervisor/Senior Technical Assistant / Junior apprenticeship and Placement Officer (Re-Advertised).	132
86	12/2019	46	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor (Women) Cutting & Sewing	41
87	12/2019	64	Skill Development and Industrial training	Computer Operator (For HQ) (Re-Advertised).	5
88	12/2019	65	Skill Development and Industrial training	Junior Programmer (for HQ) (Re-Advertised).	2
89	12/2019	70	Skill Development and Industrial training	Group Instructor In-Charge (Women) / Group Instructor (Women) for TTC in Fashion Technology, Cutting and Sewing, Embroidery and Needle Work, Dress making (Re-Advertised).	10
90	12/2019	75	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Information Technology and Electronic System maintenance (Re-Advertised).	1
91	12/2019	91	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Interior Decoration and Designing.	2
92	12/2019	3	Skill Development and Industrial training	Librarian.	45
93	12/2019	9	Skill Development and Industrial training	Computer Instructor	59
94	12/2019	10	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Refrigerator & Air Conditioning	68
95	12/2019	11	Skill Development and Industrial training	Workshop Calculation & Science Instructor	244
96	12/2019	12	Skill Development and Industrial training	Engineering Drawing Instructor	227
97	12/2019	13	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Plumber	58

98	12/2019	17	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor wireman	47
99	12/2019	19	Skill Development and Industrial training	Instructor Millwright Mechanlc (Electrical/Electronics)	18
100	12/2019	21	Skill Development and Industrial training	Instructor Millwright Mechanlc (Mechanical)	43
101	12/2019	23	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Electrician (Re-Advertised).	143
102	12/2019	24	Skill Development and Industrial training	Apprenticeship Instructor.	38
103	12/2019	26	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Welder (Gas & Electric) (Re-Advertised).	123
104	12/2019	96	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Carpenter	61
105	12/2019	95	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Draughtsman (Civil)	58
106	12/2019	97	Skill Development and Industrial training	Technical Assistant.	1
107	12/2019	80	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Sheet Metal Worker (Re-Advertised).	7
108	12/2019	83	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Machinist	39
109	12/2019	87	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Agriculture Machinery	5
110	12/2019	74	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Motor Vehicle (Re-Advertised).	56
111	12/2019	28	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Electronics (Re-Advertised).	44
112	12/2019	30	Skill Development and Industrial training	Computer operator and programing assistant instrctor	31
113	12/2019	36	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Tractor Mechanic (Re-Advertised).	25
114	12/2019	40	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Computer Hardware.	7
115	12/2019	45	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Draughtsman (Mechanical)	38
116	12/2019	50	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Mechanic Diesel	73

117	12/2019	56	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Machinist Grinder (Re-Advertised).	7
118	12/2019	58	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor Tool & Die Maker (Dies and Moulds).	11
119	1/2020	1	Chief Electrol officer, Haryana	Election Naib Tehsildar	6
120	1/2020	2	Chief Electrol officer, Haryana	Election Kanungo	21
121	1/2020	4	PWD B&R Branch	AUTO DIESEL MECHANIC	39
122	1/2020	7	PWD B&R Branch	Receptionist-cum-telephone Operator	9
123	1/2020	15	PWD B&R Branch	Electrician	115
124	1/2020	19	PWD B&R Branch	Store Keeper	15
125	1/2020	25	registrar cooperative societies	inspector	32
126	1/2020	28	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	Electrician	4
127	1/2020	29	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	Junior Mechanic	10
128	1/2020	30	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	accounts Clerk	11
129	1/2020	31	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	Store keeper	3
130	1/2020	32	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	store clerk	6
131	1/2020	37	ELEMENTARY EDUCATION	tgt punjabi (ROH)	176
132	1/2020	38	Skill Development and Industrial training	turner instructor	93
133	1/2020	39	Skill Development and Industrial training	Craft Instructor fitter (Re-Advt.).	144
134	1/2020	40	Skill Development and Industrial training	carpenter instructor practical	14
135	1/2020	41	ESI	PHARMACIST	25
136	1/2020	42	esi	LABORATORY TECHNICIAN	28
137	1/2020	3	PWD B&R Branch	work Supervisor	117
138	1/2020	5	PWD B&R Branch	CARPENTER	33
139	1/2020	6	PWD B&R Branch	PLUMBER	4
140	1/2020	8	PWD B&R Branch	surveyor	1
141	1/2020	9	PWD B&R Branch	painter	27
142	1/2020	10	PWD B&R Branch	mason	23
143	1/2020	12	PWD B&R Branch	Lift Operator	2
144	1/2020	13	PWD B&R Branch	Chargeman (Air Conditioning and Refrigeration)	2
145	1/2020	20	PWD B&R Branch	fitter heavy machine	39
146	1/2020	14	PWD B&R Branch	Chargeman (Electrical)	10

147	1/2020	16	PWD B&R Branch	Machine Tool Operator	7
148	1/2020	17	PWD B&R Branch	auto electrician	11
149	1/2020	11	PWD B&R Branch	Mechanic (Air Conditioning and Refrigeratin)	7
150	1/2020	18	PWD B&R Branch	Chargeman Miscellaneous	11
151	1/2020	21	PWD B&R Branch	supervisor	12
152	1/2020	22	PWD B&R Branch	Blacksmith	6
153	1/2020	23	PWD B&R Branch	Workshop Machinery Operator	14
154	1/2020	24	PWD B&R Branch	Chargeman Heavy Plant	14
155	1/2020	26	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	Section Officer	5
156	1/2020	27	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	Sub Station Generator Attendant	2
157	1/2020	33	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	Assistant seed Production Officer	31
158	1/2020	34	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	account assistant	2
159	1/2020	35	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	senior mechanic	2
160	1/2020	36	Haryana Seeds Devlopment Corporation Limited	markting assistant	4
161	4/2020	1	POLICE DEPARTMENT	Male Constable(General duty)	5500
162	4/2020	3	POLICE DEPARTMENT	Female Constable FOR HAP-DURGA-1	698
163	4/2020	2	POLICE DEPARTMENT	Female Constable(General duty)	1100
164	1/2021	1	Secondary Education, Deptt. Hr.	PGT SANSKRIT(ROH)	534
165	2/2021	1	POLICE DEPARTMENT	male constable in commando wings	520
166	13/2019	1	seondary education	PGT BIOLOGY	127
167	13/2019	2	seondary education	PGT CHEMSTRY	66
168	13/2019	3	seondary education	PGT COMMERCE	304
169	13/2019	4	seondary education	PGT COMPUTER SCIENCE	1373
170	13/2019	5	seondary education	PGT ENGLISH	530
171	13/2019	6	seondary education	PGT FINE ARTS	35
172	13/2019	7	seondary education	PGT HINDI	194
173	13/2019	8	seondary education	PGT HISTORY	329
174	13/2019	9	seondary education	PGT MATH	522
175	13/2019	10	seondary education	PGT MUSIC	35
176	13/2019	11	seondary education	PGT PHYSICAL EDUCATION	241

177	13/2019	12	seondary education	PGT URDU	6
178	13/2019	13	seondary education	PGT COMPUTER SCIENCE(mwt)	37
179	14/2019	14	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	ACCOUNTS CLERK	22
180	14/2019	15	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	SUB DIVISIONAL CLERK	49
181	14/2019	28	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	ASSISTANT REVENUE CLERK	50
182	14/2019	29	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	ZILLEDAR	23
183	14/2019	7	HSIIDC	ASSISTANT MANAGER	7
184	14/2019	9	HSIIDC	ASSISTANT MANAGER	36
185	14/2019	11	HSIIDC	ASSISTANT	28
186	14/2019	12	HSIIDC	SENIOR ACCOUNTANT CLERK	23
187	14/2019	30	CHIEF ENGINNER PANCHAYATI RAJ PUBLIC WORKS HARYAN	DRAFTSMAN PLANNING	19
188	14/2019	33	Architecture, Haryana, Chandigarh	ASSISTANT DRAUGHTSMAN	14
189	14/2019	1	HSIIDC	Assistant Manager(Estate).	8
190	14/2019	2	HSIIDC	ASSISTANT ACCOUNTANT	7
191	14/2019	3	HSIIDC	ASSISATNT PROGRAMMER	1
192	14/2019	4	HSIIDC	TUBEWELL OPERATOR	20
193	14/2019	5	HSIIDC	PIPE FITTER	1
194	14/2019	6	HSIIDC	Legal Assistant	9
195	14/2019	8	HSIIDC	Assistant Manager(Utility)	3
196	14/2019	10	HSIIDC	TRACER	2
197	14/2019	13	HSIIDC	DRAFTSMAN PLANNING	1
198	14/2019	16	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	CHARGEMAN MECHANICAL	38
199	14/2019	17	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	BLACKSMITH	2
200	14/2019	18	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	SUPERVISOR	18
201	14/2019	19	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	WELDER	5

202	14/2019	20	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	TURNER	7
203	14/2019	21	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	MASON	19
204	14/2019	22	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	ARTIFICER	10
205	14/2019	23	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	FITTER	11
206	14/2019	24	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	EARTH WORK MISTRY	6
207	14/2019	25	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	ELECTRICIAN	28
208	14/2019	26	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	PLUMBER	2
209	14/2019	27	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT	OPERATOR	284
210	14/2019	31	PLICE HOUSING CORPORATION	JUNIOR DRAFTSMAN(ARCHITECT WING)	2
211	14/2019	32	Housing Board Haryana	TRACER	1
212	15/2019	3	HEALTH DEPARTMENT	LABORATORY ATTENDANT	28
213	15/2019	12	Women & Child Development	SUPERVISOR(FEMALE)	19
214	15/2019	13	Women & Child Development	SUPERVISOR(FEMALE)	57
215	15/2019	18	COOPERATIVE SOCIETIES	SUB-INSPECTOR (General)	409
216	15/2019	16	RAJYA SAINIK BOARD	WELFARE ORGANISEER	77
217	15/2019	1	HEALTH DEPARTMENT	DENTAL HYGIENIST	29
218	15/2019	7	HEALTH DEPARTMENT	B. HEALTH VISITORS	8
219	15/2019	8	HEALTH DEPARTMENT	OPTHALMIC ASSISTANT	66
220	15/2019	6	HEALTH DEPARTMENT	RADIOGRAPHER	197
221	15/2019	9	HEALTH DEPARTMENT	OPERATION THEATRE ASSISTANT	100
222	15/2019	11	Animal Husbandry & Dairying	VLDA	546
223	15/2019	2	HEALTH DEPARTMENT	LABORATORY TECHNICIAN	307
224	15/2019	17	DHBVNL	DIVISIONAL / REVENUE ACCOUNTANT	42
225	15/2019	4	HEALTH DEPARTMENT	MPHW(F)	565
226	15/2019	10	HEALTH DEPARTMENT	STAFF NURSE	1584
227	15/2019	19	ESI	STAFF NURSE	24
228	15/2019	20	ESI	MPHW(F)	23

	Total	**26704**

———————

To Construct New Bus Stand

579. Shri Balraj Kundu : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new bus stand in Meham outside city on N.H-9 and to develop it as Sub-Depot; if so, the details thereof?

परिवहन मंत्री (पंडित मूलचंद शर्मा): जी नहीं, श्रीमान्। महम शहर के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग–9 पर नए बस अड्डे के निर्माण और इसको सब डिपो के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

———————

Repair of Roads

550. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to repair the following roads of Gohana Assembly Constituency which are in dilapidated condition-

(i) village Barwasni to Luhari Tibba;

(ii) village Barwasni to village Bagru;

(iii) village Barota to Gamri;

(iv) Road on West Yamuna Canal from Rohat bridge to Khubru bridge;

(v) village Tihar Malik to Bhainswal Kalan;

(vi) village Khanpur Kalan to Shamri;

(vii) village Khanpur to Bajana Kalan;

(viii) village Mundlana to Khanpur Kalan;

(ix) link road of village Hulla Heri, Karewari; and

(x) Sonepat road to village Chitana?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : हां, श्रीमान जी।

1- <u>गांव बरवासनी से लोहारी टीबा</u>:– इस सड़क की कुल लम्बाई 15.19 कि.मी. है व इस सड़क का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई चरण–III (बैच–II) के तहत प्रगति पर है और मार्च 2022 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

2. <u>गांव बरवासनी से गांव बागरू :–</u> यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विभाग से पी0डब्लयू0डी0 बी0 एण्ड आर0 विभाग को मार्च, 2020 में स्थानांतरित की गई थी। इस सड़क की लम्बाई 4.36 कि.मी. है व इसकी पक्की चौड़ाई 3.66 मी. है। इस सड़क का रखरखाव नियमित पैचवर्क द्वारा किया जा रहा है और सड़क अच्छी स्थिति में है।

3. <u>गांव बरोता से गांव गामरी</u> :– यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सोनीपत से संबधित है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सोनीपत द्वारा सूचित किया गया है की विशेष मरम्मत कार्य का ठेका दिनांक 08.12.2021 को एजेंसी को आवंटित कर दिया गया है और 30.04.2022 तक कार्य पूरा होने की संभावना है।

4. <u>रोहत पुल से खुबरू पुल तक पश्चिम यमुना नहर पार सड़क</u> :– इस सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एचएसआरडीसी) को सौंपा गया है। 2 लेन सड़क ˘श्रब्ब्स्रू नहर के बीच गांव डिंडार से बरवासनी गांव (कि.मी. 57.176 से 81.960) जिसमें बिटुमिनस कार्य (कि.मी. 81.960 से 104.042) दिल्ली सीमा तक भी शामिल है, के कार्य के लिए निविदा एचएसआरडीसी द्वारा 26.11.2021 को प्राप्त कर ली गई है और यह कार्य आबंटन की प्रक्रिया में है। सड़क की कुल लंबाई लगभग 46.866 किमी है।

5. <u>गांव तिहार मलिक से भैंसवाला कलां</u> :– यह हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सोनीपत से संबधित है। इस सड़क की लंबाई 4.15 कि.मी. है। इस सड़क का निर्माण 1999 के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सोनीपत द्वारा किया गया था, समय बीतने के साथ कुछ पैच विकसित हो गए हैं और वार्षिक मरम्मत के तहत पैच का काम 31.03.2022 तक फिरनी हिस्से को छोड़कर पूरा होने की संभावना है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सोनीपत द्वारा दोनों गांवों में फिरनी हिस्से की विशेष मरम्मत का कार्य अगले वित्तीय वर्ष यानी 2022–23 में किया जाएगा।

6. <u>गांव खानपुर कलां से शामरी :</u>– खानपुर कलां से शामरी तक की सड़क का हिस्सा सोनीपत जिले में रिठाल से बवाना लाखू सड़क जोकि रेवारा, कटवाल, लाठ से होते हुए एमडीआर–121 तक जाती है, पर पड़ता है। इस सड़क की लंबाई 18. 03 कि.मी. है। पी0एम0जी0एस0वाई चरण–ष्ष (बैच– ष्ष्द्ध के तहत इस सड़क का

सुधार किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

7. <u>गांव खानपुर से बजाना कलां :–</u> नाबार्ड योजनान्तर्गत सोनीपत जिले के गन्नौर निर्वाचन क्षेत्र में बजाना कलां से गांव खानपुर रोड (रोड आईडी 6210) आरडी 0.00 से 8.40 तक सड़क सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। सड़क की कुल लंबाई 8.40 किमी है। कार्य के लिए निविदाएं प्राप्त कर ली गई हैं और उन्हें कार्य प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।

8. <u>गांव मुंडलाना से खानपुर कलां :–</u> यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सोनीपत से संबंधित है। इस सड़क की लंबाई 5.70 कि.मी. है। समय बीतने के साथ कुछ पैच सड़क पर विकसित हो गए हैं और वार्षिक मरम्मत के तहत पैच का काम 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना है।

9. <u>गांव हुला खेड़ी, करेवाड़ी को जोड़ने वाली सड़क</u> :– पीएमजीएसवाई चरण–ष्ष (बैच– ष्ष) के तहत गांव हुला खेड़ी की लिंक रोड में सुधार किया जा रहा है। इस सड़क की कुल लंबाई 15.19 कि.मी. है। कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2022 तक पूरा होने की संभावना है। करेवडी रोड की लम्बाई 1.76 कि.मी. है। सड़क अच्छी स्थिति में है।

10. <u>सोनीपत सड़क से गांव चिताना</u> :– इस सड़क की लंबाई 2.80 कि.मी. है। नियमित पैच वर्क द्वारा सड़क का रखरखाव किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए 159.24 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव ज्ञापन संख्या 09/454/2021–3 बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 30.09.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। और तदनुसार विस्तृत अनुमान और निविदा आमंत्रित करने की विस्तृत सूचना का कार्य प्रगति पर है।

———————

To Provide N.O.C. for Registration of Land

503. Shri Deepak Mangla: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide N.O.C. for registration of land from Palwal Municipal Council to the residents of 13 Gram Panchayats which were included in Palwal Municipal Council 7 years ago; if so, the details thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, नगर परिषद, पलवल की सीमा में हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 18/51/2013-3 क1 दिनांक 15.04.2013 के अन्तर्गत 7 साल पूर्व सम्मलित हुये 13 गांवो (अगवानपुर, अल्हापुर, फिरोजपुर, नया गांव (फजलपुर), किठवाडी (बसन्तगढ), ईस्लामाबाद/शमशाबाद, लोहागढ़, रोनिजा, कुसलीपुर नं0 1, कुसलीपुर नं0 2, धोलागढ़ (काशीपुर, रायपुर एवं मेघपुर) के नियमित क्षेत्र/कालोनी में भूमि पंजीकरण के लिए हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 99क के तहत बेबाकी प्रमाण–पत्र (NDC) जारी किया जाता है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

———————

To Solve the Problem of Drinking Water

543. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the dirty water of minor adjacent to village Rupana Bishnoian is being mixed with the water of waterworks of said village due to which the villagers are compelled to drink dirty water; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the abovesaid problem togetherwith the time by which it is likely to be solved alongwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) नहीं।

(ख) हालांकि, एक अनुमान जिसकी लागत 247.20 लाख रूपए है, जलापूर्ति योजना के विस्तार, नवीनीकरण तथा कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्वीकृत किया गया है, इस अनुमान के तहत, यह कार्य 31.10.2022 तक पूरा होने की संभावना है।

———————

To Four Lane the Road

535. Shri Ishwar Singh: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to four lane the road from Kaithal to Cheeka; if so, the details thereof?

उप–मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कैथल से चीका सड़क राज्य राजमार्ग–11 का भाग है और यह सड़क कैथल शहर, सीवान कस्बा तथा चीका शहर में पहले से ही चारमार्गीय है। प्रस्तावित सड़क की लम्बाई 33.00 कि.मी. है, जिसमें से 28.76 कि.मी. दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत है। जब यह सड़क दोष दायित्व अवधि के बाहर हो जाएगी, यातायात जनगणना के आधार पर चारमार्गीय बनाने के लिए प्रस्तावित कर दी जाएगी।

.....

Repair of Streets

509. Shri Bishan Lal Saini: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the details of streets in approved colonies of ward no. 21,22,19,18 and 12 of Yamuna Nagar Municipal Corporation which are in bad condition togetherwith the time by which the said streets are likely to be matelled/repaired alongwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, जन गलियों की हालत खराब है, उनका वार्डवार विवरण इस प्रकार है:–

विवरण

क. संख्या	वार्ड़ न0	गलियो की संख्या (खराब स्थिति में)	अनुमानित लागत (लाख में)
1	12	43	222.55
2	18	40	अनुमान तैयार किए जा रहे है
3	19	24	अनुमान तैयार किए जा रह है
4	21	27	228.36
5	22	27	239.22

यह प्रस्तुत किया जाता है कि वार्ड संख्या 12, 21 और 22 में क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए नगर निगम यमुनानगर ने ई–निविदाएं आमंत्रित की हैं जो अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। साथ ही, वार्ड संख्या 18 व 19 क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

ईन कार्यों को एजेंसी को आवंटन उपरान्त 9 माह के भीतर करवा दिया जाएगा।

Affiliation of Engineering And Management Colleges

555. Shri Narender Gupta: Will the Technical Education Minister be pleased to state-

(a) the name of Universities from which the technical and management colleges of district Faridabad and Palwal are affiliated;

(b) whether it is a fact that some engineering and management colleges of Faridabad and Palwal are affiliated to university other then JCB University (YMCA) due to stay the Hon'ble High Court; and

(c) if so, the steps taken by the Government to get the above said stay vacated?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, (क) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21–06–2017 के द्वारा जिला फरीदाबाद और पलवल के तकनीकी और प्रबन्धन महाविद्यालय जे.सी.बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाई.एम.सी.ए. फरीदाबाद से संबद्व है, यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेशों के कारण जिला फरीदाबाद और पलवल के कुछ इंजीनियरिंग और प्रबंधन महाविद्यालय महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से संबद्व चल रहे हैं।

(ख) श्रीमान जी, हां

(ग) माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका क्रमांक 15399/2017 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21–06–2017 के संचालन पर रोक लगाई हुई है। विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एस.एल.पी. दायर की थी। उक्त एस.एल.पी. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किये हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष स्थगन आदेशों को रदद् करने के लिए आवेदन करें। वर्तमान में यह मामला माननीय पंजाब एवं हयिाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ में सिविल रिट याचिका क्रमांक 15399/2017– और अन्य सम्बन्धित सिविल रिट याचिकाओं के तहत लम्बित है। यह केस दिनांक 07–12–2021 को सुनवाई हेतु लगा था और सुनवाई की आगामी तिथि 27–01–2022 निश्चित की गई है।

————————

To Provide Ownership Rights

597. Shri Kuldeep Bishnoi: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the five villages Peerwali, Dhandhoor, Jhiri, Diggital and Badwali Basti of Adampur Assembly Constituency were settled by the Government in year 1955 and all Government facilities were provided therein; and

(b) if so, the time by which the ownership rights to residents of abovesaid villages are likely to be given by the Government togetherwith the details thereof ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) हां श्रीमान जी। यह पांच गांव 425 राजनैतिक पीड़ितों के समायोजन हेतु उस समय वर्ष 1955 में स्थापित किए गए थे। (ख) वर्ष 1955 में प्रत्येक राजनैतिक पीड़ित को 12.5 एकड़ भूमि 20 वर्ष के पट्टे पर प्रदान की गई थी। वर्ष 1978 में राजनैतिक पीड़ितों को मालिकाना अधिकार प्रदान कर दिए गए थे।

———

To Expand the Anaj Mandi

591. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to expand the Anaj Mandi of Badhra; if so, the time by which it is likely to be expanded?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (जय प्रकाश दलाल) : अनाज मण्डी बाढ़डा के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

————————

To Laydown the Sewerage Pipeline

473. Dr. Kamal Gupta: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is no provision of laying down the sewerage pipeline under Amrut Scheme in some streets of Hisar City; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to laydown the sewerage pipeline in abovesaid streets togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) जी हां ।

(ख) हिसार शहर की शेष गलियों मे सीवरेज सिस्टम बिछाने, जो कि अटल मिशन फार रिजुविनेशन तथा अरबन ट्रांसफोरमेशन योजना के अन्तर्गत नही है, का एक प्रस्ताव है। हिसार शहर के शेष सीवरेज सिस्टम को लगाने का आंकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण प्रक्रिया में है।

————————

Illegal Possession on Waqf Board Land

603. Shri Neeraj Sharma: Will the Home Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the land of Waqf Board is lying in Gochhi area of NIT-86 Faridabad Assembly Constituency; if so, the details of total area of abovesaid land;

(b) whether it is also a fact the abovesaid land is in illegal possession; if so, the steps taken by the Government to remove the abovesaid illegal possession; and

(c) whether it is also a fact that the abovesaid land of Waqf Board have been sold to poor labourers be some land mafia fraudulently and also selling it till to date togetherwith the action taken by the Government in the matter alongwith the details thereof?

मनोहर लाल
MANOHAR LAL

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated 17/12/2021

Subject: Haryana Vidhan Sabha Un-Starred Assembly Questions 603 and 613 regarding illegal possession of Waqf Board and total property of Haryana Waqf Board.

Respected Sh. Gupta ji

I would like to draw your kind attention towards Question No. 603 and 613 regarding illegal possession of Waqf Board and total property of Haryana Waqf Board. In this regard, it is apprised that the information regarding above said questions is not available fully in this Department. The relevant information is being sought from the Chief Executive Officer, Haryana Waqf Board, Ambala. Collection of the same is a time consuming exercise.

I would request you that these questions may kindly be deferred for the next session of the Vidhan Sabha, so that proper reply can be sent.

With Regards

Yours sincerely,

(Manohar Lal)

Shri Gian Chand Gupta,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh

Repair of Roads

563. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the details of the roads of Haryana State Agriculture Marketing Board in Kalka Assembly Constituency togetherwith the details of roads which have been repaired by the HSAMB alongwith the details of new roads constructed by the HSAMB from October 2019 till to date?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (जय प्रकाश दलाल) : ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्यौरा

कालका विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल की 23.69 कि.मी. लम्बाई की 32 सड़के हैं । अक्तुबर, 2019 से अब तक, 2.14 कि.मी. लम्बाई की 03 सड़कों की विशेष मुरम्मत की जा चुकी है तथा 7.18 कि.मी. लम्बाई की 04 सड़कों की विशेष मुरम्मत का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है व 1.33 कि.मी. लम्बाई की एक नई सड़क का निर्माण भी किया गया है । इनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

सड़कों की विशेष मुरम्मत

क्र0 स0	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	अनुमानित राशी (रूपये लाख में)	वर्तमान स्थिति
1	पिंजौर नालागढ़ से सीतो माजरा सड़क (आई.डी.–1699)	1.03	21.35	कार्य 10.08.2021 को पूरा हुआ ।
2	कालका बार गोदाम से कैहरवाली सड़क (आई.डी.–1706)	0.50	15.31	कार्य 28.05.2021 को पूरा हुआ ।
3	एन.एच.–21 से टन्डा जोहलूवाल सड़क (आई.डी.–1766)	0.61	18.66	कार्य 10.08.2021 को पूरा हुआ ।
4	कालका बार गोदाम से खुदा बक्श व दौरा सड़क (आई.डी.–1705)	2.35	33.19	कार्य प्रगति पर है तथा 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना है ।
5	नानकपुर से सोतवाला सड़क (आई.डी.–1723)	0.93	19.84	कार्य प्रगति पर है तथा 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना है ।
6	मुख्य सड़क से शहजानपुर तक (आई.डी.–1735)	2.70	39.69	कार्य प्रगति पर है तथा 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना है ।
7	रामपुर से मीर पुर सड़क (आई.डी.–1761)	1.20	13.38	कार्य प्रगति पर है तथा 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना है ।

नई सम्पर्क सड़क का निर्माण

क्र0 स0	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी में)	अनुमानित मूल्य (रूपये लाख में)	स्थिति
1	मुख्य सड़क से मनक टाबरा तक (आई.डी.–9088)	1.33	47.45	निर्माण कार्य 15.05.2021 को पूरा हुआ ।

Details of Pending Cases

484. Shri Varun Choudhry: Will the Chief Minister be pleased to state the department wise and datewise details of cases pending with the State Vigilance Bureau as on date?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, 175 एफआईआर राज्य चौकसी ब्यूरो में 30 नवम्बर 2021 तक लम्बित है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

विवरण

राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा

अनुसंधानाधीन मुकदमों की सूची (विभाग एवं तिथि अनुसार)।

क्र०सं०	विभाग	संख्या		क्र०सं०	विभाग	संख्या
1	कृषि	3		22	सिंचाई	1
2	सहकारिता	6		23	न्याय एवं प्रशासन	1
3	विकास एवं पंचायत	9		24	भूमि अभिलेख एवं चकबंदी	3
4	शिक्षा	7		25	चिक्त्सा शिक्षा	1
5	आबकारी एवं कराधान	5		26	गैर–विभागीय	6
6	वित्त	1		27	पंचायती राज	2
7	अग्निशमन	1		28	पुलिस	19
8	मत्सय पालन	1		29	राजनैतिक एवं संसदीय मामले	6
9	खाद्य, सामान्य आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले	6		30	विद्युत	8
10	वन	2		31	अभियोजन	2
11	हफैड	1		32	जनस्वास्थ्य	5
12	हरियाणा पिछडा वर्ग एंव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण	1		33	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के)	2
13	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग	3		34	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	23
14	हरियाण राज्य कृषि विपणन बोर्ड	1		35	अनुसूचित जातियां एव पिछडे वर्ग कल्याण	6
15	हरियाणा उर्दू अकादमी	1		36	समाज कल्याण	1
16	स्वास्थ्य	8		37	खेल एवं युवा मामले	1
17	गृह रक्षी	2		38	नगर एव ग्राम आयोजना	1
18	आवास बोर्ड	2		39	परिवहन	3
19	हरियाणा लोक सेवा आयोग	2		40	शहरी स्थानीय निकाय	16
20	हरियाणा औधोगिक विकास प्राधिकरण	1		41	वक्फ बोर्ड	1
21	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	4			कुल	175

क्र०सं०	मुकदमा कमांक व तिथि तथा थाना राज्य चौकसी ब्यूरो	विरुध	आरोप का विवरण	वर्तमान स्थिति	विभाग
1	15 दिनांक 27.08.19 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120 बी भ0द0स0 व 13 (1) डी0 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यू0, करनाल। **जांच कमांक 09 दिनांक 13.11.2018 पानीपत सरकार के यादी कंमांक 66/54/2018–3चौ0–।। दिनांक 29.07. 2019 पर दर्ज।**	विनित कुमार सहायक कृषि अभियन्ता, कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग पानीपत, विश्वपाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक कृषि अभियन्ता, कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग, पानीपत, शमीम अहमद निवासी पानीपत व 20 अन्य किसान।	किसानों को पचास हजार रूपये प्रति व्यक्ति सब्सिडी देकर लगभग 13,50,000/–रूपये का गबन करके सरकार को वित्तीय हानि पहुचाने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	कृषि
2	09 दिनांक 05.12.19 धारा 7 पी0सी0 एक्ट, 120बी. भा.द.स. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला।	शुभम चौंकीदार व डा. प्रवीण जोशी, क्वालिटी कन्ट्रोल निरीक्षक कार्यालय उप निदेशक, कृषि विभाग, अम्बाला	शिकायतकर्ता मोहित को दिये गये कारण बताओं नोटिस को फाईल करने की एवज में आरोपियों द्वारा 5000 रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	कृषि
3	09 दिनांक 24.12.2020 धाारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल।	जगदीश मलिक, ए.ए.ई, कृषि विभाग, करनाल और कुलबीर, एडीओ, कृषि विभाग करनाल।	कृषि उपकरण सब्सिडी के लिए फाईल पास करने के एवज में शिकायतकर्ता से 1.5 लाख रूपये रिश्वत की मांग करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	कृषि
4	49 दिनांक 17.10.2013 धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी भा0द0स0 व 13(1)डी0 पी0सी0 एक्ट थाना रा0 चौ0 ब्यू0, हिसार। **जांच कमांक 03 दिनांक 16.11.2011 जीन्द सरकार के यादी कंमांक 65/24/2011–5चौ0–1 दिनांक 13.09.2013 पर दर्ज।**	राम निवास प्रबन्धक पैक्स रधाना जिला जीन्द व अन्य।	कर्मचारियों/अधिकारियों ने किसानों से मिलकर जिनकी जमीन पॉच एकड से ज्यादा थी, को कम दिखाकर माफी योजना का लाभ पहुँचाना तथा कम ब्याज लेकर सरकार को हानि पहुचाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	सहकारिता
5	14 दिनांक 11.11.2013 धारा 409,420, भा0द0स0 थाना रा0चौ0ब्यूरों अम्बाला। **जांच कमांक 34 दिनांक 23.10.2008, अम्बाला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक**	राम दिया लिपिक कुलदीप सचिव व हरदेव सिंह सचिव सहकारी समिति सौन्टी जिला अम्बाला।	फर्जी चैको/रिकार्ड के माध्यम से केन्द्रीय सहकारी बैंक से पैसे का गबन करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	सहकारिता

	65/12/2008–5चौ(I) दिनांक 09.10.2013 पर दर्ज।				
6	03 दिनांक 02.05.2018 धाराधीन 13 (1) ई. भष्ट्राचार उन्मूलन अधिनियम व धारा 109 भा. द.स. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला। **जांच कमांक 02 दिनांक 02.09.2015, कुरूक्षेत्र पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 65/45/2015–5चौ(I) दिनांक 03.04.2018 पर दर्ज।**	हीरा सिंह यादव पुत्र रामसिंह पुर्व सचिव दी पिपली प्राथमिक कृषि एवम सहकारी समिति लि. पिपली जिला कुरुक्षेत्र हाल सेवानिवृत।	जांच क्रमांक 2/15 कुरुक्षेत्र की जांच करने पर आरोपी हीरा सिंह द्वारा आय से अधिक 6,02,61,989/– रुपये की आय से अधिक सम्पत्ति बनाने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	सहकारिता
7	178 दिनांक 28.10.2018 धाराधीन 406, 420 भा0द0स0 थाना तितरम जिला कैथल। **सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 65/40/2018–5चौ(I) दिनांक 23. 01.2019 के आदेशानुसार हस्तान्तरण किया गया।**	अज्ञात व्यक्ति अधिकारी/कर्मचारी शुगर मिल कैथल	शुगर मिल कैथल में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कांटे में अज्ञात विद्युत उपकरण का उपयोग कर छेड़खानी करके हानि पहुंचाने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	सहकारिता
8	113 दिनांक 04.03.2019 धारा 420,120बी,466,467,468,471 भा.द.स.,व 13(2), 13(1) पी.सी. एक्ट, थाना शहर जिला फतेहाबाद। **सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 65/08/2018–5चौ0–। दिनांक 30.10.2019 अनुसार आगामी अनुसधान हेतु द्वारा रा0चौ0ब्यू0. को स्थानान्तरित किया गया है।**	अधिकारी/कर्मचारी केन्द्रिय सहकारी बैंक, फतेहाबाद व अन्य	सक्षम अर्थोरिटी के अनुमोदन के बिना ही लोन स्वीकृत करके घोटाला करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	सहकारिता
9	02 दिनांक 10.02.20 धारा 120 बी, 201,218 ,466,477–ए भा0द0स0 13(1)(सी), 13(1)(डी) पी0 सी0 एक्ट रा0चौ0 ब्यूरो, रोहतक। **जांच कमांक 03 दिनांक 27.06.2016 सोनीपत पर सरकार के यादी कमांक 65/11/16–5चौ–1 दिनांक 06.01.20 पर दर्ज।**	भंवर सिंह चौहान चीफ कैमीस्ट, बलबीर सिंह हुडडा उप चीफ कैमीस्ट, रणबीर सिंह लैबोरेटरी इंचार्ज, होशियार सिंह कुण्डु सुगर सैलस मैनेजर, रामसिंह सहायक गोदान किपर, अशोक पुरी सुगर तोल लिपिक, सुरजभान सुगरतोल लिपिक, बलबीर सिंह सुगर तोल लिपिक, रामफल सुगर तोल लिपिक	वर्ष 2013–14 में प्रवंधक निदेषक द्वारा किये गये औचक निरीक्षण के दौरान चीनी मिल सोनीपत में 478 बैग चीनी के रिकार्ड से अधिक पाये गये तथा मीठा विभाग के रजिस्ट्रो से जरूरी कागजात भी गायब पाये गये।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	सहकारिता
10	11 दिनांक 01.08.2018 धारा 409, 420, 467,	अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत	सोलर लाइट व स्ट्रीट लाइट की खरीद के आपस में	मुकदमा का	विकास एवं

	468, 471, 120–बी भा0द0स0 व 13(1) डी0 पी0सी0 एक्ट थाना रा0 चौ0 ब्यू0, करनाल। **जांच कमांक 06 दिनांक 19.02.2018 करनाल सरकार के यादी कंमांक 61/120/2017–2चौ0–।। दिनांक 23.07. 2018 पर दर्ज।**	समिति/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी इत्यादि।	मिलीभगत से जाली बिल तैयार करके सरकार को 12,16,000/– रूपये की राशि की हानि पहुंचाने बारे।	अनसुंधान प्रगति पर है।	पंचायत
11	15 दिनांक 18.12.18 धारा 409,420, 120 बी0 भा0द0स0 व 13(1) सी0 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक। **जांच कमांक 04 दिनांक 12.04.2018 सोनीपत पर सरकार के यादी कमांक 61/13/18–2चौ–।। दिनांक 27.11.2018 पर दर्ज।**	अतर सिंह सरंपच, ग्राम पंचायत सैययाखेडा, गन्नौर, आशु ठेकेदार पुत्र श्री रामधारी वासी गांव अहीर माजरा हाल बी0एस0टी0 कालौनी गन्नौर, सोनीपत।	ग्राम पंचायत में लगे टयुबवैल को बिजली चोरी करके चलवाकर बिजली के बोगस बिलो का भुगतान पंचायत फन्ड से दिखाकर गबन करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विकास एवं पचांयत
12	11 दिनांक 27.07.18 धारा 447,448, 120 बी0 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक। **जांच कमांक 2 दिनांक 16.05.2017 सोनीपत पर सरकार के यादी कमांक 61/22/17–2चौ–।। दिनांक 23.07.2018 पर दर्ज।**	डी०एन० तनेजा, महा–प्रबन्धक, टी०डी०आई० प्राईवेट लि० कम्पनी सोनीपत, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी सोनीपत व अन्य।	टी०डी०आई० कम्पनी सोनीपत द्वारा खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी कार्यालय सोनीपत कर्मचारियो/अधिकारियो से मिली भगत करके ग्राम पंचायत अटेरना की पंचायती जमीन रकबा 13218 वर्ग गज व गांव नांगलकलां की पंचायती जमीन 16,740 वर्गगज जमीन पर अवैध कब्जा करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विकास एवं पचांयत
13	03 दिनांक 5.02.2020 जेर धारा 409 भा द स व 13(1) सी पी सी एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल। **जांच कमांक 02 दिनांक 25.11.2014 पानीपत पर सरकार के यादी कंमांक 61/74/2014–2 चौ0–1। दिनांक 03.01. 2020 पर दर्ज।**	नरेश कुमार, सरंपच, वासी गांव धर्मगढ़ खण्ड मतलौडा जिला पानीपत व अन्य।	पंचायती फंड में से 2,45,914/–रूपये का सामान खरीदने में किये गये गबन बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विकास एवं पंचायत
14	01 दिनांक 12.01..21 जेर धारा 13 (1)(e), r/w 13(2), पी0 सी0 एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल। **06 दिनांक 07.12.2016 करनाल सरकार के यादी कंमांक 61/23/2017–2चौ0–।।**	श्री निहाल सिंह, पटवारी, कार्यालय खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, चिढ़ाव मोड़, करनाल।	अपने पद का दुरूप्योग करके आय से अधिक सम्पति अर्जित करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विकास एंव पंचायत

	दिनांक 15.12.2020 पर दर्ज।				
15	09 दिनांक 06.10.2021, धारा 7,पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **शिकायतकर्ता श्री गोरव, वासी गांव ढाना, लाडनपुर जिला भिवानी की शिकायत पर दर्ज किया गया है।**	मनोज पाल, ग्रम सचिव कार्यालय, बीडीपीओ, भिवानी	शिकायतकर्ता के पिता के नाम पर सरकारी 212 गज भूमि पूनः नाम करने की एवज में 80,000रूप्ये रिश्वत की मांग करना	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विकास एवं पंचायत
16	16 दिनांक 12.11.2021 धारा 420, 120बी0 भा0द0स0 थाना रा0चौ0ब्यू0, गुरूग्राम। **(यह अभियोग जांच कमांक 06 दिनांक 19.07. 2018, गुरूग्राम पर चौकसी विभाग के यादि कमांक 61/29/18–2 चौ–।। दिनांक 11. 10.2021 की अनुपालना मे दर्ज किया गया।)**	1. बीर सिंह तत्कालीन सरपंच पुत्र प्यारे लाल निवासी जे0 1084 पालम विहार गुरूग्राम। 2. श्री ऋशिरोश पुत्र प्यारे लाल निवासी गांव बजघेडा जिला गुरूग्राम। 3. श्रीमति रेणूका मिश्रा, शंकर शिक्षा यत्न ट्रस्ट डी0 6/25 बसंन्त विहार नई दिल्ली। 4. प्रकाश अग्रवाल पुत्र जे0सी0 अग्रवाल शंकर शिक्षा यत्न ट्रस्ट डी0 6/25 बसंन्त विहार नई दिल्ली	सरपंच बीर सिंह द्वारा वर्ष 2002–2007 के दौरान शिक्षा ट्रस्ट को अलॉट की गई गांव बजघेडा जिला गुरूग्राम पंचायती भूमि धोखाधड़ी से अपने भाई ऋशिरोश के नाम करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विकास एवं पंचायत
17	02 दिनांक 15.05.2019 धारा 409,420,467, 468, 471, 120बी भा.द.स. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला **जांच कमांक 02 दिनांक 26.11.2014 कुरूक्षेत्र सरकार के यादी कंमांक 62/54/2014–2चौ0–।। दिनांक 10.04. 2019 पर दर्ज।**	1. अशोक कुमार, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत मथाना कुरुक्षेत्र 2. धर्मपाल, जेई 3. ईश्वर सिंह, जेई पंचायती राज, कुरुक्षेत्र 4. अजमेर सिंह जेई पंचायती राज, कुरुक्षेत्र 5.नरता राम, जेई, पंचायती राज, कुरुक्षेत्र	आरोपियों द्वारा एक–दूसरे से मिलीभगत करके गांव में करवाये गये कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग करके सरकार को हानि पहुचाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विकास एवं पंचायत
18	03 दिनांक 16.05.2019 धारा 409,420,467,468,471 भा.द.स. व 13(2), 13(1)सी. 13(1)डी. पी.सी. एक्ट थाना रा.चौ. ब्यू. अम्बाला **जांच कमांक 03 दिनांक 21.04.2016, कैथल पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के**	राकेश कुमार पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कांवला व अन्य।	आरोपी द्वारा कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अम्बाला के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिली भगत करके गांव के विकास कार्यो में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करके 37,11,503/– रूपये की पंचायत फण्ड की राशि का गबन करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विकास एवं पंचायत

	आदेश दिनांक 62/30/2014–2चौ(।।) दिनांक 09.04.2019 पर दर्ज।				
19	17 दिनांक 25.04.2016 धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी भा०द०सं० थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक। **सरकार के यादी कंमांक 63/103/2015–1चौ0–।। दिनांक 19.11. 2015 पर दर्ज।**	निदेशक आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निसिंग, करनाल, और अन्य 4 स्कूल, निदेशक और 57 उम्मीदवार।	पीजीटी के 83 चयनित उम्मीदवारों को पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शिक्षा
20	24 दिनांक 29.04.2016, धारा 420, 467,468,471,120–बी भा0द0स0, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **सरकार चौकसी विभाग के पत्र कमांक 63/103/15–1चौ0 ।। दिनांक 19.11.2015 पर दर्ज।**	अधिकारी/कर्मचारी शिक्षा विभाग व निदेशक पी. डी.एम. स्कूल दुर्जनपुर तथा अन्य	पी.जी0 टी0 अध्यापकों की नियुक्ति में पी.डी.एम. स्कूल के निदेशक द्वारा उम्मीदवारो को फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शिक्षा
21	05 दिनांक 04.05.2016 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला। **शिकायतपर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 63/103/2015–1चौ(।।) दिनांक 19.11. 2015 पर दर्ज।**	1 विनय कौर पुत्री श्री रोशनलाल वासी गांव उदयपुर जिला अम्बाला। 2 मीनाक्षी पुत्री श्री हरिषचन्द्र म.नं.356 सुन्दर नगर हिसार। 3 परविन्द्र कौर पुत्री विषन सिंह म. नं. 166 सै0–1, जेल लैंड अम्बाला। 4 जयप्रीत कौर पत्नी सुनील कुमार म.नं. 1298 पी सै0–4 पार्ट–2 अर्बन एस्टेट कुरूक्षेत्र। 5 दविन्दर कौर पुत्री संत सिंह म.नं.699/12 गुरू अर्जनपूरा,मानव चौक अम्बाला। 6 गुरूकीरत कौर पुत्री सरवन सिंह म.नं. 247/3 किला सिखा सिख फोर्ट शाहबाद मारकण्डा 7 लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री किरपाल सिंह वासी गांव पडलु डाकघर रावा त0 शाहबाद मारकण्डा । 8 प्रधानाचार्य ब्रहम जनता वरिष्ठ मा. विद्यालय	यह मुकदमा जांच के आधार पर कमेटी ने उम्मीदवारों के पढाने का अनुभव प्रमाण पत्र बिना कारण के व बिना तसदीक के गलत जारी करने पर दर्ज किया गया है।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शिक्षा

		माती नगर अम्बाला शहर। 9 प्रधानाचार्य वरिष्ठ मा. विद्यालय बबैन।			
22	01 दिनांक 10.01.2018धारा 7/13 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम।	हिमायु कबीर, कार्यकारी प्राधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सिंगार जिला मेवात।	शिकायतकर्ता ईदरिश खान से स्कूल के 10 कमरो के निर्माणधीन कार्य की आई हुई राशि 37,65,000/– रूपये आई०डी०आई०बी० बैक से निकलवाने की एवेज मे आरोपी को 1,00,000/– रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शिक्षा
23	08 दिनांक 01.08.2018 धारा .,409 ,420 ,467 ,468 ,471 120बी भा.द.स. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला। **जांच कमांक 05 दिनांक 15.09.2017, कैथल पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 63/50/2017–1चौ(I) दिनांक 01.08.2018 पर दर्ज।**	NIILM University	NIILM University कैथल में 17,42,886/– रूपये की राशि फर्जी दाखिला दिखाकर अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृति राशि का गबन किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शिक्षा
24	18 दिनांक 01.08.2018, धारा 7,13 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	संजय कुमार, लिपिक, शिक्षा विभाग, हिसार	श्रेणी 4 में डी.सी. रेट पर लगवाने की एवज में आरोपी 40,000/– रू रिशवत की राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडा गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शिक्षा
25	06 दिनांक 06.09.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम।	रमेश कुमार प्राधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सुबाहेडी तावडू जिला नूंह।	शिकायतकर्ता शाकिर हुसैन पुत्र श्री सलीम निवासी हथीन से उसके पुत्र का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सुबाहेडी तावडू में 6 कक्षा में दाखिला करने की एवेज में आरोपी द्वारा 1500/–रु की रिश्वत लेते हुये रगें हाथो गिरफ्तार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शिक्षा
26	10 दिनांक 25.07.18 धारा 7,8,13 पी0सी0एक्ट व 120 बी0 भा0द0स0, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।	संजय शर्मा सैल्ज टैक्स निरीक्षक, सैल्ज टैक्स कार्यालय झज्जर, दलाल अनिल व दलाल सुनील, बहादुरगढ, झज्जर।	मुदई से उसके सैल टैक्स विभाग के अधिकारी द्वारा जब्त किये गये ट्रक को छोडने की ऐवज में एक लाख रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडे जाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	आबकारी एवं कराधान
27	14 दिनांक 04.10.2018 जेरधारा 406, 467, 468, 471, 120बी0 आई0पी0सी0 व 13 (1) d पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल।	श्री पवन कुमार, सैल टैक्स आयुक्त पानीपत व अन्य।	सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आरोपित फर्मों से मिलीभगत करके आरोपित फर्मों को फायदा पहुचाकर सरकार को करोडों रूप्ये की हानि पहुंचाना बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	आबकारी एवं कराधान

	जांच कमांक 03 दिनांक 01.04.2013 पानीपत सरकार के यादी कंमांक 33/47/2013–3चौ0–। दिनांक 23.08.2018 पर दर्ज।				
28	07 दिनांक 26.08.19 धारा 192,193 ,451,466 भा0द0स0, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक **जांच कमांक 16 दिनांक 10.09.2018 सोनीपत पर सरकार के यादी कमांक 33/26/2019–3चौ–1 दिनांक 23.07.2019 पर दर्ज।**	श्री वी.के. शास्त्री ई0टी0ओ0 सोनीपत हाल डी0ई0टी0सी0 फतेहाबाद।	आरोपी का स्थानांतरण होने उपरान्त, छुटटी वाले दिन जी0एन0वी0 ब्रदर्स, प्राईवेट लिमिटेड, कुण्डली, सोनीपत के असेसमैन्ट रजिस्ट्रर में छेड़छाड़ करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	आबकारी एवं कराधान
29	11 दिनांक 14.10.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यू0 गुरूग्राम	कुलदीप शर्मा निरीक्षक, कराधान विभाग नारनौल	शिकायतकर्ता धीरज कुमार की पत्नी का जी0एस0टी0 नम्बर अपलोड करने की एवेज में आरोपी को 1000/–रु रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	आबकारी एवं कराधान
30	15 दिनांक 12.11.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यू0 गुरूग्राम	प्रदीप कुमार कम्पयूटर आपरेटर, आबकारी एंव कराधान विभाग गुरूग्राम	शिकायतकर्ता श्रवण कुमार निवासी सैक्टर 15, गुरूग्राम उसकी फर्म के जी०एस०टी० नम्बर की पुनः तस्दीक करने की ऐवज में आरोपी को 5000/–रूपये की रिश्वत लेते हुये रगें हाथों गिरफ्तार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	आबकारी एंव कराधान
31	78 दिनांक 04.03.2019 धारा 406, 420, 34 भा.द.स., थाना भूना जिला फतेहाबाद। **सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 6/7/2019–1एच जी–2 दिनांक 04.11. 2020 अनुसार आगामी अनुसंधान हेतू रा0चौ0ब्यू0. को स्थानान्तरित किया गया है।**	विकास बंसल, निदेशक, बी.टी.पी., गुरू द्रोणाचार्य, भूना व अधिकारी कर्मचारी ओ.बी.सी. बैंक, भूना, जिला फतेहाबाद।	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अन्तर्गत शिकायतकर्ता के बिना जानकारी के 15,000/– रू की राशि आरोपी के खाते में अवैध रूप से स्थानानतरित बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	वित्त
32	06 दिनांक 28.12.2018 जेर धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120बी0 भा0द0स0 व 13(1) डी0 पी0सी0 एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला। **जांच कमांक 02 दिनांक 08.02.2013, पंचकूला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक**	हरीश मुदगिल, तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी, हनुमान चन्द सिहाग तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी व फायर टैण्डरो की फैबरीकेशन करने वाली फर्मे मै0 अम्बाला कोट/ कोच बिल्डरस, अम्बाला शहर तथा मै0 टिकोण हैदराबाद, 7–78, प्लाट न0136/ बी0, एस0बी0, को0–ओ0 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बोला राम, जिला मेडक,	आरोपी द्वारा गाडियों की गलत फैबरिकेशन करके सरकार को 14,03,025/– की हानि पहुंचाने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	अग्निशमन

	52/11/2010–2चौ(।।) दिनांक 03.12.2018 पर दर्ज।	हैदराबाद।			
33	02 दिनांक 23.06.2020 जेर धारा 197, 198, 420, 511, 120बी0 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला। **जांच कमांक 16 दिनांक 08.10.2015, पंचकूला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 67/05/2015–2चौ(।।) दिनांक 19.06.2020 पर दर्ज।**	1. विनायक मिशन, विश्वविद्यालय सलेम तमिलनाडु। 2. I.A.S.E Deemed University सरदार शहर, राजस्थान 3. धर्मेन्द्र सिंह तत्कालीन मत्स्य अधिकारी मछली पालन विभाग व अन्य।	विभाग से बिना अनुमति व अवकाश प्राप्त किये बिनाMaster of Sciences Zoology की डिग्रियां प्राप्त करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	मत्सय पालन
34	10 दिनांक 16.04.2012, धारा 409, 420,467,468,471,120–बी भा.द.स., थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	1. राजेश कुमार,लिपिक, कान्फैड विभाग 2. पदम सिंह,ए.एफ.एस.ओ. 3. सुनील कुमार, डिपो, होल्डर व अन्य	बी.पी.एल. के तहत प्राप्त मिटटी का तेल व गेहु को आपस में मिलीभगत करके बाजार में बेचना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	खाद्य, सामान्य आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले
35	84 दिनांक 30.01.2015 धारा 409, 420,463,465,467, 468,471,148,149,204,120–बी भा.द.स., थाना हांसी, जिला हिसार। **सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 55/13/12–3चौ0।। दिनांक 08.12.2017 अनुसार स्थानान्तरित किया गया है।**	पदम सिंह, सहायक (सेवानिवृत) खाद्य, सामान्य आपूर्ति एवं उपभोगता मामलें, हांसी, व अन्य	ठेकेदारो से मिलीभगत करके डिपो होल्डर्स के नाम पर फर्जी बिल बनाकर राशन को बाजार में बेंचना	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	खाद्य, सामान्य आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले
36	28 दिनांक 21.07.2015, धारा 409, 420,467,,468, 471,,204,120–बी भा.द.स., व 13(1)डी पी.सी0एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमांक न0 10 दिनांक 06.09.2021, हिसार पर सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 55/13/12–3 चौ0।। दिनांक 12. 06.2015 पर दर्ज।**	अधिकारी/कर्मचारी खाद्य, सामान्य आपूर्ति एवं उपभोगता मामलें, हांसी, व अन्य	अधिकारी/कर्मचारी खाद्य, सामान्य आपूर्ति एवं उपभोगता मामलें, हांसी, द्वारा डिपो होल्डरो से मिलीभगत करके फर्जी राशन कार्ड बनाना तथा गेहु, चीनी व मिटटी का तेल को खुले बाजार में बेचना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	खाद्य, सामान्य आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले
37	04 दिनांक 06.07.2018 जेर धारा 175, 192, 193, 201, 204, 218, 409, 120बी0	कुलवंत सिह पुत्र जोगिन्द्र सिह डिपू होल्डर, व राम सिह पुत्र नन्दाराम, हैल्पर गांव रामगढ माजरा	कुलवंत सिह पुत्र जोगिन्द्र सिह डिपू होल्डर, व राम सिह पुत्र नन्दाराम, हैल्पर के द्वारा सरकारी राशन	मुकदमा का अनसुंधान	खाद्य, सामान्य आपूर्ति एवं

	भा0द0स0 व 13(1) सी0 पी0सी0 एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला। **जांच कमांक 01 दिनांक 09.02.2017, यमुनानगर पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 55/5/2017–3चौ(।।) दिनांक 07.06.2018 पर दर्ज।**	जिला यमुनानगर।	बाटने मे गड़बड़ी करने व सरकारी रिकार्ड को नष्ट करने बारे।	प्रगति पर है।	उपभोक्त मामले
38	08 दिनांक 22.09.20 धारा 7 पी0सी0 एक्ट व 384 भा0द0स0 राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।	जयभगवान डीपों होल्डर वासी गांव टिटौली व नि0 रविकान्त कार्यालय खाद्य एंव आपूर्ति विभाग रोहतक	शिकायतकर्ता श्री प्रेमवीर पुत्र जमादार वासी गांव मोखरा खेडी, जिला रोहतक को धमकानाकर उसके डिपों को पुनः चैक करके कैन्सील करने की ऐवज में 5,000 रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	खाद्य, सामान्य आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले
39	07 दिनांक 03.03.2016 धारा 7,13 पी0सी0 एक्ट व 323,365, 201,506,34 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम।	निरीक्षक इरसाद, खाद्य एंव आपूर्ति विभाग नूहॅ जिला मेवात, मुबारिक व साजिद पुत्र हाकम निवासी खोरी कला तावडू।	आरोपी द्वारा विजिलेंस रेड का शक होने पर मुदई असग्र हुसैन का अपहरण करके अपने साथ गाडी मे ले जाने व मारपीट करने तथा 4,500 रू0 रिश्वत की राशि को खुर्द–बुर्द करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	खाद्य, सामान्य आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले
40	09 दिनांक 9.11.2020 धारा 7,13 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक। **शिकायत पर सरकार के यादि कमांक 42/12/2019–3चौ–।। दिनांक 22.09.2020 पर दर्ज।**	श्री कुलदीप फोरेस्ट गार्ड (प्रभारी फोरेसट बीट, डिघल जिला झज्जर।	शिकायतकर्ता हर्ष गर्ग पुत्र श्री विनोद गर्ग निवासी 207/19, विवेकानन्द नगर, जीन्द को बराना जिला झज्जर में लगी ऑल रिसेकलिंग फैक्टरी को बन्द करवाने की धमकी देने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	वन
41	02 दिनांक 23.02.2021 धारा थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम।	राजेश कुमार आर्य तत्कालीन डी0एफ0ओ0 गुरूग्राम , मकसुद तत्कालिन वन रक्षक पुत्र श्री उसमान निवासी रिठोज, गंगाराम पुत्र श्री हरनारायण गांव बाघनकी जिला गुडगांव तत्कालीन वन दरोगा, बुद्व प्रकाश पुत्र बलवीर सिह निवासी खण्डेवला जिला गुरूग्राम तत्कालीन वन दरोगा, जगदीश पुत्र श्री भीम सिंह कौशिक निवासी गांव व डाकखाना झाडसा जिला गुरूग्राम, जयभगवान पुत्र काटाराम निवासी मातनहेल जिला झज्जर तत्कालीन वन दरोगा, बालकृष्ण पुत्र श्री मांगेराम निवासी दौलताबाद गुरूग्राम, अशोक कुमार पुत्र कलीराम	वर्ष 2001–2002 में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जनता के पैसे का गुरूग्राम के गांवों में वनीकरण करवाने में गबन करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	वन

		निवासी मकान नं0 680 सैक्टर 9ए गुरूग्राम व युनिस तत्कालिन सदस्य वी0एफ0सी0 गांव गैरतपुर बास।			
42	23 दिनांक 02.06.2006, धारा 406, 409, 465,467,471,120–बी भा0द0स0, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार, **मुख्य मंत्री उडन दस्ता की शिकायत पर सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 10/61/05–1चौ0। दिनांक 10.06.2006 पर दर्ज।**	महावीर प्रसाद, फिल्ड इन्सपैक्टर, हैफेड व अन्य।	वर्ष 1998–99, 1999–2000 व 2000–01 में विभाग द्वारा टैन्डर नोटिससे मिलीभगत करके सरकार को 7,94,04,205.95/–रूपये का नुकसान पहुचांना	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हफैड
43	09 दिनांक 12.08.2021 धारा 7 पी सी एक्ट थाना राज्य चौक्सी ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल।	हसंराज, सेवादार, कार्यालय जिला प्रबन्धक हरियाणा पिछडा वर्ग एंव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पानीपत।	मुदई से उसके 1,00,000/–रूपये की बकाया राशि 50,000/–रूपये का चैक उसके लोन खाता में डालने के लिए 19,000/– रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडे जाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा पिछडा वर्ग एंव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण
44	03 दिनांक 13.06.2018 जेरधारा 420, 467, 468, 471, 120बी. भा0द0स0, 7,8 व 13(1) डी0 पी0सी0 एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला। **माननीय उच्च न्यायालय, हरियाणा के आदेश दिनांक 09.05.2018 की अनुपालना में दर्ज।**	अधिकारी/कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला।	Operation Theatre assistant के पद पर चयनित करवाने की ऐवज में 50,000/– रू0 की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
45	03 दिनांक 30.06.2020 जेर धारा 166, 193, 466, 468, 471, 120–बी0 भा0द0स0 व 13(1) डी RW 13(2) पी.सी.एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला। **सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 15/6/2020–2चौ(।।) दिनांक 29. 06.2020 पर दर्ज।**	तत्कालीन अध्यक्ष हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व अन्य।	विज्ञापन संख्या 6 दिनांक 20.07.2006 द्वारा 1983 पी. टी.आई. की भर्ती के दौरान अधिकारी/ कर्मचारी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अयोग्य उम्मीदवारों को चयन करने व अपने चहेते उम्मीदवारों का चयन कर लिया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
46	04 दिनांक 07.07.2020 धारा 420,120–बी0 भा.द.स व 8, 10, 13(1)ई0 पी0सी0 एक्ट, 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला। **जांच कमांक 05 दिनांक 11.03.2015,**	1. श्री रामशरण भोला पूर्व सदस्य हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला। 2. श्रीमति कृष्णा भोला पत्नी रामशरण भोला। 3. राजबीर सिंह पुत्र श्री सुबा राम निवासी मंजूरा,	अपने पद का दुरूप्योग करके व श्री राजबीर सिंह शिकायतकर्ता के माध्यम से लोगों को नौकरी लगवाने के बदले पैसे लेना व अपनी पत्नी के नाम जिला करनाल, यमुनानगर व अन्य स्थानों पर कृषि भूमि व	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

	पंचकूला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 15/08/2014–2चौ(I) दिनांक 01.07.2020 पर दर्ज।	जिला करनाल।	प्लॉट आदि खरीदना, जो उसके आय के स्त्रोतों अधिक है।		
47	08 दिनांक 20.11.2020, धारा 406, 409,471,420,120–बी भा0द0स0, व 13(1) R/W 13(2) पी.सी. एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमाक न0 03 दिनांक 09.04.2018, हिसार पर सरकार चौकसी विभाग के पत्र कमांक 66/12/2018–4चौ0।। दिनांक 05. 11.2020. पर दर्ज।**	अधिकारी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड व विजेन्द्र, ठेकेदार, मैसर्ज पायल कन्स्ट्रैक्शन कम्पनी, गांव पायल, जिला हिसार	अधिकारी/कर्मचारी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड व ठेकेदार द्वारा आपस में मिलीभगत करके सड़क बनाने मे घटिया एवं कम सामग्री का प्रयोग कर सरकार को नुकसान पहुंचाने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाण राज्य कृषि विपणन बोर्ड
48	09 दिनांक 29.09.2020 जेरधारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी0 भा0दं0सं0 व 13(2) 13(1)डी0, पी0सी0 एक्ट 1988 थाना रा0चौ0ब्यू0 पंचकुला। **जांच कमांक 09 दिनांक 06.11.2019, पंचकूला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 27/7/2019–3चौ(I) दिनांक 20.08.2020 पर दर्ज।**	श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन निदेशक हरियाणा उर्दू अकादमी पुत्र श्री रामफल सिंह, वासी मकान नं0 2127 नजदीक बस स्टैण्ड, गावं व तहसील मतलौडा व अन्य।	श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन निदेशक हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा अपने पद का दूरूप्योग करते हुय हरियाणा, उर्दू अकादमी पंचकूला के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके अकादमी को वित्तिय हानि पहुंचाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा उर्दू अकादमी
49	36 दिनांक 12.11.13 धारा 420/467/468/ 471/120–बी, भा0द0स थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक। **जांच कमांक 02 दिनांक 18.05.2011 रोहतक पर सरकार के यादी कमांक 65/24/2011–5चौ–1 दिनांक 03.10.2013 पर दर्ज।**	1. संजय पुत्र रामपाल, 2. राकेश पुत्र अभे राम, 3. सुनिता पुत्री जिले सिंह 4. डा0 धर्मपाल, खर्ब हस्पताल हुडडा कैम्पलैक्स जीन्द।	वर्ष 2008 में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करके 61 परिवार कल्याण विस्तार शिक्षकों द्वारा इनको स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा में एडवरटाईज न0 9/2007, कैटेगरी नं० 1 के तहत प्रयोग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	स्वास्थ्य
50	14 दिनांक 09.04.16 धाराधीन 7,8,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 49, सन् 1988, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।	1 डॉ0 विनोद कुमार, मैडिकल अधिकारी, सामान्य हस्पताल झज्जर सुपुत्र श्री रामसिंह निवासी मकान नं0 483, माडल टाउन,	मुदई श्री लक्ष्मण सुपुत्र श्री कदम सिंह निवासी दादनुपर जिला झज्जर से उसकी मौसी गयानो देवी का पथरी का आप्रेशन करने पर उसका डिर्स्चाज	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर	स्वास्थ्य

		रोहतक। 2 नरेश कुमार सुपुत्र श्री प्रभुराम निवासी ढराना जिला झज्जर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सरकारी हस्पताल, झज्जर।	सर्टीफिकेट जारी करने की एवेज मे 7,000/– की रिश्वत लेते रगें हाथो पकडे जाना।	है।	
51	13 दिनांक 30.07.2019 जेर धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यू0 करनाल। **डॉ. रोहित सदाना विर्क अस्पताल, करनाल की शिकायत पर दर्ज है।**	डाक्टर दीवाकर भटनागर सिविल हस्पताल, करनाल।	विर्क अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत डॉ. रोहित सदाना को फंसाने के ऐवज में शिकायतकर्ता से पहले 1.75 लाख रुपये व 6 लाख रुपये बाद में लेने की मांग करना	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	स्वास्थ्य
52	01 दिनांक 20.01.2020 धारा 409,420, 467, 468, 471, 120–बी भा.द.स. 13(1)(D) 13(2) पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला। **सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 6/10/2019–3चौ(।) दिनांक 30.12. 2019 अनुसार दर्ज।**	नवीन सैणी, सहायक निदेशक औघोगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कैमिकल, अम्बाला व अन्य लाभार्थियों	जिला कैथल के श्रमिकों के मृत्यु प्रमाण पत्रों में तिथियों में फेरबदल करके उनको अनुचित लाभ पहुंचाकर सरकार को 3 लाख रूपये का नुकसान पहुंचाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	स्वास्थ्य
53	03 दिनांक 14.01.2021 धारा 7,7ए,11,13 (2) पी0सी0 एक्ट व 180 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद।	डा0 नवदीप कुमार सिंघल पुत्र स्व0 श्री प्रेम सागर सिंघल निवासी प्लाट न0 634, सैक्टर 7बी0, थाना सैक्टर 8, फरीदाबाद हाल सीनियर मेडिकल ऑफिसर, बी0के0 हस्पताल, फरीदाबाद।	सी0एम0 बिन्डो शिकायत के निपटान के लिये शिकायतकर्ता नवीन कुमार पुत्र श्री खजान सिंह, एन0आई0टी0, फरीदाबाद व प्रार्ची हस्पताल के मालिक के बीच समझौता कराने की एवज मे 5,00,000 रुपये रिश्वत मांगने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	स्वास्थ्य
54	08 दिनांक 06.08.2021, धारा 120–बी0 भा0द0स0 व 7, 7ए, पी0सी0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	रामपाल, चपड़ासी, कार्यालय जिला औषधी नियन्त्रक हिसार व अन्य।	शिकायकर्ता रामबिलास वासी गांव रामायण, जिला हिसार से उसके मैडिकल हाल का लाईसैंस देने की प्रक्रिया में निरीक्षण करने की एंवज में 40,000/–रूपये बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	स्वास्थ्य
55	08 दिनांक 21.09.2021 धाराधीन 7 भष्ट्राचार उन्मूलन अधिनियम थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला।	1. पवन कुमार वार्ड सर्वेन्ट L.N.J.P. हस्पताल कुरुक्षेत्र पुत्र श्री राम स्वरुप वासी गांव मथाना, थाना सदर पिपली, जिला कुरुक्षेत्र। 2. भले राम सुपरवाईजर वासी गांव किरमच, जिला कुरुक्षेत्र।	पवन कुमार वार्ड सेवक को शिकायतकर्ता संदीप कुमार की पत्नी सीमा को एलएनजेपी कुरुक्षेत्र में दोबारा नौकरी जॉन्ईन करने में सहायता करने की ऐवज में 15,000/– रुपये रिश्वत लेते रंग हाथों गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	स्वास्थ्य
56	10 दिनांक 18.11.2021, धारा 7,49,88 पी.सी.	डा0 इन्द्रजीत, चिकित्सा अधिकारी, अर्बन	बिना वैक्सीनेशन के कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र	मुकदमा का	स्वास्थ्य

	एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **शिकायतकर्ता श्री निखिल कुमार, वासी रोड, सिरसा की शिकायत पर दर्ज किया गया है।**	डिस्पैन्सरी, हुडा, सिरसा	देने की एवज में 10,000/– रू रिशवत की राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडा गया।	अनसुंधान प्रगति पर है।	
57	02 दिनांक 08.07.19 धारा 7, पी0सी0 एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।	राजकुमार हवलदार, होमगार्ड कार्यालय उ0पु0अ0 होमगार्ड रोहतक।	शिकायतकर्ता महेश कुमार को उप आदेशक, गृहरक्षी विभाग, रोहतक के माध्यम से गृहरक्षी विभाग में पुनः नियुक्त करवाने की एंवज में 9,000/– रूपये रिश्वत लेते हुए रगें हाथो गिरफतार किया गया है।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	गृहरक्षी
58	12 दिनांक 21.12.2020 जेरधारा 7, पी0सी0 एक्ट 1988 थाना रा0चौ0ब्यू0 पंचकुला।	बृजपाल मुख्य सिपाही होमगार्ड कम्पनी रादौर जिला यमुनानगर व उप निरीक्षक अनिल राणा प्रबन्धक थाना गांधी नगर यमुनानगर व उप निरीक्षक शमशेर राणा चौकी इन्चार्ज हमीदा जिला यमुनानगर।	2,00,000/– रूपये मांगने की शिकायत पर दर्ज।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	गृह रक्षी
59	05 दिनांक 09.08.2021 धारा 13(2) R/W 13(1), (E) PC Act थाना रा0चौ0ब्यू0 गुरूग्राम। **(यह अभियोग जांच कमांक 01 दिनांक 04.08.2020, गुरूग्राम पर चौकसी विभाग के यादि कमांक 34/09/20–3 चौ–। दिनांक 22.07.2021 की अनुपालना मे दर्ज किया गया।)**	श्री उमेद सिंह, मुख्य ड्राफ्टमैन, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड हाल सेवानिवृत	आरोपी द्वारा अपनी सर्विस के दौरान आय से अधिक सम्पति अर्जित करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	आवास बोर्ड
60	10 दिनांक 19.08.2021 धारा 7 पी0सी0एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद।	श्रीमती लाजवन्ती गम्भीर सम्पदा प्रबन्धक हाउसिंग बोर्ड सैक्टर– 23 फरीदाबाद।	शिकातयकर्ता सुनील जग्गी पुत्र श्री जुगल किशोर जग्गी निवासी मकान नं0 1112 सैक्टर– 23ए, फरीदाबादकी रिहायसी सम्पति का ट्रान्सफर करने की ऐवज मे 20,000/– रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	आवास बोर्ड
61	20 दिनांक 18.10.2005, धारा 420, 467,471,120–बी भा0द0स0 व 13(1)डी पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमाक 03 दिनांक 21.04.2005, चण्ड़ीगढ़ पर सरकार चौकसी विभाग के पत्र कमांक 14/02/05–2चौ0 । दिनांक**	श्री ओम प्रकाश चौटाला, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हरियाणा और श्री. के.सी. बांगर, तत्कालीन अध्यक्ष एचपीएससी।	2001 में लैक्चरर (कालेज कैडर)–2001 से 2004 के पदों के चयन में, चौधरी देवी लाल मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज, पन्नीवाला मोटा, सिरसा में 2003 में सहायक प्रोफेसर और एचसीएस (कार्यकारी शाखा) परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया में एचपीएससी द्वारा की गई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप राजनीतिक और बाहरी कारणों से चयन बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा लोक सेवा आयोग

	05.08.2005 पर दर्ज।				
62	04 दिनांक 17.11.2021 जेर धारा7, 7ए पी०सी० एक्ट व धारा 420, 466, 468, 471, 120–बी भा.द.स. व धारा 8(3)(4) हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निषेध) अधिनियम– 2021 थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर–17, पंचकुला।	1. नवीन पुत्र श्री प्रदीप कुमार वासी गांव कोन्ठ तहसील व जिला भिवानी 2. जसबीर सिंह, सोफटवेयर एजेन्सी मालिक।	हरियाण लोक सेवा आयोग में होने वाली भर्ती डैन्टल सर्जन की लिखित परीक्षा 2021 में पास करवाने की ऐवज में 20 लाख रूपये रिश्वत लेते हुये रंग हाथों गिरफतार।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा लोक सेवा आयोग
63	09 दिनांक 30.09.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम।	मैनेजर दलबीर सिंह भटटी, HSIIDC मानेसर, गुरूग्राम	शिकायतकर्ता ठेकेदार अजीत सिंह निवासी गांव ढाणा आई0एम0टी0 मानेसर गुरूग्राम से उसके बकाया बिल पास करने की एवेज में आरोपी 10,000/–रुपये की रिश्वत लेते हुये रगें हाथो गिरफ्तार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा औधोगिक विकास प्राधिकरण
64	06 दिनांक 27.01.2015 धारा 420, 120बी0 आई0 पी0सी0 व 13 (1डी) पी0 सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरूग्राम **(यह अभियोग जांच कमांक 02 दिनांक 10. 07.2013, फरीदाबाद पर चौकसी विभाग के यादि कमांक 58/3/10–1चौ(।।) दिनांक 09.09.2014 की अनुपालना मे दर्ज किया गया)**	रघुबीर सिंह सहायक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद व अन्य।	आरोपी द्वारा सर्व ब्रांच रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए कब्जाधारियो से मिलीभगत करके गैर कानूनी तरीके से मकान बनबाने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
65	56 दिनांक 18.02.2020 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी0 भा0द0स0 व 7, 10 व 13 पी0सी0 एक्ट थाना सैक्टर 14, गुरूग्राम।**(सरकार चौकसी विभाग के पत्र कमांक 58/01/2019–1चौ01 दिनांक 23. 12.2020 द्वारा इस ब्यूरो में स्थानान्तरित)**	1. डा0 प्रभा मनचन्दा पुत्री स्व0 श्री सुन्दर सिंह आहलूवालिया निवासी 32 न्यू फ्रैंडस कालोनी नई दिल्ली। 2. गोपाल खेमका, शेयर होल्डर व मैनेजिंग डायरेक्टर, सोसाईटी संजीवनी लाईफ केयर मैडिकल सैन्टर प्राईवेट लि0। 3. महेन्द्र चावला, तत्कालीन निदेशक संजीवनी लाईफ केयर मैडिकल सेंटर प्रा0 लि0, दिल्ली। 4. श्रीमति मीना चावला पत्नी श्री महेन्द्र चावला। 5. श्रीमति अनीता यादव, आई०ए०एस०,	डा0 प्रभा मनचन्दा द्वारा डा0 गोपाल खेमका व अन्य लोगो के साथ हुडडा के अधिकारी व कर्मचारियों से मिलीभगत करके राजस्व विभाग को करीब 10 करोड़ रू0 की वितिय हानि पहुंचाने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

		तत्कालीन प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम। 6. वी०एस० हुडा, आई०ए०एस०, तत्कालीन सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम। 7. श्री सुभाश चन्द्र, क्लर्क, कार्यालय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, कार्यालय सम्पदा अधिकारी, गुरूग्राम। 8. श्री एन०एस० बांगड़, एच०सी०एस० तत्कालीन सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम। 9. श्री तरूण पांवरिया, एच०सी०एस० तत्कालीन सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम। 10. श्री औम प्रकाश, तत्कालीन कनिष्ट अभियन्ता, हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम। 11. श्री सतबीर सिंह लौहचब, एच०सी०एस० तत्कालीन सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम। 12. स्व0 श्री विजय शर्मा पुत्र श्री एस०के० शर्मा निवासी 74–पी०, सैक्टर–27, गुरूग्राम।			
66	03 दिनांक 26.05.2021 धारा 420, 511 भा०द०सं०, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला। **जांच कमांक 15 दिनांक 11.09.2018, पंचकूला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 58/43/2016–1चौ(।) दिनांक 07.05.2021 पर दर्ज।**	जोगिंद्र सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी गांव छोटा हरिपुर, सैक्टर – 11पंचकूला।	जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह निवासी गांव छोटा हरिपुर, सैक्टर–11,पंचकूला को वर्ष 2014 में उन्हें आवंटित किए गए विस्थापित कोटे के प्लाट के सम्बन्ध में तथ्य छुपाकर अपनी अधिग्रहीत भूमि से संबंधित होने का प्रयास करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरणं

67	09 दिनांक 17.07.2021 धारा 13(1)ई, 13(2पी0सी0एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद **(यह अभियोग जांच कमांक 06 दिनांक 24.12.2010, फरीदाबाद पर चौकसी विभाग के यादि कमांक 7/26/10–1चौ(।) दिनांक 22.03.2021 की अनुपालना मे दर्ज किया गया है।)**	श्री जय भगवान शर्मा, अधीक्षक कार्यालय सम्पदा अधिकारी फरीदाबाद।	आय से अधिक सम्पति अर्जित करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
68	01 दिनांक 04.04.2019 जेर धारा 409 आई. पी.सी., 13(1)–सी, 13(2) भ्रष्टाचार नि0 अधि0–1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला। **जांच कमांक 08 दिनांक 16.08.2018, अम्बाला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 46/21/2018–4चौ(।।) दिनांक 06.02.2019 पर दर्ज।**	1. सुरेन्द्र कुमार सिंधवानी 2. एस.एन. भारद्वाज 3.अक्षर कुमार सभी एक्स.ई. एन. 4. ऐ.के बंसल 5. ओ.पी.बठला 6. प्रवीण चंद शर्मा 4. सतपाल बेदी सभी एस.डी.ओ. व अन्य	दादूपुर नलवी नहर के निर्माण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 12,39,686/– रुपये मूल्य की मिट्टी को खुर्द–बुर्द करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	सिंचाई
69	23 दिनांक 09.10.2018, धारा 9,13(1)डी पी. सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **शिकायतकर्ता श्री सुरेन्द्र वासी गाव मोठसरा, जिला हिसार की शिकायत पर दर्ज किया गया।**	तरूण जैन प्रवाचक, न्यायालय श्री मोहम्मद सगीर, जें.एम.आई. सी., हिसार	अभियोग कमांक 406 दिनांक 28.12.2013 धाराधीन 323, 341, 427,506,34 भा.द.स., थाना अग्रोहा, जिला हिसार में से शिकायतकर्ता के नाम निकलवाने की एवज में 2,000/–रूपये रिश्वत की मांग करने बारे	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	न्याय एवं प्रशासन
70	20 दिनांक 27.07.13 धारा 201/409/420/467/ 468 / 471/120– बी0, भा0 द0 स0 व 13(1) डी. पी0 सी0 एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक **प्रारम्भिक जांच कमांक 01 दिनांक 24.08.2012 झज्जर पर सरकार के यादी कमांक 66/84/2012–3चौ–।। दिनांक 22. 08.2012 पर दर्ज।**	श्री महाबीर सिह गुलिया, कार्यालय सहायक भूमि सरक्षंण अधिकारी झज्जर व अन्य।	फर्जी बिल बनाकर सरकारी राशि 1,07,47,500/–रूपये का गबन करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	भूमि अभिलेख एवं चकबंदी
71	25 दिनांक 05.12.2018, धारा 166,34,409,418, 465,467,468,471,34 भा.द. स.व 7,13(1)सी, 13(1)डी, पी.सी. एक्ट, थाना	श्यामलाल, सहायक, चकबंदी अधिकारी, शिवाणी व अन्य	गेकुलपुर में चकंबन्दी के दौरान, चकबंदी की एक प्रति देने की एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत लेने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर	भूमि अभिलेख एवं चकबंदी

	राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमाक न0 02 दिनांक 12.01.2018, भिवानी पर सरकार चौकसी विभाग के पत्र कमांक 31/02/17–4चौ0।। दिनांक 05.11. 2018 पर दर्ज।**			है।	
72	05 दिनांक 16.07.2020 धारा 406, 409, 420,120–बीभा.द.स व 13(1)सी, 13(1)डी, 13(2)पी.सी.एक्ट, 1988 थाना रा.चौ.ब्यू., पंचकूला। **शिकायत पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 58/92/2019–1चौ(।) दिनांक 23.06.2020 पर दर्ज।**	1. महेन्द्र सिंह सांगवान तत्कालीन भूमि अर्जन अधिकारी, सैक्टर–5, पंचकूला। 2. सम्मत सिंह पटवारी (अनुबंधित), कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकूला। 3. गुरदर्शन सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, गांव जण्डली अम्बाला शहर। 4. गुरबचन सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, गांव जण्डली अम्बाला शहर। 5. निर्मल सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, गांव जण्डली अम्बाला शहर। 6. परमजीत सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, गांव जण्डली अम्बाला शहर।	आरोपी द्वाराएल0पी0ए0 नं0 296/99 में श्रीमति मुकन्द कौर विधवा हाकम सिंह की अर्जित की गई भूमि के सम्बन्ध में लाभार्थीयों को दो बार पेमैंट करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	भूमि अभिलेख एवं चकबंदी
73	04 दिनांक 16.03.2020 धाराधीन 420,201,204, 198 व 120 बी भा.द.स. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक **जांच कमांक 07 दिनांक 10.08.2017 सोनीपत पर सरकार के यादी कमांक 49/65/2017–4चौ0–1 दिनांक 31.02.2020 पर दर्ज।**	1. श्री सतपाल, लेखाकार, भगत फूल सिंह महिला मेडिकल महाविद्यालय, खानपुर जिला सोनीपत। 2. श्री जितेन्द्र सरोहा, सचिव/ मालिक संस्था निहाल सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लहराड़ा जिला सोनीपत।	आरोपी सतपाल ने भगत फूल सिंह महिला मेडिकल महाविद्यालय, खानपुर जिला सोनीपत मे नियुक्ति के समय सम्बन्धित दस्तावेजों में अपनी जन्मतिथि को गलत दर्शाकर नौकरी प्राप्त करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	चिक्तिसा शिक्षा
74	01 दिनांक 16.01.2014 जेरधारा 409,420 भा0दं0सं0 व 8 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला। **जांच कमांक 02 दिनांक 17.04.2012, पंचकूला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 42/10/2012–3चौ(।) दिनांक 17.12.2013 पर दर्ज।**	वी०पी० सिंह राणा, वासी गांव घामडोज थाना भौंडसी जिला गुड़गांव।	औषधिय पौधो की खेती की ग्रांट मे सब्सिडी दिलवाने की ऐवज मे किसानों से धोखा करके पैसे ऐंठना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	गैर–विभागीय

75	341 दिनांक 17.10.2016 धाराधीन 406,420,379,120–B थाना पिंजौर जिला पंचकूला। **सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 6/17/2018–3चौ(।) दिनांक 24.09. 2018 के आदेशानुसार हस्तान्तरण किया गया।**	ए.सी.सी.लि. भूपेन्द्रा सीमेंट।	उपरोक्त अभियोग श्री बैनी प्रसाद भूपेन्द्रा सिमेंट प्राईवेट लिमिटीड वर्कस युनियन सुरजपुर, थाना पिन्जौर, जिला पचंकूला की शिकायत पर विरुद्व ए0सी0सी0 सिमेंट कम्पनी, सुरजपुर द्वारा महाराज पटियाला की लीज डीड दिनांक 24.11.1937 की शर्तो की उल्लघंन करके धोखा धडी से ए0सी0सी0 सीमेंट कम्पनी की मशीनरी बचने व साल 2007 से सूरजपुर की लगभग 587 बीघा जमीन को लगभग 2 अरब रुपये में बेचने बारे अंकित किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	गैर–विभागीय
76	01 दिनांक 09.01.2018, धारा 406,420,467,468,471 भा.द.स., थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमाक न0 05 दिनांक 09.08.2012, सिरसा पर सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 66/71/12–3चौ0।। दिनांक 04.10. 2017 पर दर्ज।**	अरविन्द कुमार, मालिक मैसर्ज लोकेश सिक्योरिटी एजेन्सीं , हिसार।	मैसर्ज लोकेश सिक्योरिटी एजेन्सीं, हिसार द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत करके सिक्योरिटी गार्ड व मैन पावर की ठेका अवधि रिश्वत लेकर बढ़ाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	गैर–विभागीय
77	22 दिनांक 20.09.2018, धारा 323,365 ,389,458,506, भा.द.स. 7,49,88 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार,	मनीष कुमार, भरत सिंह, विनोद कुमार, आनन्द कुमार व अन्य	आरोपी मनीष कुमार को शिकायतकर्ता रवि कान्त शर्मा से झठे केस में शामिल न होने की ऐवज में 3 लाख रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	गैर–विभागीय
78	04 दिनांक 09.07.2019 धारा 420,467, 468,471, 120बी. भा.द.स. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला। **जांच कमांक 15 दिनांक 14.11.2018, अम्बाला सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 62/76/2018–4चौ(।।) दिनांक 28. 08.2019 पर दर्ज।**	दमनप्रीत सिंह पुत्र श्री औंकार सिंह, श्रीमती रेणु रानी पत्नी श्री संजीव कुमार व परमिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 खेम सिंह	स्टाम पेपर में टैम्परिग करके अन्य रजिस्ट्री में पुनः प्रयोग करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	गैर–विभागीय
79	12 दिनांक 02.12.19 धारा 384,506 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक।	बलजीत सिहॅ पुत्र श्री कृष्णचन्द वासी गांव किवाना, समालखा, पानीपत।	मुदई से उसके विरूद्ध दर्ज अभियोग सख्या 11 दिनांक 31.10.2019 धारा 7 पी0सी0 एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक में उसके पक्ष में गवाही देने की एवेज में 2 लाख रूपये बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथों	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	गैर–विभागीय

			पकडे जाना व 1.5 लाख रूपये का चैक भी बरामद किया गया।		
80	19 दिनांक 15.01.2018, धारा 409,420,467,468,120–बी भा.द.स. थाना बाढडा, जिला चरखी दादरी। **यह अभियोग सरकार के यादि कमांक 61/12/2018–3चौ0–II दिनांक 11.04.2018 अनुसार आगामी अनुसंधान हेतू स्थानान्तरित किया गया है।**	श्री धर्मबीर सिंह दहिया, कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, भिवानी व अन्य।	गलियों के निर्माण के फर्जी बिल तैयार करके बोगस बिलों के आधार पर अदायगी दिखाकर अपने पद का दुरूपयोग करके गबन करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पंचायतीराज
81	10 दिनांक 05.12.2019 धारा 409,420,120बी. भा.द.स. थाना रा.चौ.ब्यू. अम्बाला। **जांच कमांक 02 दिनांक 20.03.2015, अम्बाला सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 61/07/2015–2चौ(II) दिनांक 02. 12.2019 पर दर्ज।**	महिन्द्र सिंह तत्कालीन ग्राम सचिव अम्बाला व चन्द्र मोहन पैनल जे.ई. पंचायती राज अम्बाला	गलत व झूठा रिकार्ड तैयार करके ग्राम पंचायत मिर्जापुर धुराली में निर्माण कार्यों की फण्ड राशि का दूरूप्रयोग करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पंचायती राज
82	01 दिनांक 13.01.2017 धारा 7,13 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम। **(यह अभियोग जांच कमांक 03 दिनांक 08. 09.2015, फरीदाबाद पर चौकसी विभाग के यादि कमांक 71/88/15–5 चौ–। दिनांक 29.11.2016 की अनुपालना मे दर्ज किया गया।)**	सेवानिवृत निरीक्षक समर्थ सिंह पुत्र स्व0 श्री देवीलाल निवासी म0न0 800/2 आचार्यपुरी माता रोड़ गुरूग्राम।	मुकदमा न0 28/2014 धारा 7,13 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यूरो गुरूग्राम में मुख्य सिपाही प्रदीप कुमार को रिश्वत लेते निरीक्षक समर्थ सिंह के द्वारा रंगे हाथों पकड़ने उपरान्त मुख्य सिपाही प्रदीप कुमार की सहायता की ऐवज में 50,000/रूपये की रिश्वत की मांग करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
83	11 दिनांक 20.09.2018 धारा 7,8,13 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम।	1. ब्रहमपाल सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह निवासी म0न0 1202 सैक्टर–15ए सोनीपत। 2. नि0 दिलबाग सिंह तत्कालीन रा0चौ0ब्यूरो उप–केद्र नूँह।	निरीक्षक दिलबाग सिंह तत्कालीन रा0चौ0ब्यूरो उप–केन्द्र नूँह द्वारा मुकदमा न0 5 दिनांक 29.01. 2004 धारा 218, 409, 120बी, 467, 468 471 भा0द0स0 व 13(1)डी पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरूग्राम में ब्रहमपाल राणा को मुकदमा में निकालने की ऐवज में 15000/रूपये की रिश्वत राशि लेन–देन के सम्बन्ध में वार्तालाप होने पर दर्ज किया गया है।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
84	06 दिनांक 03.04.2019, धारा 7 पी0सी0	सहायक उप निरीक्षक, अजित सिंह, थाना सदर,	अभियोग कमांक 730/2016, में से आरोपी के विरूद्व	मुकदमा का	पुलिस

	थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **शिकायतकर्ता श्री दलबीर सिंह पुत्र श्री इन्द्राज सिंह, वासी खेड़ी बुरा, जिला चरखी दादरी की शिकायत पर दर्ज किया गया है।**	चरखी दादरी।	दर्ज धारा को हटाने की ऐवज में शिकायतकर्ता से 25,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना।	अनसुंधान प्रगति पर है।	
85	10 दिनांक 27.09.19 धारा 7, पी0सी0 एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।	स0उ0नि0 रेखा व एस0एच0ओ0 कमलेश महिला थाना रोहतक।	मुदई से उसके परिवार के सदस्यों का नाम मुकदमा न0 31/19 धारा 498ए आदि महिला थाना रोहतक से निकालने की एवेज में 10,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए स0उ0नि0 रेखा को रंगे हाथों पकडे जाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
86	02 दिनांक 21.07.2020 धारा 166,166ए, 167,193,217, 218,347,384,467,468,471,120–बी, भा0द0स व 13(1) डी0 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यूरों हिसार। **जांच कमांक 03 दिनांक 15.04.2019 हिसार पर सरकार के यादी कमांक 31/1/2014–4चौ0–1 दिनांक 01.07.2020 पर दर्ज।**	1. फूलसिंह उ0पु0अ0, (सेवानिवृत)। 2. पालसिंह पुत्र सतबीर सिंह 3. नायब सिंह पुत्र सतबीर 4. सुरेश पुत्र नरसी	आरोपी राजकुमार यादव को अनुसंधान अधिकारी फूलसिंह उ0पु0अ0, (सेवानिवृत) द्वारा अभियोग सं0 04 दिनांक 09.01.2014 धारा 7,13 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0बयूरों हिसार के किए गए अनुसांधान में झूठे साक्ष्यों के आधार पर फसाये जाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
87	01 दिनांक 08.09.2020 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम।	सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह थाना तावडू जिला नूंह।	शिकायतकर्ता मुबिन निवासी निम्बाहेडी राजस्थान के डम्परो का खनन का चालान न करवाने की ऐवज में 20,000/–रुपये की रिश्वत लेते हुये रगें हाथो गिरफ्तार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
88	06 दिनांक 07.10.2020 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद।	मुख्य सिपाही मान सिंह पुलिस चौकी अलावलपुर थाना चान्दहट जिला पलवल।	शिकायतकर्ता जोगेन्द्र के पुत्र लोकेश को सीदा अदालत मे पेश करने व जमानत करवाने मे सहायता करने की ऐवज मे आरोपी को 10,000/–रू0 रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
89	07 दिनांक 04.11.2020 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरी0	1. मुख्य सिपाही ईकबाल नं0 330/पलवल। 2. मुख्य सिपाही धमेन्द्र नं0 431/पलवल थाना मुंडकटी जिला पलवल।	शिकायतकर्ता श्रीमती मुन्नी के पुत्र ईस्माईल और उसके रिश्तेदार पप्पी तथा रहीश को अभियोग नं0 134/2020, थाना मुन्डकटी जिला पलवल को निकालने की ऐवज मे 80,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
90	03 दिनांक 04.12.2020 धारा 7 पी0सी0 एक्ट	ई0एस0आई0 महेन्द्र सिंह न0 1180/गुरूग्राम,	शिकायतकर्ता अरषद पुत्र श्री मौ0 इलियास निवासी	मुकदमा का	पुलिस

	थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम।	थाना सदर तावडू जिला नूंह।	गांव भडंनपूर जिला नूंह से उसके द्वारा CM Window पर दी गई शिकायत का निपटारा करने की एवज में आरोपी द्वारा 20,000/–रु की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया।	अनसुंधान प्रगति पर है।	
91	04 दिनांक 28.12.20 धारा 342, 384, 34 भा0द0स0 व 7 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यू0 गुरुग्राम	मुख्य सिपाही अमीत कुमार न0 598/गुरूग्राम थाना खेडकी दौला, जिला गुरूग्राम व अन्य।	शिकायतकर्ता नवीन भुटानी को अवैध हिरासत मे रखकर पैसे लेकर छोडने व अवैध हिरासत के दौरान कब्जा मे लिये गये लैपटॉप को वापिस देने की ऐवज मे आरोपी को 5,00,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
92	02 दिनांक 12.01.2021 धारा 13(1)ई0 पी0सी0एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद।	1. उप–निरीक्षक रामबीर डागर न0 34/पलवल सी0आई0ए0 हथीन पलवल।	आय से अधिक सम्पति अर्जित करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
93	03 दिनांक 27.04.2021, धारा 7 पी0सी0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार,	मुख्य सिपाही राजबीर सिंह, थाना नाथूसरी चौपटा, जिला सिरसा।	शिकायकर्ता से उसके विरूद्व दर्ज शिकायत को निरस्त करने की एंवज में 10,000/–रूपये बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
94	07 दिनांक 17.06.2021 धारा 7 पी0सी0एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद।	मुख्य सिपाही पवन कुमार नं 3257/फरीदाबाद पुलिस चौकी सैक्टर 28 फरीदाबाद	शिकायतकर्ता मोहित गोयल पुत्र श्री नरेन्द्र गोयल निवासी मकान नं0 301/3, भूड कालोनी ओल्ड फरीदाबाद कि शिकायत पर उनके आपसी झगडे के फैसला कराने की ऐवज मे आरोपी द्वारा 4000/–रूपये रिश्वत मांगने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
95	07 दिनांक 09.08.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल।	ई.एच.सी./सी–1 मनोज कुमार, पुलिस पोस्ट, सेक्टर–4, करनाल	आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से उसकी शिकायत को फाईल करने की ऐवज में 20,000/– रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
96	07 दिनांक 13.09.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यू0 गुरूग्राम।	मुख्य सिपाही जय सिंह न0 185/मेवात थाना तावडू जिला मेवात	शिकायतकर्ता मोहित निवासी तावडू जिला से उसकी चोरी की गई गाडी को दिलाने की एवेज में आरोपी ने 10 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की गई।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
97	13 दिनांक 26.10.2021 थाना रा0चौ0बयू0,	उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार नं0 125/गुरूग्राम	उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार, जिला पुलिस गुरूग्राम	मुकदमा का	पुलिस

	गुरूग्राम। **(यह अभियोग जांच कमांक 15 दिनांक 06.12.2019, गुरूग्राम पर चौकसी विभाग के यादि कमांक 71/34/19–5 चौ–। दिनांक 01.10.2021 की अनुपालना मे दर्ज किया गया।)**	पुलिस थाना सुशांत लोक गुरूग्राम।	द्वारा अभियोग संख्या 349/2017 थाना शिवाजी नगर जिसका अनुसंधान मुख्यमन्त्री उडन दस्ता गुरूग्राम द्वारा किया जा रहा है। उस अभियोग में आरोपी बलबीर सिंह, आर0टी0ए0 कार्यालय रेवाडी को अभियोग से निकलवाने की एवेज में 5 लाख रूप्ये रिश्वत के लेने साबित होने पर दर्ज हुआ है।	अनसुंधान प्रगति पर है।	
98	14 दिनांक 28.10.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यू0, गुरूग्राम	स0उ0नि0 धमेन्द्र थाना रोजकामेव जिला नूंह	शिकायतकर्ता के घर पर हुई चोरी का सामान वापिस दिलवाने की एवेज में आरोपी द्वारा 30,000/–रु की रिश्वत की मांग की गई।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
99	04 दिनांक 22.11.2021 धारा 7, पी0 सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।	उप नि0 संजय कुमार, थाना राजकीय रेलवे पुलिस, बहादुरगढ (झज्जर)।	शिकायतकर्ता को जमानत दिलवाने व कृष्ण कुमार निवासी खरखौदा को अभियोग संख्या 18 दिनांक 02.07.2021 थाना थाना राजकीय रेलवे पुलिस, बहादुरगढ से निकालने की ऐवज में 5,000/–रूपये की रिश्वत की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
100	13 दिनांक 24.11.21 धारा7 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यू0 फरीदाबाद **(उक्त अभियोग चौकसी विभाग के यादि कमाक 71/42/21–5चौ (।) दिनांक 25.10.2021 की अनुपालना मे साकिर निवासी गांव सांपनकी, जिला पलवल की शिकायत पर दर्ज हुआ)**	मुख्य सिपाही रणवीर सिंह थाना हथीन पलवल	आरोपी द्वारा आपराधिक मुकदमा से 6 आदमियों को निकालने की ऐवज मे 25,000/– रुपये रिश्वत मांगने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	पुलिस
101	10 दिनांक 04.12.2014 जेरधारा 7, 8 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला। **यह मुकदमा माननीय लोकायुक्त, हरियाणा के पत्र कमांक लोक/2014/773/243 दिनांक 20.01.2014 जो उप सचिव, हरियाणा, राजनैतिक शाखा के कमांक 23/8/2009–3पोल दिनांक 03.12.2014 के माध्यम से प्राप्त हुआ, दर्ज किया गया है।**	श्री रामकिशन फौजी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, हरियाणा सरकार	गुरूग्राम मे जमीन की सी0एल0यू0 क्लीयर करवाने बारे श्री रामकिशन फौजी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, हरियाणा सरकार के निवास पर उस समय किए गए स्टीग आप्रेशन की रिकार्डिग के अनुसार 5 करोड की रिश्वत मांगने के बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजनैतिक एवं संसदीय मामले
102	03 दिनांक 29.01.2016 धारा 7, 8, 13(1)	राव नरेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार	सी.एल.यू. देने बारे रिश्वत की मांग करने बारे	मुकदमा का	राजनैतिक एवं

	डी0 पी0सी0 एक्ट व 120बी0 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम।			अनसुंधान प्रगति पर है।	संसदीय मामले
103	07 दिनांक 29.01.2016 धारा 7,13(1)डी, 49, 88 पी.सी. एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजनैतिक एवं ससंदीय मामले विभाग के यादि कमांक 30/1/16–3चौ0 पी.ओ.एल. दिनांक 27.01. 2016 की अनुपालना में दर्ज।**	राम निवास गोडेला, पूर्व विधायक, कागेंस पार्टी, हल्का बरवाला, जिला हिसार	सर्व शिक्षा अभियान की निति के अन्तर्गत कार्य करवाने व फाईल सम्बन्धित चलाने हेतु	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजनैतिक एवं संसदीय मामले
104	08 दिनांक 29.01.2016 धारा 7,8,13(1)डी, 49, 88 पी.सी. एक्ट, 120–बी भा.द.स., थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजनैतिक एवं ससंदीय मामले विभाग के यादि कमांक 30/1/16–3चौ0 पी.ओ.एल. दिनांक 27.01. 2016 की अनुपालना में दर्ज।**	विनोद भ्याना, पूर्व विधायक, हल्का हांसी व भुवनेश, एलाबादी	सी.एल.यू. देने बारे रिश्वत की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजनैतिक एवं संसदीय मामले
105	09 दिनांक 29.01.2016 धारा 7,13(1)डी, 49, 88 पी.सी. एक्ट, . थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजनैतिक एवं ससंदीय मामले विभाग के यादि कमांक 30/1/16–3चौ0 पी.ओ.एल. दिनांक 27.01. 2016 की अनुपालना में दर्ज।**	जरनैल सिंह पूर्व विधायक, हल्का रतिया, फतेहाबाद	सी.एल.यू. देने बारे रिश्वत की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजनैतिक एवं संसदीय मामले
106	10 दिनांक 29.01.2016 धारा 7,13(1)डी, 49, 88 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजनैतिक एवं ससंदीय मामले विभाग के यादि कमांक 30/1/16–3चौ0 पी.ओ.एल. दिनांक 27.01. 2016 की अनुपालना में दर्ज।**	नरेश सेलवाल पूर्व विधायक, हल्का उलाना, जिला हिसार	सी.एल.यू. देने बारे रिश्वत की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजनैतिक एवं संसदीय मामले

107	436 दिनांक 26.11.2014, धारा 406,420,भा.द.स., थाना शहर, चरखी दादरी। **अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार गृह विभाग के यादि कमांक 9/6/15–9एच.जी.।। दिनांक 14.09.2018 अनुसार आगामी अनुसंधान हेतु राज0चौ0ब्यू0, हरियाणा को स्थानान्तरित किया गया।**	मैसर्ज सन्धु सिक्योरिटी सर्विसं पंचकूला,	यह अभियोग कार्याकारी अभियन्ता ओपरेशन डिविजन द0ह0बि0वि0एन0 के द्वारा वर्णित एजेन्सी पर कर्मचारियों का इ.पी.एफ., इ.सए.आइ. व सेवाकर का 19,67,990 रूपये न देने बारे दर्ज किया गया है।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विद्युत
108	09 दिनांक 27.10.2017 धाराधीन 409, 420, भा0दं0सं0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला मण्डल, पंचकूला। **जांच कमांक 04 दिनांक 19.04.2012, पंचकूला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 07/09/2012–1चौ(।) दिनांक 04.10.2017 पर दर्ज।**	श्री हंसराज ज्याणी निदेशक अभियोजन (सेवानिवृत) व श्री साहनी तत्कालीन कानुन अधिकारी (सेवानिवृत) विद्युत प्रसारण निगम, पंचकुला।	हंसराज ज्याणी तथा श्री साहनी द्वारा वकील फीस, शपथ पत्र व जिला सिरसा बिजली विभाग के डिंग, नाथूसरी, रानिया, शहर सिरसा, सब अर्बन सिरसा, माधो सिघाना,सिरसा डिविजन के अन्य कार्या के फर्जी बिल बनाकर 3,76,756 रुपये का फर्जी क्लेम करने। जबकि इन्ही डिविजनो द्वारा 1,18,001/– रुपये वास्तविक खर्च के बिल भेजे जा चुके थे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विद्युत
109	05 दिनांक 16.12..2019 जेर धारा 7, 13 पी.सी. एक्ट 1988 थाना पंचकूला।	जयपाल, जे0ई0 ओपरेशन्स सब–डिविजन यू0एच0बी0वी0एन0, मॉडल टाऊन यमुनानगर सुपुत्र श्री रामजी लाल निवासी 9–ए, कृष्णा कालोनी यमुनानगर	नये मीटर कनेक्शन लगाने की ऐवज में 10,000/– रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफतार।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विद्युत
110	06 दिनांक 18.03.2021 धारा 7 पी0सी0एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद	मनोज कौशिक पुत्र श्री राधेश्याम निवासी गांव नांगल ब्राहमण, थाना चान्दहट, जिला पलवल हाल एल0डी0सी0 लिपिक, तिलपत, पल्ला पावर हाउस, फरीदाबाद।	शिकायतकर्ता अमित से अपने बिजली का बिल ठीक करवाने की एवेज मे आरापी को 3000/– रूप्ये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विद्युत
111	10 दिनांक 22.09.2021 धारा 13(1) 13(2) पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मण्डल, करना। **जांच कमांक 02 दिनांक 08.09.2017 पानीपत सरकार के यादी कंमांक 47/40/2017–3चौ0–।। दिनांक 23.08.2018 पर दर्ज।**	नरेन्द्र कुमार, लिपिक, कार्यालय उप–मण्डल अभियन्ता, बिजली विभाग, ईसराना जिला पानीपत।	नरेन्द्र कुमार द्वारा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विद्युत
112	11 दिनांक 23.09.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट	1. मेगश्याम पुत्र श्री हरिदत्त निवासी गांव मानपुर	शिकायतकर्ता रोनक पुत्र श्री दीगम्बर निवासी आदर्श	मुकदमा का	विद्युत

	थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद।	तहसील बहीन जिला पलवल। 2. मुख्तयार पुत्र श्री रणजीत निवासी गांव तुमसरा तहसील होडल जिला पलवल।	कालोनी पलवल को बिजली चोरी के झूठे केस मे फंसाने के भय के ऐवज में 5000/–रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफतार किया गया।	अनसुंधान प्रगति पर है।	
113	09 दिनांक 24.09.2021 धारा 7,13(1)(b), r/w 13(2) पी.सी. एक्ट–1988 थाना रा.चौ. ब्यू. अम्बाला।	जयपाल ए.एफ.एम. बिजली बोर्ड शाहबाद मारकण्डा जिला कुरूक्षेत्र।	वर्कशाप पर लगे बिजली के मीटर को ओके करवाने की ऐवज में 5000 रूपये (ऑनलाईन के माध्यम) की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विद्युत
114	10 दिनांक 14.10.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट व 186, 332, 353 भा0द0स0 थाना रा0चौ0ब्यू0 गुरूग्राम।	अमित कुमार जे0ई0, सन्दीप कुमार ए0एल0एम0 व रविन्द्र कुमार ए0एल0एम0 कार्यालय DHBVNL सब डिविजन सैक्टर 39 गुरूग्राम	शिकायतकर्ता की एल0एल0–1 पर कम जुर्माना करवाने की एवेज में आरोपी रविन्द्र ए0एल0एम0 को 25,000/–रु की रिश्वत लेते हुये रगें हाथ गिरफ्तार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	विद्युत
115	01 दिनांक 20.02.2015 जेरधारा 177, 420, 468, 471 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला। **जांच कमांक 03 दिनांक 12.11.2014, पंचकूला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 14/3/2014–2चौ(I) दिनांक 19.02.2015 पर दर्ज।**	बिजेन्द्र सिंह, एच०सी०एच०	श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर एच.सी.एस. रजिस्टर–II, (कार्यकारी शाखा) के पद दिनांक 01.08.2014 को भर्ती होना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	अभियोजन
116	08 दिनांक 17.07.21 धारा 13(1)ई, पी0सी0एक्ट 13(2) थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद। **(यह अभियोग जांच कमांक 06 दिनांक 24.12.2010, फरीदाबाद पर चौकसी विभाग के यादि कमांक 7/26/10–1चौ(I) दिनांक 22.03.2021 की अनुपालना मे दर्ज किया गया है।)**	श्री महेन्द्र सिंह कौशिक उप जिला न्यायवादी हुड्डा फरीदाबाद।	आय से अधिक सम्पति अर्जित करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	अभियोजन
117	19 दिनांक 21.08.2018, धारा 420,467,468,471,120–बी भा.द.स. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमाक न0 03 दिनांक 04.06.2013, भिवानी पर सरकार चौकसी विभाग के पत्र**	अधिकारी/कर्मचारी जन स्वास्थ्य विभाग, चरखी दादरी	श्री राम इन्टर प्राइजिज, चरखी दादरी के नाम पर फर्जी लैट्टर पैड बनवाकर लाखो रूप्ये के कम्पयूटर से सम्बन्धित सामान का बिल बनवाकर आपसीं मिलीभगत से पास करवाकर सरकार को नुकसान पहुंचाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	जन स्वास्थ्य

	क्रमांक 25/15/2013–4चौ0। दिनांक 24. 07.2018 पर दर्ज।				
118	24 दिनांक 27.11.2018, धारा 7,13 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच क्रमाक न0 05 दिनांक 29.09.2017, भिवानी पर सरकार चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 25/18/17–4चौ0 । दिनांक 29.10. 2018 पर दर्ज।**	राजबीर कौशिक, अधिक्षण अभियन्ता, (सेवानिवृत) जन स्वास्थ्य विभाग, भिवानी	कार्य पूर्ण होने उपरान्त ठेकेदार रवि शंकर के बिलों पर क्लाज–2 लगाकर उसे हठवाने की एवज में 45 हजार रू की रिश्वत की मांग करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	जन स्वास्थ्य
119	08 दिनांक 13.06.2019, धारा 7 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 25/31/2019–4चौ0 । दिनांक 02.05.2019 पर दर्ज।**	महेश चन्द गोयल, कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वाथ्स्थ्य विभाग, हांसी, जिला हिसार	कुल राशि का 12 प्रतिशत कमीशन, (15,000/– रू) रिश्वत के रूप में मांगने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	जन स्वास्थ्य
120	01 दिनांक 25.01.2020 धारा 420, 467, 468, 471 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक। **जांच क्रमांक 21 दिनांक 13.12.2018 सोनीपत पर सरकार के यादी क्रमांक 25/40/18–4चौ–। दिनांक 13.01.2020 पर दर्ज।**	मोनू चौकीदार जनस्वास्थ्य विभाग सोनीपत व अन्य।	जाली अनुभव प्रमाण पत्रो के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	जनस्वास्थ्य
121	01 दिनांक 29.01.2020, धारा 420,465,468,471, भा.द.स. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच क्रमाक न0 02 दिनांक 13.07.2017, भिवानी पर सरकार चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 25/26/2017–4चौ(।) दिनांक 10. 01.2020 पर दर्ज।**	रतिपाल, बेलदार/टयूवैल ओपरेटर, वाटर वर्कस गांव चांग, जन स्वास्थ्य विभाग, भिवानी	टयूवैल ओपरेटर, की नौकरी प्राप्त करने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जमा देने बार	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	जनस्वास्थ्य
122	07 दि0 01.8.2018 धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी. भा.द.स. थाना रा.चौ.ब्यू. अम्बाला। **जांच क्रमांक 11 दिनांक 26.11.2015, अम्बाला**	अधिकारी/कर्मचारी पी.डब्ल्यू.डी. बी.एण्ड.आर यमुनानगर	अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा तारकोल की दोहरी अदायगी कर सरकार को हानि पहुंचाने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के)

	पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 26/84/2015–2चौ(।।) दिनांक 31.01.2019 पर दर्ज।				
123	12 दिनांक 25.10.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना रा0चौ0ब्यू0 गुरूग्राम।	ईश्वर सिंह जे0ई0 व आजाद लिपिक कार्यालय लोक निर्माण विभाग पटौदी, गुरूग्राम।	शिकायतकर्ता विक्रम शर्मा की ग्राम बोहडा कलां की जमीन की CLUकी NOC की फाईल पास करने की एवेज में आरोपी को 25,000/–रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	लोक निर्माण (भ० एवं स०)
124	39 दिनांक 30.09.16 जेरधारा 7, पी0 सी0 एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक। **शिकायत पर दर्ज**	पवन पटवारी हल्का जाहरी, जिला सोनीपत व सहायक जसबीर सिंह लेखक।	गलत ईन्तकाल को चढाने से रोकने की ऐवज मे 15,000 रूपये रिश्वत की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
125	08 दिनांक 01.04.2017, धारा 7,13 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **शिकायतकर्ता श्री विषणु वासी गांव उगालन, जिला हिसार की शिकायत पर दर्ज किया गया।**	अनिल कुमार, लिपिक तहसील कार्यालय, हांसी	प्लाट की रजिस्ट्ररी करने की एवज में 5000/– रू की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
126	27 दिनांक 18.12.2018, धारा 182, 211, 193,420,भा0द0स0 व 7ए, 8,12 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार	1. भवनेश कुमार, तहसीलदार (प्रशिक्षु), आदमपुर। 2. श्यामलाल जेल वार्डन 3. बाला सिंह, वासी रतिया, जिला फतेहाबाद।	बीड क्षेत्र, हिसार में 5 एकड़ सरकारी भूमि देने की एवज में दो आरोपी रिश्वत की राशि रू 1,50000/–रंगे हाथो पकडे गए।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
127	04 दिनांक 25.03.2011 धाराधीन 420,120बी, 13(1) डी0 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला। **जांच कमांक 01 दिनांक 10.02.2009, कैथल पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 62/97/2008–4चौ(।।) दिनांक 23.01.2019 पर दर्ज।**	औम प्रकाश राणा नायब तहसीलदार कलायत जिला कैथल।	जमीन की किस्म बदलकर रजिस्ट्री करना व रिश्वत लेना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
128	04 दिनांक 31.07.2017 धाराधीन 218/406/409/420बी0, भा0दं0सं0 व 13(1)सी0, 13(1)डी0, 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988, थाना राज्य चौकसी ब्यूरों,	श्री एम0एस0 सांगवान, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, धूप सिंह नायब तहसीलदार, जैनाराम पटवारी व कमल नैन सैक्शन ऑफिसर व भू मालिक गांव चौंकी।	यह मुकदमा भूमि अर्जन अधिकारी श्री एम0एस0 सांगवान, धूप सिह नायब तहसीलदार, कमल नैन सैक्शन ऑफिसर व जैना राम पटवारी ने अपने–2 पदों का दुरूपयोग करके गांव चौंकी व नाडा के	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

	पंचकूला मण्डल, पंचकूला **माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के आदेश जो महानिदेशक, अर्बन इस्टेट, हरियाणा के क्रमांक 1–8–2016/11806 दिनांक 07.11. 2016 के माध्यम से प्राप्त हुआ, दर्ज किया गया है।**		भू–मालिकों से मिली भगत कर अवार्ड नं. 2 दिनांक 30.07.2003 के तहत अर्जित की गई गांव चौंकी की शामलात भूमि के 2.5 शेयर होल्डर 56 भू–मालिकों को 274 बिघे, 11 बिसवें, शामलात भूमि का 59,65,06,885 रूपये फर्जी/अधिक मुआवजा राशी का भुगतान करने पर दर्ज किया गया है।		
129	03 दिनांक 09.02.18 जेरधारा 7,13 पी0 सी0 एक्ट व 384, 419 भा0द0स0 (रा0चौ0ब्यूरो हिसार)	जोगेन्द्र सिंह पुत्र सतबीर सिंह वासी ईमलोंटा हाल हल्का पटवारी रूदडौल, जिला चरखी दादरी।	शिकायतकर्ता के ओवरलोड ट्रक का झुठा चालान न करने की ऐवज में रूपयें 5,000/– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार किया जाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
130	411 दिनांक 28.08.18, जेर धारा 406, 420, 120बी0 भा0द0स0 थाना सै0 5 पंचकुला, जिला पंचकुला। **सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 62/41/2015–4चौ(।।) दिनांक 31. 01.2019 के आदेशानुसार हस्तान्तरण किया गया।**	श्री एम0एस0 सांगवान, कैप्टन विनोद शर्मा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, धूप सिंह नायब तहसीलदार, राजबीर सिह कानुनगो, व कमल नैन सैक्शन ऑफिसर व भू मालिक गांव पत्तीमेहर, सौण्डा व जण्डली जिला अम्बाला।	भूमि अर्जन अधिकारी श्री एम0एस0 सांगवान, कैप्टन विनोद शर्मा, धूप सिह नायब तहसीलदार, कमल नैन सैक्शन ऑफिसर व सुरेश कानुनगो, ने अपने–2 पदों का दुरूपयोग करके गांव पत्तीमेहर, सौण्डा व जण्डली जिला अम्बाला के भू–मालिकों से मिली भगत कर अवार्ड नं. 11, 12 दिनांक 13.09.86 व अवार्ड न0 8 दिनाक 27.12.90 के तहत अर्जित की गई भुमि की बढोतरी मुआवजा राशि गलत एस0एल0पी0 के आधार पर तैयार करके मन्जूर करवाकर भु मालिको के खातो मे हस्तान्तरण करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
131	3 दिनांक 22.08.19 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0स0 व 13(1)डी, पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद **(यह अभियोग जांच क्रमांक 01 दिनांक 06. 01.2015, फरीदाबाद पर चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 62/113/14–4चौ(।।) दिनांक 22.05.2019की अनुपालना मे दर्ज किया गया है।**	राजेन्द्र गर्ग व बिजेन्द्र राणा तहसीलदार फरीदाबाद, अजय गुप्ता हार्डवेयर चौक फरीदाबाद व 17 अन्य।	नगर निगम फरीदाबाद के कर्मचारियों/अधिकारीयों,तत्कालीन तहसीलदारो व सरकारी भूमि के विक्रेता–क्रेताओ द्वारा धोखाधडी करके 8012Sq. Yardसरकारी भूमी को मैसर्ज आई0एच0आई0 लि0 एन0आई0टी0 फरीदाबाद को ट्रांसफसर करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
132	16 दिनांक 11.9.19 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना रा0 चौ0 ब्यू0, करनाल। **श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी**	कृष्ण कुमार पटवारी सालवान जिला करनाल	शिकातयकर्ता श्री जोगिन्द्र सिंह का उसके पिता की मृत्यु के बाद इंतकाल चढाने की ऐवज में 11,000/–रूपये रिश्वत मांगने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

	गांव व डाकखाना फफराणा, जिला करनाल की शिकयत पर दर्ज।			है।	
133	05 दिनांक 19.09.19 धारा 166 भा0द0स0 व 13(1) डी (III), 13(2) पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद।	1. के०के० अमरोही,बन्दोबस्त अधिकारी (सेवानिवृत) राजस्व विभाग, रोहतक। 2. रोशन लाल, सहायक, राजस्व विभाग, गुरूग्राम।	गांव अंनगपुर जिला फरीदाबाद की स्कीम चकबन्दी वर्ष 2004 में होने के पश्चात लगभग 250 इन्ताकलों की मंजूर बन्दोबस्त अधिकारी रोहतक द्वारा दी गई। जबकि ऐसे इन्तकाल मंजूर करने की शक्तियां चकबन्दी एक्ट में प्रदात नही है। उपरोक्त बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा धारा 43ए का प्रयोग करते हुये 25 खेवटो को अलग–अलग करने की स्वीकृति/आदेश दिये गये जबकि ऐसी शक्तियां बन्दोबस्त अधिकारी व सहायक चकबन्दी अधिकारी को प्रदत नही है।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन
134	02 दिनांक 09.01.2020 जेरधारा 201, 467, 468, 471, 420, 120–बी0 आई0पी0सी0 13(1) डी पी सी एक्ट 7–ए/10 एच डी आर यू, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल। **जांच कमांक 01 दिनांक 07.03.2015 पानीपत सरकार के यादी कंमांक 62/110/2014–4चौ0–।। दिनांक 12.12. 2019 पर दर्ज।**	सुभाष मेहता, तत्कालीन तहसीलदार पानीपत (अब सेवानिवृत्त), नरेंद्र सिंह तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क (अब रीडर, डीसी, पानीपत), अनूप सिंह, तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क (अब सहायक), कार्यालय डीसी, पानीपत, इंदर सिंह पुत्र श्री हरिसिंह, जयप्रकाश पुत्र फते सिंह पटेल सिंह पुत्र प्यारा सिंह और सुनील पुत्र ताराचंद।	नगर निगम, पानीपत में जमीन का फर्जी रजिस्ट्रेशन और एनओसी के आकलन के बिना ही सरकार को करोडों रूपये की हानि पहुचाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
135	04 दिनांक 05.08.2020 धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी भा.द.स. 13(1)डी पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला। **जांच कमांक 04 दिनांक 04.05.2018, अम्बाला सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 52/20/2017–2चौ(।।) दिनांक 15. 07.2020 पर दर्ज।**	श्री साहब राम नायब तहसीलदार, राकेश कुमार, श्रीमति बिन्दल व तरूण गुप्ता तहसील कार्यालय नारायणगढ़	रिश्वत मांगने व अपने पद का दुरूप्योग करके गलत ढंग से रिलिज डीड करने बारें।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
136	04 दिनांक 04.09.2020, धारा 7 पी0सी0 एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमाक न0 06 दिनांक 01.10.2019, सिरसा जोकि सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 62/85/2019–4चौ0 II**	प्यारे लाल, पटवारी, हल्का सुल्तानपुरियां, जिला सिरसा।	इंतकाल दर्ज करने की एंवज में 4,000/–रूपये रिश्वत की मांग करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

	दिनांक 03.02.2020 पर दर्ज।				
137	06 दिनांक 19.11.2020 धारा 7/49/88 पी0सी0एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक	विनोद कुमार, कलर्क कार्यालय उपमण्डल अधिकारी, गोहाना, सोनीपत।	शिकायतकर्ता का उप–मण्डल अधिकारी, गोहाना, सोनीपत से आर्मस लाईसैन्स जारी करने की ऐवज में 1,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
138	11 दिनांक 25.11.2020 धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक। **शिकायत पर दर्ज**	मनमीत सिंह पटवारी, हल्का खेडी महम, जिला रोहतक।	शिकायतकर्ताश्री विनोद कुमार पुत्र रामपाल निवासी खेडी महम, जिला रोहतक से उसके पिता का राजस्व रिकार्ड में नाम ठीक करवाने की एवेज में 4,000 रूपये रिश्वत की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
139	10 दिनांक 03.12.2020 धारा 13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट, 1988 थाना रा.चौ.ब्यू., पंचकूला। **सी०बी०आई० की सिफरिश दिनांक 29.05. 2020 व सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 62/43/2015–4चौ(।।) दिनांक 09.11.2020 पर दर्ज।**	नरेश कुमार श्योकन्द, तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला, सैक्टर–5, पंचकूला।	दिनांक 16.04.2012 से 12.02.2014 तक जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकूला रहे है उसके व उसकी पत्नी नीलम के बैंक खातों में 01.01. 2012 से 31.10.2015 तक 47,56,265/–रूपये जमा हुए हैं। नरेश कुमार श्योकन्द व उनकी पत्नी की वर्ष 2006 से 2015 में कुल आय रिर्टन अनुसार 55,07,853/–रूपये थी। इसी प्रकार उनके द्वारा अर्जित दो सम्पतियां 1,00,99,250/– रूपये की है। इसलिए उन्होने इस समय अवधि में 45,91,397/–रूपये की आय से अधिक सम्पति अर्जित की है।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
140	02 दिनांक 09.02.2021 धारा 7,13 पी.सी.एक्ट थाना रा.चौ.ब्यू. अम्बाला **जांच कमांक 01 दिनांक 28.01.2019, अम्बाला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 47/16/2018–3चौ(।) दिनांक 12.01.2021 पर दर्ज।**	श्री राजेन्द्र पाल अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला	सोलर पैनल की सब्सिडी जारी करवाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग करने बारे व रिश्वत की राशि को सीधा अपने खाता में डलवाने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
141	03 दिनांक 31.03.2021 धारा 7 पी0सी0 एक्ट, 1988.120–बी आई.पी.सी. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला।	अशोक राय, पटवारी कार्यालय पटवार भवन कैथल व किरणपाल सहायक, प्राईवेट पटवार भवन कैथल।	शिकायतकर्ता अमित कुमार से रजिस्टरी का इन्तकाल करवाने की एवज में 5,000/– रूपये की रिश्वत लेते हुये दोनों आरोपी रंगे हाथों पकड़े गये।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
142	05 दिनांक 06.05.2021 धाराधीन 7 पी0सी0	मंजीत पटवारी हल्का करोडा व कुकरकण्डा, जिला	जमीन की निशानदेही करवाने की ऐवज में 8,000/–	मुकदमा का	राजस्व एवं

	एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरों अम्बाला मण्डल अम्बाला।	कैथल।	रूपये (ऑनलाईन के माध्यम) की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया।	अनसुंधान प्रगति पर है।	आपदा प्रबंधन
143	05 दिनांक 01.06.2021 धाारा 7ए 13(1)(बी) पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल। **प्रारम्भिक जांच कमांक 01 दिनांक 05.12. 2019 जीन्द सरकार के यादी कंमांक 62/109/2019–4चौ0–।। दिनांक 10.05. 2021 पर दर्ज।**	सुभाष पटवारी, तहसील उचाना, जिला जीन्द।	शिकायतकर्ता से उसकी जमीन का इंतकाल दर्ज करवाने के लिए आरोपी द्वारा कुल 2000/–रू0 रिश्वत की मांग करके प्राप्त करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
144	08 दिनांक 10.08.2021 जेर धारा 7,7ए पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल	राममेहर कानूनगो हल्का बडांगांव जिला करनाल, सलमा रानी हल्का पटवारी भूसली जिला करनाल व सतबीर सिंह (दलाल/प्राईवेट व्यक्ति) जिला करनाल।	मुदई से उसकी कृषि भूमि की रिपोर्ट तैयार करने की एवेज में 5000 रुपये की मांग करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
145	12 दिनांक 26.10.2021 धारा 7 पी0सी0एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद।	1. कुलदीप पुत्र स्व0 श्री सुभाषचंद निवासी गांव चांदहट जिला पलवल 2. गजेन्द्र पुत्र स्व0 दीवान सिंह गांव छज्जूनगर जिला पलवल।	शिकायतकर्ता ताराचंद पुत्र जीतराम निवासी गांव मितरौल जिला पलवल से प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने की ऐवज मे आरोपीयों को 14,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
146	11 दिनांक 25.11.2021 जेर धारा 7 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल	नरेश कुमार पटवारी हल्का बदरपुर, करनाल	शिकायतकर्ता से उसकी जमाबन्दी का रिकॉर्ड दुरूस्त करने की एवज मे 4,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडे जाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
147	04 दिनांक 30.07.19 जेर धारा 218,409, 420,466,467, 468,471,120 बी0 भा0द0स0 व 13(1)सी0 डी0 13(2) पी0सी0 एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक। **जांच कमांक 07 दिनांक 10.06.2019 पचंकूला पर सरकार के यादी कमांक 38/08/2019–3चौ–1 दिनांक 17.03.2020 पर दर्ज।**	अनिल कुमार, राजेन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक, जितेन्द्र सिंह सहायक समाज क्लयाण एवं पिछडी जाति विभाग, हरियाणा चण्डीगढ व अन्य 11	अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रओं को मिलने वाली करोडों रूपये की सरकारी छात्रवृति को सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा आपस में मिलीभगत करके गबन करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण
148	03 दिनांक 10.09.2019धारा 406, 420, 466,	श्री जोगिन्द्र सिह दलाल, चैयरमैन, श्री जितेन्द्र	पोस्ट मैटरिक छात्रवृति स्कीम के तहत अनुसूचित	मुकदमा का	अनुसूचित जाति

	467, 468, 471, 120–बी भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर–17 पंचकूला। **जांच कमांक 07 दिनांक 10.06.2019, पंचकूला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 38/08/2019–3चौ(I) दिनांक 09.09.2019 पर दर्ज।**	यादव, रजिस्ट्रार, औ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय चुरू, राजस्थान, श्रीमती गुरदेव कौर, कुमारी रितिक सिह, वासीयान म0न0 303, चौपडा गार्डन, नजदीक सच्चर करियाना स्टोर, यमुनानगर, श्री मयंक चौधरी पुत्र सतिन्द्रपाल सिह निवासी ए–362, गोबिन्दपुरम, गाजियाबाद उतर प्रदेश, मुकेश कुमार पुत्र प्रेम पाल निवासी गांव गोबिन्दगढ, थाना लाडवा, जिला कुरूक्षेत्र।	जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रो को छात्रवृति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिलो के सम्बन्धित शिक्षा संस्थानो तथा मुख्यालय पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके आधार नम्बर व खाता नम्बर बदलकर अपने जानकार लोगों के खातों में छात्रवृति की राशि डालकर सरकार की करोड़ो रूपयें की राशि का गबन करना।	अनसुंधान प्रगति पर है।	एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
149	04 दिनांक 10.09.2019धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120–बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) पी0सी0 एक्ट, 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर–17 पंचकूला। **जांच कमांक 07 दिनांक 10.06.2019, पंचकूला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 38/08/2019–3चौ(I) दिनांक 09.09.2019 पर दर्ज।**	श्री अनिल कुमार, तत्कालीन उप निदेशक, श्री राजिन्द्र सांगवान, तत्कालीन उप निदेशक, श्री बिलेन्द्र सिंह, सहायक, श्री सुरेन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक कार्यालय अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ हाल निलम्बित अरूण कुमार पुत्र धर्म सिह निवासी गांव कलवार, थाना छप्पर, जिला यमुनानगर, श्री जोगिन्द्र सिह दलाल, चेयरमैन, ओ0पी0जे0 एस0 विश्व विधालय चूरू, राजस्थान, निवासी गांव चिडी, जिला रोहतक, हाल म0न0 133 बी0 रामगोपाल कालोनी, रोहतक श्री जितेन्द्र यादव, रजिस्ट्रार, औ0 पी0 जे0 एस0 विश्वविद्यालय चुरू, राजस्थान निवासी गांव बलावा, थाना सदर नारनौल, श्रीमती गुरदेव कौर, कुमारी रितिक सिह, वासीयान म0न0 303, चौपडा गार्डन, नजदीक सच्चर करियाना स्टोर, यमुनानगर, श्री मयंक चौधरी पुत्र सतिन्द्रपाल सिह निवासी ए–362, गोबिन्दपुरम, गाजियाबाद उतर प्रदेश, मुकेश कुमार पुत्र प्रेम पाल निवासी गांव गोबिन्दगढ, थाना लाडवा, जिला कुरूक्षेत्र।	पोस्ट मैटरिक छात्रवृति स्कीम के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रो को छात्रवृति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिलो के सम्बन्धित शिक्षा संस्थानो तथा मुख्यालय पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके आधार नम्बर व खाता नम्बर बदलकर अपने जानकार लोगों के खातों में छात्रवृति की राशि डालकर सरकार की करोड़ो रूपयें की राशि का गबन करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
150	18 दिनांक 18.12.2019, धारा 218,, 409,420,466, 467,471,120–बी भा0द0स0, . ,व 13(1) सी, 13(1)डी, R/W 13(2) पी.सी. एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	अधिकारी/कर्मचारी अनुसुचित जातियां एव पिछडे वर्ग कल्याण विभाग व अन्य	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति में छात्रों के आधार नम्बर व बैंक खाता नम्बर बदलकर अपात्र छात्रों को पैसे भेजने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	अनुसूचित जातियां एव पिछडे वर्ग कल्याण

	जांच कमाक न0 07 दिनांक 10.06.2019, पंचकूला पर सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 38/08/19–3चौ0। दिनांक 12.12. 2019 पर दर्ज।				
151	04 दिनांक 28.05.2020 धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120–बी भा द स व 13(1) सी, 13(1) डी, 13 (2) पी सी एक्ट थाना राज्य चौक्सी ब्यूरो करनाल। **जांच कमांक 07 दिनांक 10.06.2019 पचंकूला सरकार के यादी कंमांक 38/08/2019–3चौ0–। दिनांक 17.03.2020 पर दर्ज।**	1. श्री अनिल कुमार, तत्कालीन उप निदेशक 2. श्री राजिन्द्र सांगवान, तत्कालीन उप निदेशक 3. श्री बिलेन्द्र सिंह, सहायक 4. श्री सुरेन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक कार्यालय अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ हाल निलम्बित 5. संजय देसवाल, जिला कल्याण अधिकारी, पानीपत। 6. अरविन्द सांगवान निवासी 459 अर्बन एस्टेट–2 हिसार। 7. तेजपाल पुत्र तुलसी शर्मा निवासी खरक खुर्द जिला भिवानी।	पोस्ट मैटरिक छात्रवृति स्कीम के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रो को छात्रवृति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिलो के सम्बन्धित शिक्षा संस्थानो तथा मुख्यालय पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके आधार नम्बर व खाता नम्बर बदलकर अपने जानकार लोगों के खातों में छात्रवृति की राशि डालकर सरकार की करोड़ो रूपयें की राशि का गबन करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग।
152	05 दिनांक 28.05.2020 जेर धारा 218, 409, 466, 467, 468, 471,120 बी. भा0द0स0 व 13(1) सी0व डी0/13(2) पी0 सी0 एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल। **07 दिनांक 10.06.2019 पचंकूला सरकार के यादी कंमांक 38/08/2019–3चौ0–। दिनांक 17.03.2020 पर दर्ज।**	अनिल कुमार, उप निदेशक, राजेन्द्र सिंह सागवान, उप–निदेशक, (सेवानिवृत), अनुसूतिच जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग व अन्य।	पोस्ट मैटरिक छात्रवृति स्कीम के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रो को छात्रवृति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिलो के सम्बन्धित शिक्षा संस्थानो तथा मुख्यालय पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके आधार नम्बर व खाता नम्बर बदलकर अपने जानकार लोगों के खातों में छात्रवृति की राशि डालकर सरकार की करोड़ो रूपयें की राशि का गबन करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	अनुसूतिच जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण
153	02 दिनांक 09.01.19 जेर धारा 7,8,10 पी0 सी0 एक्ट व 120 बी भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल। **जांच कमांक 06 दिनांक 14.05.2018 पानीपत सरकार के यादी कंमांक**	अश्वनी मदान जिला समाज कल्याण अधिकारी पानीपत व अन्य।	आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता से दिव्यांगो को बांटे गये उपकरण पर खर्च किये गये बिलों की तसदीक व फाईल पर हस्ताक्षर करने की एवज में शिकायतकर्ता से 30,000/– रूपये की रिश्वत मांगने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	समाज कल्याण

	38/03/2018–3चौ0–। दिनांक 26.11.2018 पर दर्ज।				
154	01 दिनांक 19.01.2021 जेर धारा 406, 420, 467, 468, 471 भा0द0स0 व ईमीग्रेशन एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला। **जांच कमांक 06 दिनांक 13.09.2018, यमुनानगर पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 20/1/2018–4चौ(।) दिनांक 06.01.2021 पर दर्ज।**	राजेश शरण पुत्र स्व0 श्री रामशरण, वासी म0नं0 235, नजदीक चर्च, गांव तेजली डा0 खाना फतेहपुर, तह0 जगाधरी जिला यमुनानगर।	खेल विभाग में सरकारी नियुक्ति पर होते हुए, अपनी फैडरेशन बना कर एक लाख 20 हजार रूप्ये प्रति खिलाडी को राष्ट्रीय स्तर पर ड्रैगन बोट फैडरेशन की प्रतियोगिता से भाग लेने के फर्जी सर्टिफिकेट अध्यक्ष ड्रैगन बोट फैडरेशन ऑफ इण्डिया के हस्ताक्षर करके तैयार करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	खेल एवं युवा मामले
155	07 दिनांक 14.09.2020 धाराधीन 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 49 सन् 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक जोकि शिकायत पर दर्ज किया गया है।	प्रवीण, हल्का जे.ई., डी.टी.पी. कार्यालय, झज्जर	शिकायतकर्ता से उसके द्वारा पी०एम० योजना के तहत लिये गये लोन का डी.टी.पी. कार्यालय, से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने की एवेज में 10,000/– रूप्ये रिश्वत की मांग करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	नगर एव ग्राम आयोजना
156	06 दिनांक 15.09.2020, धारा 7 पी0सी0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **शिकायतकर्ता श्री अमरजीत पुत्र श्री पूर्ण सिंह, परिचालक, हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा की शिकायत पर दर्ज किया गया है।**	पृथ्वीराज, लिपिक, हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा।	बच्चों का शिक्षा भत्ता, देने की एंवज में 8,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	परिवहन
157	01 दिनांक 21.01.2021 धारा 13(।)ई 13(2)पी. सी. एक्ट थाना रा.चौ.ब्यू. अम्बाला **जांच कमांक 05 दिनांक 24.06.2014, अम्बाला सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 51/12/2014–2चौ(।) दिनांक 28. 12.2020 पर दर्ज।**	श्री जिले सिंह सहायक आर.टी.ए. पुत्र श्री सुजान सिंह गांव बोरियावास रेवाडी	अवैध तरीकों से धन कमाकर अवैध चल–अचल सम्पति अर्जित करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	परिवहन
158	04 दिनांक 16.06.2021 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी0 भा0द0स0 व 13(2) व 13(1) सी0 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम **(यह अभियोग जांच कमांक 02 दिनांक 17.09.2019, रेवाडी पर चौकसी विभाग के यादि कमांक**	1. श्री शेर सिंह कार्यशाला प्रबन्धक 2. श्री महेन्द्र सिंह, यातायात प्रबन्धक 3. श्री हरद्वारी लाल लेखा अधिकारी 4. श्री रविन्द्र दींगरा, लेखा अधिकारी 5. श्री बाबूलाल भवन निरीक्षक	हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों से कमीशन लेने, कमीशन न देने की सूरत में झूठे केस में फंसवाने तथा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने बारे व 80 लाख रूपये के बिलो पर हस्ताक्षर करके गबन करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	परिवहन

	51/24/17–2 चौ–। दिनांक 27.05.2021 की अनुपालना मे दर्ज किया गया।)				
159	09 दिनांक 14.02.2009, धारा406,409, 465,467,468, 471,120–बी भा0द0स0, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमाक न0 11 दिनांक 22.10.2007, हिसार पर सरकार चौकसी विभाग के पत्र कमांक 55/22/07–1चौ0 ।। दिनांक 03. 02.2009 पर दर्ज।**	अधिकारी/कर्मचारी, नगर निगम, हिसार व ठेकेदार	नगर निगम हिसार में निर्माणाधीन 43 कार्यो के टैन्डर देने मे अनियमितताएं करके सरकार का 25–30 लाख रूपये का गबन करना	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
160	32 दिनांक 23.07.2015 धारा 7,13 (1)डी0 पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरूग्राम **(यह अभियोग जांच कमांक 10 दिनांक 19.12.11, गुरूग्राम पर चौकसी विभाग के यादि कमांक 52/31/11–1 चौ–।। दिनांक 12.06.2015 की अनुपालना मे दर्ज किया गया।)**	दिलबाग सिह जे.ई. नगर निगम गुरूग्राम।	सी0डी0 में दर्ज वार्तालाप में दिलबाग सिंह जे0ई0 नगर निगम गुरूग्राम ने शीतला माता रोड़ पर एक प्लाट पर अवैध निर्माण करवाने के लिए श्री ओ0पी0 कटारिया से रिश्वत की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
161	51 दिंनाक 03.12.2015 धारा 420,120बी0 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम। **(यह अभियोग जांच कमांक 04 दिनांक 19.11.2013, नारनौल पर चौकसी विभाग के यादि कमांक 58/37/13–1 चौ–।। दिनांक 16.10.2015 की अनुपालना मे दर्ज किया गया।)**	1. चमन लाल, नगर अभियंता, नगर परिषद नारनौल। 2. महाबीर शर्मा सचिव, नगर परिषद नारनौल। 3. 3महाबीर प्रसाद, कर निरीक्षक 4. स्तीश शर्मा, उप मण्डल अभियन्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाडी। 5. ज्वाहर लाल, उप मण्डल अभियन्ता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 6. नरेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 7. रविन्द्र कुमार उप मण्डल अभियन्ता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 8. आशुजैन पुत्र राजकुमार निवासी पुरानी सराय नारनौल	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नारनौल के अधिकारियों के साथमिलीभगत करके साईट प्लान के अनुसार बाबा खेतानाथ शोपिंग कैम्पलैक्स के निर्माण मे अनियमितता बरतने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय

		9. दिवान सिंह पुत्र उमराव निवासी भगवाडी 10. मोहन लाल पुत्र सुरजाराम निवासी शिव कालोनी नारनौल। 11. हरबंश सिंह अरोडा तत्कालीन भूमि अर्जन अधिकारी 12. पी0के0 गर्ग कार्यकारी अभियन्ता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 13. अशोक पटवारी 14. मीर सिंह पटवारी निवासी सुरहेती 15. स्वरूप चन्द कानूनगो भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय 16. श्रीमति मधुसमिता, तत्कालिन नगर योजनाकार, नारनौल			
162	02 दिनांक 02.02.2017, धारा 8,49,88 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमाक न0 03 दिनांक 11.07.2016, भिवानी पर सरकार चौकसी विभाग के पत्र कमांक 52/23/2016–....चौ0। दिनांक 05. 07.2016 पर दर्ज।**	अशोक कुमार, काउसैलर, वार्ड न0 25, भिवानी	शिकायतकर्ता के यूनिट नम्बर को पंजीकृत करवाने व घर का नक्शा पास करवाने की एवज में 22,000 रूप्ये रिश्वत के मागने बारे	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
163	21 दिनांक 20.09.2017, धारा 7 पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमाक न0 05 दिनांक 14.07.2015, फतेहाबाद पर सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 52/74/15–2चौ0।। दिनांक 09.08.2017 पर दर्ज।**	श्रीमति मनजीत कौर, लिपिक, नगरपरिषद, रतिया, जिला फतेहाबाद व अन्य	ठेकेदार विजय कुमार जिसके कार्य के बिल पास हो चुके थे, कुल राशि पर 9 प्रतिशत अवैध कमीशन की मांग करना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
164	07 दिनांक 16.03.2018, धारा 406,420,467,468,471,120बी भा.द.स. 0व 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। **जांच कमाक न0 02 दिनांक 05.02.2015, भिवानी पर सरकार चौकसी विभाग के पत्र**	अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग व अधिकारी/कर्मचारी नगर परिषद, बबाणी खेडा, जिला भिवानी, तथा ठेकेदार	सी.डब्लु.पी. नं० 12643/2014 में दिए गए 79,57,713/–रूपये निर्माण कार्यो के अदा न करने बारे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को न मानने बारे व अपने पद का दुरूप्योग करने बारे दर्ज किया गया	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय

	क्रमांक 52/10/2015–2चौ0।। दिनांक 01.03.2018 पर दर्ज।				
165	14 दिनांक 06.06.2018 धारा 467, 468, 420 भा0द0स0 व ,13(बी) पी.सी. एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	जयवीर एम.ई. व अन्य अधिकारी, नगर परिषद, टोहाना, जिला फतेहाबाद।	आपस में मिलीभगत करके ट्रिब्यून अखबारदिनांक 13.10.2017 मेंटैन्डर खुलने की तारिख 16.11.2017 की घोषणा करके निर्धारित तिथि से दो दिन पहले दिनांक 14.11.2017 को टैन्डर खोलने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
166	7 दिनांक 26.06.18 धारा 409, 120बी0, भा0द0स0 व 13(1)सी, 13(1)डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद **(यह अभियोग जांच क्रमांक 03 दिनांक 15.05.2012, मेवात पर चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 52/12/12–1चौ(।।) दिनांक 01.05.2018 की अनुपालना मे दर्ज किया गया है।)**	1. लख्मी चन्द राघव तत्कालीन पालिका अभियन्ता हथीन, 2. राकेष कुमार तत्कालीन कनिश्ठ अभियन्ता हथीन हथीन 3. बलराम मंगला सचिव नगर पालिका हथीन, 4. श्रीमती सरोज देवी तत्कालीन प्रधान नगर पालिका हथीन, 5. षैकूल ठेकेदार	नगरपालिका हथीन के कर्मचारी व अधिकारियों ने ठेकेदार से मिलीभगत करकेकराये गये विकास कार्यो मे सरकार को राशि 6,13,698/– रूपये की राशि गबन करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
167	06 दिनांक 01.08..2018 धारा 120बी 420,467,468, 471, भा0द0स0 थाना रा0चौ0ब्यूरों अम्बाला। **जांच क्रमांक 07 दिनांक 29.09.2014, अम्बाला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 52/20/2014–2चौ(।।) दिनांक 12.07.2018 पर दर्ज।**	कृष्ण कुमार यादव, मोहन लाल लिपिक, मोहन लाल लिपिक, विक्रम कत्याल व अन्य।	नगर निगम अम्बाला में नियुक्त रहे सचिव श्री के.के. यादव, श्री. डी.के. मंगला, एम. ई. व सहायक मोहन लाल तथा अन्य अधिकारियों ने सभी नियमों व कानूनों को ताक पर रख कर दलालों/प्रोपर्टी डिलरों भूमाफियों के साथ मिली भगत करके जिस भूमि की सरकार द्वारा अनुमति नही दी गई, के एन.ओ.सी. बनाने में सरकार को करोडो का चुना लगाने बारें।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
168	09 दिनांक 06.08.2018 धारा 120बी, 218, भा. द.स. व 13 (I) डी.पी.सी. एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अमला। **जांच क्रमांक 08 दिनांक 31.12.2013, अम्बाला पर सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा के आदेश दिनांक 52/65/2013–2चौ(।।) दिनांक 23.07.2018 पर दर्ज।**	डी.के.मंगला एम.ई. अम्बाला, सुरेन्द्र वर्मा भवन निरीक्षक व दर्शन लाल भवन निरीक्षक	अम्बाला शहर में अनप्रवूड कालोनियों के अवैध नक्शें पास करके सरकार को लाखों रूपये का राजस्व का नुक्सान पहुंचाने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
169	26 दिनांक 10.12.2018, धारा 384, 120–बी0 भा0द0स0 व 7, 8, 13 पी0सी0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	1. सुरजीत ओढ, कांउसलर। 2. मंदीप कौर 3. कमला भुक्कल, जिला कांउसलर, जिला	जिला परिषद में प्रस्तुत कोन्फिडैंस मोशन में शिकायतकर्ता की पत्नी के पक्ष में वोट देने की एवंज में 3,50,000/–रूपये लेते रंगे हाथों गिरफतार किया	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर	शहरी स्थानीय निकाय

		फतेहाबाद। 4. टी0टी0राम, निवासी गांव बादलगढ़, जिला फतेहाबाद। 5. महेन्द्र, निवासी गांव जंडवाला, जिला फतेहाबाद। 6. महेन्द्र, वासी गांव मटाना, फतेहाबाद।	गया है।	है।	
170	04 दिनांक 13.02.2019 420,120–बी0 भा0द0स0 व 13(1)डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम। **(यह अभियोग जांच कमांक 01 दिनांक 18.02. 2016, नारनौल पर चौकसी विभाग के यादि कमांक 52/97/15–2 चौ–।। दिनांक 03. 12.2018 की अनुपालना मे दर्ज किया गया।)**	चमन लाल पुत्र श्री रामचन्द्र तत्कालीन ME नगर पालिका महेन्द्रगढ़।	आरोपी ने रिश्वत लेकर गलत एन0ओ0सी0 जारी करने, जबकि एन0ओ0सी0 जारी करना आरोपी के अधिकार क्षेत्र मे नही आता है।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
171	128 दिनांक 23.05.2019 धारा 409,420,120बी भा0द0स0 वा 13 (1) डी0 पी0सी0 एक्ट थाना शहर कैथल। **यह अभियोग पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के यादि कमांक 144814/स्पैशल सैल दिनांक 20.12.2019 द्वारा डा0 रजनीश गर्ग, ए0डी0सी0/सी0एम0, हरियाणा की अनुशसंशा पर उनके कार्यालय के यादी कमांक ए0डी0सी0(आर0जी0/ सी0एम0/2019/ सी0एफ0एम0एस0न0 49251 दिनांक 17.12.2019) स्थानातरित किया गया है।**	विक्रम सिंह, पुत्र श्री सूरत सिंह, सानिया खेड़ा, जिला सोनीपत, तत्कालीन ईओ, नगर परिषद, कैथल और 11 नामित आरोपी आदि।	श्रीमति सीमा कश्यप, चैयरपर्सन, मुनिसिपल काउंसिल व अधिकारी/कर्मचारी, एम०सी०, कैथल द्वारा वर्ष 2018 में मैसर्स गर्ग एण्ड कम्पनी को गैर–कानूनी तरीके से अनुचित टैण्डर/ठेका व गलत भुगतान करने बारे।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
172	04 दिनांक 19.02.2021 धारा 7 पी0सी0एक्ट थाना रा0चौ0ब्यू0 फरीदाबाद	नरेन्द्र, लिपिक (अनुबन्ध आधार) विज्ञापन शाखा, नगर निगम फरीदाबाद।	शिकायतकर्ता अमर सिंह से अपनी बी0पी0टी0पी0 लोहे के पोल पर विज्ञापन लगाने और आरोपी, द्वारा उसे ना फाडने की एवज मे 8000/– रुपये रिश्वत लेते समय रंगे हाथो गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी स्थानीय निकाय
173	04 दिनांक 04.05.2021 धाराधीन 7ए पी0सी0 एक्ट 1988 व 120–बी, 201 भा०द०सं० थाना	1. सुरेश कश्यप पुत्र श्री जंगीर सिंह वासी होम न0 411/12 अशोका गार्डन कालोनी कैथल।	सुरेश कश्यप व शिवा कश्यप सीमा द्वारा सीमा कश्यप चेयरपर्सन नगर परिषद कैथल के हस्ताक्षर करवाने	मुकदमा का अनसुंधान	शहरी स्थानीय निकाय

	राज्य चौकसी ब्यूरों अम्बाला।	2. शिवा कश्यप सुपुत्र सुरेश कश्यप वासी होम न0 411/12 अशोका गार्डन कालोनी कैथल। 3. सीमा कश्यप सुपुत्र सुरेश कश्यप वासी होम न0 411/12 अशोका गार्डन कालोनी कैथल।	की ऐवज मे 3,00,000/– रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़े गये।	प्रगति पर है।	
174	04 दिनांक 31.05.2021 धाराधीन 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल।	सुधीर कुमार, रि–अम्पलाईमैन्ट के रूप में मुख्य सैनीटरी निरीक्षक, कार्यालय नगर निगम, पानीपत, पुत्र श्री पूर्ण कुमार अरोड़ा निवासी म0न0 866,सैक्टर 13/17, पानीपत।	शिकायतकर्ता के टैण्डर की अवधि बढ़वाने व उसके लम्बित बिलों को पास करने की एंवज में 13,70,000/– लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाना।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	शहरी एवं स्थानीय निकाय
175	10 दिनांक 19.11.2020 धारा 7/49/88 पी0सी0एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक	1. नसीर अहमद, फाईल रैन्ट कलैक्टर, वक्फ बोर्ड, रोहतक। 2. आलोक पथ, ई.ओ0 ˙ वक्फ बोर्ड, रोहतक।	आरोपी को शिकायतकर्ता की रेन्टल फाईल को वक्फ बोर्ड, मुख्यालय, अम्बाला भेजने की एवेज में 50,000 रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफतार किया गया।	मुकदमा का अनसुंधान प्रगति पर है।	वक्फ बोर्ड

————————————

Delay in Development Works

580. Shri Balraj Kundu: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the reasons for delay in issuing the tenders for the development works upto 5 crore in Meham Constituency under the Hon'ble Chief Minister announcement code 25284; and

(b) the reasons for unnecessary delay in making estimates after checking of feasibility by the local municipality administration for abovesaid development works in Meham?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) विधायक महम द्वारा सिफारिश किये गए विकास कार्यों की निविदाएं जारी नहीं की गईं क्योंकि अधिकांश सिफारिश किये गए कार्य नगर पालिका के अस्वीकृत क्षेत्र के थे।

(ख) विधायक महम की, मुख्यमंत्री घोषणा सख्या 25284 के अर्न्तगत 18 विकास कार्यों की पुनः सिफारिश दिनांक 09.11.2021 को नगर पालिका में प्राप्त हुई। इनमें से केवल 8 कार्य ही करवाने लायक पाए गए जिनके अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि विकास एवं पंचायत विभाग की रिर्पोट अनुसार, सीएम घोषणा सख्या 25284 के तहत 485.46 लाख रुपये के विकास कार्य पहले ही महम निवाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र मे किए जा चुके है, जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए इस घोषणा के तहत अनुमान तैयार करने के लिए मामूली गुंजाइश (यानी 14.14 लाख रुपये) शेष है क्योंकि सीएम घोषणा कोड 25284 के तहत 500.00 लाख रुपये की राशि सीमित है।

———————

Spread of Dengue

551. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that cases of dengue are on rise in Sonepat District especially in Gohana Assembly Constituency and as per report more than ten thousand peoples have been infected so far; and

(b) If so, the name of villages in which mosquito fogging operations have been conducted by the Government in Sonepat District and Gohana Assembly Constituency?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): महोदय,

1. वर्ष 2021 के दौरान, डेंगू का प्रकोप पूरे हरियाणा राज्य में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ साथ पूरे देश में भी पाया गया। **जनवरी 2021 से 15 दिसम्बर 2021** तक जिला सोनीपत में कुल 996 डेंगू पाजिटिव केस रिपोर्ट किये गये और गोहाना विधानसभा क्षेत्र से कुल 167 डेंगू पॉजिटिव केस रिपोर्ट किये गये थे।

2. फोगिंग गतिविधि रूटीन में की जाने वाली गतिविधि नहीं है । यह केवल आउटब्रेक जैसी स्थिति होने पर एवं जब एक ही जगह पर अत्याधिक डेंगू पोजिटीव केस रिपोर्ट होते हैं, वहॉ तुरन्त प्रभाव से वयस्क मच्छरों को मारने के लिए फोगिंग की कार्यवाही की जाती है। सरकार के द्वारा जिला सोनीपत एवं गोहाना विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले गांवों में करवाई गई फोगिग गतिविधियां का ब्यौरा **सूची 'क'** में संलग्न है जो कि निम्न प्रकार है:–

सूची–क

जिला सोनीपत में की गई फोगिंग कार्यवाही की रिपोर्ट।

क्र.स.	गांव/शहर का नाम	फोगिंग करने वाली संस्था का नाम
1.	बिधल	पंचायती राज
2.	बारोटा	पंचायती राज
3.	ककाना	पंचायती राज
4.	राई	पंचायती राज
5.	बडौली	पंचायती राज
6.	मनौली	पंचायती राज
7.	जुआं	पंचायती राज
8.	मौहाना	पंचायती राज
9.	बहालगढ़	पंचायती राज
10.	जौसी चौहान	पंचायती राज
11.	सेहरी	पंचायती राज
12.	खांडा	पंचायती राज
13.	खरखौदा	पंचायती राज
14.	अगवानपुर	पंचायती राज
15.	बेगा	पंचायती राज
16.	सन्पेड़ा	पंचायती राज
17.	लडसौली	पंचायती राज
18.	दतौली	पंचायती राज
19.	खेडी तगा	पंचायती राज
20.	षाहपुर तगा	पंचायती राज

21.	घसौली	पंचायती राज
22.	पीर गढ़ी	पंचायती राज
23.	पुरखास	पंचायती राज
24.	पंची	पंचायती राज
25.	भिगान	पंचायती राज
26.	भौरा रसूल पुर	पंचायती राज
27.	गढी झझारा	पंचायती राज
28.	रसुलपुर	पंचायती राज
29.	पांची जाटान	पंचायती राज
30.	पांची गुजरान	पंचायती राज
31.	बड़ी	पंचायती राज
32.	चिरस्मी	पंचायती राज
33.	डमेदगढ़	पंचायती राज
34.	पपनेरा	पंचायती राज
35.	ग्यासपुर	पंचायती राज
36.	मलिक पुर	पंचायती राज
37.	मिमारपुर	पंचायती राज
38.	बायगढ़ी	पंचायती राज
39.	दफरपुर	पंचायती राज
40.	भटाना जाफराबाद	पंचायती राज
41	मुरथल विष्वविद्यालय	स्वास्थ्य विभाग
42.	सेवली	स्वास्थ्य विभाग
43.	सैक्टर 15 सोनीपत	स्वास्थ्य विभाग
44.	सैक्टर 23 सोनीपत	स्वास्थ्य विभाग
45.	सांई बहालगढ़	स्वास्थ्य विभाग
46.	एच.एस.आई.डी.सी. राई	स्वास्थ्य विभाग
47.	सैक्टर 14 सोनीपत	स्वास्थ्य विभाग
48.	वैस्ट रामनगर सोनीपत	स्वास्थ्य विभाग
49.	विकास नगर सोनीपत	स्वास्थ्य विभाग
50.	गीता भवन चौक	स्वास्थ्य विभाग
51.	मलिक कालोनी	स्वास्थ्य विभाग
52.	प्रगति नगर	स्वास्थ्य विभाग
53.	शास्त्री कालोनी	स्वास्थ्य विभाग
54.	देव नगर	स्वास्थ्य विभाग
55.	सैक्टर 12 सोनीपत	स्वास्थ्य विभाग
56.	सिविल हस्पताल कम्पस सोनीपत	स्वास्थ्य विभाग
57.	गोहाना अरबन शहर	यू.एल.बी./ मार्केट कमेटी
58.	गन्नौर शहर	यू.एल.बी./ मार्केट कमेटी
59.	सोनीपत अरबन शहर	यू.एल.बी./ मार्केट कमेटी

To Repair the Minor

544. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the minor constructed in village Jogiwala of Ellenabad Assembly constituency if damaged; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said minor; if so, the time by which the said minor is likely to be repaired togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि इसके मुख्य चैनल खेडी रजवाहे की बुर्जी संख्या 0–157000 के पुनर्वास/रिमॉडलिंग का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और बुर्जी संख्या 122000 तक का कार्य भी पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य 31.12.2022 तक पूरा होने की संभावना है। खेडी रजवाहे का कार्य पूरा होने के बाद जोगीवाला माईनर के पुनर्वास/रिमॉडलिंग का कार्य वर्ष 2023–24 के दौरान शुरू होने की संभावना है क्योंकि इसके अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में कोई समस्या नहीं है।

———————

Reservation Policy in Sports University

536. Shri Ishwar Singh: Will the Education Minister be pleased to State-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish a Sport University in State; and

(b) if so, the details of the reservation policy adopted by the Government in the admission of Sports University for the category of SC/BC students and residents of State?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह): (क) राई,जिला सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक संशोधित विधेयक 2021 के बजट सत्र में हरियाणा विधान सभा के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखा गया था, जो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की प्रवर समिति के विचाराधीन है।

(ख) आरक्षण नीति के संबंध में अगर प्रवर समिति के कोई दिशा निर्देश होंगे तो विभाग द्वारा खेल विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु नया विधेयक तैयार करते समय विधिवत परीक्षण कर लिया जाएगा।

———————

Number of Stadiums

510. Shri Bishan Lal Saini: Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state the total number of stadium constructed in the Radaur Assembly Constituency from the last year till to date togetherwith the number of coaches appointed therein alongwith the details thereof?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : रादौर विधानसभा क्षेत्र में तीन राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर गांव नागल में (वर्ष 2009 में पूर्ण), बरसान (2011) तथा गोलनी (2011) में पहले से ही निर्मित हैं। पिछले एक वर्ष में रादौर विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में कोई नया स्टेडियम नहीं बनाया गया हैं, इसलिए गत वर्ष कोई कोच नियुक्त नहीं किया गया है।

———————

To Renovate the Canals

592. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to renovate the following minors/canals in Badhra Assembly Constituency:-

(i) Kheri Sanwal Minor;

(ii) Kheri Bura Minor;

(iii) Todi Minor;

(iv) Gothra Sub Minor;

(v) Bijna Minor;

(vi) Kudal Distributary;

(vii) Birhi Minor;

(viii) Pichopa Minor;

(ix) Badhwana Distributaries; and

(b) if so, the time by which the abovesaid minors/canals are likely to be renovated?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) हां, श्रीमान जी। धन की उपलब्धता के आधार पर ही कार्य करवाया जाएगा।

(ख) बधवाना डिस्ट्रीब्यूट्री, जिसका पुनरोद्धार 2011–12 और 2018–19 के दौरान किया गया था, को छोड़कर उपरोक्त माईनरों/नहरों के पुनर्वास का कार्य 31.03.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

————————

Details of Disposal

604. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there was a disposal on Dabua Chowk of NIT Faridabad Assembly Constituency, if so; the details of the functioning of the said disposal; and

(b) the time when the said disposal was removed from the Dabua chowk togetherwith the name of the authority by whose orders the said disposal was removed alongwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) हाँ, श्रीमान जी, डाबुआ चौंक पर सीवर/नाले के ओवरफ्लो होने के कारण एक अस्थायी निपटान की व्यवस्था की गयी थी। तत्पश्चात 27 फीट चौड़ी सड़क पर सीवरलाइन को 60 फीट चौड़ी सड़क पर मुख्य सीवर लाइन से जोड़ा गया और 27 फीट चौड़ी सड़क पर नाले को 60 फीट चौड़ी सड़क पर प्याली चौक की ओर मुख्य नाले से जोड़ा गया। तीन महीने के स्थल अवलोकन के बाद, यह महसूस किया गया कि इस अस्थायी निपटान की अब आवश्यकता नहीं है क्योकि सीवर/नाला का कोई अतिप्रवाह नहीं था और इसलिए निगम के वित्तीय हित में साइट से अस्थायी निपटान हटा दिया गया था।

(ख) वर्ष 2017 में डबुआ चौक स्थल से अस्थाई निपटान पूर्ण रुप से हटा दिया गया था ताकि नगर निगम फरीदाबाद को किसी भी तरह की कोई वित्तीय हानि न हो।

————————

Repair of Roads

564. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the time by which the link road from village Bagwala to Bagwali to Samanwa in Kalka Assembly Constituency is likely to be constructed by the Government?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): हाँ श्रीमान जी, गांव बागवाला से बागवाली तक योजक सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सम्बन्धित है। इस सड़क की कुल लम्बाई 1.75 कि.मी. है तथा यह सड़क वर्ष 2002 के दौरान बनाई गई थी। इस सड़क की विशेष मुरम्मत के लिए 47.16 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति 15.12.2021 को प्रदान की गई है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 14.01.2022 को निविदा आमन्त्रित की गई है और यह कार्य 2022–23 में पूरा होने की सम्भावना है। बागवाली से समानवा, ठरवा होते हुए सड़क की लम्बाई 2.95 कि. मी. है तथा पक्की चौड़ाई 3.66 मीटर जो कि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) से सम्बन्धित है। इस सड़क पर 10/2016 के दौरान अंतिम मरम्मत 20 मि. मी. प्रीमिक्स कारपेट के द्वारा किया गया था। यह सड़क यातायात योग्य स्थिति में है।

———————

Fresh Appointments of Lambardars

522. Shri Varun Chaudhary: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the reasons for which the fresh appointments of Lambardars including Sarbarah Lambardars have been freezed by the Government in the State ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान जी, सरकार नम्बरदारों की आवश्यकता तथा उनके कार्यों का वर्तमान आधुनिक परिस्थितियों में आकलन कर रही है। उक्त के मद्देनज़र नम्बरदारों तथा सरबराह नम्बरदारों की नई नियुक्ति पर रोक लगाई गई है।

———————

Policy For Management of Solid Waste

581. Shri Balraj Kundu: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any policy under consideration of the Government for management of solid waste in villages of State; if so, the details thereof ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): महोदय, गांवो में ठोस कचरा प्रबंधन हेतू स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की निधि तथा राज्य की अन्य निधियों के अभिसरण से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड तथा तिपहिया–साइकिल जैसी आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम पंचायतो द्वारा गांव की आबादी के अनुसार गांवों में सफाई कर्मचारी भी नियुक्त किए हुए हैं।

———————

Details of Doctors

552. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Health Minister be pleased to state the names and details of doctors posted for counselling and treatment of HIV patients in BPS Mahila Medical College Khanpur Kalan?

स्वास्थय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी , बी.पी.एस. महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपूर, कलां, सोनीपत में एच.आई.वी. रोगियों के परामर्श और उपचार के लिए तैनात चिकित्सक का विवरण **अनुबंध–क** में रखा गया है। इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत डी0एन0बी0, पी0जी0 और जूनियर रेजिडेंट भी एच.आई.वी. रोगियों के परामर्श और उपचार में समय–समय पर शामिल किए जाते हैं।

अनुबन्ध– क

बी0पी0एस0 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खानपूर कलां, सोनीपत में एच0आई0वी0 रोगियों की कांसलिंग एंव उपचार हेतू पदस्थापित का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0स0	चिकित्सक	पद	टिप्पणी
पीडियटरिक			
1	डा0 मनोज रावल	प्रोफेसर	–
2	डा0 प्रीती रैकवार	प्रोफेसर	–
3	डा0 महेश कुमार	असीसटैंट प्रोफेसर	–
4	डा0 संजय	असीसटैंट प्रोफेसर	–
5	डा0 राधा मोहन राणा	असीसटैंट प्रोफेसर	–
6	डा0 दीपक	सिनियर रैजिडैंट	–
जरनल सर्जरी			
1	डा0 एम0के0 गर्ग	प्रोफेसर	–

2	डा0 संजीव सिंगला	प्रोफेसर	—
3	डा0 मुकेश संगवान	प्रोफेसर	—
4	डा0 पुशपिदंर मलिक	सहायक प्रोफेसर	—
5	डा0 रोहित विरमानी	सहायक प्रोफेसर	—
6	डा0 अजेन्द्र सिंह	सहायक प्रोफेसर	—
7	डा0 चंद्र भान	सहायक प्रोफेसर	—
8	डा0 अलोक गोयल	सिनियर रैजिडैंट	—
9	डा0 प्रशांत शर्मा	सिनियर रैजिडैंट	—
10	डा0 अनुप यादव	सिनियर रैजिडैंट	—
11	डा0 भुपेश	सिनियर रैजिडैंट	—
ओफथल्मोलोग्य			
1	डा0 अनुपमा टंडन	प्रोफेसर	—
2	डा0 सुमीता सेठी	प्रोफेसर	—
3	डा0 सोनिया भार्गव	सह—प्रोफेसर	—
4	डा0 नीधि सिंह	सिनियर रैजिडैंट	—
एनेस्थीसिया			—
1	डा0 प्रणव बंसल	प्रोफेसर	—
2	डा0 मीनू अग्रवाल	प्रोफेसर	—
3	डा0 सरवेश	प्रोफेसर	—
4	डा0 किर्ती अहुजा	सह—प्रोफेसर	—
5	डा0 मीना सिंह	सह—प्रोफेसर	—
6	डा0 प्रतीक	असीसटैंट प्रोफेसर	—
7	डा0 सीमा	असीसटैंट प्रोफेसर	—
जरनल मेडिसन			
1	डा0 नवतेज सिंह	प्रोफेसर	—
2	डा0 सोनिका लांबा	सह—प्रोफेसर	—
3	डा0 तरून	सह—प्रोफेसर	—
4	डा0 रविंद्र	सह—प्रोफेसर	—
आर्थोयपेडिक			
1	डा0 अनील गुलिया	प्रोफेसर	—
2	डा0 संजीव बंसल	सह—प्रोफेसर	—
3	डा0 गोरव	सह—प्रोफेसर	—
4	डा0 धारवीन	मेडिकल ओफिसर	—
5	डा0 नरेश कुमार	सिनियर रेजिडेट	—
6	डा0 मोहम्मद बिलाल खान	सिनियर रेजिडेट	—
ओबस्ट एंड गाईनी			
1	डा0 राजीव महेन्दरू	प्रोफेसर	—
2	डा0 सुनीता सिवाच	प्रोफेसर	—
3	डा0 विजयता	प्रोफेसर	—
4	डा0 पिंकी	सह—प्रोफेसर	—
5	डा0 शिवानी	सह—प्रोफेसर	—
6	डा0 मनीशा उपाध्याय	असीसटैंट प्रोफेसर	—
7	डा0 स्वाती शोराण	सिनियर रेजिडैंट	—
ई0एन0टी0			
1	डा0 उमा गर्ग	प्रोफेसर	—
2	डा0 अमीत कुमार	सह—प्रोफेसर	—
3	डा0 नवीन कुमार	सह—प्रोफेसर	—
4	डा0 नेहा सालारीया	असीसटैंट प्रोफेसर	—
5	डा0 सुरेंद्र	असीसटैंट प्रोफेसर	—

6	डा0 दीपक वर्मा	असीसटैंट प्रोफेसर	–
7	डा0 रणवीर सिंह	सिनियर रेजिडैंट	–
आर0 मेडिसन			
1	डा0 आनन्द अग्रवाल	प्रोफेसर	–
2	डा0 कमलजीन सिंह	असीसटैंट प्रोफेसर	–
3	डा0 सुनैना	असीसटैंट प्रोफेसर	–
स्कीन एंड वी0डी0			
	डा0 उषा काटारिया	प्रोफेसर	–
	डा0 रचना वर्मा	असीसटैंट प्रोफेसर	–
डेन्टीस्टरी			
1	डा0 सुनील यादव	प्रोफेसर	–
2	डा0 सुनीता मलीक	प्रोफेसर	–
3	डा0 हिमांशु	सिनियर रेजिडैंट	–
4	डा0 अश्वीन वी0	सिनियर रेजिडैंट	–
साईकैटरी			
1	डा0 सन्नी गर्ग	असीसटैंट प्रोफेसर	–
रेडियोलोजी			
1	डा0 चिर्णजीवी कुमार गठवाल	सह–प्रोफेसर	–
2	डा0 तरून नारंग	सह–प्रोफेसर	–
3	डा0 प्रतीक सिंह	असीसटैंट प्रोफेसर	–
ब्लड ट्रास्फयूजन डिपार्टमैंट			
1	डा0 रागिनी सिंह	असीसटैंट प्रोफेसर	–
2	डा0 कनीका मक्कार	सिनियर रेजिडैंट	–
यूरोलोजी			
1	डा0 अतूल के0 खन्देलवाल	प्रोफेसर	–
पेडस सर्जरी			
1	डा0 धीरज परीहार	प्रोफेसर	–
2	डा0 वीपन	असीसटैंट प्रोफेसर	–
न्यूरो सर्जरी			
1	डा0 दीनेश वर्मा	असीसटैंट प्रोफेसर	–
कार्डीयोथोरैकिक			
1	डा0 पुलकीत मल्होत्रा	असीसटैंट प्रोफेसर	–
क्जूयेल्टी मेडिकल ओफिसर			
1	डा0 कपील कुमार स्वामी	सी0एम0ओ0	–
2	डा0 प्रवीन कुमार	सी0एम0ओ0	–
3	डा0 रवींद्र	सी0एम0ओ0	–
4	डा0 राजेद्र सिंह	सी0एम0ओ0	–
5	डा0 सनयाम जैन	सी0एम0ओ0	–
6	डा0 मनोज	सी0एम0ओ0	–
7	डा0 सिमरन	सी0एम0ओ0	–
काउसंलर			
1	डा0 प्रोमिला	एस0टी0आई0 काउसंलर	–
2	डा0 मीनू	आई0सी0टी0सी0 काउसंलर	–
3	डा0 सुरेन्द्र सिंह	ब्लड बैंक काउसंलर	–

To Erect Cemented Pillars

614. Shri Dharm Singh Chhoker: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the border dispute of Haryana and Uttar Pradesh adjacent to Yamuna River always remained the reason of distress for both sides; and

(b) if so, the time by which the proposed cemented pillars as per the agreement are likely to be erected to define the state border between Haryana and Uttar Pradesh?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) श्रीमान जी, समय सीमा बारे अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है।

———————

Total Property of Haryana Waqf Board

613. Shri Afftab Ahmed: Will the Home Minister be pleased to state-

(a) the detail of total property of Haryna Waqf Board in district Nuh and Gurugram togetherwith the detail of proprties which are not in possession of Waqf Board alongwith the name of persons who have illegally occupied the said properties;and

(b) the steps taken by the Government and Waqf Board to remove the illegal possession form the abovesaid Waqf Board properties togetherwith the details thereof?

मनोहर लाल
MANOHAR LAL

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated 17/12/2021

Subject: Haryana Vidhan Sabha Un-Starred Assembly Questions 603 and 613 regarding illegal possession of Waqf Board and total property of Haryana Waqf Board.

Respected Sh. Gupta ji

I would like to draw your kind attention towards Question No. 603 and 613 regarding illegal possession of Waqf Board and total property of Haryana Waqf Board. In this regard, it is apprised that the information regarding above said questions is not available fully in this Department. The relevant information is being sought from the Chief Executive Officer, Haryana Waqf Board, Ambala. Collection of the same is a time consuming exercise.

I would request you that these questions may kindly be deferred for the next session of the Vidhan Sabha, so that proper reply can be sent.

With Regards

Yours sincerely,

(Manohar Lal)

Shri Gian Chand Gupta,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh

सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब उप–मुख्यमंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

"कि नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को आग्रह किया जाए कि हिसार स्थित नागरिक हवाई अड्डे का नाम 'महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, हिसार' रखा जाए।"

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

"कि नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को आग्रह किया जाए कि हिसार स्थित नागरिक हवाई अड्डे का नाम 'महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, हिसार' रखा जाए।"

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> "कि नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को आग्रह किया जाए कि हिसार स्थित नागरिक हवाई अड्डे का नाम 'महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, हिसार' रखा जाए।"

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

गैर–सरकारी संकल्प का मामला उठाना

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने फसलों की एम.एस.पी. से संबंधित एक नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशन दिनांक 17.12.2021 को आपको दिया था उसको भी आप सर्वसम्मति से पारित करवा दीजिए। उस समय आपने कहा था कि यह विचाराधीन है इसलिए आज मेरे उस रैजोल्यूशन का स्टेटस बताया जाये।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपका वह नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशन मैंने रिजैक्ट कर दिया है क्योंकि वह केन्द्र सरकार का मामला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, एम.एस.पी. का मामला किसानों से जुड़ा हुआ है और यह बहुत जरूरी है, क्या सरकार किसान विरोधी है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, यह केन्द्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय है इसलिए इस पर विधान सभा में हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको रिजैक्ट कर दिया।

विशेषाधिकार प्रस्ताव का मामला उठाना

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दिया था जिसमें नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तथा कांग्रेस के दूसरे विधायक विधान सभा में आ रहे थे तो उनको विधान सभा के गेट पर रोका गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपने मुझे सदन के पटल पर आश्वासन दिया था कि दो महीने में इसकी रिपोर्ट आ जायेगी and who will be responsible, shall be punished. तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस प्रिविलेज मोशन का क्या स्टेटस है?

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अभी वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज कमेटी के पास विचाराधीन है। उनकी कुछ मीटिंग हुई हैं। मैं प्रिविलेज कमेटी के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि जल्दी ही इसका निर्णय करें। (शोर एवं व्यवधान)

गैर–सरकारी संकल्प का मामला उठाना (पुनरारम्भ)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे एम.एस.पी. पर दिए गये नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशन पर आप विधान सभा में प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भिजवायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपका रैजोल्यूशन रिजैक्ट कर दिया गया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से उस प्रस्ताव को रिजैक्ट करके सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, एम.एस.पी. केन्द्र सरकार का विषय है और एम.एस.पी. केन्द्र सरकार ही तय करती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह एक नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशन है और इस पर यह सदन सिफारिश करके केन्द्र सरकार को भेज सकता है। जैसे आपने सदन में तीन कृषि कानूनों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास करके भेजा था उसी प्रकार से एम.एस.पी. के लिए भी यह सदन रैजोल्यूशन पास करके केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजे। आपने हमारा रैजोल्यूशन रिजैक्ट क्यों कर दिया?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी माननीय विधायक इस बात को मानते होंगे कि पहले एक दिन में एक ध्यानाकर्षण सूचना लगती थी लेकिन हमने एक दिन में दो ध्यानाकर्षण सूचना लगानी शुरू कर दी हैं। इस प्रकार से 4 दिन के सत्र में 8 से ज्यादा ध्यानाकर्षण सूचना नहीं लग सकती हैं। अगर आप 50–50 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भेजोगे तो वे कितने दिनों में लगेंगी? ध्यानाकर्षण सूचना वही स्वीकार की जाती है जो तुरन्त की कोई घटना हो या कोई तुरन्त की कार्रवाई हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, हम तो एम.एस.पी. के रैजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, एम.एस.पी. का रैजोल्यूशन केन्द्र सरकार का विषय है इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं करवा सकते इसलिए उसको रिजैक्ट कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी अपनी–अपनी सीट्स पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, आज ये किसान हितेषी बनकर दिखा रहे हैं। इनकी सरकार ने केवल दो फसलों पर एम.एस.पी. दिया था। हम 11

फसलों पर एम.एस.पी. दे रहे हैं। आज पूरे देश में हरियाणा सरकार ही केवल 11 फसलों पर एम.एस.पी. दे रही है। (शोर एवं व्यवधान)

———————

वॉक आउट

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह से हमारे गैर सरकारी प्रस्ताव को रिजैक्ट नहीं कर सकते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, एम.एस.पी. का विषय केन्द्र सरकार का विषय है इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं करवा सकते हैं। प्लीज, आप बैठ जाईये।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी विषय है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह केन्द्र सरकार का विषय है आप बैठिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इतने जरूरी विषय पर भी चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं तो हम इसके विरोध में सदन से वॉक आउट करते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों से संबंधित उनके गैर सरकारी प्रस्ताव को मंजूर न किये जाने के विरोध में सदन से वॉकआउट कर गये।)

———————

शून्य काल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल होगा।

श्री घनश्याम दास (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान जो धर्मान्तरण की गतिविधियां चल रही हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रलोभन देकर तथा बहला फुसलाकर धर्मान्तरण की गतिविधियां समाज के सोहार्दपूर्ण वातावरण को खराब कर रही हैं। जब भी कोई ऐसी गतिविधि सामने आती है तो लोग सड़कों पर जाम लगाकर सरकार और प्रशासन का ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि धर्मान्तरण की गतिविधियां न हों उसके लिए पहले से ही कोई एस.आई.टी. या कोई ऐसा सैल बनाकर ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिससे धर्मान्तरण की गतिविधियां होने से पहले ही नियंत्रण में ले लिया

जाए तो समाज का सोहार्दपूर्ण वातावरण खराब नहीं होगा। यमुनानगर में इस प्रकार की कई गतिविधियां ध्यान में आई हैं। दूसरा मैं सरकार का ध्यान यमुनानगर में जो बोर्ड और प्लाई का उद्योग है उस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। रॉ मैटिरियल महंगा होने के कारण तथा आगे फिनिस्ड गुड्स के रेट न बढ़ने के कारण कई यूनिट्स बंद होने के कगार पर हैं। उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और पंजाब में सफेदा और पॉपुलर की लकड़ी पर मार्किट कमेटी की फीस नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा में भी यह फीस हटा दी जाए तो हम उस उद्योग को बचा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि आज प्रदेश में नगर निगम के क्षेत्रों में हाऊस टैक्स का सर्वे करवाया जा रहा है। जिस प्राईवेट कम्पनी के द्वारा वह सर्वे करवाया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। उससे लोगों में रोष है और नगर निगम के कार्यालयों के सामने उस हाऊस टैक्स के सर्वे को ठीक करवाने के लिए बहुत लम्बी–लम्बी लाईनें लगी रहती हैं। जिस कम्पनी से यह सर्वे करवाया जा रहा है उस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि कृपा करके उस कम्पनी की पेमेंट रोक दी जाए। हमारे पास सारे पुराने सर्वे मौजूद हैं उन्हीं के आधार पर ही हाऊस टैक्स के नोटिस दिये जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके साथ ही नगर निगम के क्षेत्र में अमरूत योजना के तहत सीवरेज तथा वाटर सप्लाई का काम करवाया जा रहा है जिसका सर्वेक्षण वैपकॉस कम्पनी ने किया था। वह सारा सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण है। उसमें बहुत खामियां हैं। सीवरेज में कहीं पर भी डिस्पोजल नहीं दिया गया है जिससे कनैक्शन देने के बाद भी सीवरेज चालू नहीं हो पाए हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि हमने लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिया है, उसका सदुपयोग तभी होगा जब लोग उस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जोगी राम सिहाग (बरवाला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं आज इस सदन के माध्यम से किसानों की तकलीफ की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दो ऐसे समय होते हैं अर्थात बिजाई का और कटाई का जब किसानों को मजदूर नहीं मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जिनकी मशीनों से कटाई व बिजाई हो जाती है लेकिन दो फसलें ऐसी होती हैं अर्थात जीरी व धान की रोपाई और कपास की चुनाई, यह दोनों की दोनों मैनुअल करनी

पड़ती हैं। अध्यक्ष महोदय, वह समय ऐसा होता है जब मजदूरों के पास काम की कमी होती है और किसानों के पास मजदूर की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि मनरेगा के तहत इन दोनों फसलों को शामिल कर लिया जायेगा तो मजदूर को मजदूरी मिल जायेगी और किसान को मजदूर मिल जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि सरकार इसका जरूर संज्ञान ले। अब मैं अपने हलके की जो समस्यायें हैं उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, मुझे हैल्थ डिपार्टमैंट से रिक्वेस्ट करते हुए दो साल हो गए हैं लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर आज तक कोई गौर नहीं किया गया। मेरे क्षेत्र में लाडवा और सातरोड दो गांव हैं । मैं पिछले दो साल से इन गांवों की पी.एच.सी. को चौपालों के अंदर चलते हुए देख रहा हूँ। मैंने यहां के लिए कोई नई पी.एच.सी. की बिल्डिंग बनाने की मांग नहीं की है बल्कि यह मांग कर रहा हूँ कि इनकी जो पुरानी बिल्डिंग्ज कंडम हो चुकी हैं उनको जल्द से जल्द बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी कड़ी में मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि मेरे हलके में बरवाला शहर पड़ता है यहां के अर्बन एरिया में भी चार–चार दिन में पानी की सप्लाई मिलती है। यहां पर पानी का टैंक बनाना बहुत जरूरी है जिसके लिए जमीन भी उपलब्ध है लेकिन टैंक के लिए अभी तक पैसे नहीं दिए गए है। अध्यक्ष महोदय, बरवाला शहर के अंदर आबादी 75 हजार के आसपास हो चुकी है लेकिन सरकार पिछले दो साल से यहां के लिए 10 मीटर पाइप लाइन भी मुहैया नहीं करवा पाई है। गांव के अंदर तो जल जीवन मिशन की पाइप लाइन लगी हुई है लेकिन बरवाला शहर के लिए कोई पाइप लाइन अवेलेबल नहीं कराई गई है। अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि शहर के अंदर नई पाइप लाइन डालकर गलियां बनाने का काम किया जाये और साथ ही वाटर टैंक बनाने के लिए भी पैसा मुहैया करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, बरवाला शहर में पीने के लिए पानी नहीं है और बरसात के सीजन में निकलने के लिए जगह नहीं है। बरसात के दिनों में तो यहां पर किश्ती तक चलती हैं। मैंने स्ट्राम वाटर के लिए एक प्रपोजल भी भेजा हुआ है जिसके लिए सभी प्रकार की औपचारिकतायें पूर्ण कर दी गई है अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस प्रपोजल को एप्रूव करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन यह भी है कि हमारे यहां महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बनने की वजह से शहर से मेरे गांव की दूरी जो पहले 7 किलोमीटर होती

थी, अब 17 किलोमीटर हो गई है। अतः सरकार से निवेदन है कि कोई वैकल्पिक रास्ता देकर इस बढ़ती हुई दूरी को कम करने का काम किया जाये।

श्री बिशन लाल (रादौर): अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर जिले में रादौर ब्लॉक पड़ता है। रादौर में एक कांजनू नाम का गांव है। यहां पर यमुनानगर का एक व्यक्ति फूड प्रोसेसिंग प्लॉट का लाइसेंस लेकर आया है। इस लाइसेंस की वजह से लोगों में यह वहम फैला हुआ है कि यहां पर मुर्गे–मुर्गियां कटेंगे और लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से उनका एरिया बूचड़खाने में तबदील हो जायेगा जिसकी वजह से यहां के लगभग 30–35 गांवों के लोगों में गहरा रोष फैला हुआ है। जब लोग उस व्यक्ति से पूछने के लिए गए कि वह किस चीज का लाइसेंस लेकर आया है तो वह कहने लगा कि उसे मुर्गे मुर्गियां काटने का लाइसेंस मिला है। लोग बोलने लगे कि फिर तो हमारे आस पास कुत्ते अपने मुंह में हड्डिया उठाकर घूमा करेंगे और इस तरह से उनका जीना मुहाल हो जायेगा। इस बात पर वह व्यक्ति बोला कि तुम कुत्ते की बात कर रहे हो, कुत्ता तो दो दो कोस तक भी नज़र नहीं आयेगा और इस वजह से लोगों में वहम और बढ़ गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध यह है कि चाहे वह बूचड़खाना हो या फिर फूड प्रोसैसिंग प्लांट हो, उसका लाइसैंस कैंसिल करके कहीं दूर इलाके में वह सैंटर खोला जाये ताकि वहां के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता से यह भी कहना चाहता हूँ कि यह सरकार ओ.बी.सी. कैटेगरी के खिलाफ कैसे हो रही है। मैं तो यह कहता हूँ कि ओ. बी.सी. कैटेगरी वालों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिये होंगे। सैंटर में तो 8 लाख रुपये की वार्षिक इंकम वालों को तो क्रीमीलेयर में रखा गया है और स्टेट गवर्नमैंट ने इसे 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वालों को क्रीमीलेयर में रखा गया है। जो फार्मूला सैंटर में लागू है वही फॉमूला स्टेट गवर्नमैंट में भी लागू होना चाहिए। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बात नम्बरदारों के विषय में कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हिसार के अंदर नम्बरदारों ने सम्मानित किया था। इन नम्बरदारों को आपने एक मोबाईल, भत्ते बढ़ाने आदि का वादा किया था लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार नम्बरदारों के खिलाफ हो गई है। यह सरकार नम्बरदारी प्रथा को भी खत्म करने जा रही है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, सरकार इस तरह के काम क्यों कर रही है। सरकार को चाहिए सबकी भलाई करे ताकि हरियाणा प्रदेश उन्नति के शिखर पर पहुँचे। कल सदन में

भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा हुआ था और माननीय मंत्री महोदय श्री जय प्रकाश दलाल जी बार–बार कह रहे थे कि हमारी सरकार में बहुत पारदर्शिता तरीके से काम हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास माईनिंग का महकमा भी है, इसलिए माननीय मंत्री जी को पारदर्शिता के संबंध में बात कहनी ही नहीं चाहिए। यदि माननीय मंत्री जी मेरे साथ बैठ जायें तो उन्हें दिखा दूंगा कि माईनिंग को लेकर कितनी पारदर्शिता प्रदेश में हो रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बिशन लाल जी, प्लीज आप बैठ जाइयें। आपके बोलने का समय पूरा हो गया है। (विघ्न)

श्री जगदीश नायर (होडल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान मेरे हल्के की समस्याओं की तरफ ले जाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे हल्के की 21 सड़कों को दोबारा से बनवाने का काम किया, इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ। (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समय बराबर दिया जा रहा है।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, हाउस की सहमति से ही प्रत्येक माननीय सदस्य का बोलने का समय निर्धारित किया हुआ है।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का समय दीजिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुझे भी शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया जाए ।

श्री अध्यक्षः राम कुमार जी, आपके द्वारा हाउस में बोलने के लिए समय की मांग करने मात्र से आपको हाउस में बोलने के लिए समय नहीं दिया जा सकता । सदन में शून्यकाल पर अन्य सदस्यों को भी बोलना है । (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि हर माननीय सदस्य को हाउस में बोलने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, शून्यकाल के लिए एक घंटे का समय निर्धारित है । ऐसे में कोई भी माननीय सदस्य एक घंटे तक अकेले नहीं बोल सकता । (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आपको मुझे हाउस में बोलने के लिए समय अवश्य देना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, प्लीज आप बैठें । माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दें ।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महाग्राम योजना के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र के 6 गांवों में सीवरेज सिस्टम शुरू करके उन्हें शहर जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं । मैं उन गांवों में विकास योजनाएं शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं । मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ विशेष समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में होडल से हसनपुर और हसनपुर से बामनी खेड़ा इन दो सड़कों पर यातायात का बहुत ज्यादा दबाव रहता है । अतः मेरा अनुरोध है कि होडल से हसनपुर और हसनपुर से बामनी खेड़ा की सड़कों को चारमार्गी किया जाए । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इन सड़कों पर ध्यान दें । इनके चारमार्गी होने से इन सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे क्षेत्र को एक कॉलेज दिया है । इसके बावजूद हमें एक कन्या महाविद्यालय की भी आवश्यकता है । हमारे क्षेत्र में खाम्बी एक बड़ा गांव है। उस गांव में लगभग 9000 मतदाता हैं । वहां पर एक कन्या महाविद्यालय की मांग बहुत पुराने समय से चली आ रही है । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि गांव खाम्बी में एक कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने होडल में बहुत अच्छा अस्पताल बनवाया है । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र के गढ़ी गांव में एक नया अस्पताल खोला जाए । वहां पर हसनपुर की बिल्डिंग बिल्कुल खराब हो गई है । उस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार बहुत आवश्यक है । अतः इसकी ओर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना ध्यान दें । माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्ष 2020 में होडल विधान सभा क्षेत्र में गए थे । उस समय वे वहां के निवासियों को यह आशीर्वाद देकर आये थे कि यमुना नदी पर बने पुल का समाधान हो जाएगा । उस पुल का यू.पी. की साइड से काम शुरू भी हो गया है । मेरा अनुरोध है कि हरियाणा सरकार की ओर से भी सड़कों और पुलों का काम होना चाहिए ताकि वह कार्य

शीघ्र निपट सके । करोड़ों यात्री उस पुल से गुजरते हैं और वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं । पुल के निर्माण हो जाने से वहां पर होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी । मेरा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर उद्योग–धंधों की सख्त जरूरत है । सरकार को वहां पर जितनी जमीन चाहिए हम उतनी जमीन कम रेट पर दिलवाएंगे । अतः सरकार वहां पर उद्योग–धधों की स्थापना के लिए कोई नीति तैयार करे । हमारे वहां पर नहरें काफी अच्छी चल रही हैं लेकिन हमें कुछ नई नहरों की भी सख्त जरूरत है । हम घासेड़ा से खाम्बी, बन्चारी, सौन्दह, होडल और डाडका–बोराका आदि गांवों को नहर बनाकर सिंचित कर सकते हैं । इसके अलावा मेरा निवेदन है कि कोरोना काल में जिन कच्चे कर्मचारियों खासकर सफाईकर्मियों ने जो काम किया था उनको पक्के करके तोहफा दिया जाए । मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेरी इन मांगों पर विचार करके इन्हें पूरा करने का काम करें । जय हिन्द ।

श्री आफताब अहमद (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद । मैं आज हरियाणा के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । गुड़गांव आज देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है । वह हरियाणा के विकास का एक प्रतिबिम्ब है कि किस तरीके से वहां पर लाखों–करोड़ों रुपये का निवेश हुआ और किस तरह से अपनी पहचान बनाई । वहां पर देश–दुनियां से लोग आकर काम–काज और व्यापार करते हैं । वे वहां पर अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म का निर्वाह करते हैं । संविधान भी यह इजाजत देता है कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार पूजा–अर्चना, अरदास, नमाज आदि कर सकता है । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत लम्बे अर्से से प्रशासन द्वारा चिन्हित खुली जगहों जैसे पार्कों आदि में जहां पर खुले में नमाज पढ़ाई जा रही थी वहां पर कुछ असामाजिक तत्व और समाज के ठेकेदार व्यवधान डाल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, किसी का चाहे कोई भी धर्म हो, उसको अपने धर्म के अनुसार इबादत करने का अधिकार है। इसी प्रकार हमारे समाज के लोगों को भी अपनी आस्था के अनुसार नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को उसके धर्म के अनुसार कार्य करने से रोका जाए। गुरूग्राम में लाखों–करोड़ों रुपये का निवेश हुआ है और वह हमारे विकास का आईना है। इस शहर से क्या हम यह संदेश देंगे कि कोई यहां पर अपने हिसाब से नमाज नहीं पढ सकता

है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि वहां पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, फिर उसमें चाहे कब्रिस्तान हों, इदगाह हों, मस्जिद हों या दूसरी अन्य जगह हों। जिन्होंने उन जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं उनसे अवैध कब्जे हटवाए जाएं। हमारे समाज के लोगों को संबंधित जगह मुहैया करवाएं ताकि वे खुले में नमाज पढ़ने के लिए विवश न हों। आज लाखों मुस्लिम धर्म के लोग गुरूग्राम में रोजगार के लिए रहते हैं, परन्तु उनके नमाज अदा करने के लिए प्रर्याप्त जगह नहीं हैं। इसलिए यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनके लिए जगह मुहैया करवायी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को एक ब्यान दिया था कि खुलेआम नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के कस्टोडियन हैं और सभी धर्मों व जातियों के रखवाले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब दे देता हूं।

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके नमाज पढ़ने के लिए जगह सुनिश्चित करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आफताब जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने यह कहा था कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से खुले में कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिएं क्योंकि उनके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे और चर्च बने हुए हैं। लोगों को इन स्थानों पर अपने धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिएं। इसलिए कहीं समाज का आपस में टकराव न हो, इसके लिए शांतिपूर्वक वातावरण बनाकर रहना चाहिए। इसमें हम सबकी जिम्मेवारी है। इसमें अच्छी बात यह है कि वहां पर लोगों ने मिल–जुलकर कुछ स्थान तय किये हैं। जब तक नयी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक के लिए सहमति बनी है और उस सहमति के आधार पर लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। लोगों की सहमति के बाहर जाकर काम करने से टकराव होता है। वहां पर गुरूग्राम के डी.सी. महोदय और समाज के सब लोगों ने आपस में मिलकर निर्णय किया है और उसी हिसाब से वहां पर काम चल रहा है। इस विषय को ज्यादा तूल देने से सामाजिक सौहार्द खराब होगा, इसलिए यह तूल देने का विषय नहीं है। चूंकि वहां की स्थानीय समस्याएं हैं। मुझे मालूम है

कि गुरूग्राम में बहुत बड़ी संख्या में बाहर से लोग आए हुए हैं और वे नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़कर प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है। यह व्यक्तिगत इबादत का विषय है और व्यक्तिगत इबादत सभी लोग करते हैं। इसमें हिन्दू समाज के लोग भी करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी करते हैं और ईसाई समाज के लोग भी करते हैं। सभी लोग अपने घरों में भी इबादत करते हैं। अकेले में किसी स्थान पर इबादत करते हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कोई दिखाने के लिए स्टैंट करे जिससे दूसरे समाज की भावना भड़के, वह उचित नहीं है। मान लें, साल में कोई कार्यक्रम आता है, उसमें चाहे उर्श हो, रामलीला हो या दशहरे का कार्यक्रम हो। ये सभी कार्यक्रम प्रमीशन के साथ सभी जगहों पर किये जाते हैं। लेकिन रूटीन में दैनिक/साप्ताहिक कार्यक्रमों के लिए निश्चित स्थान हैं और सभी अपने– अपने स्थानों पर कार्यक्रम करते हैं। इस प्रकार से खुले में सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर एतराज है तो उसको आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। अन्यथा सौहार्द ठीक नहीं रहता है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन देने की बात कर रहे हैं।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन को नमाज पढ़ने के लिए दे दिया जाए। मेरा सवाल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा न करें क्योंकि सप्ताह में एक घंटे के लिए जुम्मे की नमाज होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वहां पर हर रोज का प्रदर्शन है। यह किसी चीज के लिए प्रदर्शन नहीं है बल्कि यह इबादत है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में बता दें। हम उनको वह जमीन उपलब्ध करवा देंगे।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, आज अकलियत की रक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है, इसलिए उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री रामनिवास जी अपनी बात रखेंगे।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए मुझे बोलने के लिए और समय दिया जाए।

श्री राम निवासः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन खाली करवाकर उनको नमाज अदा करने के लिए मुहैया करवा दें।

श्री अध्यक्षः मामन जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। जब आपको बोलने के लिए समय दिया जाए, आप उस समय अपनी बात रख लें।

श्री राम निवास (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि नगर निगम नरवाना में 1975 के बाद शहर की लिमिट नहीं बढ़ाई गई है, जिसके कारण वहां का विकास नहीं हो पाया। जैसे कि मैं बिजली, पानी, गलियां और सीवरेज की बात करूं तो इनकी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब कोई सरकारी दस्तावेज बनवाते हैं। मैं आपके माध्यम से शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि नगर निगम नरवाना की लिमिट बढ़ाई जाये और अप्रूव्ड क्षेत्र किया जाये ताकि ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके क्योंकि हमारे नरवाना शहर के लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर मकान या गली बनाई जाती है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा वे तोड़ दिये जाते हैं। अब मैं आपके माध्यम से हैल्थ मिनिस्टर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नरवाना में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बड़ी समस्या है। वहां के अस्पताल में प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज ओ.पी.डी. के लिए आते हैं जो इलाज के अभाव में वापिस चले जाते हैं। हमें वहां के अस्पताल में स्टाफ की बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नरवाना के अस्पताल में कुल 42 डॉक्टरों की पोस्ट है। जिसमें से 36 डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं और दो पद सीनियर मैडिकल ऑफिसर्ज के हैं। वहां के अस्पताल में एक जनरेटर है जो बहुत ही कम कैपेसिटी का लगा हुआ है इसलिए वहां पर बड़ा जनरेटर लगाने का काम किया जाये। वहां के अस्पताल में आधुनिक मैडीकल उपकरणों की बहुत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नरवाना के ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की बहुत बड़ी दिक्कत है। खासतौर पर पढ़ने वाली छात्राओं, महिलाओं और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनके लिए बसों का संचालन करवाया जाये ताकि हमारी बहन बेटियों, महिलाओं और बड़े बुजुर्गों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

श्री सोमवीर सांगवान (दादरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2016 में दादरी को जिला बनाया गया था और जिला बनने के बाद वहां कोई काम नहीं करवाया गया है, जैसे कि वहां पर पीने का साफ पानी मुहैया न करवाना, सीवरेज की सही ढंग से व्यवस्था न करना आदि। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दादरी का बारिश के पानी की वजह से बुरा हाल हो जाता है, जिसके कारण सड़कों पर दो–तीन महीने तक पानी खड़ा रहता है इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर तुरन्त प्रभाव से इस व्यवस्था को ठीक करवाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार की पॉलिसी है कि प्रदेश के हर जिले में मैडीकल कॉलेज बनाया जायेगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि दादरी में जो दुरगामी इलाका पड़ता है वहां पर हमने एक मैडीकल कॉलेज की डिमांड की थी जिसके लिए हमने 350 एकड़ भूमि फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया है इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर एक मैडीकल कॉलेज बनाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, दादरी में सी.सी.आई. की 203 एकड़ बहुत ही कीमती जमीन है। जो कि आज के दिन शहर के अंदर ही पड़ती है। वह जमीन किसी यूज में नहीं आ रही है क्योंकि यह फैक्टरी बहुत पहले बंद हो चुकी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस जमीन को सरकार अपने पास लेकर वहां पर कोई हाउसिंग कॉलोनी या इंडस्ट्रियल एरिया डिवैल्प किया जाये। इसी तरह से हमारे दादरी में गांव संसपुर से बाया मोड़ी और गांव घसौला से बाईपास निकालने का काम किया जाये। मैं इन बातों के अलावा दो तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में 56000 आंगनवाड़ी वर्कर्ज पिछले 7 सालों से धरने पर बैठी हुई हैं। सरकार ने इनको आश्वासन दिया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इनकी मांगों को मान लिया था परन्तु इसके बावजूद भी आज इनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले दिनों पी.टी.आई. की नियुक्ति को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती फैसला किया था लेकिन वे आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनका भी समाधान निकालने का काम किया जाये। इसी तरह से गांव के चौकीदार, नम्बरदार और तमाम कर्मचारी भी धरने पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनिफेस्टों में यह बात कही थी कि सरकार बनने के

बाद हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान दिया जायेगा और हरियाणा पुलिस वालों को भी पंजाब के बराबर वेतनमान दिया जायेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस घोषणा को भी इम्पलीमैंट करने का काम किया जाये। हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज वे डी.सी. रेट पर 5–5 हजार रुपये की नौकरी के लिए सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हो रखे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 5 हजार रुपये की नौकरी में भी इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि उनको इसके लिए ठेकेदार को 50–50 हजार रुपये देने पड़ते हैं। यह मामला यहां तक नहीं रूकता है बल्कि इन नौजवानों की बदलियां भी शुरू कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का काम किया जाये और इन नौजवानों को रैगुलर भर्ती करके इस समस्या का भी समाधन किया जाये। धन्यवाद।

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और पर्ची व खर्ची के सिस्टम के खिलाफ ई–गवर्नैंस के नाते जो चोट की है। आज मैं उसके लिए इस महान सदन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे जो सम्मानित साथी पहले की सरकारों में रहे हैं कल वे जो सदन में काम रोको प्रस्ताव लेकर आये जिस पर चर्चा के लिए उन्होंने दो घंटे का समय निश्चित करवाया जिसको बाद में बढ़वाया भी गया मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उस दो घंटे और उससे ज्यादा समय की चर्चा के दौरान वे एक बिन्दु भी ऐसा प्रस्तुत कर पाये कि उन्होंने उनकी सरकार के समय में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और पर्ची व खर्ची के सिस्टम को रोकने का कोई प्रयास किया है? अगर उन्होंने इस प्रकार का कोई प्रयास किया होता तो कल इनको उसकी डिटेल सदन में रखनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी सरकार के समय में ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि अगर किया होता तो ये कल उसकी डिटेल सदन में प्रस्तुत करते। अध्यक्ष जी, ई–गवर्नैंस के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस व्यवस्था के ऊपर चोट की है उस पर विपक्ष के इन साथियों का तिलमिलाना लाजमी है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर हमारी सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में पूर्ण रूप से सुधार कर देगी तो फिर इनको सरकार में आने का मौका कैसे मिलेगा? मेरा यह मानना है कि सपने देखने का सभी को

अधिकार होता है। इनको ऐसा भी लगता है कि अगर आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में इनकी सरकार आ गई और हमारी सरकार इसी प्रकार से व्यवस्थाओं में सुधार कर जायेगी तो उस स्थिति में इनके खाने–पीने का कोई सिस्टम नहीं बचेगा। उस समय इन पर यह कहावत फिट बैठेगी कि भूखे पेट भजन न होये गोपाला। इन लोगों की जो नीति थी उसके ऊपर जो चोट ई–गवर्नैंस के माध्यम हुई है मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तहेदिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। विपक्ष के माननीय साथियों की सरकार के समय में जो तहसीलों में पोस्टिंग के लिए सरेआम बोली लगती थी। हमारी सरकार द्वारा आज एस.डी.एम. और सी.टी. एम. को भी अधिकार दे दिये गये कि यह रजिस्ट्री करवाने वाले की मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा कि वह किसी से भी रजिस्ट्री करवाये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, एक और जो नया काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया वह है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। यह अपने आप में एक माईलस्टोन साबित होगा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वे अपने देश के युवा को काम मांगने वाला नहीं अपितु काम देने वाला बनाना चाहते हैं। इसी दिशा में प्रयास करते हुए हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना जिसने पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। अध्यक्ष जी, यह अपने आप में एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता दिखायेगा। हरियाणा प्रदेश में विपक्ष के साथियों की सरकार के समय में जिस प्रकार से पर्ची व खर्ची का सिस्टम चलता था उसमें जिसके पास पैसे होते थे वही सरकारी नौकरी लग पाता था। विपक्ष के माननीय साथियों की सरकार के समय में तो बसों में ही नौकरियों को बेच दिया जाता था। जिसने अटैची ली हमारी सरकार ने उसको बर्खास्त करने का काम किया है। मैंने तो विपक्ष के साथियों से पहले ही सवाल किया था कि अगर उन्होंने अपनी सरकार के समय में ऐसा कोई प्रयास किया होता तो उसकी सूचना सदन के पटल पर रख देते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं केवल दो लाईनें विपक्ष के इन साथियों के बारे में कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। स्पीकर सर, इनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि–
सारे मशरूफ हैं यहां दूसरों की कहानियां जानने में, अगर इतनी शिद्दत से खुद को पढ़ते तो खुदा हो जाते। धन्यवाद।

श्री धर्म सिंह छौक्कर (समालखा) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि समालखा में गारवी आदर्श कॉलेज है और

गारवी आदर्श कॉलेज की जो मैनेजमैंट है उसने कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी में अपने हिस्से की पांच परसैंट सैलरी जमा नहीं करवाई है जिस कारण वहां के जो कर्मचारी हैं वे पिछले 9 महीने से बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में पिछले सैशन में भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश की थी। मैंने उस समय भी यही कहा था कि समालखा में गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है इसलिए गारवी आदर्श कॉलेज को सरकार द्वारा टेक–अप कर लिया जाये। अगर सरकार ऐसा करती है तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। इसके साथ ही साथ मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह भी रिक्वैस्ट है कि जो गारवी आदर्श कॉलेज, समालखा के कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है उनकी तनख्वाह का भी इंतजाम करवाया जाये। मुझे पिछले सैशन में यहां पर सरकार की तरफ से यह आश्वासन भी मिला था कि गारवी आदर्श कॉलेज, समालखा को शीघ्र ही अंडरटेक कर लिया जायेगा लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर इस सम्बन्ध में किसी भी कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया गया है। मेरा सरकार से बार–बार यही आग्रह है कि इस कॉलेज को जल्दी से जल्दी अंडरटेक कर लिया जाये क्योंकि एक बहुत ही अच्छी प्रापर्टी है और इसका दूसरा कारण यह है कि समालखा में कोई भी गवर्नमैंट कॉलेज भी नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक बार फिर से आग्रह है कि गारवी आदर्श कॉलेज, समालखा को अंडरटेक करने की कार्यवाही को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये। धन्यवाद।

श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर) : शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। सर, हरियाणा विधान सभा के पवित्र सदन में आज तक हजारों क्वैश्चन पूछे गये हैं। हरियाणा विधान सभा के पास इन सारे क्वैश्चन और उनके आंसर का एक बहुत बड़ा डाटा बेस है। मेरा सुझाव है कि उस सारे के सारे डाटा बेस को डिजीटल करके विधान सभा की ऑफिशियल वैब साईट पर अपलोड किया जाये और इस सारी की सारी जानकारी को वैब साईट पर सर्चेबल बनाया जाये। अभी अगर हम सर्च करते हैं तो उसमें क्वैश्चन पूछने वाले का नाम और सब्जैक्ट ही क्लीयर आता है। अगर यह व्यवस्था हो जाती है तो इससे अच्छी रिसर्च होगी और भविष्य में माननीय साथियों को पुराने क्वैश्चन की स्टडी करके अच्छे क्वैश्चन लगाने में सुविधा होगी। अध्यक्ष जी, अभी श्री जयवीर सिंह ने कोई विषय यहां पर उठाया था तो आपने उनको यह कहा था कि वह उनकी फोटो आपके पास भेज दे। इसको ध्यान में

रखते हुए मेरा यह सुझाव है कि विधान सभा में बड़ी–बड़ी एल.ई.डी. स्क्रीन लगाई जायें। जिससे विधायकों को अपनी बात फोटो और विडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से रखने का अवसर प्राप्त हो और लोकतंत्र मजबूत हो। धन्यवाद।

डॉ. कमल गुप्ता (हिसार) : धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हिसार का चहुंमुखी विकास हुआ है। चाहे वह मामला सड़कों का हो या फिर गलियों का हो। चाहे उसकी कनैक्टिविटी पंजाब से हो, राजस्थान से हो या फिर चण्डीगढ़ से हो। इस प्रकार से हर तरह का विकास वहां हुआ है। वहां पर वॉशिंग यार्ड भी बना जिसके कारण लम्बी दूरी की ट्रेन की सुविधा भी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से वहां पर जो एयर पोर्ट बन रहा है उससे उसकी एयर कनैक्टिविटी भी होगी। अगर मैं यह कहूं कि हिसार हरियाणा का सबसे विकसित शहर भी है तो कोई गलत बात नहीं होगी। मेरा सुझाव यह है कि दिल्ली पूरे उत्तरी भारत का कपड़ा, किरयाना, मेवे, सौंदर्य प्रसाधन, इलैक्ट्रोनिक्स, जड़ी–बूटियां और मैडीसन इत्यादि के थोक व्यापार का केन्द्र है । वहां पर गलियां बहुत ही ज्यादा तंग हैं जिससे वहां पर आने–जाने और माल ढुलाई का कार्य सुगमतापूर्वक नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से यह प्रार्थना है कि हिसार की सभी सहूलियतों को देखते हुए जो उत्तर भारत का विभिन्न पदार्थों के थोक व्यापार का केन्द्र हिसार में हो सकता है। इसके साथ ही साथ इसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसके लिए हिसार में बहुत सारी जमीन भी उपलब्ध है इसलिए इस पर विचार किया जाये। इससे हरियाणा का जी.एस.टी. भी बढ़ेगा, जी.डी.पी. भी बढ़ेगी और पर–कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। इस प्रकार से हर तरह से हरियाणा को फायदा होगा। आज सदन में हिसार में स्थित हरियाणा के एकमात्र एयरपोर्ट का नाम सर्वसम्मति से महाराजा अग्रसैन किया गया है इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और पूरे सदन का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं और इसके लिए अपनी एवं हिसार की समस्त जनता की तरफ से सरकार को बधाई भी देता हूं। इसके अलावा मैं इसके लिए हरियाणा सरकार और पूरे सदन का आभार भी व्यक्त करता हूं। वहां पर शीतला माता का मंदिर है, अग्रोहा धाम है, अग्रोहा मैडीकल कॉलेज भी है और एक शक्ति पीठ अलग से है जिसमें दो–तीन दिन पहले ही एक भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इसके साथ ही साथ हरियाणा सरकार से यह

प्रार्थना भी करता हूं कि वहां पर हैलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाये जिससे वहां पर टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा मेरी सरकार से यह भी रिक्वैस्ट है कि वहां पर फ्लाईंग एविएशन क्लब की शुरूआत भी की जाये और अग्रोहा को रेलवे से भी जोड़ा जाए। इससे अग्रोहा की कनैक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अग्रोहा धाम को देखने के लिए पूरे देश और पूरे संसार से लोग आते हैं। वहां पर एक अग्रोहा टीला है जो एक पुरातात्विक स्थल के नाम से जाना जाता है। जहां पर कभी महाराजा अग्रसैन की राजधानी हुआ करती थी। वर्ष 1978–79 में हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा उस टीले की खुदाई का काम शुरू करवाया गया था लेकिन उस काम को पूर्ण रूप से अंजाम नहीं दिया गया था। आज वह जगह खंडहर के रूप में है। मेरा अनुरोध है कि उस टीले की दोबारा से खुदाई करवाकर उसके जीर्णोद्धार का काम शुरू करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी में मेरा एक सुझाव यह है कि आपने जो हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम की किताब छापी है उसमें एक बहुत अच्छा काम किया है कि एक पेज अंग्रेजी का और एक पेज हिन्दी का दिया हुआ है। इसी तर्ज पर हमारे जो बिल आते हैं या प्रश्न आते हैं ये भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों तो इनको पढ़ने में ज्यादा सहूलियत होगी। पहले यह हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम की किताब हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो अलग–अलग किताबें होती थी। अगर ये एक ही पेज पर आमने सामने दोनों भाषाओं में हो जाएंगे तो हमें इनको समझने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आपका समय हो गया है। धन्यवाद।

श्री अमरजीत ढांडा (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जुलाना हल्का बहुत पिछड़ा हुआ हल्का है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जुलाना हल्के में 72 गांव हैं जिनमें से 38 गांव ऐसे हैं जिनमें बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उनमें कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें धान की फसल भी खराब हो गई और आगे गेहूं की फसल की बिजाई भी नहीं कर सके। सरकार ने इसके लिए बहुत प्रयास किये हैं, उन गांवों का पानी निकलवाया, पम्प भी लगवाए, तेल के पैसे भी दिये फिर भी पानी भराव से राहत नहीं मिली क्योंकि वहां सफीदों, गोहाना और बरोदा हल्के से भी पानी आता है। जुलाना हल्के का एरिया बिल्कुल नीचा है इसलिए वहां पर सारा पानी इक्ट्ठा हो जाता है और उसके बाद वह पानी नारनौंद

हल्के में चला जाता है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री व मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि मैंने एक महीने से लगातार उन 38 गांवों में जाकर देखा है और वहां के लोगों से बाढ़ के कारण फसलों में हुए नुकसान की एक सूची तैयार करवाई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी। उसमें उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपके हल्के में बाढ़ के कारण जितना भी नुकसान हुआ है उसकी एक सूची बनाकर मुझे दे दीजिए हम उनको पास करवा देंगे। मेरा निवेदन है कि मेरे हल्के में बाढ़ के कारण हुए नुकसान को जल्द से जल्द पूरा करवाने का काम करें क्योंकि जुलाना हल्का बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। वैसे जुलाना में काम तो बहुत होने लग रहे हैं उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं लेकिन कुछ काम अधूरे भी पड़े हुए हैं जैसे गांव बगता खेड़ा, गढ़वाली और दौड़ में जो स्कूल थे उनको डैमेज कर दिया गया है। अब उनकी जमीन खाली पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन स्कूलों का जल्द से जल्द काम पूरा करवाया जाए। इस बारे में मैं मंत्री जी से पहले भी दो–तीन बार मिल चुका हूं। इसी के साथ वहां एक समस्या यह है कि गांव गतौली जीन्द से 20 किलोमीटर पड़ता है। फरवरी 2020 में उप मुख्यमंत्री जी वहां गये थे तब वहां वे महीला कॉलेज बनाने की घोषणा करके आए थे। वहां लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है जिससे उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको बसों में आने–जाने में बहुत दिक्कत होती है। गतौली गांव ने उसके लिए फॉरलेन के ऊपर 10 एकड़ जमीन का रैजोल्यूशन भी दे रखा है। अगर 10 एकड़ से ज्यादा जमीन की जरूरत है तो वहां के लोग ज्यादा जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगले नये साल में ही उस कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करवाने की घोषणा की जाए। इसी के साथ आदरणीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने सी.एम. घोषणा में दो माईनरों की घोषणा की थी जिनमें एक बरोली माईनर है और दूसरी करेला माली माईनर है। वह पास भी हो गई थी और उनके पैसे भी पास हो गये थे लेकिन किसानों की सहमति न होने से या किसी और कारण से उनका काम रूक गया था। उनके लिए मैं मुख्यमंत्री जी व श्री देवेन्द्र सिंह ए.सी. एस. साहब से भी मिला था। उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी।

श्री अध्यक्ष : ढांडा साहब, आपका समय हो गया है। प्लीज आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री अमरजीत ढांडा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट का समय और दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट में अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री अमरजीत ढांडा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि उन दो माईनरों का काम जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए क्योंकि वहां 34 गांव ऐसे हैं जहां पर नहरों का पानी नहीं लगता है। वहां के किसान पानी से बहुत परेशान हैं।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, अब आप अपनी बात रखिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शुकंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बाद में रखूंगा आप शकुंतला जी को बोलने का मौका पहले दे दें।

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बाद में रख लूंगी आप बतरा जी को पहले बोलने का मौका दें।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, सरकार की कार्यप्रणाली के उपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्योंकि सरकार जिस प्रकार के फैसले करती है उन फैसलों की वजह से सरकार बार बार कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। आनरेबल स्पीकर सर, जनवरी 2004 में 102 एच.सी.एस. (अलाइड) की पोस्ट्स निकली थी और 31.12.2004 को उस समय की सरकार ने सक्सेसफुल कंडीडेट्स की रिकमंडेशन कर दी। इसके बाद वर्ष 2004 में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और चुनाव के बाद गवर्नमैंट चेंज हो जाती है और सक्सेसिव गवर्नमैंट ने सत्ता में आने के बाद 300 पोस्ट्स के एक पूरे कैडर को रेड्यूज करके 230 पोस्ट्स करने का फैसला कर दिया और सरकार की इन इंस्ट्रक्शंज और आर्डर के खिलाफ सक्सेसफुल कंडीडेट्स हाई कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट में भी गए और वहां पर उनकी पैटीशन डिसमिस हो गई। इस बीच सरकार ने एक इंक्वॉयरी कांस्टीट्यूट की और वर्ष 2011 में जो विजिलेंस इंक्वॉयरी की रिपोर्ट आती है उसमें कहा गया कि 64 कंडीडेट्स **टैंटेड** हैं। स्पीकर सर, यह सब जो इररेगुलेरिटी/रेगुलेरिटी पाई गई, 2004 से पहले की जो सिलेक्शन हुई थी, उसमें ही पाई गई थी और मैं सदन में उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। स्पीकर सर, रिकॉर्ड के अंदर यह बात भी सामने आई कि जो 32 कंडीडेट्स हैं उनका रिकार्ड ठीक पाया गया है लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी मामला लिटिगेशन में चला गया और आखिर में सरकार के इस फैसले के उपर हाई कार्ट और सुप्रीम कोर्ट ने

भी अपनी स्टॉम्प लगा दी। स्पीकर सर, सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि सरकार द्वारा जो इस मामले में एक हाई लैवल विजिलेंस कमेटी गठित की गई थी, ने वर्ष 2016 में जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें कहा गया कि 32 कंडीडेट्स **अनटेंटेड हैं** और 64 **टेंटेड** हैं और इस प्रकार सरकार ने 32 आदमियों को नौकरी देने का फैसला किया। स्पीकर सर, मैं यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता था लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी सदन में नहीं बैठे हुए है। सरकार ने किस बेसिज पर और कौन सी ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करके पिक एण्ड चूज़ की प्रणाली को अपनाते हुए 102 में से 32 कैंडिडेट्स को नौकरी दे दी और बाकियों को नौकरी नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ए.जी. महोदय का ऑपिन्यन ऑब्टेन किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है और अभी भी चल रहा है। सरकार ने और मुख्य सचिव महोदय ने यह फैसला किया कि किसी को भी नौकरी मत दो अर्थात् जो 32 कैंडिडेट्स लगाये थे उनको भी नौकरी से निकाल दो। ए.जी. महोदय लिखते हैं कि–

> "In this regard it is submitted that the matter has been got examined by the Government. Keeping in view the inquiry report submitted by the State Vigilance Bureau after the consideration of matter 'in-principle' decision has been taken to offer appointment to the candidates who found innocent in this report. It is also submitted that since the vacancies for the year 2004 have already been withdrawn as such they cannot be given appointment against these vacancies***.)

(घंटी) अध्यक्ष महोदय, इसलिए तो मैं कह रहा था कि मुझे बोलने के लिये कल मौका दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है और इसे सदन के पटल पर बताना बहुत जरूरी है। इस प्रकार महत्वपूर्ण इशू को तीन मिनट में पूरा नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्षः बतरा साहब, आप सदन में ऐसा इशू उठायें जो तीन मिनट में पूरा हो जाये क्योंकि बाकी माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका देना है। आपके इस मैटर के ऊपर कल सदन में लगभग तीन घंटे से ऊपर डिस्कशन हो चुकी है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि मुझे कल भी शून्यकाल में बोलने का समय जरूर दे दें ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि जो भी सदस्य शून्यकाल के दौरान अभी तक नहीं बोले उनको कल बोलने का समय पहले दिया जायेगा।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में पूरी करता हूँ। ए.जी. महोदय पहले तो यह कहता है कि यह अप्वायंटमैंट नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह कहता है कि अगर अप्वायंटमैंट करनी है तो यह सारा का सारा मैटर हरियाणा लोक सेवा आयोग को वापिस भेजा जाये। हरियाणा लोक सेवा आयोग इस मैटर को डिसाईड करेगी और रिजल्ट को रिवाईज करेगी। सरकार ने किस कैपेसिटी के अंदर हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजे बिना फैसला कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा लोक सेवा आयोग उस रिजल्ट को रिवाईज करती और अपना फैसला देती। अध्यक्ष महोदय, सरकार और मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि इन 32 (घंटी) को भी नौकरी से निकाल दो। (घंटी) सरकार को इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री नयन पाल रावत (पृथला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मेरी विधान सभा क्षेत्र के सिकरी गांव का ओवरब्रिज बना दिया है, इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार को धन्यवाद देता हूँ लेकिन भगोला गांव जो जी.टी. रोड पर बसा हुआ है। वहां स्कूल जी.टी. रोड के दूसरी तरफ पड़ता है, जिससे हमारी बेटियों को आने–जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों को भी अपनी भैंसा बुग्गी आदि लेकर आने–जाने में बहुत परेशानी होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन के नेता और माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इसका ओवरब्रिज का निर्माण भी जल्दी से जल्दी करवाया जाये। वर्ष 2012 में फतेहपुर ब्लॉक में ऑल इण्डिया मैडिकल संस्था की शाखा के लिये लगभग 6 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुई थी, उसकी बाउण्ड्री वॉल भी हो गई लेकिन उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है, उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। मैंने इसके बारे में लिखकर भी दिया हुआ था। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा कल 'काम रोको प्रस्ताव' लाया गया था। हरियाणा प्रदेश में सभी को पता है कि कांग्रेस शासन में भर्तियां किस प्रकार से हुआ करती थी। नौकरियों की दुकानें कौन चलाता था। जिन युवाओं से पैसा लिया जाता था शायद कई साल तक तो वापिस भी नहीं आता था। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अंत में यही

बात कह कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो इस संबंध में डिप्टी सेक्रेटरी पकड़ा गया है, अगर वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं से 6 महीने की ट्रेनिंग ले लेता तो वह रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाता। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास इस तरह की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नयन पाल रावत को सदन में अपनी स्पीच के लिए भाजपा द्वारा मैडल दिया जाएगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक बात कही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नयन पाल रावत : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों को किसी भी साथी के बारे में ऐसी बातें शोभा नहीं देती । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाइये । अब माननीय सदस्य श्री राम कुमार गौतम जी सदन में अपनी बात रखेंगे । राम कुमार गौतम जी, अब आप बोलिये ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आज की बजाय बोलने के लिए कल समय दे देना ।

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, आप आज बोलें या कल लेकिन आपको बोलने के लिए 3 मिनट ही मिलेंगे । आपने आज बोलना है या कल बोलना है, यह आपकी मर्जी है ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरी हर बात बहुत कीमती है । अगर आप मुझे बोलने के लिए 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं देते तो मैं आज नहीं बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है राम कुमार जी, आज आप मत बोलिए ।

श्रीमती शैली (नारायणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त बी.पी.एल. परिवारों को सौ–सौ गज के प्लॉट दिए गए थे । उन प्लॉट्स में आज तक कोई सुविधा नहीं दी गई है । न वहां पर पानी है, न बिजली है और न ही कोई अन्य सुविधा है । अतः मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए और उनमें सभी सुविधाएं दी जाएं । अध्यक्ष महोदय, अब मैं किसानों के विषय पर बात करना चाहूंगी । मैं माननीय

मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि जब तीनों काले कृषि कानून वापिस हो चुके हैं तो फिर किसानों पर दर्ज मुकदमें भी वापिस होने चाहिए । इसके अलावा शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाए । मैं अपने नारायणगढ़ हल्के की एक मांग को विधान सभा में अनेक बार रख चुकी हूं । यह बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जानकारी में भी है कि हमारे क्षेत्र की मिल में किसानों के गन्ने की एक साल की पेमेंट हर साल पैंडिंग रहती है । कई बार किसानों के बिजली के कनैक्शन काट दिये जाते हैं जबकि उनको अपने गन्ने की पेमेंट भी नहीं मिली होती । अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि उन किसानों के बिजली के कनैक्शन न काटे जाएं । नारायणगढ़ की शुगर मिल की तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय विशेष ध्यान दें और उसका कोई स्थाई हल निकालें । उसके परमानैंट हल के लिए हमें सदन में बार–बार आवाज उठानी पड़ती है । आज के दिन हमारा अन्नदाता वैसे ही बहुत परेशान है । आज किसान के लिए खाद की बहुत कमी है । पहले तो खाद आती ही नहीं है और जिस दिन खाद आती है उस दिन बहुत लम्बी–लम्बी लाइनों में लगकर किसानों को खाद लेनी पड़ती है । अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ भी दिलवाना चाहूंगी कि खाद की कमी को अवश्य पूरा किया जाए । अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों की बात करूंगी । मेरे हल्के में सड़कों की बहुत बुरी हालत है । यह बात मैंने सदन में पहले भी रखी है । वहां पर आये दिन एक्सीडैंट्स होते रहते हैं । नारायणगढ़ से काला अम्ब की सड़क की बहुत बुरी हालत है । वहां पर कई एक्सीडैंट्स हो चुके हैं और कई व्यक्तियों की जान भी जा चुकी है । अब मैं नम्बरदारों की बात करना चाहूंगी । हाल ही में कुछ नम्बरदार हमसे आकर मिले थे । अब नम्बरदारों के पद खत्म किये जा रहे हैं । मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन पदों को खत्म न किया जाए क्योंकि यह बहुत ही सम्मानित पद है । आज के दिन गांव में सरपंच को हटा दिया जाता है जिसके कारण गांव में विकास कार्य नहीं हो पाते हैं । इसके अलावा ग्राम पंचायतों के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं । ऐसी स्थिति में नम्बरदार अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि गैस्ट टीचर्स की मांग है कि उनको रैगुलर किया जाए । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि इनको रैगुलर किया जाए । आज के दिन महंगाई बहुत बढ़ चुकी है । लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मेरा कहना है कि इनको

रैगुलर किया जाना चाहिए । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि हमारे नारायणगढ़ के हॉस्पिटल में डॉक्ट्र्स की बहुत कमी है । सदन में इस बारे में बार–बार कहने के बावजूद भी इस समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला है । वहां पर डॉक्ट्र्स की बहुत कमी है । वहां पर डेंगू के फैलाव के समय मरीजों का बहुत बुरा हाल हुआ था । वहां पर लोगों को अपने इलाज के लिए पंचकुला या अम्बाला जाना पड़ता है । अतः मैं कहूंगी कि उस अस्पताल में डॉक्ट्र्स भेजे जाएं । अध्यक्ष महोदय, कल नौकरियों में पैसे लिए जाने के बारे में कई घण्टे तक बहस चली थी । हमारे प्रदेश का युवा आज अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है । युवाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाए । अतः इस मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देख–रेख में सी.बी.आई. से जांच करवाई जाए । इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा और युवाओं को उनके अधिकार मिल पाएंगे । आज प्रदेश में नौकरियों में घोटाला हो रहा है । आज प्रदेश में छोटी–से–छोटी नौकरी के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं ।

श्रीमती सीमा त्रिखा (बड़खल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताना चाहूंगी जो मेरे विधान सभा क्षेत्र और जिले में चल रहे हैं, लेकिन उनको और गति मिल जाएगी तो वे काम समय पर पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बड़खल झील के काम की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। इसके साथ ही साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि जे.सी. बोस यूनिवर्सिटी के लिए लगभग सारा प्रारूप पूरा किया जा चुका है। इस सैशन में हमें उस यूनिवर्सिटी के काम का शुभारंभ करना चाहिए ताकि जल्द वह जनता को समर्पित की जा सके। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आती हूं उसमें मेरे शहर का लगभग 50 प्रतिशत से अधिक एरिया स्लम में आता है। हमारा जिला ऐसा है जिसमें इन्डस्ट्रीज का बहुत स्कोप है, इसलिए पूरे देश के लोग इस जिले में काम करने के लिए आते हैं। इसी वजह से वहां पर रेहड़ी– फड़ी वालों का अपना स्थान है। वे हर रोज घर से निकलकर ताजा कमाते हैं और ताजा घर ले जाते हैं। आजकल हमारे शहर को तेजी से बहुत सुन्दर शहर बनाने की मुहिम चल रही है। जैसा कि केन्द्र सरकार का भी एक एजेंडा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी वैंडिंग जोन को लेकर बी.पी.एल. परिवारों और अभावग्रस्त लोगों के लिए योजना है। मैं चाहती हूं कि हमारे शहर के रेहड़ी –फड़ी वालों को

जल्द से जल्द स्थापित करने के लिए कोई विशेष योजना वैंडिंग जोन के तहत बनाकर स्थान दिया जाए ताकि वे अपना रोजगार चला सकें। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से धन्यवाद भी करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक चीज के लिए स्वागत भी करना चाहूंगी कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था तो एक बात मन में तय की थी कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उनके मुंह से अनायास या सोच– समझकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा निकला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कल के सैशन के 5 मिनट तो बिल्कुल स्वर्णिम अक्षरों में लिखें जाने वाले हैं क्योंकि उस दौरान सदन में 90 विधायकों में से 89 विधायकों ने एकमत से प्रदेश के मुखिया की ईमानदारी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। इसलिए मैं समझती हूं कि सरकार को चलाने का असली औचित्य कल सभी माननीय सदस्यों की मोहर से पूरा होता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत– बहुत बधाई देना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इसके लिए कल के सैशन की उस 5 मिनट की रिकार्डिंग निकलवाकर देख लें। उस दौरान सभी ने कहा था कि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है और उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं है। इसलिए अब अपनी बात से कोई माननीय सदस्य मुकरेगा नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा पूरे सदन ने कल एक सहमति से चरितार्थ किया है और यह बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। माननीय सदस्यों की सहमति से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा भी सही साबित होता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री जी जैसा ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कल ऐसा ही कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, एच.पी.एस.सी. की भर्ती में जो गड़बड़ हुई है, वह बड़े अधिकारियों की शह के बिना नहीं हो सकती।

श्री घनश्याम सर्राफः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनहित की कुछ प्रमुख मांगे मैं आपको लिखकर दे रहा हूं, इन्हें आप प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बना देना।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप लिखकर दे दें। इन्हें प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बना लिया जायेगा।

***श्री घनश्याम सर्राफः** अध्यक्ष महोदय, मेरे भिवानी, विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगे निम्न प्रकार से हैं–

1. शहर में न्यू बस स्टैंड से लेकर आर.ओ.बी. तक NH709E रोड को RCC का जल्द बनाया जाये।
2. तिगडाना मोड़ से लेकर निनान गांव तक बाईपास बनाया जाए ताकि भारी वाहनों का शहर में प्रवेश करने से रोका जा सके।
3. सब्जी मंडी को सेक्टर– 31 में स्थापित किया जाये।
4. घंटाघर का भीड़–भाड़ का इलाका है और वहीं साथ में सर्कुलर रोड पर सभी बैंक हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हुडा सिटी सैंटर के साथ लगती H.S.V.P.N. की जमीन पर एक बैंक स्कवायर का निर्माण करवाया जाए।
5. भिवानी से कालका एकता एक्सप्रेस को पुनः शुरू किया जाये।
6. राजीव कॉलोनी में बूस्टिंग का निर्माण करवाया जाये।
7. हनुमान ढाणी पिपली वाली जोहड़ी रेलवे फाटक पार पेयजल लाइन डाली जाये।
8. चौ. बंसी लाल अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ एवं चर्म रोग विशेषज्ञ आदि डॉक्टर्ज की कमी को पूरा किया जाये।
9. नंदगांव आई.टी.आई. को सभी ट्रेडो के अध्यापकों को लगाकर चालू किया जाए।
10. दादरी रोड पर ठोस कचरा प्लांट के साथ लगती लगभग 100 एकड़ भूमि है इसमें कोई नया प्रपोजल बनाया जाए।

.....

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

11. लोहारू रोड सीमन सैंटर के स्थान पर जिला स्तरीय पशु अस्पताल बनवाया जाये।
12. भिवानी शहर में न्यू ऑटो मार्किट के सामने नगर सुधार मंडल की मार्किट व ऑटो मार्किट के आगे RCC का रोड बनाया जाये एवं चौधरी देवीलाल की मूर्ति के पीछे के RCC का रोड बनाया जाये। ये सड़कें नगर परिषद के अंतर्गत आती हैं।
13. H.S.V.P. की मार्केट काठ मंडी के आगे की दुकानों के आगे की RCC का रोड बनाया जाये एवं अनाज मंडी गेट न. 2 के साथ लगती ग्रीन बैल्ट को ठीक किया जाये।
14. भिवानी शहर की राजीव कॉलोनी, देव नगर कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी को MC के दायरे में शामिल किया जाये।
15. भिवानी शहर में कुछ स्थानों जैसे हालुवास गेट, आजाद नगर आदि में PHED के पानी के वाल लीक करते रहते हैं, इनको बदला जाये
16. बासिया भवन से लेकर डॉ M.L. शर्मा अस्पताल जू रोड तक भ्ट्च्छ की दोनों तरफ के रोड, फुटपाथ, ग्रीन बैल्ट आदि कार्यों को जल्द पूरा किया जाये।
17. शिक्षा बोर्ड से लेकर हांसी गेट, महम गेट, रोहतक गेट तक एन.एच. रोड जो जींद रोड का हिस्सा है, इसकी कार्पेटिंग की जाये। फूटपाट छोटे किये जाएं और शिक्षा बोर्ड से हांसी गेट तक बीच में ग्रिल लगाई जाये।
18. हरियाणा रोडवेज, भिवानी डिपो में बसों की संख्या में वृद्धि की जाये एवं लम्बी दूरी की बसें चलाई जाये।
19. शहर में लघु सचिवालय के पीछे भीम स्टेडियम रोड से LIC कार्यालय के सामने सभी ग्रीन बैल्ट को HSVPN द्वारा नया बनाया जाये ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल समाप्त होता है।

———————————

पदम श्री विजेता पहलवान श्री विरेन्द्र सिंह गूंगा की मांगों से संबंधित मामला उठाना।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के श्री विरेन्द्र सिंह गुंगा पहलवान को पदम श्री पुरस्कार मिला है। वे सदन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी वे धरने पर बैठे थे। वे डीफ एंड डम्ब हैं। वे गूंगे– बहरों की प्रतियोगिता में कई तरह के मैडल्ज लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि

हमें भी उनको ऑनर करना चाहिए। चूंकि उनको राष्ट्रपति जी ने भी ऑनर किया है। अध्यक्ष महोदय, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सम्मानित किया है और वह अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन भी दिया था। जब उनको पदम श्री अवार्ड दिया गया था तो उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्विट करके बधाई दी थी और कहा था कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

श्री अध्यक्षः गीता जी, आपने जिस पहलवान का जिक्र किया है, वह धरने पर क्यों बैठा हुआ है ? इसके पीछे क्या कारण हैं ?

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, श्री विरेन्द्र सिंह गुंगा पहलवान ने आपके नाम एक पत्र भेजा है और मैं उसको सदन के पटल पर टेबल भी कर दूंगी। इस लैटर में लिखा हुआ है कि केन्द्र सरकार की तर्ज पर डीफ एंड डम्ब खिलाड़ियों को भी पैरा खिलाड़ियों के बराबर अधिकार दिए जाएं। उन्होंने विश्व में deaf and dumb चैम्पियनशिप में तीन मैडल जीते हैं। उनको भारत सरकार ने वर्ष 2016 में अर्जुन अवॉर्ड दिया था और वर्ष 2018 में डिसएबिलिटी नैशनल अवॉर्ड दिया गया था और वर्ष 2021 में पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, क्या श्री विरेन्द्र पहलवान अपना मांग पत्र देने से पहले ही धरने पर बैठ गये। सरकार को पहले अपना मांग पत्र दे देते। इस बारे में पहले सरकार को बता देते।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपना मांग पत्र भी दिया हुआ है। उनकी मांग यह है कि दिनांक 1 मई 2022 से 15 मई 2022 तक ब्राजील में खेल होने हैं। वे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और उन्होंने भी उसको आश्वासन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि पैरामैडीक्स और डैफ्स को बराबर अवॉर्ड दिया जायेगा। मैं उनकी तरफ से दिया गया मांग पत्र साथ लेकर आई हूं और उन्होंने मुझे बताया भी है कि सरकार को उन्होंने अपना मांग पत्र भेजा हुआ है। मैं यह मांग पत्र सदन की टेबल पर रख दूंगी। मेरा आपसे और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मांग पत्र को कंसीडर करने का काम किया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय सदस्या ने श्री विरेन्द्र पहलवान की डिमांड्स की बात रखी है। मैं बताना चाहता हूं कि उनका खेल पॉलिसी के हिसाब से भी 8 करोड़ रुपये की राशि का पुरस्कार बनता है जो कि

हरियाणा गवर्नमैंट ने नहीं दिया है। मेरी मांग है कि सरकार उनको 8 करोड़ रुपये की राशि का पुरस्कार देने का काम करे।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आपको उन्होंने जो मांग पत्र दिया हुआ है वह मुझे टेबल कर दीजिए। इसका निर्णय सरकार ने करना है इसलिए इस मांग पत्र पर सरकार विचार कर लेगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब हम इसको अपना हरियाणा का निवासी मानते हैं तो इनके लिए हरियाणा के दूसरे खिलाड़ियों से अलग पॉलिसी कैसे बनेगी। हरियाणा गवर्नमैंट की तरफ से उनको 8 करोड़ रुपये की राशि का पुरस्कार दिया जाये।

———————

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

प्रदेश में डी.ए.पी./यूरिया खाद की कमी से संबंधित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक तथा 6 अन्य विधायकों श्री चिरंजीव राव, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री शीशपाल सिंह, श्री मामन खान, श्री बिशन लाल तथा श्री आफताब अहमद द्वारा डी.ए.पी./यूरिया की कमी से रबी बुआई योजनाओं के बिगड़ने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 18 जो कि श्रीमती किरण चौधरी द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकती हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 जो कि श्री अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा दी गई है समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के साथ जोड़ दी गई है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक अपनी सूचना पढ़े।

Shri Jagbir Singh Malik: Speaker Sir, I and S/Shri Chiranjeev Rao, MLA, Smt. Geeta Bhukkal, MLA, Shri Shispal Singh, MLA, Shri Mamman Khan, MLA, Shri Bishan Lal, MLA and Shri Aftab Ahmed, MLA want to draw the kind attention of this august House towards a matter of great public importance that panic has gripped farmers across Haryana with severe shortage of di-ammonium phosphate (DAP), urea

and other fertilizers, which are basic nutrients for Rabi Crops, threatening to upset their plans for sowing of Rabi Crop, especially wheat and mustard. Long queues of farmers wanting to buy DAP have been reported outside the offices of primary agri. Cooperative Societies (PACS) and other dealers in several District's including Ambala, Karnal, Kurukshetra, Rewari, Nuh, Mohindergarh, Charkhi Dadri, Bhiwani and Hisar in the past few days. Farmers argued that since DAP had to be sprinkled at the time of sowing of Rabi Crops any delay in its supply could have adverse impact on sowing the crops in time. DAP requirement for Rabi Season in Haryana was pegged at around 3 lakh metric tons while the supply so far had been about one-third of the demand as the estimated wheat sowing area is 25 lakh hectare in the State. Farmers held a protest in many District's of the State and were seen waiting in long queues to get the DAP. Farmers alleged that the anti-farmers attitude of the Government stands exposed as the farmers are not able to sow Rabi Crops due to shortage of DAP. Farmers were forced to suffer as the central and State Government's had failed to make adequate provision for the supply of DAP fertilizer/Urea well in advance.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 18
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के साथ सलंग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 18 के द्वारा, श्रीमती किरण चौधरी, विधायक खाद एवं यूरिया की भयंकर किल्लत बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में खाद एवं यूरिया की कमी की जो गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। मौजूदा समय में पूरे हरियाणा प्रदेश में डीएपी एवं यूरिया की इतनी गंभीर किल्लत है कि आज भी भिवानी जिला में किसानों के लिए खेती उपज हेतु एक लाख खाद के कट्टों की आवश्यकता है परन्तु किसान सुबह से लेकर देर शाम तक कभी पुलिस थानों में, कभी खाद बीज केन्द्रों के सामने लम्बी लाईनों में लगने को बाध्य है उसके बावजूद भी किसान को अपनी जरूरत के मुताबिक खाद एवं यूरिया के कट्टे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं अगर किसी तरह से लम्बी लाईनों से जूझते हुए उसे थोड़ी बहुत खाद मिलती भी है तो

एक–आध कट्टा ही पूरे दिन में आधार कार्ड के तहत दिया जाता है। अगर किसी किसान के पास तीन एकड़ खेती योग्य भूमि है तो वह लगभग एक सप्ताह से दस दिन तक तो सरकारी उदासीनता के कारण उत्पन्न हुई खाद एवं यूरिया की भयंकर कमी के कारण भटकता रहता है, इस समय बुआई का सीजन चल रहा है जो पूरे वर्ष में किसान के लिए अपने परिवार तथा पूरे देश–प्रदेश के भरण–पोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है अगर यह सीजन ही चला गया तो उसकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी और आर्थिक नुकसान अलग से होगा। इन हालात के मध्यनजर मजबूरन किसान कालाबाजारी का शिकार हो सकता है। अभी हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से साफ है कि जहां एक कट्टा खाद एक एकड़ के लिए आवश्यक है वह आधे कट्टे से ही काम चला रहे है जिसके फलस्वरूप उनकी फसल की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पडेंगे जिससे पैदावार के कम होने की संभावनाएं दिन–प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। सरकार एक तरफ से किसानों से यह वादा करती है कि उनकी आमदनी 2022 तक दोगुनी कर देंगे परन्तु वास्तव में किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कभी डीएपी, यूरिया के कट्टे का वजन कम करके, समय पर उपलब्धता ना करवा कर दिन–प्रतिदिन उन्हें गरीबी में धंसने पर मजबूर करती जा रही है। वह आपके माध्यम से सभी सदस्यों से यह गुजारिश करती हैं कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार को लोक कल्याण की प्रतिबधता की याद दिलाए ताकि वह एक उचित नीति के तहत एवं आसानी से बिना दाम बढाएं खाद एवं यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करवाए। जिससे किसानों को दर–ब–दर भटकना ना पड़े एवं बुआई के सीजन में ही इसे प्राप्त करके किसान अपनी मेहनत एवं ध्यान खेतों में ही केन्द्रित कर सके ताकि उनके मन में कोई आक्रोष उत्पन्न ना हो।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के साथ सलंग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक प्रदेश में डीएपी व यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध करवाने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश का किसान डीएपी खाद न मिलने की वजह से बहुत परेशान है। प्रदेश में गेहूं की बुवाई का सीजन जोरों पर चला हुआ है परंतु सरकार डीएपी व यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध करवाने में विफल रही है। प्रदेश के किसान खाद न मिलने के

विरूद्ध सड़कों पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। यह सर्वविदित है कि पिछले कई दिनों से किसान कई–कई घंटों तक लाईन में खड़े रहते हैं परंतु फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। किसानों को समय पर खाद न मिलने पर गेहूं की फसल पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा खाद कम्पनियां व डीलर्स की तरफ से खाद के साथ जबरन सल्फर खाद का बैग किसानों पर थोपा जा रहा है। प्रदेशभर में इसे लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि डीएपी खाद पुलिस के पहरे में बिक रही है और कई जगहों पर तो खाद पुलिस थानों में वितरित की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में डीएपी खाद की कालाबाजारी जोरो पर चल रही हैं। सूचना के अनुसार खाद की कालाबाजारी में खाद एजेंसी संचालकों की मिलीभगत भी सामने आई है। उपरोक्त गम्भीर समस्याओं को लेकर प्रदेश के किसानों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा व रोष व्यापत है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)**

वक्तव्य–

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री(श्री जय प्रकाश दलाल) : उपाध्यक्ष महोदय, डाई अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.) अपने उच्च विश्लेषण और अच्छे भौतिक गुणों के कारण लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण फॉस्फेटिक उर्वरक है क्योंकि इसमें 18 प्रतिशत नाइट्रोजन और 46 प्रतिशत फॉस्फोरस होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डी.ए.पी. उर्वरक के कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण तथा कोविड के कारण विदेशों में उत्पादन में कमी आने के कारण, आयातकों और निर्माताओं ने मई, 2021 महीने के दौरान अपने आयात और निर्माण प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में डी.ए.पी. उर्वरक की आपूर्ति में कमी महसूस की गई।

हालांकि, हरियाणा राज्य में रबी फसलों मुख्यतः गेहूं तथा सरसों की बिजाई के दौरान डाई–अमोनियम फॉस्फेट(डी.ए.पी.), यूरिया और अन्य उर्वरकों की कोई गंभीर कमी नहीं देखी गई। यह भी उल्लेखनीय है कि रबी फसलों की बिजाई अवधि आम तौर पर 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक होती है। मुख्य उर्वरकों की उपलब्धता और खपत निम्न प्रकार से हैः–

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

उर्वरक का नाम	रबी 2021–22 के लिए आबंटन	प्रारंभिक शेष 01.01.2021 तक	कुल उपलब्धता 15.12.2021 तक	उपभोग 15.12.2021 तक	उपभोग अनुपात 15.12.2020	वर्तमान स्टॉक 15.12. 2021 तक
यूरिया	11.00	1.37	6.29	5.74	5.88	0.55
डीएपी	3.00	0.53	2.82	2.57	2.58	0.25
एसएसपी	1.00	0.63	1.06	0.78	0.35	0.27
एनपीके	0.50	0.11	0.41	0.38	0.08	0.03
कुल	15.50	2.64	10.58	9.47	8.89	1.10

इस तालिका में अगर हम देखें तो हमारे लिए यूरिया का वर्ष 2021–22 के लिए 11 लाख मीट्रिक टन आबंटन हुआ था। इसके अतिरिक्त हमारे पास 1.37 लाख मीट्रिक टन कैरीफॉर्वर्ड स्टॉक था। दिनांक 15.12.2021 तक हमें 6.29 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला उसके 5 दिन बाद अब यह 6.93 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। दिनांक 15.12.2021 तक 5.74 लाख मीट्रिक टन की कंजम्पशन हो चुकी है जो अब बढ़ कर 6.24 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है तथा वर्तमान में हमारे पास 55 हजार मीट्रिक टन का स्टॉक है। इसी प्रकार से डी.ए.पी. का हमारा 3.00 लाख मीट्रिक टन का आबंटन था तथा दिनांक 01.10.2021 को 53 हजार मीट्रिक टन का कैरीफॉर्वर्ड स्टॉक था। इस प्रकार से दिनांक 15.12.2021 तक 2.82 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता हमारे पास हुई थी। इसमें से 2.57 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. का उपभोग हुआ है तथा वर्तमान में हमारे पास 25 हजार मीट्रिक टन का स्टॉक है। इसके अलावा डी.ए.पी. का विकल्प एस.एस.पी. है जो स्वदेशी है, उसका 1.00 लाख मीट्रिक टन आबंटन हुआ था तथा 63 हजार मीट्रिक टन हमारा कैरीफॉर्वर्ड था। इस प्रकार से हमारे पास एस.एस.पी. का दिनांक 15.12.2021 तक 1.6 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक हो गया। इसमें से 78 हजार मीट्रिक टन उपभोग में आया तथा वर्तमान में हमारे पास 27 हजार मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध है। इसी तरह से एन.पी.के. का हमारा टारगेट था कि हम 50 हजार मीट्रिक टन कंज्यूम करेंगे जिसमें से हमने 38 हजार मीट्रिक टन कंज्यूम किया। अगर मैं इस सीजन में कुल उर्वरकों के बारे में बताऊं तो 15.50 लाख मीट्रिक टन कंज्यूम करने का टारगेट है तथा हमारे पास 2.64 लाख मीट्रिक टन कैरीफॉर्वर्ड स्टॉक था। दिनांक 15.12.2021 तक हमारे पास 10.58 लाख मीट्रिक टन की कुल उपलब्धता थी। इस दौरान 9.47 लाख मीट्रिक टन का उपभोग हुआ है तथा वर्तमान में हमारे पास 1.10 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध है। अगर पिछले साल का इसी समय का उपभोग देखा जाये तो पिछले साल 15.12.2020 तक 8.89 लाख मीट्रिक टन का उपभोग

हुआ था जिसके मुकाबले इस साल 15.12.2021 तक 9.47 लाख मीट्रिक टन का उपभोग हुआ है जो उससे अधिक है। उपरोक्त तालिक से यह स्पष्ट है कि पिछले रबी मौसम में 2.58 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. की खपत हुई थी, जबकि वर्तमान सीजन के दौरान दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 तक 2.57 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. की मात्रा किसानों को उपलब्ध कराई जा चुकी है जो कि पिछले वर्ष की खपत के लगभग बराबर है। इसके साथ–साथ फॉस्फेटिक उर्वरकों के अन्य स्त्रोतों जैसे एस. एस.पी. तथा एन.पी.के. को भी पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया गया(एस.एस.पी. दो गुना से अधिक और एन.पी.के. लगभग 5 गुना)। इस प्रकार 15.12.2021 तक फॉस्फेटिक उर्वरकों की कुल खपत 3.73 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक इनकी खपत 3.01 लाख मीट्रिक टन थी। इस प्रकार से हमने किसानों को 72 हजार मीट्रिक टन ज्यादा खाद दिया है। इसी प्रकार, पिछले वर्ष के दौरान यूरिया उर्वरक की बिक्री 5.88 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि, वर्तमान रबी मौसम के दौरान यह 5.74 लाख मीट्रिक टन रही जो यह दर्शाता है कि इस वर्ष किसानों को यूरिया की आपूर्ति लगभग समान है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आज की स्थिति के अनुसार राज्य में 55,828 मीट्रिक टन यूरिया का भण्डारण है तथा इसके अतिरिक्त लगभग 1,00,000 मीट्रिक टन यूरिया उर्वरक संभवतः अगले 10 दिनों में राज्य में पहुंच जायेगा। इस प्रकार राज्य को यूरिया की पर्याप्त मात्रा मिल जायेगी। यूरिया तथा डी.ए.पी. की जिले वार स्थिति अनुलग्नक 'क' और 'ख' पर संलग्न है।

बिजाई के समय आवश्यकता अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता के साथ रबी की मुख्य फसलों की बिजाई हो चुकी है। फॉस्फेटिक उर्वरकों का उपयोग/ड्रिल बिजाई के समय किया जाता है तथा यूरिया को आम तौर पर फसल में टॉप–ड्रेसिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि डी.ए.पी. का उपयोग बिजाई के समय किया जाता है तथा यूरिया का उपयोग जब पानी लगाते हैं उस समय किया जाता है। इस रबी मौसम में खास बात यह हुई कि हमारी नीतियों के कारण सरसों का भाव ऑल टाईम हाई है। सरसों का भाव 7000/– रुपये और 8000/– रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा है। इसी कारण से इस बार सरसों की बिजाई पिछले साल के मुकाबले अधिक हुई है। सरसों फसल की बिजाई पिछले साल के 6.1 लाख हेक्टेयर (करीब 15 लाख एकड़) के मुकाबले 7.6 लाख हेक्टेयर(करीब 19 लाख एकड़) में की गई है। कुल मिला कर 4 लाख

एकड़ सरसों का क्षेत्र बढ़ गया। डी.ए.पी. का उपयोग बिजाई के समय किया जाता है और किसान ने अधिक उपज लेने के लिए डी.ए.पी. की मात्रा बढ़ा दी। इसी तरह 22.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (करीब 57 लाख एकड़) में गेहूं बोया गया है जबकि पिछले साल 23.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र(58 लाख एकड़) में गेहूं बोया गया था। इस प्रकार से गेहूं का एक लाख एकड़ एरिया सरसों में कन्वर्ट हुआ है तथा 3 लाख एकड़ दूसरी फसलें छोड़ कर सरसों बोई गई है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी भी उर्वरक की कमी के कारण गेहूं तथा सरसों फसल की बिजाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों की खरीद के दौरान, कुछ स्थानों पर कतारें उर्वरक की कमी या आपूर्ति न होने के कारण नहीं थी, बल्कि पी.ओ.एस. मशीन(प्वाइंट ऑफ सेल मशीन) पर डेटा को अपडेट करने में कुछ समय लगता है। आजकल किसान को मशीन के द्वारा खाद दी जाती है लेकिन उसमें डाटा अपलोड करने में समय लगता है। इस प्रणाली में आधार कार्ड और अंगूठे के निशान आदि की आवश्यकता होती है। हमारा ऐसा करने का मकसद यह था कि हम छोटे किसानों को पहले खाद उपलब्ध करवा दें क्योंकि हरियाणा में 70–80 प्रतिशत छोटा किसान है तथा उनको समय पर खाद उपलब्ध करवाना हमारा धेय था। इसी वजह से कुछ स्थानों पर लाइनें दिखाई दी हैं। भारत सरकार ने 2018–19 से आई.एफ.एम.एस.(एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली) शुरू की थी जो पी.ओ.एस. मशीन (प्वाइंट ऑफ सेल मशीन) के माध्यम से बिक्री को अनिवार्य करने की मांग करती है ताकि बिक्री तथा स्टॉक के वास्तविक समय का आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हो सके।

राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की समय पर आपूर्ति करने तथा भारत सरकार से अधिक उर्वरक प्राप्त करने हेतू विशेष प्रयास किए गए हैं। राज्य में उर्वरकों के उचित वितरण की समय–समय पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा भी की गई है। भारत सरकार प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंस बैठक के माध्यम से सभी राज्यों के साथ उर्वरकों की स्थिति की समीक्षा करती है। विभाग के मंत्री/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि के स्तर पर लगभग प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। महानिदेशक, कृषि प्रतिदिन भारत सरकार के लगातार संपर्क में रहते हैं। श्री अमरजीत मान, विशेष सचिव, कृषि को भारत सरकार के साथ इन मामलों के निपटान हेतू विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। संयुक्त निदेशक(गु0नि0), हरियाणा द्वारा भारत सरकार के कार्यालय का साप्ताहिक आधार पर दौरा किया जा रहा है ताकि खाद

के रैकस की समुचित व्यवस्था की जा सके। क्योंकि खाद को लाना और डिस्ट्रब्यूट करना भी अपने आप में एक चैलेंज था। इस प्रकार प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता, बिक्री और स्टॉक की स्थिति का नियमित रूप से फील्ड स्टाफ, भारत सरकार और उर्वरक आपूर्तिकर्त्ता कंपनियों के साथ दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रयास भी किए गये हैंः–

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 23.07.2021 के माध्यम से माननीय उर्वरक मंत्री, भारत सरकार को अनुरोध किया तथा उसके बाद एक अन्य अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 07.09.2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया कि खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

दिनांक 04.10.2021 को संयुक्त सचिव (आई.एन.एम.), भारत सरकार से डी.ए. पी. की आपूर्ति में तेजी लाने और अक्टूबर 2021 के लिए आवंटन बढ़ाने बारे अनुरोध किया गया।

माननीय कृषि मंत्री हरियाणा ने भी अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 11.10.2021 के माध्यम से माननीय उर्वरक मंत्री, भारत सरकार को अनुरोध किया गया।

दिनांक 12.10.2021 को माननीय कृषि मंत्री हरियाणा द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई।

दिनांक 12.10.2021 को राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई।

दिनांक 14.10.2021 को सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा उर्वरकों की उपलब्धता बारे समीक्षा की गई।

आपूर्ति में तेजी लाने और डी.ए.पी. के आबंटन की मात्रा बढ़ाने के अनुरोध के साथ महानिदेशक, कृषि द्वारा 21.10.2021 को उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार का व्यक्तिगत दौरा किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा दिनांक 24.10.2021 को उर्वरकों की उपलब्धता बारे समीक्षा की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि द्वारा दिनांक 11.11.2021 को सचिव (उर्वरक), भारत सरकार से 25 नवंबर, 2021 तक हरियाणा को 10 डी.ए.पी. के अतिरिक्त रैक की आपूर्ति कराने का अनुरोध किया।

माननीय कृषि मंत्री, हरियाणा ने उर्वरकों को नियमित आधार पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार तथा माननीय उर्वरक मंत्री, भारत सरकार के साथ नवंबर माह में दो बार बैठक की।

माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा दिनांक 12.12.2021 को सभी उपायुक्तों के साथ उर्वरकों की उपलब्धता बारे समीक्षा की गई।

विभागीय पत्र दिनांक 16.12.2021 के द्वारा यूरिया के 16 रैक्स तुरन्त भेजने बारे अनुरोध किया।

पूरे प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति की निगरानी मुख्यालय व जिला स्तर पर लगातार की जाती है। इस उद्देश्य के लिए उपायुक्तसें को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उप कृषि निदेशकों एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों को उर्वरकों की निगरानी एवं नियंत्रण हेतू उपायुक्तों को सहयोग करने बारे निर्देश दिये गये। उपायुक्तों को निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

सख्त उपाय किये जाये ताकि पड़ोसी राज्यों में किसी प्रकार का उर्वरक न जाने पाए।

उपायुक्तों द्वारा उर्वरकों के स्टॉक की जांच तथा उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफ.एम.एस.) पर अद्यतन तथा हर दुकान पर स्टॉक की स्थिति को प्रदर्शित किया जाए।

सरसों उगाने वाले जिलों में उर्वरकों के वितरण में प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियों को प्राथमिकता दी जाये।

उपायुक्तों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उर्वरकों के उपलब्ध स्टॉक का भौतिक स्त्यापन करते हुए कालाबाजारी और चोरी को रोकने के लिए हर संभव कदम उठायें।

सरसों उगाये जाने वाले क्षेत्रों में सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा गेहूं व आलू उगाये जाने वाले क्षेत्रों में एन.पी.के. के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जाएं।

मुख्यालय पर डी.ए.पी. की दैनिक निगरानी विभाग के विशेष अधिकारी के द्वारा की जाती है।

डीलरों को अपने स्टॉक की स्थिति को पी.ओ.एस./आई.एफ.एम.एस. में अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया है और स्टॉक की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है। पुलिस द्वारा नियमित रूप से स्थापित नाकों पर जांच की जाती है ताकि पड़ोसी राज्यों में कोई खाद न जाए। चोरी तथा कालाबाजारी के खिलाफ कार्यवाही की गई है। अक्टूबर से दिसम्बर, 2021 तक जिला स्तरीय टीम द्वारा की गई जिलेवार कार्यवाही इस प्रकार हैः–

क्रमांक	जिला	शिकायतें	कारण बताओ नोटिस	लाईसेंस निलम्बित	जिले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की कुल संख्या	उड़नदस्ते और जिला पुलिस द्वारा छापेमारी
1	अम्बाला	1	8	4	2	35
2	भिवानी	2	2	1	2	1
3	चरखी दादरी	0	0	0	0	12
4	फरीदाबाद	3	9	9	0	59
5	फतेहाबाद	4	6	5	1	21
6	गुरूग्राम	4	2	3	0	1
7	हिसार	0	0	4	4	2
8	झज्जर	0	4	2	0	0
9	जींद	4	4	4	1	2
10	कैथल	6	60	5	1	55
11	करनाल	4	6	0	1	12
12	कुरूक्षेत्र	9	9	7	0	157
13	महेन्द्रगढ़	3	2	2	2	2
14	मेवात (नूंह)	5	3	0	3	6
15	पलवल	4	0	26	0	45
16	पंचकूला	5	17	3	0	20
17	पानीपत	2	2	1	0	11
18	रेवाड़ी	2	1	0	1	1193
19	रोहतक	0	3	2	0	0
20	सिरसा	3	9	4	1	25
21	सोनीपत	0	0	0	1	1
22	यमुनानगर	0	10	6	0	25
कुल जोड़		**61**	**157**	**88**	**20**	**1685**

इसमें कुल 61 शिकायतें मिली हैं। जिसमें 157 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। 88 लाईसेंस निलम्बित किये गये हैं। जिलों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की कुल संख्या 20 है और उड़नदस्ते और जिला पुलिस द्वारा 1685 छापेमारी की गई है।

इसी तरह से रबी 2021–22 के लिए राज्य में यूरिया खाद की उपलब्धता तथा बिक्री 01.10.2021 तक 6.93 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमारे यहां आ चुका है और 6.24 लाख मीट्रिक टन यूरिया बंट चुका है तथा 68 हजार मीट्रिक टन का हमारे पास स्टॉक है। इसके बाद हमारे पास 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया और आ जाएगा। इस तरह से यूरिया का स्टॉक हो जाने के बाद डी.ए.पी. की पिछले 15–20 दिन से कोई डिमांड नहीं है। 25 हजार में से कोई 200–400 कट्टे ही डी.ए.पी. खाद के लगे हैं क्योंकि डी.ए.पी. खाद की बिजाई से पहले ही जरूरत होती है। अब गेहूं में पानी लगाने के बाद यूरिया खाद की जरूरत होती है इसलिए यूरिया खाद की डिमांड है। हम हर जगह यूरिया की खाद उपलब्ध करा रहे हैं। एक समस्या जरूर देखने में आती है कि कहीं–कहीं दो–चार लाईन सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि यूरिया की खाद हर रोज 300–400 स्थानों पर बंटती है। यह हो सकता है कि अलग–अलग कम्पनियों का यूरिया होता है। कोई एन.एफ.एल. का है, कोई क्रिफको का है, कोई इफको है। हर दुकान की अपनी अलग डिलरसिप है, अपनी दुकान है। कभी किसी दुकान पर उपलब्ध होता है, कभी किसी दुकान पर उपलब्ध होता है। यह मैं मानता हूं कि हर वक्त हर दुकान पर यूरिया खाद उपलब्ध नहीं होता है। कई बार किसान बहकावे में आकर अफवा फैला देते हैं कि यूरिया खाद नहीं मिल रही है। उनको बहकाने वाले लोग भी हमारे आस पास ही बैठे रहते हैं। यहां पर भी ऐसे कुछ लोग बैठे होंगे। वे लोग ऐसी जगह लाईन लगा लेते हैं जहां यूरिया न हो और उसी को वे सोशल मीडिया में फैलाते हैं। आज प्रदेश में यूरिया व डी.ए.पी. खादों की कोई कमी नहीं है। हम खाद की कमी नहीं रहने देंगे। हम किसान को पूरी–पूरी मात्रा में खाद देंगे। हम किसान को सरसों, गेंहू और आलू के लिए किसी चीज के लिए खाद की कोई कमी नहीं रहने देंगे।

अनुलग्नक 'क'

रबी 2021–22 के लिए राज्य में जिला वार यूरिया की उपलब्धता तथा बिक्री।

मीट्रिक टन

जिला	आरंभिक स्टॉक 01.10.2021	प्राप्ति 15.12.2021 तक	कुल उपलब्धता 15.12.2021 तक	खपत 15.12.2021 तक	वर्तमान स्टॉक 15.12.2021 तक
अम्बाला	5399	16029	21428	19393	2036
भिवानी + चरखी दादरी	9511	32909	42420	39282	3138

फरीदाबाद	775	3185	3960	3569	392
फतेहाबाद	9275	36544	45819	43150	2669
गुरूग्राम	1859	5500	7359	7016	343
हिसार	3554	34986	38540	35651	2889
झज्जर	2976	11392	14368	12716	1652
जींद	8203	33315	41518	38151	3367
कैथल	9453	34634	44087	40882	3205
करनाल	11344	42117	53461	47443	6019
कुरूक्षेत्र	8333	41281	49614	45585	4030
महेन्द्रगढ़	4338	15362	19700	19521	179
मेवात (नूंह)	2808	8820	11628	11043	585
पलवल	4640	18434	23074	21362	1713
पंचकूला	966	1788	2754	2359	394
पानीपत	5639	18784	24423	21304	3118
रेवाड़ी	4599	15990	20589	20261	328
रोहतक	4917	19399	24316	19955	4360
सिरसा	21408	48923	70331	63175	7156
सोनीपत	6903	26343	33246	27883	5363
यमुनानगर	9783	26878	36661	33767	2894
कुल जोड़	**136683**	**492613**	**629296**	**573468**	**55828**

अनुलग्नक 'ख'

राज्य में जिला वार डीएपी (मीट्रिक टन में) की उपलब्धता तथा बिक्री।

जिला	आरंभिक स्टॉक 01.10.2021	प्राप्ति 15.12.2021 तक	कुल उपलब्धता 15.12.2021 तक	बिक्री 15.12.2021 तक	वर्तमान स्टॉक 15.12.2021 तक
अम्बाला	2748	6600	9348	6754	2594
भिवानी + चरखी दादरी	4165	20067	24232	22948	1284
फरीदाबाद	375	2545	2920	2420	499
फतेहाबाद	2504	15916	18420	17412	1008
गुरूग्राम	1048	2632	3680	3384	295
हिसार	4792	17157	21949	20429	1520
झज्जर	1616	7311	8927	7877	1050
जींद	3732	15249	18981	18289	692
कैथल	1775	12275	14050	13646	404
करनाल	3987	18824	22811	20323	2487
कुरूक्षेत्र	2273	9891	12164	11426	738
महेन्द्रगढ़	2714	7013	9727	9194	533
मेवात (नूंह)	895	5483	6378	5801	577

पलवल	1496	8393	9889	8972	917
पंचकूला	170	1063	1233	1009	223
पानीपत	2944	5680	8624	8019	605
रेवाड़ी	3067	8522	11589	11310	280
रोहतक	2356	9409	11765	10891	874
सिरसा	4306	36703	41009	36834	4175
सोनीपत	3664	10864	14528	13099	1429
यमुनानगर	2436	6983	9419	6541	2877
कुल जोड़	**53063**	**228576**	**281639**	**256577**	**25062**

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है यह सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रिकॉर्ड के साथ सारी बातें कहीं हैं और माननीय सदस्य इसको झूठ का पुलिंदा कह रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। माननीय सदस्य रिकॉर्ड की बात को झूठा नहीं कह सकते है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, सारा का सारा गलत जवाब दिया गया है। इन्होंने शायद विधान सभा के अंदर लिखे शब्द नहीं पढ़े है। विधान सभा के अंदर लिखा गया है किः–

> **"सभा में या तो प्रवेश न किया जाये यदि प्रवेश किया जाये तो यहां पर स्पष्ट और सच बात कही जाए क्योंकि यहां न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है।"**

अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मैं सारी बात विस्तार से बताता हूँ। मंत्री जी कहते हैं कि खाद की कमी नहीं है। गोहाना हलके के अंदर डेढ़–सवा लाख यूरिया बैग्स की जरूरत है जबकि वहां अवेलेवल मात्र दस हजार हैं। क्या इस अंतर को कम माना जा सकता है। जहां तक मंत्री जी द्वारा कालाबाजारी नहीं होने की बात कही गई है, के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि वे स्वयं पता कर सकते हैं कि भट्टूकलां से राजस्थान में कितनी कालाबाजारी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि आखिरकार सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि थाने में खाद बांटनी पड़ी। अटेली और बहल की वीडियो तो आप सबने देखी होगी कि वहां पर क्या हाल हुआ है। मैं इस सारी स्थिति को लाइव दिखाने के लिए अपने साथ चिप लेकर आया हूँ यदि सदन में स्क्रीन लगाकर वीडियो चलाने की फैसिलिटी उपलब्ध हो जाये तो जो सदन में झूठ बोलते हैं या गलत बोलते हैं तो उस सबका साफ पता चल जायेगा कि आज

प्रदेश में असलियत में क्या पोजीशन है। आज बहल में बहुत बुरा हाल है। यही नहीं मंत्री जी के हलके लोहारू में भी इतने बुरे हालात शायद ही कभी हुए होंगे। यहां पर लेडीज की यह हालत है कि वें रातों रात खाद के लिए लाइनों में खड़ी रहती हैं। अगर खाद की कमी नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर खाद की कमी नहीं थी तो किसानों को खाद के साथ–साथ जो कीटनाशक दवाईयां थी, वह डीलर्ज द्वारा जबरदस्ती किसानों पर थोपने का काम क्यों किया गया। जितना यूरिया के कट्टे का मूल्य था उससे डबल से ज्यादा कीमत की कीटनाशक दवाईयां किसानों को मजबूरी में खरीदनी क्यों पड़ी। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोआपरेटिव सोसायटीज पर तो ताले लगाने तक का काम किया गया और यहीं हालात आज भी बने हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी अपना जवाब दें तो इन सब बातों के बारे में जरूर बतायें।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की सरकार के समय में वर्ष 2011–12 में थाने में खाद बंटी थी, यह उस टाइम की बात क्यों नहीं करते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मुद्दे पर बात करनी चाहिए। इनकी सरकार के समय में पहले भी थानों में खाद बंटी है और अब भी बंट रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि इतनी एफ.आई.आर. हुई हैं और इतने छापे मारे गए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं तो घालमेल था और कहीं न कहीं खाद की ब्लैक तो हो रही थी। शिकायत 2 आई और छापे 20 लगे तो इसका मतलब यह है कि ब्लैक मार्केटिंग खाद की कहीं न कहीं हो रही थी। सरकार इस मामले में एक तरह से फेल हो चुकी है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार यह कमी क्यों हुई ? सरकार सिर्फ समीक्षा करती रही लेकिन इन्होंने किसान की मदद करने का कोई काम नहीं किया।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण पढ़ा, मैं इसको बड़े ध्यान से सुन रही थी। सच्चाई यह है कि अगर इनके इलाके में जाकर देखो तो हालात ऐसे हैं कि आप ऐसे हालात के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आज सुबह पांच बजे से इनके हलके में खाद के लिए लाइनें लगी हुई है और मारामारी हो रही है। यह सारा का सारा मामला दिखाया भी जा रहा था और मंत्री जी कहते हैं कि यह सारी बातें झूठी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की

गम्भीर बातों पर भी यह झूठ बोल देते हैं तो बताओ हम इनसे और क्या पूछने की आशा रख सकते हैं। आज हर तरह से किसान का बुरा हाल कर दिया गया है। धरतीपुत्र कहे जाने वाले किसान को जमीन में लिटा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, डी.ए.पी. का 50 किल्लो का जो कट्टा है 1500 रूपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक रहा है।

श्री चिरंजीव रावः उपाध्यक्ष महोदय, अब तो यह 1900 रूपये के हिसाब से बिक रहा है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, चिरंजीव ने भी बताया है कि अब यह कट्टा 1900 रूपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक रहा है। अध्यक्ष महोदय, यूरिया भी 400 रूपये प्रति थैले के हिसाब से दिया जा रहा है। मतलब इतनी जबदस्त ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कि किसान को समझ ही नहीं आ रहा कि वह क्या करे और वह अपना माथा पकड़कर सिर पिटने को मजबूर हो रहे हैं और मंत्री जी जगह–जगह जाकर या टी.वी. चैनल के माध्यम से यही प्रचार कर रहे हैं कि there is no shortage of DAP, there is no shortage of gypsum. अध्यक्ष महोदय, अखबार भरे पड़े हैं लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आती कि इतना झूठ इनके गले से कैसे नीचे उतरता है। सरकार दावा कर रही है किसानों को खपत से अधिक डी.ए.पी. मिल रही है। इस प्रकार से सरकार यह कह दे कि जो किसान डी.ए.पी. के लिये लाइन में लगे हुए हैं वे किसान नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या फिर किसान बेवकूफी में ही लाइन में लगे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नवम्बर, 2021 तक 2 लाख टन डी.ए.पी. की जरूर थी और आज के दिन एक तिहाई ही डी.ए.पी. उपलब्ध है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह डी.ए.पी. किसको मिल रही है क्योंकि प्रदेश में किसी भी किसान को पूरा डी.ए.पी. नहीं मिला। जब सरकार को यह पता है कि इसकी सीज़न में बहुत जरूरत होती है तो उसकी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए थी। यह हर साल की जरूरत होती है और हर साल ही पुलिस थानों के जरिए किसानों को मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, नारनौल और महेन्द्रगढ़ के अंदर डी.ए.पी. के लिये हमारी बेटी व बहनें लाइन में लगती हैं। मैं सदन में यह भी बताना चाहती हूँ कि चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी में प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटी के सामने तरसते किसानों ने डी.ए.पी. के लिये कई किलोमीटर लम्बी लाइन लगाई थी। वे किसान भाई डी.ए.पी. के लिये सुबह से शाम तक बैठे रहते थे। सरकार ने पहले तो उनको धक्के खिलवाये और

बाद में उनके ऊपर झूठे केस भी दर्ज करवाये। माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर यह कह दें कि जो मैं बात सदन के पटल पर रख रही हूँ, वे सब झूठ हैं। नांगल चौधरी में भी किसानों द्वारा डी.ए.पी. के लिये बहुत जाम लगाया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, यूरिया के लिये यमुनानगर में भी किसानों द्वारा डी.सी. महोदय के कार्यालय का घेराव किया गया था। माननीय मंत्री जी इस बात को भी सदन के पटल पर कह दें कि यह झूठ है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में चने की फसल बिजाई का रकबा 17 प्रतिशत से घट गया है, इस प्रकार से हमें हमारे हरियाणा प्रदेश का आंकड़ा भी बताया जाये। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, हम किसानों को फसल की बिजाई के लिये बाध्य नहीं कर सकते। हमारे किसानों को सरसों की फसल में ज्यादा फायदा है क्योंकि वह सात से आठ हजार प्रति क्विंटल बिक रही है। हमें इस बात की खुशी है कि किसानों को अपनी फसल का उचित भाव मिल रहा है और वह सरसों की बिजाई खुशी–खुशी कर रहा है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी की बात में बिल्कुल भी नहीं बोली, इसलिए माननीय मंत्री जी को भी मेरी बातों में बीच में नहीं बोलना चाहिए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप इक्ट्ठा जवाब दे देना। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को सच्चाई सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आज पूरे हरियाणा को पता है कि माननीय मंत्री जी ने अपने हल्के के अंदर क्या हालात पैदा कर रखे हैं। अगर इस तरह के हालात रहे तो अगले चुनावों में माननीय मंत्री जी हल्के में जाने के लायक भी नहीं रहेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय बहन किरण जी ने कहा कि बिरण गांव में सेम आ गई है। इस बारे में मैंने बिरण गांव वालों से सम्पर्क किया तो वे मुझ से कहने लगे कि उनके यहां तो पानी की घूंट भी नहीं है सारी जगह सूखा पड़ा हुआ है। इस तरह की झूठी बातें माननीय सदस्या करती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अपने हल्के को ही संभाले लें, मेरे हल्के की बात न करें, इनको मेरे हल्के के बारे में पता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मंत्री जी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। माननीय मंत्री

जी को हर तरीके से सिर्फ झूठ बोलना आता है। माननीय मंत्री को इस तरह से झूठी बातें सदन में नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मंत्री जी हर चीज पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बहन जी, प्लीज आप अपनी स्पीच कम्पलीट कीजिए।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मुझे माननीय मंत्री जी बोलने ही नहीं दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय को अपने ही हल्के के लोग एक दिन अच्छी तरह से आइना दिखा देंगे। ऐसे हालात माननीय मंत्री महोदय ने अपने हल्के में कर रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से सदन से यह कहती हूँ कि एग्रीकल्चर मंत्री होने के नाते यदि सबसे फेल कोई मंत्री हैं तो माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल हैं।

श्री जय प्रकाश दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है पिछले 2 साल का रिकॉर्ड निकालकर देख लें तो पता चल जाएगा कि माननीय सदस्या अपने हल्के में केवल 10 दिन रही हैं । (शोर एवं व्यवधान) इनसे ज्यादा तो इनके हल्के तोशाम में मैं रहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि यह तो चुनाव में पता चल जाएगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बार तोशाम की जनता चुनाव में फैसला कर देगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, आप अपना क्वैश्चन पूछिये ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कालाबाजारी तो अलग से हो रही है । सरकार द्वारा किसानों के लिए खाद के कट्टों के साथ बीज जैसी अनेक चीजें साथ लेकर जाने के लिए कहा जा रहा है । आज के दिन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है । इसकी वजह से हमारे किसानों की हालत बहुत दयनीय हो चुकी है । सरकार ने स्वयं अनेक कालाबाजारी करने वालो को पकड़ा है । सरकार यहां केवल हवा–हवाई बातें कर रही है । असलियत में बहुत बुरा हाल है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि आज के दिन किसान का काम भगवान भरोसे ही है । यह सरकार एम.एस.पी. पर भी कानून नहीं बनने देना चाहती है। मैं किसानों के विषय में एक शेर पढ़कर सुनाऊँगी जोकि अपने आप में बहुत महत्व रखता है । सदन में आजकल शेरो–शायरी खूब चल रही है, इसलिए मेरे मन में भी आया कि मैं भी एक शेर सुनाऊँ । सरकार ने यहां पर जो पुलिंदा रखा है उसके बारे में मेरा कहना है

उसको तो उठाकर trash में डाल देना चाहिए । आज के दिन किसान के बुरे हाल हैं । पूरे प्रदेश में किसानों में त्राहि–त्राहि मची हुई है । उसके बुरे हाल हो रहे हैं । अंत में मैं कहूंगी –

हम हैं मता–ए–कूंचा–ओ बाजार की तरह
उठती है हर निगाह खरीदार की तरह
मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम
हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह शेर बेचारे किसान के विषय में पढ़ा है । सरकार को शर्म करनी चाहिए और किसान के विषय में सोच–विचार करना चाहिए । सरकार ने किसान को गुनहगार बना दिया है । किसान का सत्यानाश कर दिया है । (शोर एवं व्यवधान) जनता सरकार को माफ नहीं करेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि माननीय सदस्या को कभी भिवानी का भी ख्याल करना चाहिए और अपने हल्के तोशाम में भी जाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।)**

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा । आपने जीरो ऑवर का जो सिस्टम बनाया है और कहा है कि आप जीरो ऑवर में प्रत्येक विधायक को बोलने का समय देंगे । यह आपने बहुत अच्छी परम्परा डाली है । इससे नये चुनकर आये हुए माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रिगण के सामने अपने हल्के की समस्याएं रख पाएंगे लेकिन जीरो ऑवर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण इशू भी आते हैं और उन पर भी चर्चा होनी चाहिए । मैं आज एक ऐसे इशू पर चर्चा करना चाहता था जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था । इसके लिए मैंने आपसे कई दफा रिकवैस्ट की लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपको 17.12.2021 को शून्यकाल में बोलने का समय दे दिया गया था । यह निर्णय हाउस ने किया था कि हर विधायक को बोलने के लिए 3–3 मिनट का समय मिलेगा । कल स्थगन प्रस्ताव था, इसलिए कल जीरो ऑवर नहीं हुआ । पहले दिन जीरो ऑवर हुआ था । पहले दिन जीरो ऑवर में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं और आज भी अब तक 16 माननीय सदस्य बोल चुके हैं । इसके अलावा बाकी माननीय सदस्यों को कल जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया जाएगा लेकिन समय 3 मिनट का ही रहेगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात भी ठीक है लेकिन मेरा निवेदन है कि मैं कोई अपने हल्के की बात नहीं कहना चाहता था । मैं आज सदन में जो इशू रेज करना चाहता था वह पूरे स्टेट से संबंधित था ।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आपको 17.12.2021 को बोलने का मौका दिया गया था तो आपने उस दौरान संबंधित इशू रेज क्यों नहीं किया ? क्या यह इशू कल ही सामने आया है ?

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इशू 17.12.2021 को रेज किया था, वह भी महत्वपूर्ण था। आज भी जो इशू रेज करना चाहता हूं, वह भी महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, यहां जो भी माननीय सदस्य बोलता है, उसके लिए वह महत्वपूर्ण ही होता है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की बात नहीं रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, किसी भी विधायक को इस बात के लिए कम्पैल नहीं कर सकते कि वह क्या बोले ? आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण बात है और दूसरे माननीय सदस्य के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार हमने सभी माननीय सदस्यों को अपनी– अपनी बात रखने का मौका दिया है और उनकी सोच के मुताबिक बोलने देना हमारा कर्तव्य है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इसके लिए स्वागत करता हूं कि आपने सबके लिए समय निर्धारित किया है। लेकिन कुछ इम्पोर्टैंट इशूज होते हैं उनके लिए भी अलग से समय देना चाहिए। जीरो ऑवर का यही मतलब है। जीरो ऑवर का मतलब यह नहीं है कि एक बार बोलने के लिए मौका दे दिया तो अगले दिन जीरो ऑवर में बोलने नहीं देंगे। यह क्या बंदिश है ?

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप इस प्रकार से बोलते रहेंगे तो दूसरे माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए टाईम कैसे मिलेगा ?

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप यह बंदिश कैसे लगा सकते हैं कि जिसने पहले दिन जीरो ऑवर में अपनी बात रख ली और उसके बाद 4 या 5 दिन तक हाऊस चले तो वह आगे अपनी बात नहीं रखेगा।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, जीरो ऑवर में बोलने का समय मैंने तय नहीं किया बल्कि पूरे सदन ने मिलकर तय किया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह जीरो ऑवर में बोलने का समय आपने ही निर्धारित किया है।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, यह जीरो ऑवर में बोलने का समय तो हाऊस ने ही तय किया था, परन्तु जब माननीय सदस्यों के बोलने का समय तय किया गया था तो उस समय आप सदन के सदस्य नहीं थे।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप आज इस विषय पर डिवीजन करवा लें। सभी माननीय सदस्य सदन में बैठे हुए हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या वे नहीं चाहते कि जीरो ऑवर में इम्पोर्टैंट इशूज पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, सभी विषय इम्पोर्टैंट होते हैं। जो माननीय सदस्य विधान सभा में अपनी बात रखता है वह इम्पोर्टैंट ही होती है। अब आप अपना सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंट्री पूछ लूंगा। मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या यह बंदिश है ?

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, अभी तो यही व्यवस्था चली आ रही है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तो आप डैमोक्रेट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, यह बात मैंने तय नहीं की बल्कि हाऊस के द्वारा तय की हुई है। ये पूरा हाऊस डैमोक्रेट है और हाऊस की सहमति के अनुसार ही यह व्यवस्था की गयी है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जब आपको इस चेयर पर बैठाया गया है तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पूरे स्टेट के मुद्दों पर चर्चा करवाएं।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, इसमें आपकी अलग राय हो सकती है, परन्तु दूसरे 88 मैम्बर्ज की अपनी राय है। अब आप अपना सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह से ऑर्डर कर रहे हैं कि आपसे कोई बात ही नहीं पूछ सकता ?

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, मैं कोई ऑर्डर नहीं कर रहा हूं। आप मेरे से अपनी बात पूछ सकते हैं। अब आप सब्जैक्ट पर ही चर्चा करें।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं सब्जैक्ट पर ही आपसे बात कर रहा हूं। आपको माननीय सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आप सब्जैक्ट पर ही बात करें। अब आप अपना सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने डी.ए.पी. और यूरिया को लेकर बहुत लम्बा– चौड़ा जवाब दिया है। उन्होंने अपने जवाब में इस तरह से बताया है कि इस प्रदेश में डी.ए.पी. और यूरिया की कोई कमी नहीं है। इस संबंध में सारे अखबार भरे पड़े हैं कि पिछली सरसों की बीजाई से लेकर अब तक पूरे प्रदेश के किसान हर जिले में खाद को लेकर लाईन में खड़े हुए हैं और आज भी खड़े हुए हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। मेरे पास आज की माननीय मंत्री जी के लोहारू हल्के की बहल सोसायटी की ताजा वीडियो है। वहां पर हजारों किसान खाद लेने के लिए लाईन में खड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास खाद की उपलब्धता नहीं है। मंत्री जी ने कहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, मैं भी यह बात मानता हूं कि सोसायटीज में भी खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन खाद की उपलब्धता बाजारों में है और वह ब्लैक में उपलब्ध है। जो खाद आज सोसायटीज में मिलनी चाहिए थी, उसके लिए किसान बाजार में 100 रुपये से 300 रुपये पर बैग के हिसाब से ज्यादा देकर के आ रहे हैं। जो सोसायटीज में खाद दी जाती है, उसके लिए भी किसानों के साथ जबरदस्ती की जा रही है। मान लें, अगर मैंने 10 एकड़ में गेहूं की फसल की बीजाई कर रखी है और मैं खाद लेने के लिए सोयायटी में जाउंगा तो मुझे 10 बैग के स्थान पर 1 ही बैग दिया जाएगा और उसके साथ 5 लीटर की खरपतवार की दवाई भी साथ में जबरदस्ती दी जाएगी कि आप इसको भी साथ में लेकर जाएं। यह तो किसानों ने तय करना है कि उनकों अपने खेत में कौन– सी खाद डालनी है, कौन– सा कैमिकल डालना है और कौन– सा स्प्रे करना है ? यह बात माननीय मंत्री जी थोड़े ही तय करेंगे कि इसके साथ किसान को सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी, यह बात माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार की है। माननीय मंत्री जी आप अपनी रिप्लाई के पैरा नम्बर 3 पर देखेंगे तो पता चलेगा। उसमें लिखा है कि सरसों की फसल की बिजाई जो करीब 15 लाख एकड़ में होती थी वह इस बार 19 लाख एकड़ के करीब की गई है यानी 4 लाख एकड़ सरसों की फसल की बिजाई ज्यादा हुई है। इसी तरह से गेंहू की बिजाई पहले 58 लाख एकड़ में की जाती थी वह इस बार 57 लाख एकड़ भूमि में की गई है यानी 1 लाख एकड़ भूमि में गेंहू की बिजाई कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि इस बार 3 लाख एकड़ भूमि में सरसों की बिजाई ज्यादा हुई है। सरकार का जो 5 वर्षों का खाद का सालाना कोटा होता है,

उसके मुताबिक इस बार भी उतनी ही खाद उपलब्ध दिखाई गई है। जितनी क्वांटिटी में पिछले वर्ष खाद उपलब्ध थी, उससे थोड़ी सी कम आई है। माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वयं बताया है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार खाद कम आई है लेकिन किसानों ने इसके मुकाबले में 3 लाख एकड़ भूमि में बिजाई ज्यादा की है। 3 लाख एकड़ भूमि वाले किसान खाद कहां से खरीदकर लायेंगे। उनको खाद देने की जिम्मेदारी किसकी होगी। वह खाद सरकार उपलब्ध करवायेगी या कोई और उपलब्ध करवायेगा। प्रदेश में 3 लाख टन खाद की मांग की गई थी और 3 लाख टन खाद की मांग के बजाए केन्द्र की सरकार ने केवल 2 लाख टन खाद इस बार प्रदेश को भेजी। इसके अलावा सरकार के पास दिनांक 1 अक्टूबर 2021 तक डी.ए.पी. का स्टॉक 1 लाख 25 हजार टन होना चाहिए था जबकि सरकार के पास डी.ए.पी. का स्टॉक दिनांक 1 अक्टूबर 2021 तक केवल 35 हजार टन ही उपलब्ध था। फिर माननीय मंत्री जी कैसे यह बात कह सकते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं थी। जब खाद सरकार के स्टॉक में ही नहीं थी तो फिर यह दावा कैसे कर सकते हैं कि सरकार ने किसान को खाद की कोई कमी नहीं होने दी। इसी तरह से सरकार के पास रबी सीजन के लिए दिनांक 6 नवम्बर 2021 तक डी.ए.पी. खाद 109 लाख टन आ चुका था लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस सीजन के शुरू में यानी दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को केवल 53 हजार 63 टन ही डी.ए.पी. खाद उपलब्ध थी जबकि किसानों को 1 लाख 62 हजार टन खाद की जरूरत थी। अध्यक्ष महोदय, जबकि सरकार कहती है कि खाद की कालाबाजारी भी नहीं हुई और खाद की कोई कमी भी नहीं थी। किसानों ने कैथल में कालाबाजारी की शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर जाकर छापेमारी की तो वहां पर खाद पकड़ी गई। जो खाद बेचने वाला था उस व्यक्ति के खिलाफ आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बजाए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के उस खाद को ले करके पुलिस के द्वारा किसानों को बंटवा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने खाद स्टॉक करके रखा हुआ था, सरकार ने उसके खिलाफ एफ.आई.आर. लॉज करनी चाहिए थी। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसी तरीके से सरकार किसान को गेहूं की फसल की बिजाई के लिए डी.ए.पी. खाद का एक बैग देती है। उस एक बैग में नाइट्रोजन केवल 9 परसैंट होती है जबकि किसान की गेहूं की फसल की बिजाई के लिए नाइट्रोजन की मात्रा की कम से कम 50 परसैंट की जरूरत होती है। इस प्रकार से बाकी 41

परसैंट नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से पूरी की जाती है लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है। जब किसान को यूरिया नहीं मिलेगी तो आप यह मानकर चलो कि किसान की जो गेहूं की फसल है वह कैसे अच्छी हो। अध्यक्ष महोदय आप किसान के खेत में जाओगे तो आपको असली बात का पता चलेगा। आप तो शायद खेत में नहीं गये होंगे लेकिन आज प्रदेश में किसानों की दयनीय हालत है। आज किसान की गेहूं की फसल में खाद की कमी की वजह से पीलापन आ चुका है। जैसे ही गेहूं की फसल में पानी देंगे और यदि यूरिया और डी.ए.पी. उस फसल में साथ में नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में गेहूं की फसल और ज्यादा खराब हो जायेगी। उस किसान की यील्ड 60 से 70 मन प्रति एकड़ होनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि इस बार खाद की कमी की वजह से यील्ड 40 मन प्रति एकड़ तक होगी। इस बात के लिए किसकी जिम्मेवारी होगी। अगर किसान को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी तो इससे उसकी फसल खराब हो जायेगी। जहां

13:00 बजे

उसकी फसल खराब होगी इससे उसकी इनकम के ऊपर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा इसलिए सरकार को सबसे पहले जो लोग खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी करके किसानों को महंगे भाव में खाद बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का काम करना चाहिए। सरकारी सिस्टम के जो लोग इस प्रकार के जमाखोरों और कालाबाजारियों का साथ और प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं सरकार को उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रदेश के किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई ताकि उसकी फसल की पैदावार अच्छी हो सके। इसी प्रकार से जहां पर खाद की कमी है वहीं पर सरकार ने एक और काम भी कर रखा है कि पहले जो खाद का बैग 50 किलोग्राम का होता था उसके वजन को कम करके 45 किलोग्राम कर दिया गया है। इतना ही नहीं कि केवल उसका वजन कम किया गया हो बल्कि उसके रेट को भी बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों के ऊपर दोहरी मार मारी जा रही है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सबसे पहले तो खाद के बैग का जो वजन कम किया गया है उसको पूरा किया जाये और उसको पहले वाले रेट के ऊपर ही किसानों को दिये जाने की व्यवस्था की जाये। सरकार को किसानों को खाद को ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार के स्तर पर इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, माननीय सदस्य महोदय ने यह कहा है कि प्रदेश में यूरिया और डी.ए.पी. खाद की कमी रही है। मैं पिछले पांच साल का डी.ए.पी. का आंकड़ा हाउस में रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, वर्ष 2016–17 में अक्तूबर–नवम्बर–दिसम्बर में 2,18,338 मीट्रिक टन डी.ए.पी. उपयोग में आया। इसी प्रकार से अगले साल वर्ष 2016–17 में 2,56,824, वर्ष 2018–19 में 2,28,437, वर्ष 2019–20 में 2,16,832 और पिछले साल 2,04,762 डी.ए.पी. उपयोग में आया। अभी हमारे पास 2,60,000 डी.ए.पी. उपलब्ध है और अब तक 2,24,000 से ज्यादा बंट चुका है, एन.पी.के. और सिंगल सुपर फास्फेट अलग से है। All time high D.A.P., N.P.K. और सुपर हमने दिया है और All time high लोगों ने खरीदा है। हरियाणा प्रदेश में सरसों की फसल सबसे बैस्ट है जिससे प्रदेश का किसान पूरी तरह से खुश है। मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष के माननीय साथियों को किससे समस्या है? जो मैंने डाटा दिया है यह रिकार्ड की बात है। इसके अलावा मैं यूरिया का डाटा और बताना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, वर्ष 2016–17 में अक्तूबर–नवम्बर–दिसम्बर में 6,44,000 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी। हरियाणा प्रदेश की धरती और किसान आज भी वही हैं। पिछली सरकार में वर्ष 2014 में 6,63,000 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी। अभी तक हम 6,93,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवा चुके हैं। इसी प्रकार से 1,00,000 मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई और की जायेगी। हमारी यही कोशिश रहेगी कि किसान को जितने भी यूरिया खाद की जरूरत होगी हम उसको उससे ज्यादा देंगे। अध्यक्ष जी, हम अपने प्रदेश के किसान को संतुष्ट कर सकते हैं लेकिन विपक्ष के माननीय साथियों को संतुष्ट करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ये तो किसान का नाम लेकर राजनीति करने का काम करना ही जानते हैं इनको किसानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा और उनका रिप्लाई हमने भी बार–बार पढ़ा। जब भी यह हुआ कि प्रदेश में खाद की शॉर्टेज है चाहे वह डी.ए.पी. की थी या फिर चाहे वह यूरिया की थी लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री जी का यह ब्यान आता रहा कि हमारे यहां खाद की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने जो आज जवाब दिया है उसमें वे सैल्फ कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप देखिए शुरू में ये कहते हैं कि– due to hike in price of raw material of

D.A.P. fertilizer in the international market, the importer and manufacturer put on their hold their imports and manufacturing process.

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि शुरू में स्टॉक की कमी थी लेकिन यूरिया और डी.ए.पी. की खपत 15 अक्तूबर को शुरू होती है और 15 अक्तूबर तक हमने यूरिया और डी.ए.पी. किसानों को उपलब्ध करवा दिया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को यही कहना है कि he should know parliamentary practice. When I am telling he is not supposed to tell. He should reply after that. मेरा यही कहना है कि मंत्री जी को पहले पूरी बात सुननी चाहिए और उसके बाद ही कोई रिप्लाई देना चाहिए। मंत्री जी ऐसे ही खड़े होकर जवाब देना शुरू कर देते हैं। मेरा इनको यही कहना है कि इनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो हम इनको भी बोलने नहीं देंगे। जब भी ये बोलने के लिए खड़े होंगे उस समय हम भी इनको बोलने नहीं देंगे। अध्यक्ष जी, अगर हाउस का डैकोरम रखना है तो उसे मंत्री जी को भी सिखना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि मंत्री जी की स्टेटमैंट सैल्फ कंट्राडिक्टरी है। फिर ये कहते हैं कि डी.ए.पी. की कमी नहीं हुई। अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से एक सवाल है कि अगर डी.ए.पी. की मी नहीं हुई तो हमारी बहन–बेटियां डी.ए.पी. के लिए लाईन में क्यों लग रही थी? ये बता रहे हैं कि यह सिस्टम है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि आई.एफ.एम.एस. का सिस्टम कब से लागू है? सैंटर गवर्नमैंट का यह सिस्टम कब से लागू है? यह बताया जाये। यह सिस्टम वर्ष 2018–19 से लागू हो गया होगा लेकिन अब तो वर्ष 2021 चल रहा है। इस साल ऐसा क्यों हुआ? यह Point of sale की कमी के कारण हुआ। यह भी बताया जाये कि Point of sale को कौन बढ़ायेगा? Point of sale को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह बात मैं भी मानता हूं कि खाद की कमी हो सकती है। यह किसी के हाथ में नहीं है लेकिन सरकार के जिम्मेदार लोगों को इस बात को मानना चाहिए कि प्रदेश में खाद की कमी हुई और इस कमी को दूर करने के लिए ये–ये कदम उठायेंगे। खाद की कमी को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर क्या प्रयास किये गये उनके बारे में भी बताया जाना चाहिए था। सरकार की तरफ से यह भी ब्यान आ रहा था कि खाद की कोई चोरी नहीं हुई

और दूसरी स्टेट्स में स्मगलिंग नहीं हुई। सरकार के स्तर पर अब प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नर्ज को इंस्ट्रक्शंज दी जा रही हैं कि हरियाणा से किसी भी दूसरी स्टेट में खाद नहीं जाना चाहिए। मेरा यही कहना है कि सरकार को इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंज उस समय जारी करनी चाहिएं थी जब प्रदेश के किसान खाद की कमी से जूझ रहे थे। अब ये इंस्ट्रक्शंज देने का क्या फायदा? अध्यक्ष जी, मंत्री जी को इधर–उधर की बात न करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करना चाहिए। जिस समय हरियाणा में खाद की कमी हो रही थी उस समय गवर्नमैंट की तरफ से किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का एक भी ब्यान नहीं आया कि प्रदेश में खाद की कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर ये प्रयास किये जा रहे हैं तो I will concede. सरकार की तरफ से हर समय यह ब्यान आता रहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है लेकिन आज मंत्री अपने रिप्लाई में यह कह रहे हैं कि प्रदेश में खाद की कमी इम्पोर्ट में कमी की वजह से हो गई थी। मंत्री जी ने यह भी बताया कि इम्पोर्ट महंगा हो गया। अगर इम्पोर्ट महंगा हो गया होगा तो फिर खाद भी महंगा हो गया होगा लेकिन जब हम यहां पर एम.एस.पी. को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जाता। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिस किसान ने सरसों की फसल की बिजाई की है उसको खाद प्रॉयरिटी बेसिज पर दिया जायेगा। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि उसको खाद की सप्लाई पैक्स में की जायेगी। वास्तव में पैक्स में यह होता है कि खाद के साथ पैस्टीसाईड का बैग भी साथ लगा दिया जाता है। इस प्रकार से किसान के ऊपर cost of input के बढ़ने से कितना बोझ पड़ रहा है? सरकार को इसका अंदाजा नहीं है। सरकार को इस सम्बन्ध में सच्ची बात करनी चाहिए। अगर सरकार को किसान की cost of input घटानी है तो उसकी बात करनी चाहिए। सरकार को खाद, बीज और दवाईयों को ज्यादा से ज्यादा सबसिडाईज्ड करना चाहिए। जब बाजरे की एम.एस.पी. का सवाल आता है तो बाजरे की एम. एस.पी. 2250 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से फिक्स होती है। सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि किसान को 600 रूपये प्रति क्विंटल बाजरे पर भावांतर के तौर पर दिये जायेंगे। सरकार भावांतर इसलिए दे रही है क्योंकि सरकार बाजरे की खरीद एम.एस.पी. पर नहीं कर रही है। अगर सरकार को एम.एस.पी. नहीं देना होता है तो फिर एम.एस.पी. को डिक्लेयर क्यों किया जाता है? सरकार द्वारा भावांतर के तौर पर भी सिर्फ 600 रूपये प्रति क्विंटल ही दिये जा रहे हैं। उस

समय बाजार में बाजरे का भाव 1500 से 1600 रूपये प्रति क्विंटल था। सरकार ने 600 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर देने की घोषणा कर दी। इसके बाद बाजरा 800 से 900 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। (विघ्न) अध्यक्ष जी, मंत्री जी बहुत देर तक बोलते रहे लेकिन मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से इनको यही कहना है कि they shout not stand when I am speaking. Have some parliamentary decorum. This is no way. अध्यक्ष जी, जब भी कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है तो कृषि मंत्री जी खड़े हो जाते हैं। मंत्री जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना जवाब दे दिया है। इनको सदस्यों की बात सुननी चाहिए and after that he will reply or react. They are most welcomed. अध्यक्ष जी, जो तीन कृषि कानून थे जिनको अब रद्द किया जा चुका है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सभी कुछ इंटरकनैक्टिड है। मैं यहां पर out of subject कोई बात नहीं करता हूं। तीन कानून पहले बने और बाद में विद्ड्रा हो गये। ये जब तीनों कानून बने थे उस समय इन तीनों कानूनों को बनाने के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद करने के लिए हाउस में एक प्रस्ताव पास किया गया था।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अब आप out of subject जा रहे हैं। खाद का तीनों कृषि कानूनों से क्या कनैक्शन हो सकता है? आप कहां से कहां पहुंच गये?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि सरकार को थोड़ा सा सच्चाई की ओर जाना चाहिए और यह भी मानना चाहिए कि प्रदेश में खाद की कमी रही है। मुझे सरकार का एक भी ब्यान दिखा दिया जाये कि जब प्रदेश का किसान खाद लेने के लिए लाईन में लगा हुआ था और सरकार ने यह कहा हो कि प्रदेश में खाद की कमी से वाकिफ है और खाद की कमी को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर ये–ये प्रयास किये जा रहे हैं। मंत्री जी ने उस समय इस आशय का कोई भी ब्यान दिया लेकिन आज ये अपने जवाब में यह कह रहे हैं कि प्रदेश में खाद की कमी थी। ऐसी बात नहीं है कि हमारी सरकार के समय में कभी खाद की कमी नहीं हुई होगी लेकिन अगर हमारी सरकार के समय में प्रदेश में खाद की कमी हुई होगी तो हमने यह माना होगा कि प्रदेश में खाद की कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए हम ये–ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि सरकार को सच्चाई के साथ चलना चाहिए। स्पीकर सर, आज ही हमने एम.एस.पी. के सवाल को उठाया था वह नहीं हुआ। मेरा यही कहना है कि

अगर सरकार एम.एस.पी. की घोषणा करती है तो उसके मुताबिक किसानों की फसलों की खरीद भी करनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमैंट ने जो एम.एस.पी. रिकमण्ड किया होता है उसी पर फसल की खरीद होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमैंट ने किसान की cost of input कितनी रिकमण्ड की है वह किसान को दे दी जाये। स्पीकर सर, अब तीनों ही कृषि कानून विद्ड्रॉ हो चुके हैं इसलिए यह बात खत्म हो चुकी है। मेरा यह कहना है कि इन तीनों कानूनों को विद्ड्रॉ करवाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसमें जिन लोगों के खिलाफ केस बने थे उनको भी विद्ड्रॉ किया जाये। जो इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उनको भी कम्पनसेशन दिया जाये। मेरा यही कहना है कि सरकार को प्रदेश के किसानों के हित में कुछ तो सोचना ही चाहिए। चाहे खाद की कमी का मामला हो या फिर किसानों पर दायर हुए केसिज को वापिस लेने का मामला हो वर्तमान हरियाणा सरकार अपने आपको किसान विरोधी साबित करने का काम कर रही है। यह पूरी तरह से एक किसान विरोधी सरकार है। धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब सरकार किसानों को एम.एस.पी. देना नहीं चाहती है।

श्री शीशपाल : अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है। उसमें अभी माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है कि मैंने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे सत्य हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि यह उसी प्रकार से सत्य है जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आज यूरिया व डी.ए.पी खाद की कोई कमी नहीं है। यह उसी प्रकार का सत्य है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने भी सदन में खाद की कमी के बारे पूरी जानकारी दी है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि खाद की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को यह मान लेना चाहिए कि आज प्रदेश में किसान, धरती पुत्र खाद लेने के लिए ठंड के मौसम में लाईनों में खड़ा है। आप सिरसा से भिवानी और तमाम हरियाणा के क्षेत्र को देखोगे तो किसान सारी–सारी रात 5–5, 10–10 कट्टे खाद लेने के लिए खड़ा रहता है। मंत्री जी को यह बात मानने में एतराज क्या है और यह मान लेना भी गलती नहीं है। हम मानते हैं कि किसी चीज की कमी हो जाती है लेकिन अगर किसी चीज की कमी आ जाए तो उसको मानने में क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष : शीशपाल जी, जो बात पहले आ चुकी हैं उसको रिपीट न करें। अगर आपकी कोई सप्लीमैंट्री है तो पूछ लें।

श्री शीशपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में सरसों का क्षेत्र बढ़ा है और गेहूं का क्षेत्र घटा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह क्या कारण है क्योंकि हमेशा गेंहू का क्षेत्र बढ़ता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसका एक कारण खाद की कमी ही था।

श्री अध्यक्ष : शीशपाल जी, यह तो जमीनदार की मर्जी है कि वह सरसों ज्यादा बीजता है या गेहूं ज्यादा बीजता है। आप किसान को यह कैसे कह सकते हैं कि आपने सरसों ज्यादा बीजी और गेहूं कम बीजा है।

श्री शीशपाल : अध्यक्ष महोदय, गेहूं में खाद ज्यादा लगती है।

श्री अध्यक्ष : शीशपाल जी, अगर किसान को सरसों में ज्यादा फायदा है तो वह सरसों बीजेगा और अगर किसान को गेहूं में ज्यादा फायदा है तो वह गेहूं बीजेगा। आप उसको कैसे मजबूर कर सकते हैं।

श्री शीशपाल : अध्यक्ष महोदय, गेहूं के लिए खाद उपलब्ध नहीं है इसलिए किसान को मजबूरी में सरसों बीजनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी यह कहते हैं कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। जब यह खाद की मारामारी चल रही थी उस समय मैं कृषि मंत्री जी की स्टेटमैंट पढ़ रहा था कि वे इस देश के सबसे बड़े किसान हैं और उनको डी.ए.पी खाद की कोई कमी नहीं हो रही है। मुझे लगता है मंत्री बनने के बाद शायद उन्होंने अपने खेत की तरफ जाना छोड़ दिया है। इसी वजह से उनको खाद की किल्लत नजर नहीं आई। हमने पहली बार देश के अन्दर और खासकर दक्षिण हरियाणा के अन्दर ऐसा देखा है कि डी.ए.पी खाद की कमी हुई है और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसान को डी.ए.पी खाद के कट्टों की चोरी करनी पड़ी है। चाहे वह रेवाड़ी हो, कोसली हो, अटेली हो। क्या आप इस बात को झूठलाते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई? किसानों को डी.ए.पी. खाद के लिए डी.ए.पी. खाद के कट्टों की चोरी तक करनी पड़ी है। आप मुझे यह भी बताइये कि ऐसा क्या कारण रहा जिससे किसानों को डी.ए.पी. खाद सही वक्त पर नहीं मिल पाया? क्या कारण रहा कि जो 6 फर्टिलाईजर के प्लांट हैं उनको सरकार ने बंद करके बाहर से डी.ए.पी. खाद इंपोट किया है? क्या यह बात

सही है कि सरकार द्वारा लेट ऑर्डर प्लेस किये गये जिसके कारण किसान को डी.ए.पी. खाद के कट्टों की कमी हुई है? क्या आप इस बात को भी झूठलाते हैं कि तीन–तीन, चार–चार दिन हमारी माताओं, बेटियों ने लाईनों में लगकर डी.ए.पी. खाद के कट्टों के लिए इंतजार किया और तब भी उनको डी.ए.पी. खाद के कट्टे नहीं मिले अर्थात उनको केवल एक या दो डी.ए.पी. खाद के कट्टे ही मिल पाए।अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने आधार कार्ड को इस तरह से चैक किया जैसे किसी का क्रिमनल रिकॉर्ड चैक किया जाता है। इससे पता चलता है कि इनकी नीति और नीयत में कितना ज्यादा फर्क है। अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने जो इतना बड़ा भाषण दिया है, उस संदर्भ में मैं अब अपनी बात एक शेर के साथ समाप्त करना चाहूंगाः–

तूं इधर उधर की बात न कर–यह बता कि काफिला क्यूं लूटा
मुझे रहनुमा से नहीं गिला–तेरी रहबरी का सवाल है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत पुराना शेर हो गया है। (हंसी)

श्री चिरंजीव रावः अध्यक्ष महोदय, शेर पुराना हो गया है लेकिन जिस तरह की बातें अब मंत्री जी कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि इस शेर के अलावा इनके लिए कोई दूसरा शेर है ही नहीं। मंत्री जी, अब सदन में यह बता दें कि जो यें इतनी बड़ी–बड़ी बातें कर रहे हैं तो बताओ फिर इनका काफिला क्यों लूटा है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने इस सदन में जो बात रखी है वह आंकड़ों के हिसाब से ही रखी है परन्तु बावजूद इसके भी हमारे कईं माननीय सदस्य आंकड़ों को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने शुरू में कहा था और मेरे लिखित भाषण में भी यह बात है कि शुरू में डी.ए.पी. की कमी थी और उसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव बढ़ना था। अध्यक्ष महोदय, डी.ए.पी का उत्पादन देश में सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में किया जाता है और सरकार इसको इंपोर्ट नहीं करती है। जैसाकि सबको पता है कि 15 अक्टूबर से बिजाई का सीजन शुरू होता है। हमने पिछले 5–6 सालों में सबसे ज्यादा डी.ए.पी. के साथ एस.एस.पी. फर्टीलाइजर उपलब्ध करवाकर सबसे ज्यादा अर्थात 4 लाख एकड़ सरसों की बिजाई करने का काम किया है। जहां तक यूरिया की बात है, यदि पिछले पांच साल की बात करें तो वर्ष 2016–17 में 7 लाख 10 हजार यूरिया कंज्यूम किया गया। 2017–18 में 7 लाख 2 हजार यूरिया कंज्यूम किया गया,

2018–19 में 6 लाख 43 हजार यूरिया कंज्यूम किया गया, 2019–20 में 6 लाख 98 हजार यूरिया कंज्यूम किया गया और इस बार हम अब तक 6 लाख 93 हजार यूरिया दे चुके हैं और अगले 10 दिन में 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया और आ जायेगा अर्थात सरकार किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद देने का काम कर रही है और हमारे प्रदेश के किसान पूरी तरह से खुश हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के जो सदस्य सदन में हंगामा खड़ा कर रहे हैं, इनको तो यह तक पता नहीं है कि सरसों की फसल कब बोई जाती है। इनको तो यह तक नहीं पता कि आखिरकार किसान खेत में सरसों क्यों बो रहा है और ये लोग यहां किसानों के हित की बात करते हैं। इनको वर्ष 2011–12 की बात भी याद रखनी चाहिए जब इनके यहां थानों मे खाद बंटी थी। अगर हमारे समय में कोई इक्का–दुक्की गड़बड़ भी हुई है तो हमने ऐसे केसिज में एफ.आई.आर. दर्ज करवाते हुए कार्रवाई करते हुए लाइसेंस कैंसिल करने का भी काम किया है। यही नहीं हमारी सरकार ने तो नाके लगाने तक का काम किया था, डी.सी. द्वारा भी सारे प्रोसैस की मॉनिटरिंग की गई थी और यही नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सारे प्रोसैस की मॉनिटरिंग करने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित के फैसले लेती रहेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कई ब्लॉकों में खाद का एक कट्टा भी किसानों को नहीं मिला था। यही नहीं चरखी दादरी में भी हमने अपनी बहन–बेटियों तक को बड़ी–बड़ी लाइनों में थाने में खड़ा देखा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गीता जी, आप प्लीज बैठिए।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष जी, मैंने तो सच्चाई बयान की है और अब अगर आप कह रहे हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ।

———————

वर्ष 2021–2022 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स (संख्या 1 से 3, 6, 9, 11 से 15, 18 व 19, 21, 23, 27, 30 व 31, 33 से 35 तथा 45) एक साथ पढ़ी गई तथा पेश की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी

डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मदों तक ही समिति रहेगी जिनसे वे बनी हो और जहां तक विचाराधीन विशेष मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नम्बर बता दें, जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **66,01,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **1—विधान सभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **9,33,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **2—राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **77,53,02,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **10,10,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 3**—सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,99,46,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **6—वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **25,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **9—शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **33,38,00,000** रुपये तथा पूंजीगत र्ख के लिए **34,12,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **11—खेलकूद तथा युवा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **12—कला एवं संस्कृति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **376,28,02,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **160,88,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 13—**स्वास्थ्य** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1500,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **14—नगर विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2740,36,01,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **15—स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **5,34,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **17—रोजगार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **18—औद्योगिक प्रशिक्षण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **26,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **19—अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **151,58,58,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **21—महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **392,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **23—खाद्य एवं आपूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **479,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **27—कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **106,35,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **30—वन एवं वन्य प्राणी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **47,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **31—परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **703,45,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **33—सहकारिता** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **113,00,60,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **34—परिवहन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,00,00,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **25,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35—पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **340,16,38,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **45—राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नं0 2 जोकि राज्यपाल तथा मंत्री परिषद् से संबंधित है, मेरा इस बारे में यह कहना है कि अगस्त, 2021 में विधान सभा का सत्र हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बतौर वित्त मंत्री रहते 18 करोड़ रुपये पहली सप्लीमैंट्री डिमाण्ड रखी थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 18 करोड़ रुपये किस चीज पर खर्च हुए हैं? कोरोना काल के अंदर सरकार का कहना है कि रेवेन्यू कम प्राप्त हुआ है। लेकिन इस दौरान बड़ी—बड़ी गाड़ियां खरीदी गईं और भी शायद बहुत कुछ खरीदा गया था। सबसे पहले तो सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी—बड़ी गाड़ियों को खरीदने की क्या आवश्यकता थी। अध्यक्ष महोदय, अब फिर 9.33 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग आ गई है। मोटर वाहन का इतना सारा खर्चा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्ज के ऊपर होता है। कोरोना काल में एम.एल.एज. के जो फंड्स हैं उसमें हम 30 प्रतिशत दे रहे हैं और वह अभी तक जारी है। मैं यह बात कहना चाहता हूँ जो austerity हमारे यहां पर है, वहां पर भी austerity क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर्ज अपने बेनिफिट्स पता नहीं कितनी बार बढ़ा लेते हैं और उसके लिये सप्लीमैंट्री डिमाण्ड्स आ जाती है, शुरू में 5 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग आई थी और अब लगभग 9 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग आ गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके लिये कितनी ही अनुपूरक मांगें आ जायें सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय विधायकों के खर्चों का भी

ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने लिये नहीं बल्कि सभी विधायकों की तरफ से यह बात सदन के पटल पर रख रहा हूँ। इस संबंध में बहुत सारे विधायक अध्यक्ष महोदय आपसे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं। आज पैट्रोल और डीज़ल के रेट आसमान को छू रहे हैं, मैं मँहगाई के मुद्दे पर सदन में बात नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जैक्ट पर ही बात करता हूँ। विधायकों को केवल 18 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्चा मिलता है। मैं तो यह समझ बैठा था कि इसी सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस संबंध में बिल लेकर आयेंगे और रूल में अमैंडमैंट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं कहा था कि हर विधायक को एक स्टैनोग्राफर उपलब्ध करवाया जायेगा। इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमें स्टैनोग्राफर कहां से मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, तकरीबन सभी विधायकों ने आपके सामने यह डिमाण्ड भी रखी थी कि हमें एक ड्राईवर की सैलरी भी अलग से मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने एक पी.ए. के तौर पर 15 हजार रुपये की सैलरी देने का प्रावधान किया हुआ है लेकिन 15 हजार रुपये में कोई भी पी.ए. लगने को तैयार नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, केवल 15 हजार रुपये में कोई भी full time पी.ए. के तौर पर विधायक के साथ काम करने के लिये तैयार नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि विधायकों को अपनी विधान सभा की समितियों की मीटिंग अटैंड करने के लिये डी.ए. केवल 2000/– रुपये प्रति दिन के हिसाब से प्रावधान किया हुआ है। यह प्रावधान आज से नहीं लगभग 15–20 साल पहले से चला आ रहा है। सदन को इस हिसाब से विधायकों के भत्तों के बारे में भी जरूर विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि समिति का स्टडी टूर प्रोग्राम के लिये फाइल अध्यक्ष महोदय आपके पास आती है और आपकी अनुमति से ही प्रोग्राम डिसाईड होते हैं। उसके बाद ही माननीय सदस्यगण टूर पर जाते हैं। कई बार विधायक अपनी फैमिली के साथ भी चला जाता है तो उसे होटल आदि के कमरे के लिये केवल 5 हजार रुपये ही मिलते हैं it is in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly क्या यह अमाउण्ट आज की डेट में फैमिली के साथ गये विधायक के लिये उपयुक्त है? मुझे लगता है कि इस संबंध में तकरीबन 15–20 माननीय सदस्यों ने लिख कर लैटर दिया हुआ है लेकिन उसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ कि विधायकों की डिमाण्ड को भी सदन

को माननी चाहिए। इसके लिए कम से कम 10 हजार रुपये की लिमिट करनी चाहिए। Whatsoever is less. यदि बिल 10 हजार रुपये से कम आता है तो उतने ही रुपये माननीय विधायकों को रूम रैंट के तौर पर मिलने चाहिएं। क्योंकि कई बार विधायकों को रूम सस्ते रेट पर भी मिल जाते हैं तो उसी हिसाब से विधान सभा को पैसे देने चाहिए। यदि रूम रैंट 10 हजार रुपये से ज्यादा आता है तो उसके लिये 10 हजार रुपये की लिमिट होनी चाहिए। These are the only things why Ministers are enjoying facilities so far as the finances are concerned.

सारी बातें कर ली लेकिन विधायकों के लिए न तो कोई बात की है न ही कोई प्रावधान किया है । अगर सरकार विधायकों पर austerity रखना चाहती है तो माननीय मंत्रीगण स्वयं पर भी austerity रखे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या–30 और मांग संख्या–31 पर बोलना चाहूंगी । मांग संख्या–30 वन विभाग और मांग संख्या–31 पर्यावरण विभाग से संबंधित है । इसके संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक चिट्ठी भी लिखी थी । अरावली की पहाड़ियों में कोस्ट करैक्शन के लिए डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन हो रहा है । जिस तरह से कान्त एन्कलेव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आई है और स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से जिस तरह से एफिडेविट फाइल किया गया है वह बहुत चिंताजनक बात है । मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा था कि सरकार अरावली की पहाड़ियों में लैण्ड शार्क्स को कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जो फ्री हैण्ड दे रही है वह ठीक नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अरावली और शिवालिक की पहाड़ियां हमारी लंग्स हैं । आज के दिन जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ चुका है अगर हमने उसका संज्ञान नहीं लिया तो हम पर काला धब्बा लग जाएगा । हरियाणा में फॉरेस्ट एरिया वैसे ही बहुत कम है । अगर इस फॉरेस्ट एरिया को अरावली पहाड़ियों में कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए खोल दिया गया और बैकडोर एंट्री करवाने की कोशिश की गई तो आप जानते हैं कि लैण्ड शार्क्स और बड़े–बड़े कमर्शियल जायंट्स इसे खत्म कर देंगे । अगर ऐसा हुआ तो हम पर काला धब्बा लग जाएगा । मैंने यह चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 2 दिसम्बर को लिखी थी ।

इस चिट्ठी का मुझे जवाब नहीं मिला है, इसलिए मैं इसे आन दि फ्लॉर ऑफ दि हाउस टेबल कर रही हूं । अध्यक्ष महोदय, आप भी इसे देख लीजिए ।

श्री चिरंजीव राव (रेवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं.–19 पर बोलना चाहूंगा । मैंने इस विषय पर कॉलिंग अटैंशन मोशन भी दिया था । अभी तक किसी परिवार की सालाना आय यदि 8 लाख रुपये से अधिक होती थी तो उस परिवार को क्रीमीलेयर की श्रेणी में रखते हुए उसे पिछड़े वर्ग में माना जाता था परंतु अब सरकार ने इसके लिए सालाना आय को 8 लाख रुपये से घटाकर 6 लाख रुपये कर दिया है । मेरे ख्याल से पिछड़े वर्ग के अनेक प्रतिनिधि मंडल इसके लिए सभी विधायकों से आकर मिले हैं । ऐसा सैंटर गवर्नमैंट ने भी नहीं किया है । अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि समूचे पिछड़े वर्ग की मांग को देखते हुए सरकार क्रीमीलेयर के लिए पुनः सालाना आय 8 लाख रुपये करे । साहनी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में भी यही कहा गया है कि क्रीमीलेयर के लिए सालाना आय 8 लाख रुपये रखी जानी चाहिए । अतः सरकार को इसमें बदलाव नहीं करना चाहिए था । इसकी वजह से लाखो युवाओं पर असर पड़ रहा है और उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं । अतः हमारी डिमांड यही है कि क्रीमीलेयर के लिए सालाना आय 8 लाख रुपये की जाए । धन्यवाद ।

श्री अमित सिहाग (डबवाली): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं.–13 पर बोलना चाहूंगा जोकि हैल्थ से संबंधित है । सभी को मालूम है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई थी । मैं मानता हूं कि इसकी पूर्ति के लिए सभी ने अपने स्तर पर प्रयास भी किये थे । मैं चाहता हूं कि हैल्थ से रिलेटिड इस सप्लीमैंट्री डिमांड में 2–3 चीजों को अवश्य शामिल किया जाए । हमारे क्षेत्र डबवाली में एक प्राइवेट कम्पनी के द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करवाया गया था लेकिन वॉल्टेज की फ्लकचुएशन के कारण और अन्य समस्याओं के कारण वह अभी तक पूरे तरीके से कारगर नहीं हो पाया है । यह संभावना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है । वर्ष 2018–19 में मेरे क्षेत्र के एक अस्पताल ने सैप्रेट फीडर और सब–स्टेशन के लिए बजट मंजूर करवाया गया था । दुर्भाग्यवश उस समय वह बजट लैप्स हो गया था । इस बारे में डी.जी., हैल्थ को पुनः पत्र भेजा गया है । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया करके 42 लाख रुपये के उस फंड को अप्रूव करवा दें ताकि वह ऑक्सीजन प्लांट कारगर हो सके । अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ 3 चीजों के बारे में और बताना

चाहता हूं। पिछले बजट सैशन के दौरान सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध करवाने के बारे में आश्वासन दिया था। आज उन बातों को तकरीबन एक साल का समय होने के बाद भी पूरा नहीं किया गया है। अल्ट्रासाउंड की मशीन खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होती है। विभाग ने उस अल्ट्रासाउंड मशीन को डबवाली से उठाकर अंबाला शिफ्ट कर दिया। माननीय मंत्री जी ने उस दौरान आश्वासन दिया था कि अगर ऐसी बात है तो संबंधित अल्ट्रासाउंड की मशीन को वापिस लाकर डबवाली में लगवा देंगे। इस प्रकार एक अल्ट्रासाउंड की मशीन और दूसरा वहां पर रेडियोलोजिस्ट भी लगाया जाए। इसके अलावा तीसरी बात मेरी जानकारी में है कि वहां के लिए एक्स– रे मशीन के लिए बजट मंजूर करवाया गया है। जब कोविड–19 वायरस आता है तो इन सभी चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। हमारा डबवाली पिछड़ा हुआ ईलाका है, इसलिए वहां पर एक्स– रे की मशीन के लिए बजट मंजूर करके एक्स– रे मशीन भी भिजवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड्स पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 9 और 13 पर अपनी बात रखना चाहूंगा। सरकार ने बहुत जोर–शोर से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। इसके साथ –साथ बहुत सी सुविधाएं देने का जिक्र भी किया था कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कौन–कौन से साधन जुटाए हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय मेरे हल्के में महिला महाविद्यालय बनाया गया था और उस समय 14 कमरों का कंस्ट्रक्शन हुआ था। शायद उस समय बच्चियों की संख्या इतनी नहीं थी, इसलिए 14 कमरों की कंस्ट्रक्शन करवायी गयी थी। अब वहां पर पढ़ने वाली बच्चियों की संख्या बढ़कर 2008 हो चुकी है। मेरा आज इस संबंध में क्वैश्चन भी लगा था, परन्तु समय की कमी होने के कारण उस डिस्कशन नहीं कर सके। अध्यक्ष महोदय, उस पर महाविद्यालय में 2008 बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं और केवल 14 ही कमरे हैं। वहां पर साईंस फैकल्टी भी है, परन्तु साईंस की एक भी लैब नहीं है। वहां पर 3 साल से कैमेस्ट्री का टीचर नहीं है। आज भी तकरीबन 900 बच्चियां ग्राउंड में बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करती हैं। यह एक असुविधा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार समय रहते इन बातों पर पर ध्यान दे। सरकार ने जवाब में यह जरूर कहा है कि हम इसको कंसीडर करेंगे और कमरे बनवाने के लिए प्रपोजल बनवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि समय रहते इस समस्या का समाधान करें। इसके अतिरिक्त हैल्थ विभाग के संबंध में कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के के सतनाली के लिए एक सी.एच. सी. एप्रूव की हुई है और उसके लिए बजट भी निर्धारित किया हुआ है, लेकिन उस पर अभी तक आगे की कार्यवाही नहीं हो पायी है। चूंकि इस दौरान कोविड– 19 वायरस भी आकर चला गया। वहां पर हर रोज दूसरी हैल्थ सर्विसिज की रिक्वायरमैंट भी बहुत रहती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इन बातों पर भी ध्यान दे और हैल्थ सर्विसिज को पूरा करने के लिए जितना जल्दी हो सके कार्य करे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड्स पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री नीरज शर्मा (एन.आई.टी. फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड्स पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सर्वप्रथम डिमांड नम्बर 9 पर अपनी बात रखना चाहूंगा। हमारे वहां पर खेड़ी गुजरान कॉलेज है, उसके अन्दर ऑडिटोरियम बनवाने की कृपा की जाए। वहां पर कम से कम 5,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। यह हमारी विधान सभा में इकलौता सरकारी कॉलेज है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरी बात डिमांड नं0 11 पर रखना चाहूंगा जोकि खेलकूद से रिलेटिड है। पिछे मेरा क्वैश्चन नं0 413 लगा था जिसके रिप्लाई के माध्यम से पता चला कि फरीदाबाद में 3 राजीव गांधी खेल परिसर हैं। जोकि फतेहपुर बिलोच, अटेली और तिगांव के अन्दर हैं। हमारा फरीदाबाद शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। तीनों गांव मथुरा रोड के राईट हैंड साईड में हैं और लैफ्ट हैंड साईड में हमारी चार विधान सभाएं हैं। हमारे फतेहपुर, धौज, सिरोही, पाली और आलमपुर गांवों में से किसी भी एक गांव में खेल परिसर दिया जाए जिससे कि मथुरा रोड से इस तरफ रहने वाले व्यक्तियों को भी लाभ मिल सके। इसके साथ वल्लभगढ़ विधान सभा, बड़खल विधान सभा और पृथला विधान सभा भी लगती हैं। यहां पर 4 विधान सभाओं का एरिया लगता है, इसलिए यहां पर एक खेल परिसर दिया जाए। चौथा मैं डिमांड नम्बर 14 पर अपनी बात रखना चाहूंगा। केन्द्र– एफ.एम.डी.ए. के तहत हमारे फरीदाबाद शहर में काफी काम हो रहे हैं, परन्तु हमारी विधान सभा इसमें अछूती रह रही है। एफ.एम.डी.ए. में

हमारी विधान सभा की तरफ भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। खासतौर से गौछी ड्रेन को लेकर ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद डिमांड नम्बर 15 स्थानीय शासन के बारे में है। मेरी विधान सभा में बहुत नरकीय स्थिति है, खासतौर से सीवरेज को लेकर। इस बारे में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट भी जाते हैं और उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन भी लेते हैं। अगर किसी सीवरेज की लकड़ी की फटी लगाकर सफाई करवानी होती है तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है। उसके बाद लोगों को कुछ सुविधा मिलती है। मैं चाहूंगा कि मेरी विधान सभा में 8 वार्ड्स हैं जोकि ज्यादा नहीं हैं, उनके लिए 10–10 करोड़ रुपये की ग्रान्ट्स अलग से दी जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त डिमांड नम्बर 19 पैंशन से रिलेटिड है। डॉक्टर्ज टाईम पर हॉस्पिटल में नहीं बैठते हैं जिसके कारण बुजूर्ग लोगों को पैंशन दफ्तर में बहुत परेशानी होती है। पैंशन दफ्तर में सरकार अलग से खर्चा निकालकर एक बोर्ड लगा दे। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। वहां बोर्ड पर यह लिखवा दें कि पैंशन बनवाने के लिए ये –ये कागज लाने पड़ेंगे और कागज जमा करवाएंगे तो उनकी रसीद मिल जाएगी। इससे पैंशनर्ज को सुविधा होगी। अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं डिमांड नम्बर 23 पर अपनी बात रखना चाहूंगा जोकि राशन डिपों के बारे में है। ज्यादातर राशन डिपों वाले लोगों को राशन की पर्ची नहीं देते हैं। यह कहा जाता है कि प्रिन्टर में रोल नहीं है। इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाए कि हर राशन डिपों पर रोल हो। लोगों का जितने किलो राशन का अंगूठा लगाया जा रहा है, वह भी लिखकर आए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 33 पर बोलना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बल्लभगढ़ में मिल्क प्लांट बना हुआ है लेकिन वह मिल्क प्लांट पहले लगा हुआ था, आज जरूरत को देखते हुए उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारी विधान सभा में ग्राम पंचायत की बहुत सी जगह खाली पड़ी हुई है। उस मिल्क प्लांट को बल्लभगढ़ में सोहना रोड पर शिफ्ट करने का काम किया जाये, जिससे कि उस रोड पर फरीदाबाद, पलवल, मेवात और गुरुग्राम आदि टच होते हैं ताकि यहां के लोगों को इसका फायदा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरी अंतिम डिमांड ब्रहामण आयोग की है जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसके लिए पंजाब की तर्ज पर अलग से पैसा दिया जाये। धन्यवाद।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं डिमांड नम्बर 9, 15, 19, 21 और 30 पर बोलना चाहती हूं। सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर 9 पर बोलना चाहूंगी। यह एजुकेशन से संबंधित है। जो हमारे वोकेशनल टीचर्ज एसोसिएशन के लोग हैं, उनकी बहुत लम्बे समय से मांग चलती आ रही है और आज वे धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से उनकी बहुत बार बातचीत भी हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो वोकेशनल टीचर्ज हैं, जिनको विभाग ने भर्ती किया था, वे समान काम और समान वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनकी आपसे भी कई बार बातचीत हो चुकी है। ये लोग 2278 पदों पर कार्य कर रहे हैं। विभाग द्वारा एन.एस.क्यू.एफ. के माध्यम से 157 वोकेशनल टीचर्ज लगाये गये थे जिनको 48112 रुपये सैलरी मिल रही है और जो 2278 पदों पर वोकेशनल टीचर्ज कार्य कर रहे हैं, उनको 24871 रुपये सैलरी मिलती है। इनका सेम काम है, इनका काम करने का समय भी सेम है और एक ही जगह पर इन सबकी पोस्टिंग है। मेरा आपसे अनुरोध है कि डिमांड नम्बर 9 में इनको इन्क्लूड करते हुए एन.एस. क्यू.एफ. के माध्यम से जिसमें कुछ पैसा भारत सरकार ने देना होता है और कुछ पैसा हमारी हरियाणा सरकार देती है के तहत इनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। इनकी पोस्टिंग ग्रुप ए और बी की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनको समान काम और समान वेतन देते हुए जो टीचर्ज के सर्विस बायलॉज 2013 हैं, के अनुसार लागू करने का काम किया जाये ताकि लम्बे समय से यह आंदोलन कर रहे हैं वह आंदोलन खत्म हो सके। इन्होंने बहुत से विधायकों और सांसदों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखकर भेजा हुआ है। अब मैं डिमांड नम्बर 15 पर बोलना चाहूंगी कि हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में म्युनिसिपल कमेटीज और म्युनिसिपल काउंसिल हैं। इनमें आवारा पशु बहुत ज्यादा मात्रा में घूम रहे हैं जैसे आवारा कुते, सांड, गाय और खागड़ आदि। विशेष तौर पर इनकी संख्या कूड़े के ढेर पर और अस्पतालों से निकलने वाला बॉयो वेस्ट है, वहां पर ज्यादा होती है। इसकी वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत सारे एक्सीडैंट और इंसीडैंट हो चुके हैं जिसके कारण काफी डैथ भी हो चुकी हैं। अगर इसमें सरकार ने फंड का प्रोविजन किया हुआ है तो ठीक बात है अगर फंड का प्रोविजन नहीं किया है तो कर दिया जाये। अगर फंड का प्रोविजन किया हुआ है तो इसकी जांच जरूर

करवायें क्योंकि हमने सुना है कि इन आवारा पशुओं को पकड़ने में सरकार द्वारा टैंडर निकाले जाते हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे यहां खासतौर पर बंदरों की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से बहुत से बुजुर्ग अपने घरों की छतों से गिरने की वजह से काफी हादसे हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 19 पर बोलना चाहती हूं कि प्रदेश में वैल्फेयर ऑफ एस.सीज. एंड बी.सीज. में नैशनल कमीशन फॉर शिड्यूल कॉस्टस राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के राज में शिड्यूल कॉस्टस कमीशन बना हुआ था। जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने बहुत सारे कमीशन बना दिये जैसे गाय के संरक्षण के लिए गौ आयोग बना दिया गया। यह बहुत अच्छी बात है कमीशन बनायें, हमें कोई एतराज नहीं है परन्तु शिड्यूल कॉस्टस कमीशन को भंग कर दिया गया है। इस पर हमें एतराज है। आज तक भी इसकी नोटिफिकेशन होने के बावजूद गठन नहीं हो पाया है जबकि हमारे नैशनल एस.सी. कमीशन के हमारे साथी विधायक श्री ईश्वर सिंह जी हैं वे भी इसके चेयरमैन भी रहे हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शिड्यूल कॉस्टस कमीशन का गठन करे ताकि जो शिड्यूल कॉस्टस के लोगों पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। अब मैं डिमांड नम्बर 21 पर बोलना चाहूंगी जो वुमैन एंड चाइल्ड डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि हमारी बहनें आंगनवाड़ी वर्कर्ज और आंगनवाड़ी हैल्पर्ज बहुत लम्बे समय से धरने पर बैठी हुई हैं। उनको धरने पर बैठे हुए काफी लम्बा समय हो गया है। वे बहनें अपने छोटे–छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर के धरने पर बैठी हुई हैं। इसमें हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्ज हैं, वे 50 परसैंट डायवर्सी विडोज हैं जिनका आंगनवाड़ी वर्कर्ज के लिए अप्वॉयटमैंट होता है। उनकी कुछ मांगे हैं, जिनको लेकर वे धरने पर बैठी हुई हैं। मैं उनकी तरफ से मांग पत्र सदन की टेबल पर रख दूंगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करने का काम किया जाये और बजट में भी इसका प्रोविजन अतिशीघ्र कर दिया जाये क्योंकि बहुत साल पहले उनको यह कहा गया था कि उनको फोन दिये जायेंगे। आज तक भी इन आंगनवाड़ी वर्कर्ज को फोन नहीं दिये गये हैं। जिसकी वजह से उनको कार्य करने में असुविधा होती है। वे हमारी बहुत अच्छी कोरोना वॉरियर भी रही हैं। कोरोना काल में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बहुत

अच्छी सेवा देने का कार्य किया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उनका बढ़ाया हुआ किराया उनको यथाशीघ्र प्रदान किया जाए। मुझे उम्मीद है कि यह मांग बहन–बेटियों से संबंधित है और विभाग के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है इसलिए इस पर अवश्य विचार करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मेवा सिंह (लाडवा): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं. 34 परिवहन पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र पिपली में बस स्टैंड बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5–6 साल पहले की हुई है। सी.एम. साहब दो बार स्वयं मौके पर भी जा चुके हैं लेकिन आज तक वहां पर काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि पिपली जी.टी. रोड पर पड़ता है इसलिए उस बस स्टैंड को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। यहां पर सी.एम. साहब बैठे हुए हैं और सी.एम. अनाउंसमैंट के 6–6 साल बाद भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है तो बाकी कामों के क्या हालात होंगे इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है।

अब मैं डिमांड नं. 13 स्वास्थ्य पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक डीग गांव पड़ता है जहां पर पहले से स्थापित पी.एच.सी. को अपग्रेड करके सी.एच.सी. सैंक्शन किया हुआ है उसका नक्शा बन कर ए.सी.एस., हैल्थ के पास फाइल पड़ी हुई है इसलिए उसका जल्दी से जल्दी बजट मंजूर करके उस सी.एच.सी. की बिल्डिंग वहां पर यथाशीघ्र बनाई जाये। धन्यवाद।

श्री आफताब अहमद(नूंह): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं. 31 इकॉलोजी एण्ड इनवायर्नमैंट पर अपनी बात रखना चाहता हूं। कांस्टीच्यूशन में फंडामैंटल राईट्स में आर्टिकल 21 प्रोटक्शन ऑफ लाईफ एण्ड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार दिया हुआ है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि :–

> "Environmental Ecological Air and Water pollution amount to violate of the right to life assured by the Article 21 of the Constitution of India."

सर, मैं और मेरे आसपास के जिले के रहने वाले लोग हर रोज उठकर एयर क्वालिटी इंडैक्स देखते हैं कि आज कितना पॉलुशन है। कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण का हाल यह है कि इतना पॉलुशन शायद पहले कभी नहीं रहा होगा जितना इस समय है। अब सर्दियों में उस प्रदूषण का इतना असर है कि एन.जी.टी.

और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार तो आदेश दिये हैं कि हमारे बच्चों पर इसका नकारात्मक असर न पड़े इसलिए फरीदाबाद, गुरूग्राम, नूंह, सोनीपत और झज्जर के स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। इस डिमांड के बारे में मेरा अनुरोध यह है कि सरकार इस बारे में एक व्यापक नीति बनाए तथा एयर क्वालिटी इंडैक्स को मेनटेन करने के लिए इस दिशा में सही कदम उठाए। इतना अधिक एयर क्वालिटी इंडैक्स इंसान, जानवर और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं अपने सिंचाई के पानी की बात करूं तो वह भी इतना अधिक प्रदूषित है कि इंसान उसको पीना तो दूर उसमें खड़ा भी नहीं रह सकता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस पर विचार करके इसका कोई उचित समाधान किया जाये। धन्यवाद।

श्री बिशन लाल सैनी (रादौर): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं. 33 सहकारिता पर अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुस्तफाबाद में एक कॉआप्रेटिव सोसायटी है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हटा कर हरियाणा कॉआप्रेटिव बैंक या किसी अन्य सहकारी बैंक के साथ जोड़ा जाये क्योंकि जब भी कोई कॉआप्रेटिव की स्कीम लांच की जाती है उसका लाभ उन किसानों को नहीं मिल पाता है। वह सारा लाभ बैंक के पास चला जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए इस काम को करवाया जाये।

श्री इंदु राज (बरौदा): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं. 9 शिक्षा पर अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर शिक्षा की बात की जाये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बरौदा उप–चुनाव के समय चौधरी धजा राम जनता महाविद्यालय, बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा करके आये थे जो कि पूरी तरह से एक ग्रामीण विश्वविद्यालय होगा लेकिन आज तक उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया है इसलिए उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाये तथा उसका फंड भी जारी किया जाये। इसके साथ ही साथ महिला कॉलेज, बरौदा और महिला कॉलेज, भैंसवाल की बिल्डिंग बनाने के लिए भी बजट जारी किया जाये।

इसके साथ ही साथ मैं डिमांड नं. 11 पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बरौदा ग्रामीण क्षेत्र है और कबड्डी और कुश्ती वहां का और हरियाणा का भी मुख्य खेल है। आजकल कबड्डी और कुश्ती मैट पर होने लगी है। जैसे

बरौदा, मुण्डलाना, कथूरा तथा रिंढाणा गांवों में कबड्डी के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, भैंसवाल में बहुत सारे पहलवान हैं, इसलिए उन खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए इन गांवों में मल्टी परपज हॉल बनाए जायें।

डिमांड नं. 27 कृषि पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। हल्का बरौदा में माननीय मुख्यमंत्री जी जब सोनीपत में गये थे तो हवाई सर्वेक्षण हुआ था तथा मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत में जा कर बोला था कि बरौदा हल्का में बहुत सी जगहों पर जल भराव की समस्या है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बहुत से गांवों की सैंकड़ों एकड़ जमीन पर अभी भी जीरी खड़ी हुई है और जल भराव के कारण उसकी कटाई भी नहीं हो पाई है। इस प्रकार से उस जमीन पर गेहूं की बिजाई तो सम्भव ही नहीं हो पायेगी इसलिए बरौदा हल्के के मदीना, छिछड़ाना, रूखी, बनवासा, कोहला इत्यादि कई गांवों के लिए विशेष बजट जारी किया जाये। धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं. 9 शिक्षा पर अपनी बात रखना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पी.टी.आई. शिक्षकों से वायदा किया था कि इनका चूल्हा नहीं बुझने देंगे और 25 हजार रुपये कंसोलिडेटिड सैलरी पर इनको लगाया जायेगा या इनको कहीं न कहीं ऐडजैस्ट किया जायेगा लेकिन आज तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। आज वे पी.टी.आई. शिक्षक दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनका समाधान निकालें क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उनसे 25 हजार रुपये की कंसोलिडेटिड सैलरी देने का वायदा किया था।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी श्री जगबीर सिंह मलिक को बताना चाहूंगा कि हमने तो उनके लिए 25 हजार रुपये कंसोलिडेटिड सैलरी देने का वायदा किया था लेकिन वे कोर्ट में चले गये। अब हमारे हाथ की बात नहीं है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वोकेशनल टीचर्स के बारे में हमारी बहन गीता जी ने विस्तार से बताया है। इसमें पोजीशन यह है कि एक ही स्कूल में वही सबजैक्ट पढ़ाते हैं और एक टीचर को तो 48 हजार से अधिक वेतन मिलता है और दूसरे को 23 हजार रुपये मिलते हैं जबकि दोनों उसी स्कूल में और

वही सबजैक्ट पढ़ाते हैं। इसमें बहुत अधिक डिसपैरिटी है इसको भी सरकार वायदे के मुताबिक खत्म करे। इस बारे में वे टीचर्स शिक्षा मंत्री जी से भी मिले थे तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शिक्षा मंत्री जी से मिले थे तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी यह बात है। इसमें भी सुधार किया जाये। इसी तरह से मोहाना, बरौदा तथा भैंसवाल कलां में महिला कॉलेज खोले गये हैं लेकिन इन कॉलेजिज की न तो बिल्डिंग है, न ही पूरा स्टाफ है और न ही इन तीनों कॉलेजिज में प्रिंसिपल है। इन सभी कॉलेजिज की बिल्डिंग तथा फैकल्टी को पूरा किया जाये ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। यूनिवर्सिटी के लिए लड़कियों को लाने और ले जाने के लिए पहले जो बसें लगाई गई थी वे कोरोना के कारण बंद कर दी गई थी। अब यूनिवर्सिटी खुल गई है और सर्दियों के मौसम में लड़कियों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बारे में लड़कियों के अभिभावकों के हमारे पास फोन भी आते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए जीन्द, रोहतक, सोनीपत और पानीपत से लड़कियों को लाने और ले जाने के लिए जो पिंक बसिज चलाई गई थी उनको दोबारा से शुरू किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं. 13 स्वास्थ्य पर अपनी बात रखना चाहता हूं। विधान सभा की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति ने कुछ दिन पहले बी.पी.एस. महिला मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था तथा उस मेडिकल कॉलेज के हालात देखे थे। मेडिकल कॉलेज में कोई सड़क नहीं बची हुई है। सभी सड़कें इस कदर टूटी हुई हैं कि कोई मरीज भी वहां पर नहीं पहुंच सकता है। वहां पर कोई कार्डियोंलॉजिस्ट नहीं है और एक मेडिकल कॉलेज में अगर कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं होगा तो वह कैसा मेडिकल कॉलेज है जबकि हर्ट की बीमारी मुख्य बीमारी है? दूसरी बात यह है कि वहां पर ऑनकोलॉजिस्ट भी नहीं लगा हुआ है। आज कैंसर का बहुत ज्यादा प्रकोप है कि हरियाणा में हर तीसरी मौत कैंसर के कारण हो रही है इसलिए वहां पर कैंसर के ईलाज के लिए डॉक्टर नियुक्त किया जाये। एक्सीडैंटल केसिज में अगर हैड इंजरी हो जाये तो वहां पर कोई न्यूरो सर्जन भी नियुक्त नहीं है। हद की बात तो यह है कि इमरजेंसी ऑप्रेशन थियेटर में सी.आर.एम. होती है और पिछले 3 साल से वहां पर सी.आर.एम. भी खराब पड़ी है। यह बात वहां मौके पर समिति के सामने भी हुई थी। यहां मेडिकल कॉलेज की ओ.पी.डी. और सरकारी होस्पिटल सोनीपत की ओ.पी.डी. लगभग बराबर है। इस समय न तो सोनीपत में डॉक्टर्ज हैं न बी.पी.एस. महिला मेडिकल विश्वविद्यालय

खानपुर कलां में डॉक्टर्ज हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि नये मेडिकल कॉलेज खोलने की बजाए पुराने मेडिकल कॉलेजिज को अपडेट कर दें, वहां पूरी सुविधा दे दें ताकि वहां दूर–दूर से लोग इलाज कराने के लिए आ सकें। उसका क्या फायदा है जब एक हर्ट का पेसेंट राई हल्के से खानपुर पी.जी.आई. में आता है तो वह रास्ते में ही खत्म हो जाता है या फिर जब खानपुर से रोहतक रैफर करते हैं तो वह रोहतक पी.जी.आई. में पहुंचने तक ही खत्म हो जाता है, फिर इस मेडिकल कॉलेज का क्या फायदा है? इसलिए मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां में मेडिकल की ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 19 के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। एक गरीब आदमी का कोरोना काल में काम धंधा छूट गया है। अब उनके पास कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं रहा। बच्चों को जो वजीफा मिलता था वह भी सरकार ने बंद कर दिया है और जो बच्चों को किताब देने का सिस्टम था वे भी टाईम पर नहीं मिल रही हैं। मेरा अनुरोध है कि एस.सी. और बी.सी. के बच्चों के लिए समय पर वजीफा देने का प्रोविजन किया जाए।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 34 के संबंध में कहना चाहूंगा कि जैसे अभी मलिक साहब ने भी कहा है कि सरकारी बसों के बहुत से रूट्स बंद कर दिये गये हैं कि कहीं ड्राईवर्ज/ कंडक्टर्ज को ऑवरटाईम न मिल जाए। जिसके कारण मुलाना विधानसभा क्षेत्र और पूरे हरियाणा में जिन हमारे विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सुबह जल्दी निकलना होता है उनके लिए बस सुविधा अवेलेबल ही नहीं है। दो साल पहले जितने रूटों पर जितनी बसें चला करती थी वे आज नहीं चल रही हैं। सरकारी बस एक आम आदमी की सवारी है। अगर वही सवारी उसे नहीं मिलेगी तो फिर उसको कोई जहाज तो देने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि जितने भी रूट पहले चल रहे थे उनको दोबारा से चलाया जाए क्योंकि हरियाणा की जनसंख्या बढ़ी है, घटी नहीं है इसलिए जितने रूट पहले चल रहे थे वे भी चलाए जाएं और नये रूट भी बढ़ाए जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्ज को सदन में वोटिंग के लिए रखा जाएगा।

मांग संख्या 1 से 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **66,01,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **1–विधान सभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **9,33,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **77,53,02,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **10,10,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **3–सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या 6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,99,46,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **6–वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या 9

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **25,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **9–शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या 11 से 15

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **33,38,00,000** रुपये तथा पूंजीगत र्ख के लिए **34,12,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **11–खेलकूद तथा युवा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **12–कला एवं संस्कृति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **376,28,02,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **160,88,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 13**–स्वास्थ्य** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1500,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **14–नगर विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2740,36,01,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **15–स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या 18 तथा 19

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **18–औद्योगिक प्रशिक्षण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **26,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **19–अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या 21

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **151,58,58,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **21–महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या 23

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **392,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **23–खाद्य एवं आपूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या 27

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **479,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **27–कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या 30 से 31

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **106,35,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **30–वन एवं वन्य प्राणी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **47,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **31–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या 33 से 35

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **703,45,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **33–सहकारिता** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **113,00,60,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **34–परिवहन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,00,00,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **25,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35–पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या 45

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **340,16,38,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधायी कार्य–

(i) पुरः स्थापित किए जाने वाले विधेयक

1. दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक अमेनिटीज एण्ड इंफ्रास्ट्रैक्चर डैफिसियेंट एरियाज आउटसाईड म्यूनिसिपल एरिया(स्पेशल प्रोविजन) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसरंचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

> कि मुझे हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसरंचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसरंचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसरंचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।
(अनुमति प्रदान की गई।)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसरंचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसरंचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसरंचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

(विधेयक, पुरःस्थापित हुआ।)

---

2. दि हरियाणा एक्साइज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:–

कि हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।
(अनुमति प्रदान की गई।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

(विधेयक पुरःस्थापित हुआ।)

(ii) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

दि हरियाणा पोंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमैंट अथारिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाये।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:–

कि हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 2

श्री वरूण चौधरी (मुलाना, अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह क्लॉज–2 की सैक्शन–1 में अमेंडमैंट संबंधी एक नोटिस भी दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि:–

"Provided further that the Government may extend the tenure of Executive Vice Chairperson, Technical Advisor and Member Secretary upto the age of sixty-eight years by recording reasons for the same"

मेरी प्रपोजल है कि इसको ओमिट किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई कि जहां कोरोना काल में एक आर्डिनेंस तक नहीं आया वहीं तालाब के लिए 23 नवम्बर, 2021 को अचानक ही एक आर्डिनेंस आ जाता है और उसके चौथे ही दिन हरियाणा विधान सभा के सैशन की समनिंग भी हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा की गई जैसे कि पता नहीं तालाब को क्या हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कर्मचारियों की रिटायरमैंट एज को जहां 60 साल की बजाय 58 साल करने का काम किया गया है, वहीं पर क्लॉज–2 के सैक्शन–1 में कहा गया है कि 68 साल तक ये लोग काम करते रहे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा जा रहा है कि वे 68 साल तक काम

करते रहेंगे। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की उम्र घटा रहे हैं और इनकी बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ऐसे कौन से सराहनीय काम कर दिये हैं? उनके अंदर ऐसी कौन सी क्षमता है जो दूसरों में नहीं है।

14:00 बजे

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

———————

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस बिल के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में लिखा है कि हरियाणा में कई तालाबों की योजना और जीर्णोद्वारा/विकास कार्य प्रगति पर है। तीन वर्ष पहले यह अथॉरिटी बन गई थी। उन अधिकारियों ने तीन साल में कोई भी नीति नहीं बनाई जिनके लिये 68 साल तक उम्र बढ़ाई जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 62 वर्ष की आयु में रिटायर किया जाता है, माननीय उच्च्तम न्यायालय के न्यायाधीश और सी.ए.जी. को 65 वर्ष की आयु में रिटायर किया जाता है। सरकार को उनके अंदर ऐसी कौन सी क्षमता मिल गई जिसके लिये इतनी उम्र बढ़ाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण में आगे लिखा गया है कि–

> '..... इसलिए, इस क्षेत्र की तकनीकी जानकारी रखने वाले समक्ष व्यक्तियों की खोज में अनावश्यक महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो सकता है.....।'

अध्यक्ष महोदय, उन अधिकारियों ने तीन साल तक कोई भी नीति नहीं बनाई और उनका पीरियड सरकार तीन साल और बढ़ा रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से 58 वर्ष कर दी और यहां पर हम 65 वर्ष से 68 वर्ष कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले इस संबंध में ऑर्डिनैंस लाया जा रहा है, जबकि इस महत्वपूर्ण समय में विधान सभा का सत्र आने वाला था। अचानक ऐसी कौन सी ऐसी बिजली गिर गई जो इस प्रकार से काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना है कि हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 की धारा 4 की उपधारा (1) का तीसरा पैरा ओमिट किया जाये। धन्यवाद।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री वरूण चौधरी ने जो सदन में कहा वह बिल्कुल ठीक कहा है, मैं इससे सहमत हूँ। हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें उन अधिकारियों की उम्र 68 साल तक बढ़ानी पड़ गई? डॉक्टर्ज के बारे में तो चलो हमें पता होता है कि यह स्थिति के हिसाब से हमारी जरूरत हो सकती है। लेकिन इसमें तो सरकार एक विशेष व्यक्ति को समायोजित करना चाहती है। इस बिल के माध्यम से एक व्यक्ति विशेष के लिये उम्र में बढ़ाने के संबंध में अमैंडमैंट की जा रही, इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि 65 वर्ष की उम्र बिल्कुल सही है, इसलिए हम इस अमैंडमैंट का विरोध करते हैं। धन्यवाद ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक के संबंध में कहना है कि कभी–कभी व्यक्ति विशेष को भी ध्यान में रखकर ऐसा करना पड़ता है। यह ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। यदि हम हरियाणा का इतिहास उठा कर देखेंगे तो पता चलता है कि इस तरह से बहुत बार कांग्रेस पार्टी के शासन काल में भी हुआ था और आज हमारी सरकार ने ऐसा किया है तो इसे मानने के लिये हमें कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति विशेष में जिसकी कोई योग्यता होती है, टैलेंट होता है और उसमें तकनीकी ज्ञान होता है। जब हमने पॉण्ड अथॉरिटी का बिल बनाया था उस समय हमारे प्रदेश में 18 हजार तालाब थे। इस प्रकार से 18 हजार तालाबों को ठीक करने की प्लानिंग एक दिन में नहीं बन सकती है। इन तालाबों पर लगातार काम हो रहा है। इस समय तक इस वर्ष में 550 तालाबों पर इसकी प्लानिंग बन चुकी है या फिर काम शुरू हो चुका है। यह काम काफी लम्बा प्रोसैस है और इसमें पांच वर्ष से लेकर आठ वर्ष का समय लग सकता है। इसलिए पहले से कोई काम लगातार चल रहा हो और उस काम को हम बीच में रोकें और उसके लिये और ज्यादा समय बर्बाद करें, अच्छी बात नहीं है। यदि पहले से इस संबंध में कोई व्यक्ति विशेष बढ़िया तरीके से अपने काम को ठीक ढंग से कर रहा है तो उसके लिये हमें उसकी टर्म बढ़ाने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी उपाध्यक्ष की टर्म पिछले दिनों में खत्म हो रही थी, उनकी टर्म खत्म होने से पहले ही उसको लगातार चालू रखने के लिये ऐसा किया गया है। आगे इस काम में कोई व्यवधान न आये, केवल इतना सा काम

के लिये हम दो–तीन साल और खराब करें, इसकी बजाये रेगुलर तरीके से काम चलाने के लिये यह सब किया गया है और इसे हमें करना ही है।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, क्या हरियाणा के किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार की कोई काबिलियत नहीं थी? क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके अंदर कोई क्षमता नहीं होती है? उनकी उम्र तो 65 वर्ष के बाद नहीं बढ़ाई जाती। हरियाणा सरकार में लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, उनके अंदर किसी में भी ऐसा काम करने की कोई क्षमता नहीं है। जहां तक नीति की बात है अभी तो इस संबंध में तीन साल तक कोई नीति ही नहीं बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन के नेता से यह पूछना चाहता हूँ कि जिसको आप रिटायर्ड कर देते हैं क्या उसके बाद इस संबंध में कोई नीति बनाने में अपने सुझाव नहीं दे सकता? क्या उसके ऊपर अपने सुझाव देने की कोई रोक होती है? देश के किसी भी नागरिक के ऊपर अपने सुझाव देने में कोई रोक नहीं होती है। जब कोई नीति बन रही होती है तो हर कोई अपने सुझाव दे सकता है। धन्यवाद।

श्री गीता भुक्कल (झज्जर) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद । Haryana Pond and Waste Management Authority का सरकार ने गठन किया हुआ है । सरकार Haryana Pond and Waste Management Authority में कार्य करने वाले अधिकारियों के रिटायरमैंट की अपर एज लिमिट 65 वर्ष से 68 वर्ष कर रही है । मुझसे पहले हमारे साथियों ने कहा है कि इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है । जिस समय यह बिल आया था हमने उस समय भी यह बात पूछी थी कि who is the nodal department, who is the agency, who will be the nodal officer for it. अभी सदन में बहुत–से तालाबों की स्थिति के बारे में बताया गया और उनमें जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी बताया गया है । हमारे क्षेत्र और अनेक क्षेत्रों के तालाबों में डेंगू जैसी बीमारी और गंदगी फैलाने के सिवाय कुछ भी नहीं हो रहा है । सरकार द्वारा गांव छूछकवास और हमारे शहर के कई पोंड्स को 3 पोंड प्रणाली बनाने की बात कही गई थी । ऐसे में मेरा अनुरोध है कि जब भी इनसे संबंधित जिलेवार कोई मीटिंग हो या इनका संज्ञान लिया जाए तो उस क्षेत्र के लोकल एम.एल.ए. होने नाते हमें उसका ज्यादा ज्ञान रहता है, इसलिए उसमें हमें भी शामिल किया जाए । बहुत–से लोग कहते हैं कि कुछ तालाब गांव के अंदर आ

गए हैं जोकि पहले गांव की फिरनी के बाहर होते थे । ऐसे में अगर हम वहां पर पार्क बनाना चाहते हैं तो हम वहां पर पार्क नहीं बना सकते क्योंकि वह भूमि तालाब की है । अतः सरकार को उसे किसी तरीके से डीनोटिफाई करने का प्रौविजन चाहिए । आज के दिन वे तालाब बहुत ज्यादा अनसेफ हो गए हैं । हमारे क्षेत्र के भूरावास गांव में 3 पोंड सिस्टम बन चुका है । वहां पर भी पहले तालाबों की बहुत बुरी स्थिति थी और हमें उनकी अच्छी स्थिति ही बनानी चाहिए । पहले वहां पर आसपास के खेलते हुए छोटे–छोटे बच्चे गिर जाते थे और मुण्डाहेड़ा गांव के तालाब में कइयों की डैथ भी हो चुकी है । उसमें गांव के कई पशु गिर चुके हैं । उसमें इतना ज्यादा झाड़–झंकाड़ होता है कि उसमें से मैनुअली तो पशु को बाहर निकाल भी नहीं सकते । अतः मेरा अनुरोध है कि जब भी तालाब से संबंधित कोई मीटिंग हो तो उसमें लोकल एम.एल.ए. को भी अवश्य शामिल किया जाए । दूसरा, हम नहीं समझते कि इस तरह से अमैंडमैंट करके किसी अधिकारी के रिटायरमैंट की अपर एज लिमिट को 65 वर्ष से 68 वर्ष किया जाए । कोरोना वॉरियर्स या जिनकी शॉर्टेज हैं उनके मामले में तो ऐसा करना बिल्कुल ठीक है । आज स्पैशलिस्ट कैडर बनवाने के लिए डॉक्ट्र्स इतना बड़ा एक आन्दोलन कर रहे हैं कि हमारा कैडर बना दें, हमारी एज बढ़ा दें, उनके मामले में भी ऐसा करना ठीक है । अतः हमारा अनुरोध है कि जहां पर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है वहां पर रिटायरमैंट की अपर एज लिमिट बढ़ा दें लेकिन जहां पर शॉर्टेज नहीं है वहां पर इस तरह के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ)

हरियाणा विधान सभा के सभी सदस्यगण को अध्यादेश की प्रति उपलब्ध करवाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया सुझाव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं एक विषय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस दिन ऑर्डिनैंस होता है उसके बाद उसे सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट करना होता है । अभी तक कोई भी ऑर्डिनैंस माननीय सदस्यों के पास नहीं आता । As per the rules, as soon as after the Governor has promulgated an Ordinance, under Article 213 (1) of the Constitution, the copies of the Ordinance shall be made available to the Members. अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि

किसी भी ऑर्डिनैंस को सभी माननीय सदस्यों के पास भेजा जाना चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात का ख्याल रखें ।

———————————

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 बुधवार, प्रातः 10:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

14:10 बजे

(तत्पश्चात् सभा बुधवार दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)